त्रयोदश माला, खंड 35, अंक 9

FOR REFERNCE ONLY.

गुरुवार, 31 जुलाई, 2003
9 श्रावण, 1925 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 55
Date 26/3/04

(खण्ड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

विजय कुमार कौशिक
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 35, तेरहवां सत्र, 2003/1925 (शक)

अंक 9, गुरुवार, 31 जुलाई, 2003/9 श्रावण, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 163 और 167	8-33
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 164 से 166 और 168 से 180	34-72
अतारांकित प्रश्न संख्या 1489 से 1685	72-357
सभा पटल पर रखे गए पत्र	357-359
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विधेयक—पुरःस्थापित	359
मुम्बई में हुए बम विस्फोटों के बारे में	360-370
उप-प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	
28 जुलाई, 2003 को मुम्बई के घाटकोपर में बस में और 31 जुलाई, 2003 को जोगेश्वरी, पश्चिम मुम्बई में हुए बम विस्फोट	
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	371-372
नियम 377 के अधीन मामले	382-392
(एक) महाराष्ट्र में भुसावल तहसील के आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र के निकट रेलवे क्रासिंग पर फाटक बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री वाई. जी. महाजन	382
(दो) गुजरात में जामनगर शहर को बी–2 का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रेश पटेल	382-383
(तीन) राजस्थान के भिवाड़ी शहर में उद्योगों के विकास के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता	
डा. जसवंतसिंह यादव	383
(चार) महाराष्ट्र में धुले और कुर्ला के बीच बरास्ता चालीसगांव–मनमाड, गोदावरी एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री रामदास रूपला गावीत	383-384
(पांच) राज्य सरकारों को विकासात्मक कार्यकलापों की समीक्षा के लिए गठित जिला स्तरीय सतर्कता और अनुवीक्षण समितियों के संबंध में केन्द्र द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करने का परामर्श दिए जाने की आवश्यकता	
श्री महेश्वर सिंह	384-385

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(छह) उत्तरांचल के नैनीताल जिले में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

डा. महेन्द्र सिंह पाल 385

(सात) केरल के लोगों के लिए खाड़ी देशों में रोजगार प्राप्त करने हेतु शैक्षिक योग्यता के सत्यापन के लिए प्रक्रिया में ढील दिए जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुनील सुरेश 385-386

(आठ) कर्नाटक में गन्ना उत्पादकों के लाभ के लिए पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा 386-387

(नौ) केरल के तटीय क्षेत्रों में खनिज रेत के खनन का निजीकरण करने की योजना वापस लिए जाने के लिए केरल सरकार को निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी. राजेन्द्रन 387

(दस) बार–बार होने वाली रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय किए जाने की आवश्यकता

डा. मन्दा जगन्नाथ 387-388

(ग्यारह) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि से उत्तर प्रदेश विशेषकर फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मान्यता प्राप्त विद्यालयों/संस्थानों को दी जाने वाली धनराशि पर लगाए जाने वाले पंजीकरण शुल्क की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री धर्मराज सिंह पटेल 388-389

(बारह) महाराष्ट्र के परभनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सेलु क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश रामराव जाधव 389

(तेरह) बिहार के भागलपुर, खगड़िया और कटिहार जिलों को गंगा, कोसी और बागमती नदियों से होने वाले अत्यधिक भू–कटाव से बचाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रेनु कुमारी 389-390

(चौदह) पार्सल कार्यालय में आसानी से पहुंचने की दृष्टि से पश्चिम बंगाल के बर्दवान रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1 पर गाड़ी संख्या 3151 अप, 3049 अप और 3911 अप का पुनः ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अजित कुमार पांजा 390

(पंद्रह) देश में गोवध पर पाबंदी लगाने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती कैलाशो देवी 391

(सोलह) उड़ीसा में ढेंकानाल जिले में कपिलाश शिवपीठ का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री के. पी. सिंह देव 391-392

(सत्रह) तमिलनाडु में जोलारपेट्टई और होसुर के बीच, बरास्ता बरगुन और कृष्णागिरि, एक नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री वी. वेत्रिसेलवन 392

लोक सभा

गुरुवार, 31 जुलाई, 2003/9 श्रावण, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मुम्बई में आज जो बम ब्लास्ट हुआ, उसमें सात लोगों की मृत्यु हुई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिए।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री खैरे, आप क्या कहना चाहते हैं?

[हिन्दी]

बाकी लोग अपनी–अपनी जगह पर जाइए। इस तरह से काम नहीं चल सकता।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस मेरे पास है। आप एक के बाद एक करके सब बोल सकते हैं। अभी बैठिए। चन्द्रकांत खैरे जी, आप क्या कहना चाहते हैं, वह कहें।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं कहूंगा कि मुम्बई में आज सवेरे 3.10 बजे जोगेश्वरी के यादव नगर में सात महीने में छठा बम ब्लास्ट हुआ। जो जोगेश्वरी का इलाका है, जिस समय रात को 3.10 बजे विस्फोट हुआ, वहां दिलनवाज खान नाम का व्यक्ति था, जो विस्फोटक बनाने का काम करता था। यह बात जरूर है कि वह फिल्मों में विस्फोटक सप्लाई करता था लेकिन यह इतना बड़ा धमाका था कि घाटकोपर में जो परसों ब्लास्ट हुआ, उससे भी यह तीन गुना ज्यादा था। उसमें इतनी तेज आवाज हुई और जिस प्रकार से ब्लास्ट हुआ, वहां की जनता इससे भयभीत है। इस घटना में सात लोगों की मृत्यु हुई है और तीस लोग घायल हैं जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। मैं यह कहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार ला एंड आर्डर के मामले में पूरी तरह फेल हुई है। यह छठा बम ब्लास्ट हुआ है। इतनी रात को 3.10 बजे दिलनवाज खान के घर यह ब्लास्ट क्यों हुआ? फिल्मों में जो धमाका होता है, वह इतना बड़ा नहीं होता है कि उससे आदमी मर जाएं। इसके पीछे कौन हैं और किन आतंकवादियों से वे मिले हुए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको जो कुछ कहना है आप क्वैश्चन आवर के बाद कह सकते हैं।

श्री चन्द्रकांत खैरे : महाराष्ट्र में ला एंड आर्डर पूरी तरह से खत्म हो गया है और कल मुम्बई बंद भी थी। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का मिला जुला बंद था। घाटकोपर में तीन लोगों के मारे जाने के विरोध में मुम्बई और ठाणे की डेढ़ करोड़ जनता ने सारे हिन्दुस्तान को एक करने के लिए बंद किया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री खैरे को सुनना चाहता था।

(व्यवधान)

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : अब शून्य काल की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं अब इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं माननीय सदस्यों से एक–एक करके इस बारे में जानना चाहता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : महाराष्ट्र सरकार का इसमें फेल्योर रहा है, इसलिए केन्द्र सरकार को इस मामले पर बयान देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, मेरे मतदान क्षेत्र में तीन बार बम विस्फोट हुए हैं। मैं आपके द्वारा यह कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के उप मुख्य मंत्री स्टेटमेंट करते हैं कि वह स्टंटमैन था। उनको एक घंटे में कैसे पता चल गया कि वह स्टंटमैन था? अगर वह स्टंटमैन था तो उसके घर में विस्फोटक कैसे आया? वह दिलनवाज खान कौन है? वह सिमी का एक्टिविस्ट है। महाराष्ट्र सरकार इस संबंध में कुछ नहीं कर सकी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक बात कहने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री 'प्रश्न काल' के तुरन्त बाद एक वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : हम केन्द्र सरकार से प्रार्थना करते हैं कि केन्द्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। वहां एक सर्वेक्षण दल भेजना चाहिए और इमीडियेटली इस पर एक्शन होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : विषय गंभीर है। आप बैठ जाइए। श्री सोमैया, कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री जी प्रश्न काल के तुरंत बाद इस विषय में स्टेटमेंट करेंगे और उस समय मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सदन का निर्णय है।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, जो मामला हम उठाना चाहते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हर माननीय सदस्य का मामला महत्वपूर्ण है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने यह तय किया है कि सदन में प्रश्न काल चलना चाहिए। जिन लोगों को कुछ कहना है वे प्रश्न काल के बाद अपनी बात कह सकते हैं। आज मेरे पास कई एडजर्नमेंट मोशन आये हैं।

[अनुवाद]

एक स्थगन प्रस्ताव ताज हेरीटेज कॉरिडोर मामले में सीबीआई जांच को प्रभावित करने के प्रयास के विरुद्ध है। यह आपके द्वारा दिया गया स्थगन प्रस्ताव है। एक अन्य प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्रियों के भाषणों वाले मूल टेप में हेर-फेर के लिए सीबीआई के दुरुपयोग के संबंध में है। एक और प्रस्ताव गन्ना उपजाने वाले किसानों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में है। एक प्रस्ताव श्री राम विलास पासवान द्वारा प्रख्यात उस्ताद बिस्मिल्ला खान की दुःखद स्थिति के बारे में प्रस्ताव के संबंध में है। मुझे कई स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यदि मैं प्रत्येक को बोलने का मौका दूं तो प्रश्न काल शुरू नहीं किया जा सकेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी को मैं केवल दो मिनट बोलने की इजाजत दूंगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने भी एक नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर) : महोदय, मैं आपके विनिर्णय पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं पर किस आधार पर श्री मल्होत्रा को बोलने का मौका दिया जाएगा? महोदय आप चाहते हैं कि प्रश्न काल चलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं चाहता हूं कि प्रश्न काल चले।

श्री ए. सी. जोस : यदि श्री मल्होत्रा को बोलने का मौका दिया जाता है तो हमें भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बोलने के लिए मुझसे अनुमति ली है। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है क्योंकि पिछले चार दिनों से वे इस मामले को उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, हमारा क्वैश्चन आवर सस्पेंशन का नोटिस है। परसों जिस प्रकार से सांसदों ने व्यवहार किया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप में से हर एक को दो मिनट से अधिक बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं इस मुद्दे पर केवल 'शून्य काल' के दौरान चर्चा करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह रिक्वैस्ट करना चाहता हूं और आपकी ओर से सदन में रूलिंग चाहता हूं कि उस दिन जो तय हुआ था कि सदन में क्वैश्चन आवर लगातार चलेगा, उसे क्रियान्वित किया जाए।

अब एक सवाल आया है कि 12 बजे मंत्री महोदय स्टेटमेंट करेंगे, तो एक तो यह तरीका है, दूसरा यह है कि जितने भी एडजर्नमेंट मोशन आए है, आप उन्हें रिजैक्ट कर दें अथवा स्वीकार कर लें, लेकिन क्वैश्चन आवर न रोकें। यह सब इसी प्रकार होता रहा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।

महोदय, मैं कई दिनों से एक इश्यू के बारे में कहता रहा हूं। आपने हमेशा कहा कि उसे मैं जीरो आवर में उठाऊं। यह भी एडजर्नमेंट मोशन है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सहमत हूं और एक अपवाद के रूप में मैं श्री दासमुंशी को बोलने की अनुमति देता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि प्रश्न काल को बाधित करने की हमारी कोई मंशा नहीं है...*(व्यवधान)* कल किसने क्या किया था यह कार्यवाही-वृत्तात में है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, इन लोगों के कारण ही हाउस रोज डिस्टर्ब होता है, हम लोग रोज बैठकर चले जाते हैं और अब भी ये लोग हाउस को डिस्टर्ब ही कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः अध्यक्ष महोदय, मेरा सर्वोच्च संसदीय परम्पराओं में विश्वास है, संसदीय प्रणाली को चलाने के लिए विपक्ष को हमेशा अध्यक्षपीठ की अनुमति की शर्त के अधीन मुद्दों को सामने लाने का परमाधिकार है और जो इन परम्पराओं के बारे में नहीं जानते मैं उनकी अनभिज्ञता के लिए केवल खेद प्रकट कर सकता हूं...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे : महोदय, मुझे उनकी अनभिज्ञता के लिए दुःख है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आपत्तिजनक शब्द कहा है,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैंने भी खैरे को बिना कोई बाधा डाले सुना...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्षपीठ ने अनुमति दे दी है तो आप अपनी बात जरूर कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए एक सूचना दी थी। यह आपका विवेकाधिकार है और मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) सहित संस्थागत प्रणाली को नष्ट करने के लिए एक के बाद एक प्रयास किए जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मैं इस पर कड़ी आपत्ति करता हूं। यह कोई तरीका नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जिस तरीके से कार्य किया गया है उसका मैं जोरदार विरोध करता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी है। आप 'शून्य काल' के दौरान अपनी बात कह सकते हैं। मैं स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अस्वीकृत कर रहा हूं। 'शून्य काल' के दौरान आप यह मामला उठा सकते हैं।

अन्य सभी स्थगन प्रस्तावों को भी मैंने अस्वीकृत कर दिया है। मैंने अब 'प्रश्न काल' आरंभ करने का निर्णय लिया है। कृपया बैठ जाएं। अब सभी लोग बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, हमारा बहुत गंभीर सवाल है, हमें दो मिनट बोलने का समय दे दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं जीरो आवर में आपको बोलने की इजाजत दूंगा, अभी आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस मामले को कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष उठाने दीजिए। सोमवार से मैं किसी विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण विषय हो। 'प्रश्न काल' को हमेशा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कृपया स्मरण रखें कि सोमवार से मैं सीधे प्रश्न काल आरम्भ करूंगा। कृपया स्थगन प्रस्ताव की कोई भी सूचना तब तक नहीं दें जब तक कि वह अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं हो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। प्रश्न सं. 161—डा. अशोक पटेल।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

[हिन्दी]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

"ट्रैक डिटेक्टिंग मशीन" का आयात

+

*161. **डा. अशोक पटेल** :
श्री टी. एम. सेल्वागनपति :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास मशीनों की सहायता से रेलमार्ग की जांच करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण इस कार्य को करने में अत्यधिक समय लग जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त जांच के लिए नवीनतम "अल्ट्रासोनिक रेल फ्ला डिटेक्शन" मशीनों का आयात करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ये मशीनें कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ङ) इन मशीनों पर कितना खर्च आने की संभावना है;

(च) क्या रेलवे ने दोष संसूचन और गड़बड़ी का पता लगाने संबंधी अनुसंधान के लिए कोई परियोजना शुरू की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं। रेलपथ की अल्ट्रासोनिक जांच यूएसएफडी (अल्ट्रासोनिक फ्ला डिटेक्शन) मशीनों द्वारा की जा रही है जो हाथ से चलाई जाती हैं। इसके अलावा, इस काम के लिए एक सेल्फ परोपेल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग (स्पर्ट) कार भी लगायी गयी है।

(ख) से (ङ) इस समय 35 करोड़ रुपये की अनुमानित

लागत से दो स्पर्ट कारों की खरीद के लिए ग्लोबल टैंडर रेलों के विचाराधीन हैं। आदेश देने के बाद साढ़े तेरह महीने के अन्दर इन मशीनों की आपूर्ति कर दिए जाने की संभावना है।

(च) और (छ) अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन (यूआईसी) ने "रेल डिफेक्ट मैनेजमेंट" पर एक अनुसंधान परियोजना शुरू की है। कुछ अन्य रेलों के साथ-साथ भारतीय रेलवे भी इस परियोजना में भाग ले रही है। भारतीय रेलवे को इस परियोजना से संबंधित प्रयोगशाला में की जाने वाली विभिन्न जांचों का कार्य सौंपा गया है।

डा. अशोक पटेल : अध्यक्ष महोदय, देश में 75 प्रतिशत रेल दुर्घटनाएं खराब रेल पटरियों के कारण होती हैं। जहां एक तरफ रेल प्रशासन तेज रफ्तार की गाड़ियों की संख्या बढ़ा रहा है वहीं दूसरी तरफ यह भी सत्य है कि देश में लगभग 15 हजार किलोमीटर पटरियों की हालत खराब है, जिनके बदलने का कार्य 2001 तक पूरा होना था लेकिन अब इसके 2007 तक पूरा होने की संभावना है। रेलवे के अनुसार पटरियों पर 80 लाख टन भार निकल जाने के बाद उनकी जांच जरूरी है लेकिन रेलवे के पास आधुनिक ट्रेक डिटेक्टिंग कार की व्यवस्था नहीं है। सरकार ने अपने उत्तर में बताया है कि स्पर्ट कारों के खरीदने के आदेश दिए जाने विचाराधीन हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक ये आदेश दे दिए जाएंगे, क्योंकि आदेश दिए जाने के बाद भी साढ़े 13 महीने का समय उनके आने में लगेगा, तब तक पटरियों की हालत निश्चित रूप से बहुत खराब हो जाएगी।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है की रेल पटरियों की देख-भाल के लिए हम लोगों को जो सेल्फ परोपेल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग (स्पर्ट) कार का प्रक्योरमेंट करना है, वह मामला बहुत समय से लम्बित है, बावजूद इसके कि इसके लिए रोलिंग स्टाक प्रोग्राम में प्रावधान किया गया है। एक टैंडर निकाला गया था लेकिन उसे डिस्चार्ज करना पड़ा, क्योंकि हमारे स्पेसिफिकेशन के मुताबिक कोई टैंडर भरने नहीं आया था। हमारी जरूरतों के मुताबिक बाद में पुनः देख कर, कि हमें कैसी स्पर्ट कार चाहिए, 2001 में दोबारा टैंडर किया गया और उसके जल्दी फाइनलाइज होने की संभावना है।

डा. अशोक पटेल : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने उत्तर के भाग च और छ में बताया है कि रेल डिफेक्ट मैनेजमेंट पर एक अनुसंधान परियोजना प्रारम्भ की गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है और इससे रेल दुर्घटनाएं रोकने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इंटरनेशनल यूनियन आफ रेलवे, यूआईसी के अंतर्गत रेल डिफेक्ट मैनेजमेंट की एक परियोजना चल रही है। इसमें कई देशों की रेलवे और रेलवे से जुड़ी संस्थाएं भागीदार हैं। इसमें भारतीय रेल भी है। एसोसिएशन आफ अमेरिकन रेलवे, ईस्ट जापान रेलवे, स्विस लैंड रेलवे, चाइना अकाडमी आफ रेलवे साइंसेस और रेलवे टैक्नीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ जापान है, ये इसकी भागीदार हैं। हम लोगों ने एक मिलियन डालर इस प्रोजेक्ट में लगाया है और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत में भी कुछ काम सौंपे गये थे। भारत ने जो कुछ भी इसमें रिसर्च और जांच-पड़ताल का काम करना था, उसे करके अपनी रिपोर्ट यूआईसी को भेज दी है। अब जितनी जल्दी सब जगहों से उनकी रिपोर्ट आएगी, तब उसे वे अंतिम रूप देंगे। इससे काफी मदद मिलेगी। खास करके जो रेल डिफेक्ट इंस्पेक्शन और रेल फेल्योर प्रैडिक्शन टैक्नोलाजी है, इन दोनों में अभी जो स्थिति है उसमें काफी सुधार आएगा, और एक प्रकार से कास्ट इफैक्टिव रेल डिफैक्ट मैनेजमेंट पालिसी को अपनाने की सहूलियत होगी। हम उम्मीद करते हैं कि यूआईसी इस योजना को पूरा करेगी।

[अनुवाद]

श्री टी. एम. सेल्वागनपति : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश का आम आदमी रेल हादसों का आदी हो गया है और दुर्घटनाएं व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बन गई हैं। यह प्रश्न यात्रियों की रेल सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। मार्च, 2000 से 2003 की तीन वर्षों की अवधि में 1000 से अधिक लोग मारे गये हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 1,300 दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें 3000 से भी अधिक लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। रेल पटरियां जिस धातु की बनी होती हैं उनके क्षय को इसका कारण बताया जा रहा है। यह स्थिति है। अब हमारा विश्वास है कि रेलवे बोर्ड मानसिक थकान से प्रभावित है जिसमें रेल मंत्री भी शामिल हैं जिनका त्यागपत्र देने और फिर वापस लेने का ट्रैक रिकार्ड रहा है। महोदय, यह एक गंभीर मामला है। इस उद्देश्य के लिए लगभग 17,000 करोड़ रुपए का अव्यपगत कोष निर्धारित

किया गया है और अप्रैल, 2001 की स्थिति के अनुसार बकाए को 2007 तक आगे बढ़ाया गया है। मेरा प्रश्न यह है कि आप इस प्रक्रिया को कब तक पूरा कर रहे हैं? आपका क्या कार्यक्रम है? कृपया हमें बताएं कि अब तक कितने किलोमीटर रेल पथ की मरम्मत की गयी है, ऐसे पुलों की, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, मरम्मत की गयी है और कब तक 17,000 करोड़ रुपए के अव्यपगत कोष का यह संपूर्ण कार्यक्रम पूरा होने जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री टी. एम. सेल्वागनपति : यह मेरे प्रश्न का भाग (क) है। भाग (ख) यह है कि हाल में विरुधुनगर-राजापलयम के बीच लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से आमान परिवर्तन के संबंध में एक समाचार आया था। रेल संरक्षा आयुक्त ने यह सोचकर इसका निरीक्षण किया था कि कार्य पूरा हो गया है। वस्तुतः यह निराशाजनक बात है कि यह रेल पथ 50 कि.मी. प्रति घंटा की गति को सहने में भी सक्षम नहीं है। यदि यह आमान परिवर्तन संबंधी नए निर्माण कार्यों की स्थिति है तो भविष्य क्या होगा? यह अविश्वसनीय है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए। श्री सेल्वागनपति, आप अपने अवसर का उपयोग कीजिए। यदि आप सीधे प्रश्न पूछना नहीं चाहते हैं, तो आप यह जानते हैं कि ऐसे कई सदस्य हैं जो इस विषय पर प्रश्न पूछना चाहते हैं और उन्हें अवसर खोना पड़ेगा।

श्री टी. एम. सेल्वागनपति : जी, हां। मैं अभी-अभी सीधे प्रश्न पूछ रहा हूं। इन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है? मेरे प्रश्न का भाग (ग) यह है कि ऐसे 9000 रेलवे कर्मचारी हैं जिन्हें इन चूकों के कारण बरखास्त कर दिया गया है। ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है? इसके लिए कोई आंकड़े नहीं हैं। इससे यह पता चलता है कि सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हम यह जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, अगर आप मूल प्रश्न को देखेंगे तो माननीय सदस्य ने जिन बिन्दुओं को उठाया है, उससे इसका कोई रिश्ता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप की बात से सहमत हूं।

श्री नीतीश कुमार : लेकिन कोई यह न समझे कि उन्होंने जो सवाल उठाया, मैं उसका उत्तर नहीं देना चाहता, इसलिए मैं उनकी बातों का उत्तर देना चाहता हूं।

जहां तक स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड का सवाल है, यह ऑगस्ट हाउस परिचित है कि एक अक्टूबर, 2001 से स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड से काम शुरू हो गया है। स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड से जो काम होने हैं, उनके बारे में पूरी की पूरी सूची बनाकर एक अलग ग्रीन बुक के तौर पर इस सदन में रखी हुई है और उसी सूची में से काम हो रहा है, चाहे वह ट्रैक रिन्युअल का हो, चाहे ब्रिज रिप्लेसमेंट का हो, चाहे सिग्नल गियर रिप्लेसमेंट का है या और अन्य कोई काम हो। उसके बारे में विस्तृत सूचना सदन के पटल पर रखी हुई है और उसी के अन्तर्गत काम हो रहा है।

पहले साल छः महीने का समय था, 1400 करोड़ रुपये का प्रोवीजन था और 1434 करोड़ रुपये खर्च किए गए। दूसरे साल 2002-2003 के बजट में 2210 करोड़ रुपये का प्रोवीजन था और हमने 2400 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किया। वर्तमान साल में 2311 करोड़ रुपये का प्रोवीजन किया गया है। छः से सात वर्षों में 16538 किलोमीटर ट्रैक का रिन्युअल होना है और अब तक 5833 किलोमीटर ट्रैक का रिन्युअल किया जा चुका है। इसी प्रकार बाकी अन्य कार्य हो रहे हैं।

जहां तक माननीय सदस्य ने एक खास सैक्शन के बारे में बताया कि सैक्शन स्पीड ओपन कितने से की गयी है? उन्होंने अभी जो कुछ भी सदन में कहा, मैं उसकी पूरी जांच-पड़ताल करूंगा कि आखिर उसकी सैक्शन स्पीड जैसा वह बता रहे हैं कि इतनी कम क्यों है? इस बारे में मैं उनको पूरी जानकारी दूंगा।

तीसरी बात उन्होंने कही है कि लोगों के विरुद्ध क्या कोई कार्रवाई हो रही है? लोगों के खिलाफ कार्रवाई हर साल होती है। अगर आप चाहें तो मैं उसकी फिगर भी दे सकता हूं। पिछले पांच साल में कुल 2586 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई जिसमें से मेजर पैनल्टी 904 लोगों के खिलाफ यानी 35 परसेंट लोगों के खिलाफ की गयी और 65 परसेंट लोगों के खिलाफ माइनर पैनल्टी की कार्रवाई की गयी। इस प्रकार से लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है।...*(व्यवधान)* इसमें आफिसर भी सम्मिलित हैं। अगर आप चाहेंगे कि हर साल कितने आफिसर्स के खिलाफ, कितने इम्प्लाइज के खिलाफ

कार्रवाई की गयी, मैं हर साल का विस्तृत विवरण आपके सामने रख दिया करूंगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, रेल पटरियों में टूट-फूट में वृद्धि हुई है और पटरियों में खराबी का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक जांच मशीन की आवश्यकता है। हमारे पास खराबी का पता लगाने वाला एक मानव चलित अल्ट्रासोनिक मशीन है और एक स्वतः चालित अल्ट्रासोनिक मशीन है। अब खराबी का पता लगाने वाले और दो स्वतः चालित अल्ट्रासोनिक मशीनों को खरीदने का प्रस्ताव है। रेल पटरियों में टूट-फूट और खराबी के परिणामस्वरूप माल गाड़ी की औसत गति केवल 26 कि.मी. प्रतिघंटा है और सवारी गाड़ियों के मामले में यह गति 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। अतः, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या हाल में रेल पटरियों में टूट-फूट और खराबियों के बढ़ते जा रहे मामलों का पता लगाने और इनका सुधार करने के लिए मात्र दो स्वतः चालित अल्ट्रासोनिक डिफेक्ट डिटेक्शन मशीनें पर्याप्त होंगी। इसके परिणामस्वरूप सावधानी और गति पर रोक के आदेश जारी किए गए हैं। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या दो स्वतः चालित अल्ट्रासोनिक डिफेक्ट डिटेक्शन मशीनों की सहायता से इस समस्या से निपटा जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : जहां तक रेल और विल्ट फेल्योर का सवाल है, वर्ष 2001-02 में 3551 रेल फेल्योर और 7763 विल्ट फेल्योर हुए थे। वर्ष 2002-2003 में यह संख्या घटकर 3196 रेल फेल्योर और 7488 विल्ट फेल्योर रह गयी। इस साल जून तक के फिगर्स हमारे पास हैं जो पिछले साल की तुलना में कम हैं। पिछले दो-तीन साल के आंकड़े यह बताते हैं कि रेल फेल्योर और विल्ट फेल्योर की संख्या में कमी आ रही है।

आपने यह बात ठीक कही कि अभी हमारे पास जो अल्ट्रासोनिक रेल फ्लो डिटेक्शन का उपकरण है, यू.एस. सेफ्टी उपकरण है, वह मैन्युअली आपरेटिड है। हमारे पास सिंगल रेल टैस्टर 227 हैं और डबल रेल टैस्टर 156 हैं। इनकी कैपेसिटी बहुत कम है। पहला, एक महीने में 60 किलोमीटर ट्रैक का काम कर पाता है और दूसरा एक महीने में 100 किलोमीटर कर पाता है फिर भी जितनी जरूरत है, रेल टैस्टिंग अल्ट्रासोनिक रेल फ्लो डिटेक्शन की, उससे हम ज्यादा कर पाते हैं लेकिन यह एक्यूरेट नहीं है। इसीलिए शुरू से हमारी एक कोशिश रही है कि हम स्पर्ट कार लें क्योंकि उसकी एफीशिएंसी ज्यादा है। जैसा मैंने पहले बताया कि एक टैंडर किया गया था लेकिन हमारे स्पेसीफिकेशन के मुताबिक टैंडर नहीं आया इसलिए उसे डिस्चार्ज किया गया। नए स्पेसीफिकेशन के मुताबिक अब दूसरा टैंडर किया गया है और वह फाइनेलाइज हो रहा है। हम दो स्पर्ट कार रोलिंग स्टाक प्रोग्राम के अंतर्गत ले रहे हैं और तीन का प्रावधान स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड से है। इस प्रकार अगले कुछ समय में हमारे पास पांच स्पर्ट कार होंगी। हमारे पास पहले से भी इंतजाम है और ऐसा लगता है कि इसे मिला कर सफिशिएंट हो जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसकी एफीकेसी को देख कर हम इसमें आगे कदम बढ़ाएंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील : श्रीमान, यह प्रश्न पूछते हुए मुझे थोड़ा सा दुख होता है क्योंकि मैं ऐसे मंत्री जी से प्रश्न पूछने जा रहा हूं जिनके बारे में हमारे मन में आदर की भावना है। रेलवे के काफी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इनको भी बुरा लगता होगा और हम सब लोगों को भी बुरा लग रहा है। इसके बाद भी दुनिया में नए समय में जो नए यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं, उनका हमारे यहां कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। आप स्पर्ट कार कब लेंगे, इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है :

[अनुवाद]

> "35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दो स्पर्ट कारों की खरीद के लिए अंतर्राष्ट्रीय निविदा वर्तमान में रेलवे के विचाराधीन है।"

[हिन्दी]

इन्होंने इसके बारे में डिसीजन भी नहीं लिया है। उसके बाद कहा गया है :

[अनुवाद]

> "क्रयादेश देने के बाद साढ़े तेरह माह के भीतर मशीनों की आपूर्ति कर दिए जाने की संभावना है।"

[हिन्दी]

यह ऐसी चीज है जिसे आसानी से लिया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तरफ बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं, हजारों-करोड़ों रुपयों का नुकसान हो

रहा है, उसके बाद भी इस प्रकार का एटीट्यूड ऐसे इक्विपमैंट के बारे में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई दिक्कत है तो मंत्री जी उस दिक्कत को दूर करें। सरकार के लेवल पर दिक्कत है तो सरकार उसे दूर करे। अर्जेंटली कोई चीज लेनी है तो इस हालत में अर्जेंटली लेने के लिए उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हम पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप कर सकते हैं तो यह काम जल्दी से जल्दी करवाएं, हम ऐसी रिक्वैस्ट भी करेंगे।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता समझता हूं जो स्वाभाविक भी है। इसलिए मैंने उसका उत्तर दिया है कि एक टैंडर पहले डिस्चार्ज हुआ था और दूसरे टैंडर के बारे में जिसने लोएेस्ट कोट किया है, उसके साथ नैगोसिएशन भी हो गई है। इसके बाद जिस फर्म का लोएेस्ट टैंडर आया है, जिसके साथ नैगोसिएशन हुई है, उसकी मशीन दूसरी जगह काम कर रही है, उसके बारे में भी पता लगाया गया है। नैगोसिएशन के बाद वह आरडीएसओ की तरफ से रेलवे बोर्ड में आनी है। वह शीघ्र आ जाएगी। हमने बहुत जल्दी इसकी समीक्षा की है और इस बारे में बहुत जल्दी निर्णय लिया जाएगा। जब आर्डर प्लेस करेंगे तो जो बताया गया है थर्टीन एंड ए हाफ मंथ्स में वह आ जाएगी। साथ–साथ हम एडवांस एक्शन भी ले रहे हैं। स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड के माध्यम से जो प्रोक्योरमैंट करना है, उसके लिए भी टैंडर इनवाइट किया जा रहा है, उसे प्रोक्योरमैंट या लीज बेसिस पर हम लेने की कोशिश करेंगे। अगर दुनिया में टैक्नोलॉजी एवेलेबल है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, इनके पैसे का भी प्रबंध किया हुआ है। आप भी समझ सकते हैं कि प्रोक्योरमैंट में कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : मेरे विचार से आप इस मामले में काफी सक्षम हैं।...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, रेलवे के बढ़ते हुए एक्सीडैंट्स को कम करने के लिए अल्ट्रासोनिक डिटैक्टिंग मशीन जल्दी से जल्दी खरीदने का आश्वासन मंत्री महोदय ने दिया है। मेरा कहना है कि दो महीने के अंदर सब मशीनें खरीदनी चाहिए।

अभी बिहार में समता पार्टी का बहुत बड़ा एक्सीडैंट हुआ था। समता पार्टी के एक्सीडैंट में आपको बचाने का प्रयत्न हुआ है, नीतीश कुमार जी बच गए लेकिन रघुनाथ झा जी और मंडल जी नहीं बचे। प्रभुनाथ जी को बचाने का प्रयत्न हुआ है। आप बच गए लेकिन बाकी दो को बचाने का प्रयत्न नहीं हुआ। एक्सीडैंट्स कम करने के लिए, समता पार्टी का एक्सीडैंट नहीं होना चाहिए और रेल का एक्सीडैंट भी नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप उत्तर सभा पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 162। श्री लक्ष्मण गिलुवा।

मैं इस प्रश्न के साथ दूसरा प्रश्न 167 भी लेना चाहता हूं। दोनों प्रश्न एक साथ हो सकते हैं क्योंकि वे एक ही विषय के प्रश्न हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु निर्धारित मानदंड

\+

***162. श्री लक्ष्मण गिलुवा :**
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या किसी गांव के पास से विद्युत केबलों के गुजरने को ही उक्त गांव का विद्युतीकरण मान लिया जाता है, भले ही उस गांव को बिजली का एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया हो;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु निर्धारित मानदंडों में कमियां दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अक्टूबर, 1997 में सरकार द्वारा अंगीकृत ग्राम विद्युतीकरण की वर्तमान परिभाषा द्वारा यह प्रावधान है कि "किसी गांव को विद्युतीकृत माना जाएगा यदि गांव के राजस्व सीमा के भीतर आंबाद स्थान में किसी भी उद्देश्य से बिजली का उपयोग हो रहा है।"

(ख) और (ग) जी, नहीं। वर्तमान में किसी गांव को तब ही विद्युतीकृत माना जाता है जब गांव के आबाद इलाके में घरेलू या गैर-घरेलू कनैक्शन (वाणिज्यिक, औद्योगिक) उपलब्ध है।

(घ) राज्यों/राज्य विद्युत बोर्डों, आरईसी और के.वि.प्रा. से परामर्श के बाद ग्राम विद्युतीकरण की परिभाषा निम्नवत प्रस्तावित है :

(i) गांव के राजस्व सीमा के अंतर्गत आबाद इलाके में वितरण ट्रांसफार्मर और/या वितरण लाइन जैसी आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध कराई गई हो जिसमें एक दलित बस्ती/मुहल्ला, यथामान्य, शामिल हो, और

(ii) स्कूल, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, औषधालय, समुदाय केन्द्र आदि जैसे कोई भी सार्वजनिक स्थल जो मांग के अनुसार विद्युत आपूर्ति का लाभ उठाते हों, और

(iii) गांव में उपलब्ध कराई जाने वाली एलटी लाइनों और वितरण ट्रांसफार्मरों की रेटिंग पंचायत/जिला परिषद/जिला प्रशासन के परामर्शन से निर्णीत कनैक्शनों की प्रत्याशित संख्या के अनुसार किया जाएगा। पंचायत/जिला परिषद/जिला प्रशासन ही कार्य पूरा होने पर गांव के विद्युतीकृत होने के आशय का आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी करेंगे।

(iv) किसी गांव को विद्युतीकृत घोषित किए जाने से पहले गैर-विद्युतीकृत गावों के कम से कम 10 प्रतिशत घर विद्युतीकृत होने चाहिए।

परिभाषा में यह संशोधन भविष्य में प्रभावी होगा।

[अनुवाद]

"विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन" अभिव्यक्ति को पुनर्परिभाषित करना

+

***167. श्री नरेश पुगलिया :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गांवों में रहने वाले लोगों को और अधिक विद्युतीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए ग्राम्य विद्युतीकरण (विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन) अभिव्यक्ति को पुनर्परिभाषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ग्राम्य विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा समूचे गांव का विद्युतीकरण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) नई प्रस्तावित परिभाषा की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

(i) बुनियादी सुविधा जैसे वितरण ट्रांसफार्मर और/या वितरण लाइन गांव के राजस्व क्षेत्र के भीतर बसे हुए स्थान समेत कम-से-कम एक बस्ती/दलित बस्ती में उपलब्ध कराया जाता है और

(ii) स्कूल, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र,

औषधालय, सामुदायिक केन्द्र, जैसे कोई भी सार्वजनिक स्थान मांग पर विद्युत का उपयोग करते हैं और

(iii) गांव में आपूर्ति किए जा रहे वितरण ट्रांसफार्मरों एवं एलटी लाइनों की रेटिंग को पंचायत/जिला परिषद/जिला प्रशासन, जो काम के पूरा होने पर ग्राम विद्युतीकरण का आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करेंगे, के परामर्श से निर्धारित कनेक्शनों की अनुमानित संख्या के अनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा।

(iv) वे गांव जो गैर–विद्युतीकृत हैं, उनमें कम–से–कम 10 प्रतिशत आवासों का विद्युतीकरण होने पर ही उस गांव को विद्युतीकृत घोषित किया जाए।

परिभाषा में यह संशोधन बाद में लागू होगा।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के लक्ष्य एवं उपलब्धि नीचे बताए गए हैं :

वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति
2000–01	2600	1228
2001–02	13776	1458
2002–03	10,000	6005

(ङ) पूरे गांव का विद्युतीकरण करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) वर्ष 2001 में संपन्न मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में वर्ष 2007 तक सभी गांवों को विद्युतीकृत करने के आशय का संकल्प पारित हुआ था।

(ii) वर्ष 2001–02 से दलित बस्तियों और मुहल्लों के विद्युतीकरण को आधारभूत न्यूनतम सेवा माना गया है और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के तहत शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण सहित सभी छः घटकों के लिए धनराशि जारी की जाती है। वर्ष 2002–03 के दौरान प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के तहत 363 करोड़ रु. जारी किए गए थे जो ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए थे। वर्ष 2003–04 में ग्रामीण विद्युतीकरण सहित सभी छः घटकों के लिए प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के तहत 2767 करोड़ रु. का बजटीय प्रावधान रखा गया है। राज्य अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार आंतरिक आवंटन कर सकते हैं।

(iii) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत राज्यों को वर्ष 2002–03 के दौरान वर्ष 2001–02 में जारी 175 करोड़ रु. की तुलना में 600 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पुनः 2003–04 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत 600 करोड़ रु. का बजटीय प्रावधान किया गया है।

(iv) कुटीर ज्योति कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा राज्यों को 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। वर्ष 2002–03 के दौरान 98.79 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वर्ष 2003–04 में 100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है।

(v) सरकार ने 10वीं योजनावधि के दौरान गैर–विद्युतीकृत गांवों, दलित बस्तियों, मुहल्लों और जनजातीय गांवों के विद्युतीकरण के लिए त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (एआरईपी) के तहत 563.87 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी अनुदान स्वरूप स्वीकृत किया है। इस राशि में से 163.87 करोड़ रुपए की राशि वर्ष 2002–03 के बजट में उपलब्ध कराई गई है। इसमें से 157.87 करोड़ रुपए का उपयोग हो चुका है। वर्ष 2003–04 के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।

(vi) ग्रामीण विद्युतीकरण आयोग ने भी ग्राम विद्युतीकरण/मुहल्लों और दलित बस्तियों तथा घरों के विद्युतीकरण के लिए अत्यधिक कम ब्याज दर की पेशकश की है। इस निगम ने आगामी चार वर्षों के लिए प्रतिवर्ष की दर से 500 करोड़ रु. ग्राम विद्युतीकरण के लिए निर्धारित किए हैं।

(vii) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत उत्पादन और विद्युत (स्टैंड एलान सिस्टम) के वितरण को लाइसेंसिंग से मुक्त कर दिया गया है।

(viii) विद्युत अधिनियम 2003 में ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत वितरण स्थानीय अधिकरणों, पंचायती राज संस्थाओं, प्रयोक्ता संघ, सहकारी समितियों, गैर–सरकारी संगठनों अथवा फ्रैंचाइजों के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था।

(ix) विभिन्न प्रौद्योगिकी उपयोग विकल्पों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों तक विद्युत पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने "रेस्ट" मिशन आरंभ किया है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण गिलुवा : अध्यक्ष जी, आजादी के 55 वर्ष के बाद भी यदि हम देखें तो कई ऐसे गांव हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। यदि मानदंडों के आधार पर देखा जाए तो विद्युतीकरण की जो गति होनी चाहिए, वह नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि झारखंड राज्य के पश्चिम में सिंहभूम जिला है, जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आता हूं। इस संसदीय क्षेत्र में ऐसे कई प्रखंड मुख्यालय हैं जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, जैसे तापनगर प्रखंड, मंझारी प्रखंड और कुमार डोंगिया प्रखंड। ऐसे प्रमुख प्रखंडों में भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। दूसरे, मैं बताना चाहता हूं कि हम सब जनप्रतिनिधियों के गांवों तक, सरकार की पहले ऐसी घोषणा थी कि एक साल के भीतर सभी जनप्रतिनिधियों के गांवों तक बिजली पहुंचाई जाएगी लेकिन अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। इसलिए मेरा प्रश्न है कि मानदंडों के आधार पर झारखंड राज्य के जनजातीय गांवों में बिजली पहुंचाने का क्या लक्ष्य था एवं लक्ष्य की प्राप्ति कहां तक हो पाई है?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, बिजली का वितरण राज्य का विषय है। यह जो प्रश्न यहां पूछा गया है, यह ग्रामीण विद्युतीकरण के मानदंडों के संदर्भ में है। माननीय सदस्य ने प्रश्न में जो पूछा है, आज जो स्थिति ग्रामीण विद्युतीकरण की है और जो हमारी आज की ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा है, उस परिभाषा के तहत गांव में यदि किसी एक घर में भी बिजली का कनैक्शन दे देते हैं तो माना जाता है कि उस गांव का विद्युतीकरण हो गया।...*(व्यवधान)* मैं आज की परिभाषा बता रहा हूं। इसके तहत आज भी 78,000 गांव ऐसे हैं जो अनइलैक्ट्रिफाइड हैं और जहां हम बिजली नहीं दे पाए हैं। झारखंड का प्रश्न यहां उपस्थित किया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं, विशेषकर पीएमजीवाई, एमएमपी, कुटीर ज्योति और ईआरपी के तहत हम ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य चलाते हैं और गांव में घर–घर तक बिजली पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की बनती है। वितरण के कार्य की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। जहां तक जिन प्रखंड का उल्लेख माननीय सदस्य ने यहां किया है, मेरे पास लिखित में जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन यदि वह चाहें तो उन्हें लिखित रूप में जानकारी दे दी जाएगी।

श्री लक्ष्मण गिलुवा : मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे पश्चिमी जिले सिंहभूम के अंतर्गत एक मनोहरपुर प्रखंड है। उस मनोहरपुर प्रखंड के अंतर्गत एक गांव आनन्दपुर है जहां न ट्रांसफार्मर है और न पोल गाड़े गए हैं लेकिन सरकारी खाते के अनुसार उस गांव में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर दिया गया है और उस गांव के उपभोक्ताओं के यहां सरकार की तरफ से या बोर्ड की तरफ से उस गांव के लोगों को बिल दिए जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि न वहां बिजली का कनैक्शन दिया गया है और न वास्तव में बिजली पहुंची है, फिर उस गांव में किस तरह बिजली के बिल भुगतान हेतु लोगों तक पहुंचते हैं? मैं इसकी जानकारी चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी एक गांव के बारे में कैसे जानकारी दे सकते हैं? पूरे देश में कितने गांव हैं।

(व्यवधान)

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने झारखंड के आनंदपुर गांव के संदर्भ में जो पूछा है, मेरे पास उनकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा, इन चार राज्यों की स्थिति बताना चाहता हूं कि इनमें कितने गांव डी–इलेक्ट्रिफाइड हुए हैं। बिहार में 12,000 गांव, उत्तर प्रदेश में 22,000 गांव, झारखंड में सात हजार गांव और उड़ीसा में चार हजार गांव यानी कुल मिलाकर 45,000 गांव इन चार राज्यों में डी–इलेक्ट्रीफाइड हुए हैं। जिन गांवों में कल तक बिजली थी, आज नहीं है, वे डी–इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आनंदपुर गांव भी इन्हीं में से एक होगा।

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : हमारे देश में तब तक

विद्युतीकरण नहीं होगा, जब तक हम एक गांव में एक घर में बिजली देने के मानक को बढ़ा कर 50 प्रतिशत नहीं कर देते। उत्तर प्रदेश में करीब 40,000 ऐसे गांव हैं, जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है। केन्द्रीय सरकार की कई योजनाओं के माध्यम से गांवों का विद्युतीकरण किया जाता है। हमारे प्रदेश में हर विधायक को पांच गांवों का चयन करने का अधिकार है, जहां विद्युतीकरण हो सके। जैसे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना है, हम चाहते हैं उसी तरह से विद्युतीकरण के लिए भी एक योजना बनाई जाए। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद गांवों का चयन करे कि इन गांवों में बिजली देनी है। इस विषय पर मंत्री जी का क्या विचार है?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विद्युतीकरण की जिस परिभाषा का मैंने उल्लेख किया है, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। सरकार माननीय सदस्या के इस मत से पूरी तरह सहमत है। उसी के साथ-साथ मैं बताना चाहता हूं कि हमने इस परिभाषा को बदलने के लिए सभी राज्यों से उनकी राय मांगी है। यह प्रयास किया जा रहा है, कि जैसे माननीय सदस्या ने 50 प्रतिशत की बात कही है, हम चाहते हैं कि एक गांव में यदि कम से कम दस प्रतिशत घरों में भी बिजली पहुंच जाए तो माना जाए कि उस गांव में विद्युतीकरण हो गया है। इस दस प्रतिशत की बात पर सभी राज्यों ने अपनी सहमति दी है। भविष्य में जो आज की परिभाषा है, निश्चित रूप से इसमें बदलाव हो सकता है। उनका जो दूसरा प्रश्न था।...*(व्यवधान)* मैं उसी का जवाब दे रहा हूं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : जवाब नहीं दें, आज घोषणा कर दें।

श्री अनन्त गंगाराम गीते : ग्रामीण विद्युतीकरण की जितनी भी योजनाएं हैं, जिनका मैंने यहां उल्लेख किया था, उनके लिए आरईसी के जरिए धन सहायता की जाती है। ये सारी योजनाएं राज्य सरकारों की ओर से चलाई जाती हैं। इनको चलाने का काम राज्य सरकारों का है और पूरा करने का काम भी उनका है। मैं माननीय सदस्या की इस मांग से सहमत हूं। हम निश्चित रूप से राज्य सरकारों को आपकी और सारे सदन ने जो भावना यहां जताई है, उसे पहुंचाने का काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के साथ प्रश्न 167 भी शामिल है। वह प्रश्न श्यामा सिंह जी ने पूछा है, लेकिन वह यहां उपस्थित नहीं हैं, इसलिए श्री नरेश पुगलिया प्रश्न पूछें।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर सवाल है। विधायकों को गांवों का चयन करने ही नहीं दिया जाता।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार करेंगे।

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : आप क्यों नहीं राज्य सरकारों को निर्देशित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको दूसरा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। कृपया आप बैठ जाएं।

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : आप पावर मिनिस्टर के नाते उनको निर्देशित कर सकते हैं। पूरा हाउस इस विषय पर सहमत है।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, जब पूरे सदन की एक राय है तो माननीय मंत्री जी को इसे मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय मंत्री जी को सदन की राय सभी राज्य सरकारों को भेज देनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, यह बात किसी के खिलाफ नहीं है और माननीय मंत्री जी ने भी अपना जवाब ठीक दिया है, लेकिन जिस उद्देश्य से आप सदन की भावना को राज्य सरकारों को भेजेंगे, उसमें आप असफल हो जाएंगे और राज्य सरकारें आपके निर्देशों पर अमल नहीं करेंगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब पूरा सदन इस विषय पर एक है कि गांव में विद्युतीकरण के चयन का अधिकार विधायकों व सांसदों को दिया जाए तथा गांवों के चयन की संख्या की वृद्धि भी की जाए तो अध्यक्ष जी, आप इसमें हस्तक्षेप करके, जो मांग आई है, आप इसे आदेशित करें। माननीय जार्ज साहब और नीतीश कुमार जी यहां बैठे हैं। इनकी भावना भी वही होगी जो सदन के माननीय सदस्यों की है। इसलिए इस में कोई विवाद नहीं है, कोई आलोचना नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है, विकास का काम है और गांवों का सवाल है। इसलिए हम चाहते हैं कि गांव का पैसा गांव में ही खर्च हो और रक्षा मंत्री जार्ज साहब जब समाजवादी थे तब वह भी यही बात करते थे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी

तो चाहते हैं लेकिन जब आप इसमें हस्तक्षेप करेंगे, तभी राज्य सरकारें मानेंगी।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय बालासाहेब भी सोचेंगे कि अच्छे आदमी को हमने भेजा है।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, यह एक मौका आपके सामने आया है। आपने देखा कि पूरे सदन की भावना होते हुए भी विद्युतीकरण के लिए गांवों के चयन का अधिकार विधायकों व सांसदों को नहीं मिला है। इसलिए इसमें हस्तक्षेप करके माननीय मंत्री जी की आप मदद करें।...*(व्यवधान)*

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, सदन की भावना से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मैं सदन का सदस्य पहले हूं बाद में मंत्री हूं। इसलिए जो सदन की भावना है वही मेरी भी भावना है। मेरी भावना सदन से अलग नहीं है। ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनके क्रियान्वयन में संसद सदस्यों की सहभागिता आवश्यक है। इस संदर्भ में, ऊर्जा मंत्री के नाते, राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाएगी कि आप अपने प्रदेशों में...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : माननीय मंत्री जी, अगर जरूरी हो तो एक्ट में परिवर्तन करके आप इसे निर्देशित करें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिए, यहां एक अच्छा सुझाव आया है और मंत्री जी ने कहा कि वे इस सुझाव से सहमत हैं। अब इस विषय में आदेश निकालने का काम है। इसलिए इस विषय में मंत्री जी जल्दी से जल्दी जो आदेश उचित समझें वह निकालें, जिससे काम हो जाए।

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, आपने यहां जो आदेश दिया है, निश्चित रूप से आदेश का पालन किया जाएगा।

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में 10 परसेंट नार्मस की बात कही है और यह भी बताया है कि राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की मीटिंग में ऐसा तय हुआ है कि इस नार्म के मुताबिक जिस गांव में 10 प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण हो गया, तो यह माना जाएगा कि वह गांव पूरा इलैक्ट्रिफाइड हुआ। माननीय मंत्री जी, 70 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और ग्रामीण क्षेत्रों में इरीगेशन के लिए पंप लगाने तक के लिए बिजली उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकारों के बोर्डों के पास पैसा उपलब्ध नहीं है। पैसा उपलब्ध न होने की वजह से सुशिक्षित बेरोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में अपने खेतों में इरीगेशन भी नहीं कर पाते हैं, पंप के लिए विद्युत भी नहीं ले सकते हैं और कुटीर उद्योग भी नहीं लगा सकते हैं। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि आपकी अध्यक्षता में प्रधान मंत्री जी से जब बात हुई थी और आपने एक करोड़ रुपया एमपीलैड फंड में बढ़ाने की बात कही थी। एमपीज के माध्यम से रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए एक करोड़ रुपया एमपीलैड फंड में ज्यादा बढ़वाकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण का काम होना चाहिए। इस बारे में मेरी मंत्री महोदय और खास कर अध्यक्ष महोदय से अपील है कि वे इस मामले में इन्टरवीन करें, ताकि इस समस्या का कोई रास्ता निकले। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है—राज्य सरकारों के विद्युत बोर्डों का दिवाला निकल जाने की वजह से कई राज्यों में स्थिति खराब है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे ऐसा आदेश देंगे कि जो गांव मिनिमम 50 प्रतिशत इलैक्ट्रिफाइड होंगे, उन्हें ही इलैक्ट्रिफाइड माना जाएगा?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विद्युतीकरण की आज की परिभाषा के अनुसार गांव के एक घर में बिजली का कनैक्शन देने पर पूरे गांव का विद्युतीकरण माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकारें उस गांव में मांग पर बिजली न दें। एक कनैक्शन दे देते हैं, तो इसका मतलब है कि वहां तक बिजली पहुंच गई है। राज्य सरकार चाहें तो उस पोल से ज्यादा कनैक्शन दे सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि इस परिभाषा के तहत राज्य सरकारें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी का जवाब तो आने दीजिए।

श्री नरेश पुगलिया : मंत्री जी, आप इस प्रकार का उत्तर मत दीजिए। मेरी आपसे अपील है कि आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्य से आते हैं। केवल महाराष्ट्र के अंदर ही हजारों गांव आज भी ऐसे हैं जहां इलैक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। एक पोल देने के बाद आप कहें कि इलैक्ट्रिफिकेशन हो गया है, इस प्रकार के नार्मस को चेंज करने के लिए आप इन्टरवीन करें। यह हमारा प्रश्न है। आप इस बात को राज्य सरकारों के ऊपर डाल रहे हैं और राज्य सरकारों की हालत के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं और आपको भी पता है।

अध्यक्ष महोदय : आप मूल प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री अनन्त गंगाराम गीते : इस परिभाषा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्या है, उस समस्या का हल निकालने के लिए इस परिभाषा को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में सभी राज्य सरकारों से सुझाव मांगे गए थे और 10 प्रतिशत का सुझाव सभी राज्य सरकारों ने स्वीकार किया है। परिभाषा बदलना इसीलिए आवश्यक है, ताकि राज्य सरकारें विद्युतीकरण करने के लिए बाध्य हों।...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया : महोदय, हमारे एमपीलैड फंड के बारे में मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अगर मंत्री जी चाहेंगे, तो अगले प्रश्न के उत्तर में जबाव दे सकते हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं, वहां एक जिले में दो ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां हैं। मैं जब विधायक था, उस समय का मुझे विधान सभा क्षेत्रों का अनुभव है। आज हो यह रहा है, जिस गांव में बिजली पहुंचाई जाती है, उस गांव में सवर्ण जाति के जो लोग हैं, बड़े आदमी हैं, संपन्न वर्ग के क्षेत्र हैं, वहां बिजली पहुंच जाती है लेकिन उसी गांव की जो हरिजन बस्ती है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और मजदूर वर्ग की बस्तियों में अंधेरा कायम रहता है और यह मान लिया जाता है कि उस गांव का विद्युतीकरण हो चुका है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मानदंडों को पुनः संशोधित करने पर विचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने हम लोगों के सुझाव के आधार पर एक मानदंड निर्धारित किया है कि जब तक किसी गांव में हरिजन बस्ती या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की गरीब बस्ती का विद्युतीकरण नहीं किया जाएगा, तब तक उस ग्राम को विद्युतीकृत नहीं माना जाएगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी नए मानदंडों में इसे सुनिश्चित करने का प्रावधान करेंगे कि ऐसी बस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर उस ग्राम को विद्युतीकृत घोषित किए जाने के लिए उन क्षेत्रों का विद्युतीकरण करना अनिवार्य होगा?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ग्रामीण जनता के लिए विद्युतीकरण आवश्यक है। इस काम के लिए जो भी सहयोग भारत सरकार की ओर से राज्य सरकारों को चाहिए, विशेषकर ऊर्जा मंत्रालय की ओर से, वह दिया जाता है। महोदय, रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन हमारा एक सार्वजनिक उपक्रम है।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मंत्री महोदय मेरा सीधा प्रश्न है। आप जब मानदंड संशोधित करेंगे, तो क्या उस समय आप यह सुनिश्चित करेंगे और उन बस्तियों का विद्युतीकरण करना अनिवार्य बनाया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप इस सुझाव पर विचार कर सकते हैं।

श्री अनन्त गंगाराम गीते : महोदय, जो दलित बस्तियां हैं, हरिजन बस्तियां हैं, उनके लिए रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन (आरईसी) के माध्यम से हमने पांच सौ करोड़ रुपए लागत की एक विशेष योजना चलाने का निर्णय लिया है। उन दलित बस्तियों के लिए एक प्रतिशत और तीन प्रतिशत की ब्याज दर पर...*(व्यवधान)* आप पहले पूरा उत्तर सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप आसन की तरफ देखिए और अपना उत्तर पूरा कीजिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों का विद्युतीकरण अनिवार्य कर दीजिए, तो समस्या नहीं रहेगी।...*(व्यवधान)*

श्री अनन्त गंगाराम गीते : महोदय, आरईसी के माध्यम से इस समस्या को सुलझाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दलित बस्तियों के हैमलैट्स आदि के लिए एक प्रतिशत और तीन प्रतिशत ब्याज की दर के आधार पर लोन दिया जाता है। यदि राज्य सरकारें इस कार्यक्रम को निर्धारित समय के अन्दर पूरा कर देती हैं, तो ब्याज को माफ भी किया जा सकता है यानी जीरो परसेंट ब्याज पर 500 करोड़ रुपए का प्रावधान आरईसी ने किया है। जिस अनुभव के बारे में माननीय सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने प्रश्न किया है, वह उनके अपने मध्य प्रदेश का है। यदि इस प्रकार का भेदभाव वहां पर हो, तो हम उन राज्य सरकारों को अवश्य सूचना देंगे कि इस प्रकार का भेदभाव न किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 163। श्री चन्द्र विजय सिंह।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम रक्षा मंत्री का बहिष्कार कर रहे हैं।

पूर्वाह्न 11.54 बजे

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्री चन्द्र विजय सिंह : महोदय, यह बहुत ही शोचनीय है कि जब राष्ट्रीय महत्व और रक्षा संबंधी मामलों पर चर्चा की जाती है तो ये लोग निश्चित रूप से बहिर्गमन करते हैं...*(व्यवधान)*

घटिया मशीनों का उत्पादन

***163. श्री चन्द्र विजय सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बरनाथ स्थित मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी, टी–72 टैंक/आईसीवी आदि हेतु संघटकों का उत्पादन करने हेतु नामित है;

(ख) क्या उक्त फैक्टरी ने सहायक फैक्ट्रियों के लिए 6.47 करोड़ रुपए की घटिया मशीनों का उत्पादन किया है, जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया है;

(ग) क्या 'सिविल ट्रेड' की मांगों को पूरा करने में भी प्रतिबद्धताएं लक्ष्य से नीचे रहीं;

(घ) इन चूकों के लिए किन–किन अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की हाल की रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ है कि मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी द्वारा 1998 और 2001 के बीच अन्य सहायक फैक्ट्रियों को सप्लाई की गई 6.47 करोड़ रुपए मूल्य की 11 मशीनों में गुणता संबंधी समस्याएं थीं और उनका उपयोग नहीं किया जा सका। इनमें से दो को छोड़कर शेष सभी मशीनों को भी ठीक करके चालू कर दिया गया है। शेष दो मशीनों को भी ठीक कर दिया गया है/किंचित परिवर्तन कर दिए गए हैं और अब उनका निरीक्षण किया जाना शेष है।

(ग) मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी, अपनी अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए सिविल क्षेत्र के लिए उत्पादों का निर्माण कर रही है। फैक्टरी कई वर्षों से अपना सिविल ट्रेड लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई है। तथापि, फैक्टरी ने वर्ष 2002–03 के दौरान सिविल ट्रेड का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) त्रुटियों की पुनरावृत्ति रोकने के प्रयोजनार्थ मशीनों का, प्रयोक्ताओं को भेजने से पूर्व, स्थैतिक परीक्षण और जॉब परीक्षण किया जाता है।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि कोई सप्लीमैंटरी सवाल आए, यह...* जनतंत्र की हत्या कब तक चलेगी? जिस तरह राज्य सभा में कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे रहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह शब्द रिकार्ड से निकाल दिया जाए।

(व्यवधान)

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : कांग्रेस पार्टी का आपस में कोई तालमेल है या नहीं? राज्य सभा में कांग्रेस पार्टी के सदस्य रक्षा मंत्री की बात सुनने के लिए बैठे रहते हैं और उनकी बात सुनते हैं। वे वहां वाक आउट नहीं करते हैं लेकिन यहां वाक आउट करते हैं। क्या किसी मंत्री के विरुद्ध इस तरह वाक आउट करना शोभा देता है? इस तरह के अशोभनीय व्यवहार के खिलाफ आप कोई कार्रवाई करें। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप इनकी बात सुनते हैं लेकिन हमारी बात नहीं सुनते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इनकी बात सुनने के बाद आपको बोलने का चांस दूंगा।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : कल इनके नेता के साथ यदि इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए, उनको न बोलने

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

दिया जाए और उनके साथ ऐसा अशोभनीय व्यवहार किया जाए तो इन्हें कैसा लगेगा? यदि हम कल सोनिया गांधी जी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करना शुरू करें तो इनको कैसा लगेगा? ये अपना नेता कौन सा चुनें और कौन सा न चुनें, यह इनका अधिकार है। कौन मंत्री हो और कौन न हो, यह प्रधान मंत्री का अधिकार है। इनके निन्दात्मक व्यवहार की कठोर शब्दों में भरपूर निन्दा होनी चाहिए। आप इस बारे में कोई कार्रवाई करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री चन्द्र विजय सिंह : महोदय, मेरे अनुपूरक प्रश्नों के बारे में क्या हुआ?

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, पिछले बृहस्पतिवार के दिन भी इसी तरह की घटना सदन में घटी थी। माननीय सदस्य येरननायडू जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और उसके बारे में हमने भी आपसे आग्रह किया था। आपने रूलिंग भी दी थी। आपने रूलिंग में कहा था कि अगले सप्ताह से इस तरह की बात नहीं होगी और सही ढंग से सदन चलेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने रूलिंग दी, लेकिन व्यवस्था नहीं की। आखिर, ऐसा सदन में कब तक चलता रहेगा? हम सदन के अनुशासित सदस्य हैं। हमने इसी सदन में कांग्रेस की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी पर...* दूसरे कई आरोप लगाए हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे रिमार्क्स रिकार्ड से निकाले जाएं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हमने इस विषय पर नियम 193 के अधीन बहस कराने के लिए नोटिस भी दिया लेकिन वह आज तक स्वीकृत नहीं हुआ। उन्हें जो करना है करें, लेकिन बाध्य होकर सदन की तरफ से ऐसा न हो जाए कि हम कल सोनिया गांधी को सदन में जुबान न खोलने दें। ...*(व्यवधान)* उन्हें भी मजबूर होना पड़ेगा।...*(व्यवधान)* हमने इस मामले में नियम 193 के अधीन चर्चा कराने के लिए जो नोटिस दिया है, उस पर सदन में बहस कराई जाए। पूरी बात सामने आ जाए कि आखिर सदन किस तरह चलेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सदन के चलने और रक्षा मंत्री के सवाल का उत्तर न सुनने का सवाल है, उनके बारे में ये सब नकली बात बोल रहे हैं। भा.जा.पा. और कांग्रेस पार्टी की पूरी नूरा कुश्ती है। यह ऐसा करके केवल रक्षा मंत्री का अपमान कर रहे हैं। मुझे सब कुछ पता है। और उनसे रक्षा मंत्रालय छीनने की साजिश है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुलायम सिंह जी जो बोल रहे हैं, इनकी बातों में सच्चाई भी है। यह तय हुआ था कि बहस करके इस मामले को निपटाया जाएगा। सदन में रक्षा मंत्री के खड़े होने पर हमेशा बहिष्कार की घटना होती है। सरकार इस बारे में क्या कर रही है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, प्रश्न काल की अवधि पूरी होने में केवल पांच मिनट बचे हुए हैं। माननीय सदस्य अपने अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : महोदय, हम चाहते हैं कि प्रश्न काल का समुचित इस्तेमाल किया जाए। इस प्रकार के स्पष्टीकरण से प्रश्न काल का समय व्यर्थ हो जाता है। कृपया माननीय सदस्य को अपने अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दें।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी अपनी बात समाप्त करता हूं।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुननी चाहिए। मल्होत्रा जी, आप निन्दा तो करते हैं लेकिन पहले रक्षा मंत्री का अपमान करने के लिए घुमा–फिरा कर उनका विभाग लेने की योजना बनी थी। मैं इसके प्रमाण दे सकता हूं। बीजेपी के नेता घुमा–फिरा कर रक्षा मंत्री का विभाग लेना चाहते थे। इसीलिए यह हो रहा है। जब सरकार चाहेगी तब बहिष्कार समाप्त हो जाएगा...*(व्यवधान)* मल्होत्रा जी निन्दा प्रस्ताव का सवाल ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह इस तरह राजनीति का विषय बन जाएगा तो मैं इस बारे में बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। यह राजनीति का विषय नहीं बनना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : शाम तक या कल तक एका हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी और सीपीएम रोजाना इनको गाली देते हैं। फिर इसकी गुंजाइश कहां है? यदि बीजेपी की सरकार चाहती तो यह वाक आउट अभी खत्म हो जाता।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले कहा था कि इस हफ्ते यह विषय सुलझ जाएगा। मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि राज्य सभा में मंत्री जी को उत्तर देने की इजाजत दी गई थी।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

मध्याह्न 12.00 बजे

वहां कांग्रेस के सदस्य मौजूद थे, मैंने पेपर में ऐसा पढ़ा। श्री मल्होत्रा जी ने भी यही बात कही है। मैं सोचता हूं कि थोड़ा काम हुआ है और जो बाकी काम है, वह भी जल्दी पूरा हो जाएगा और मंत्री जी उत्तर दे सकेंगे। वही सदन की गरिमा बढ़ाएंगे, दूसरी किसी बात से गरिमा नहीं बढ़ेगी। मैं इतना ही कह सकता हूं। श्री चन्द्र विजय जी, आप प्रश्न पूछिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के इस आचरण के लिए सदन में निन्दा प्रस्ताव पारित किया जाए, यही हमारा सरकार से निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र विजय सिंह : महोदय, मैं माननीय सदस्यों के विचारों को स्वीकार करता हूं इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने सैन्य बलों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभाई है और उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि वे उपकरणों और अन्य सामग्री से सुसज्जित रहें।

अध्यक्ष महोदय : आप सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि आपको उत्तर मिल सके। अन्यथा उत्तर देने के लिए समय नहीं है।

श्री चन्द्र विजय सिंह : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी द्वारा टैंकों के लिए जिन दो मशीनों की आपूर्ति की गई थी उनको उपयोग में नहीं लाया जा सका। मेरा प्रश्न यह है। क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित किए गए हैं कि भविष्य में ऐसे घटिया उपकरणों का निर्माण न हो? क्या कतिपय मानदंड निर्धारित किए गए हैं? क्या कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं?

श्री चन्द्र विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

फिल्म उद्योग में माफिया और चोरी

***164. श्री वी. वेत्रिसेलवन :**
श्री कमल नाथ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म निर्माताओं को अन्य स्रोतों से धन लेने के प्रोत्साहन संबंधी सरकार की पहल भी अपराध जगत और फिल्म उद्योग की सांठगांठ को दूर करने में सफल नहीं हुई;

(ख) क्या माफिया का फिल्म उद्योग पर नियंत्रण है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्थिति के संबंध में चर्चा करने हेतु राज्यों के सूचना और प्रसारण मंत्रियों की कोई बैठक आयोजित की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है कि 'वीडियो पाइरेसी' और माफिया हस्तक्षेप से फिल्मोद्योग को हानि न उठानी पड़े?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ङ) अन्डरवर्ल्ड स्रोतों से प्राप्त धन का इस्तेमाल किए जाने के कुछ मामलों की सूचना मिली है और उन पर लागू कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की गई है। दूसरी ओर, फिल्म उद्योग को साफ–सुथरी पूंजी सुलभ कराने हेतु प्रयास किए गए हैं। इस दिशा में उठाए गए कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार हैं :

- भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम के अंतर्गत वित्त सुलभ कराने के लिए "फिल्मों सहित मनोरंजन उद्योग" को एक अनुमोदित कार्यकलाप के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- बैंकों द्वारा फिल्म निर्माण हेतु वित्त उपलब्ध कराए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भी दिशा–निर्देश तैयार किए हैं।
- मार्च, 2002 में, फिल्म क्षेत्र के संदर्भ में विदेशी प्रत्यक्ष

निवेश नीति को उदार बनाया गया है जिसके अनुसार बिना किसी शर्त के, स्वचालित माध्यम से, इस क्षेत्र में शत–प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी जा रही है।

- नए निर्देशकों द्वारा बनाई गई फिल्मों के विशेष संदर्भ में थोड़े बजट की फिल्मों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और भारतीय बाल चित्र समिति द्वारा फिल्म–वित्त उपलब्ध कराया जाता है।

- भारत में सह–निर्माणों की शूटिंग को सुविधाजनक बनाने संबंधी दिशा–निर्देशों को हाल ही में उदार बनाया गया है और आशा की जाती है कि इनसे, अन्य के साथ–साथ, भारतीय सह–निर्माताओं को सही पूंजी की सुलभता के प्रति प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

जहां तक चोरी का संबंध है, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 के अंतर्गत चोरी से संबंधित अपराधों पर कार्रवाई करने का दायित्व राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पुलिस प्राधिकारियों को सौंपा गया है। तथापि, भारत के संविधान के अंतर्गत "पुलिस" राज्य का एक विषय है और इसीलिए अपराधों के पंजीकरण, अन्वेषण, संसूचन एवं निवारण का दायित्व राज्य सरकार का है। फिल्मों की चोरी को हतोत्साहित करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कई पहलें की हैं।

- 24वें राज्य सूचना मंत्री सम्मेलन में गठित की गई मनोरंजन क्षेत्र विकास समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर, भारतीय जन संचार संस्थान को पुलिस अधिकारियों द्वारा चोरी–निवारण कार्य से निपटने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

- चोरी के विरुद्ध एक परिवेश तैयार करने और स्टेकहोल्डरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस मंत्रालय ने फिल्म निर्माताओं, बहु–सेवा संचालकों और केबल ऑपरेटरों को एक मंच पर इकट्ठा किया था तथा उन्होंने संयुक्त रूप से यह संकल्प लिया था कि फिल्मों को प्रतिलिप्याधिकारियों की वैध अनुमति के बिना प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

- केबल चोरी को रोकने के प्रयास से केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम में वर्ष 2000 में संशोधन किया गया है जिससे सरकार केबल ऑपरेटर को किसी ऐसे कार्यक्रम या चैनल का प्रसारण अथवा पुनःप्रसारण करने से रोक सकेगी जिसके लिए उसे प्रतिलिप्याधिकारी द्वारा लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है।

- मनोरंजन क्षेत्र विकास समिति द्वारा की गई इस सिफारिश से कि राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले मनोरंजन कर की अधिकतम वास्तविक सीमा 60 प्रतिशत हो सकती है क्योंकि मनोरंजन कर की उच्च दर से चोरी को बढ़ावा मिलता है, राज्य सरकारों को निरंतर अवगत कराया गया है। कई राज्य सरकारों ने इस संबंध में सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

[हिन्दी]

जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि

***165. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने और अगले 10 वर्षों में इसे बढ़ाकर दोगुना करने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ग) सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, हां। भारत सरकार ने जल विद्युत शक्ति के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है।

(ख) और (घ) 31.3.2003 की स्थितिनुसार जल विद्युत अधिष्ठापित क्षमता 26910 मेगावाट थी। 10वीं योजना में 14393 मेगावाट जल विद्युत क्षमता जोड़े जाने का लक्ष्य बनाया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है कि 11वीं योजना अवधि के दौरान 20,000 मेगावाट से अधिक जल विद्युत क्षमता जोड़ी जा सके।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और निजी क्षेत्र के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही जल विद्युत परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है। भारत सरकार ने इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लगने वाले अतिरिक्त समय व लागत को कम करने के उद्देश्य से जल विद्युत परियोजनाओं के लिए तीन स्तरीय स्वीकृति आरंभ की है।

जल विद्युत विकास के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय जो कि 9वीं योजना में 12306 करोड़ रुपए था, को बढ़ाकर 10वीं योजना में 25839 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार बजटीय सहायता को 9वीं योजना में 9284 रुपए से बढ़ाकर 10वीं योजना में 17511 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

विद्युत मंत्रालय ने जल विद्युत शक्यता का आगे दोहन करने के लिए यथोचित कार्य नीतियां विकसित की हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा शक्यता वाले जल विद्युत स्थलों की देशवार प्रारंभिक रैंकिंग अध्ययन कार्य किया गया था। राज्य सरकारों के साथ विचार–विमर्श करने के पश्चात पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु लगभग 50,000 मेगावाट की अनुमानित क्षमता के लिए 162 स्कीमों का चयन किया गया है। ये अध्ययन कार्य सितंबर, 2004 तक पूरे हो जाएंगे जिसके पश्चात परियोजना क्रियान्वयन के संबंध में आगे की कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से आरंभ की जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

***166. डा. एन. वेंकटस्वामी :**
श्री महेश्वर सिंह :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों की संख्या में वर्ष–प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और 30 जून, 2003 की स्थिति के अनुसार रुग्ण और घाटे में चल रहे उपक्रमों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण और घाटे में चल रहे उपक्रमों को इस स्थिति से उबारने के लिए पुनर्वास योजना के ढांचे में कोई परिवर्तन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते) : (क) से (घ) 31.12.1997 तक औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पंजीकृत रुग्ण उद्यमों की संख्या 58 थी, जो 31.3.2003 तक बढ़कर 68 हो गई। इससे संबंधित जानकारी 31.3.2003 तक की ही उपलब्ध है। दिनांक 3.3.2003 को संसद में प्रस्तुत किए गए लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2001–2002 के अनुसार उक्त 68 केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में से 57 (बाद में बंद किए गए 2 उपक्रमों सहित) ने वर्ष 2001–2002 के दौरान घाटा उठाया था। लाभकारिता संबंधी जानकारी उक्त वर्ष अर्थात 2001–2002 तक ही उपलब्ध है।

रुग्णता के कारण उद्यम–सापेक्ष हैं। सामान्य तौर पर इसके कारणों में निजी क्षेत्र से अधिगृहीत केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों की अन्तर्निहित समस्याएं, पुराने व अप्रचलित संयंत्र तथा मशीनें पुरानी प्रौद्योगिकी, अधिशेष श्रमशक्ति, ब्याज का भारी बोझ, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, संसाधनों की कमी, क्षमता का कम उपयोग आदि शामिल हैं।

सरकारी क्षेत्र के संबंध में सरकार की नीति उन सरकारी उद्यमों का पुनर्गठन और पुनरुद्धार करने की है जिन्हें अर्थक्षम बनाना संभव हो। जिन उद्यमों का पुनरुद्धार संभव नहीं उन्हें बन्द कर दिया जाएगा, गैर–रणनीतिक क्षेत्र के सरकारी उद्यमों में सरकारी इक्विटी को 26 प्रतिशत तक या यदि आवश्यक हो, तो इससे कम स्तर तक ले आया जाएगा तथा कामगारों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए, संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा पुनर्गठन व पुनर्स्थापन के लिए प्रत्येक मामले के आधार पर उद्यम–सापेक्ष उपाय किए जाते हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन की योजनाएं बनाने हेतु उनके मामले संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग पुनर्स्थापन हेतु ऐसे ही उपाय करते हैं और वे इस कार्य में संबंधित उद्यम के प्रबंधन तथा कामगारों सहित अन्य हितधारकों से परामर्श करते हैं। बीआईएफआर ने 31.3.2003 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 18 उपक्रमों के पुनरुद्धार की योजना अनुमोदित कर दी है और इस बारे में इसी तारीख तक की जानकारी उपलब्ध है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

ऐसे केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों की सूची, जिनके मामले में बीआईएफआर द्वारा पुनरुद्धार योजना स्वीकृत की गई है

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकारी उपक्रम का नाम
1.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.
2.	विगनयन इण्डस्ट्रीज लि.
3.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि.
4.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.
5.	यूपी ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
6.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
7.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि.
8.	नेटेका (गुजरात) लि.
9.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि.
10.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.
11.	नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि.
12.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि.
13.	नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि.
14.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.
15.	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि.
16.	जेसप एण्ड कंपनी लि.
17.	स्कूटर्स इंडिया लि. (रुग्ण नहीं घोषित)
18.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि. (रुग्ण नहीं घोषित)

टीवी चैनलों और एफएम स्टेशनों का विस्तार

***168. श्रीमती प्रभा राव :**
श्री भास्करराव पाटील :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपग्रह टेलीविजन चैनलों और गैर–सरकारी एफएम रेडियो स्टेशनों के अत्यधिक विस्तार को देखते हुए एक व्यापक प्रसारण नीति तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस नीति के कब तक क्रियान्वित किए जाने का विचार है;

(घ) क्या इस नीति के संबंध में विद्यमान टेलीविजन/एफएम रेडियो चैनलों के प्रतिनिधियों के साथ कोई परामर्श किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ङ) प्रौद्योगिकी में तीव्र प्रगति, उपग्रह टीवी चैनलों और निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के विस्तार से प्रसारण परिदृश्य निरंतर बदलता जा रहा है। संचार अभिसरण विधेयक, जब अधिनियम बन जाएगा तो इससे संचार (प्रसारण, दूरसंचार और बहु माध्यमों सहित) के प्रसारण और विषय–वस्तु को क्रमबद्ध ढंग से बढ़ावा देने, सुविधाजनक बनाने और विकास करने के लिए एक एकल विनियामक की स्थापना की जाएगी।

इसी बीच, प्रसारण सेवाएं अधिकाधिक संख्या में लोगों को सुलभ कराने, कार्यक्रमों की विषय–वस्तु की विविधता और उपभोक्ताओं के लिए उचित कीमत पर मंचों के अधिकतम विकल्प सुनिश्चित करने के व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नीतिगत पहलें की गई हैं। इनमें वर्ष 2000 की अपलिंकिंग नीति में किए गए परिवर्तन और तत्पश्चात भारत से अपलिंक किए जाने वाले समाचार चैनलों में विदेशी निवेश नीति; समय–समय पर केबल अधिनियमों में संशोधन, निजी एफएम स्टेशन स्थापित करने की अनुमति देने का निर्णय तथा चरण–II एफएम प्रसारण के लिए सिफारिशें करने हेतु एक समिति की स्थापना करने संबंधी हाल ही में की गई पहल शामिल हैं। ये पहल विस्तृत परामर्शी प्रक्रिया के बाद की गई हैं।

[हिन्दी]

रेल डिब्बों की आवश्यकता

***169. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल डिब्बों का स्वदेशी उत्पादन रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान देश में निर्मित विभिन्न प्रकार के रेल डिब्बों का कारखाने–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू मांग को पूरा करने हेतु रेल डिब्बों का आयात भी किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान किन–किन देशों से रेल डिब्बों का आयात किया गया है; और

(ङ) उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) भारतीय रेलवे में दो सवारी डिब्बा उत्पादन कारखाने यथा सवारी डिब्बा कारखाना (आईसीएफ), चेन्नै और रेल डिब्बा कारखाना (आरसीएफ), कपूरथला हैं। इन कारखानों की कुल निर्माण क्षमता 2000 सवारी डिब्बे प्रतिवर्ष है। भारतीय रेलों की मौजूदा आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह सामान्यतः पर्याप्त है। सवारी डिब्बा कारखाना और रेल डिब्बा कारखाना की आंतरिक क्षमता के अलावा, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल), बेंगलूरू, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है तथा भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत मैसर्स जेसप्स नाम के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में भी सवारी डिब्बों का निर्माण करने की कुछ क्षमता है और आंतरिक उत्पादन क्षमता के अलावा, यदि भारतीय रेलों की अतिरिक्त आवश्यकता होती है तो इन्हीं इकाइयों को इनकी आपूर्ति के लिए कहा जाता है।

(ख) पिछले दो वर्षों में निर्मित सवारी डिब्बों की कोटिवार संख्या नीचे दी गई है

किस्म	वर्ष	रेलवे उत्पादन कारखाने		अन्य उत्पादन कारखाने	
		सडिका	रेडिका	बीईएमएल	जेसप्स
इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट	2001–02	71		11	22
(ईएमयू)	2002–03	71		25	25
मेन लाइन इलैक्ट्रिकल	2001–02		48		
मल्टीपल यूनिट (मेमू)	2002–03	84			
बड़ी लाइन डीजल मल्टीपल	2001–02	57			
यूनिट्स (बीजी डीएमयू)	2002–03	30			
मीटर लाइन डीजल मल्टीपल	2001–02				
यूनिट्स (एमजी डीएमयू)	2002–03		12		
बड़ी लाइन वातानुकूल	2001–02	100	275		
सवारी डिब्बे	2002–03	98	223		
बड़ी लाइन गैर–वातानुकूल	2001–02	797	751		
सवारी डिब्बे	2002–03	660	579		
मीटर लाइन गैर–वातानुकूल	2001–02		130		
सवारी डिब्बे	2002–03		130		

(ग) भारतीय रेलों ने एकबारगी सप्लाई और प्रौद्योगिकी के अंतरण के ठेके जिसे 1995 में अंतिम रूप दिया गया था, के अनुसार 24 सवारी डिब्बों का आयात किया है।

(घ) उपर्युक्त करार के तहत सवारी डिब्बों का जर्मनी से आयात किया गया था। ये सवारी डिब्बे वर्ष 2000 में प्राप्त हुए थे।

(ङ) विदेशी मुद्रा के रूप में खर्च की गई राशि 52,663,500 ड्यूट्श मार्क्स (लगभग 107 करोड़ रुपए के बराबर) है।

ताप विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण

***170. श्री पुन्नू लाल मोहले :**
श्री पी. आर. खूंटे :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण और उनकी क्षमता बढ़ाने हेतु कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ताप विद्युत संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है और यह वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विद्यमान विद्युत स्टेशनों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एंड एम)/जीवन विस्तार (एलई) को कम निर्माणावधि और कम लागत के द्वारा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन प्राप्त करने के अधिकतम किफायती विकल्पों में से एक विकल्प के रूप में माना गया है। यद्यपि एलई/आर एंड एम कार्यक्रम के कारण क्षमता में वृद्धि कम होती है लेकिन संयंत्र भार घटक में वृद्धि के कारण विद्युत उत्पादन में सुधार पर्याप्त होता है। गत दो वर्षों के दौरान पूरे किए गए ताप विद्युत संयंत्रों पर जीवन विस्तार (एलई) कार्यों का ब्यौरा और इस क्षमता अभिवृद्धि में प्रतिशत वृद्धि संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान विभिन्न यूनिटों पर 178 आर एंड एम कार्य पूरे किए गए थे।

विवरण

गत 2 वर्षों के दौरान पूरे हुए जीवन विस्तार (एलई) कार्यों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	स्टेशन का नाम–यूनिट संख्या	एलई कार्यों से पूर्व निर्धारित क्षमता	एलई कार्यों से पूर्व अधिकतम उत्पादन	एलई कार्यों के बाद प्राप्त क्षमता	एलई कार्यों के बाद क्षमता में % वृद्धि	एलई कार्यों के बाद पीएलएफ में % वृद्धि
1.	हरियाणा	पानीपत–2	110 मेगावाट	90 मेगावाट	110 मेगावाट	22	40
2.	आंध्र प्रदेश	कोठागुडम–5	105 मेगावाट	90 मेगावाट	120 मेगावाट	33	30
3.	आंध्र प्रदेश	कोठागुडम–6	105 मेगावाट	90 मेगावाट	120 मेगावाट	33	35
4.	छत्तीसगढ़	कोरबा (पूर्व) 2	40 मेगावाट	40 मेगावाट	50 मेगावाट	25	35
5.	छत्तीसगढ़	कोरबा (पूर्व) 3	40 मेगावाट	40 मेगावाट	50 मेगावाट	25	11
6.	तमिलनाडु	एन्नौर–5	110 मेगावाट	90 मेगावाट	110 मेगावाट	22	32
7.	उड़ीसा	तालचेर–3	60 मेगावाट	50 मेगावाट	60 मेगावाट	20	16
8.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर (डीपीएल)–1	30 मेगावाट	20 मेगावाट	30 मेगावाट	50	*
9.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर (डीपीएल)–3	70 मेगावाट	60 मेगावाट	77 मेगावाट	28	45
10.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर (डीपीएल)–5	75 मेगावाट	60 मेगावाट	77 मेगावाट	28	18
	कुल		745 मेगावाट	630 मेगावाट	804 मेगावाट	28	30**

*विभिन्न कारणों से यूनिट शट–डाउन की स्थिति में है। **9 यूनिटों पर जीवन विस्तार कार्य के पश्चात पीएलएफ में औसत वृद्धि (%)।

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का विकास

***171. श्री अनन्त गुढ़े :**
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में संभावनाओं का पता लगाने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं और इन राज्यों में अब तक इन संसाधनों का राज्य–वार कहां तक दोहन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विस्तार करने के लिए सहायता के रूप में राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से 80,000 मेगावाट से अधिक की विद्युत उत्पादन की संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा विकेन्द्रित प्रणालियों जैसे बायोगैस संयंत्रों, सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों, सौर जल तापकों आदि के स्थापना के लिए संभावना है।

(ख) से (घ) सरकार देश में अपारंपरिक ऊर्जा संभाव्यता के दोहन के लिए व्यापक श्रेणी के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। दिनांक 31.3.2003 के अनुसार प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुमानित संभाव्यता और उपलब्धियों का विवरण–I संलग्न है। प्रमुख कार्यक्रमों की राज्य–वार अनुमानित संभाव्यता संलग्न विवरण–II और राज्य–वार उपलब्धियां संलग्न विवरण–III में दी गई हैं। विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत 7वीं योजना अर्थात 1985–86 से शुरू होकर 2002–03 तक रिलीज की गई राज्य–वार संचयी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–IV में है।

विवरण-I

प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुमानित संभाव्यता और उपलब्धियां 31.3.2003 के अनुसार

क्र.सं.	स्रोत/प्रणाली	अनुमानित संभाव्यता	उपलब्धियां
क.	**अक्षय स्रोतों से विद्युत**		
1.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत	20 मेगावाट/वर्गकिलोमीटर	2.49 मेगावाट
2.	पवन विद्युत	45195 मेगावाट	1869.50 मेगावाट
3.	लघु पनबिजली (25 मेगावाट तक)	15,000 मेगावाट	1509.26 मेगावाट
4.	बायोमास/खोई आधारित सह–उत्पादन विद्युत	19,500 मेगावाट*	483.93 मेगावाट
5.	बायोमास गैसीफायर		53.37 मेगावाट
6.	अपशिष्ट से ऊर्जा	2,700 मेगावाट	25.75 मेगावाट
	अक्षय स्रोतों से विद्युत (कुल)	83,395 मेगावाट	3944.30 मेगावाट
ख.	**विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणालियां**		
7.	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	120 लाख	35.24 लाख
8.	सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणाली	–	107 मेगावाट
9.	सौर जल तापन प्रणाली	140 मिलियन वर्ग मी. संग्राहक क्षेत्र	0.70 मिलियन वर्ग मी. संग्राहक क्षेत्र

*बायोमास गैसीफायर सहित

विवरण-II

प्रमुख अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए राज्य–वार अनुमानित संभाव्यता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पवन विद्युत (मेगावाट)	लघु पनबिजली*** (मेगावाट)	खोई सहउत्पादन (मेगावाट)	एमएसडब्ल्यू से ऊर्जा (मेगावाट)	बायोगैस संयंत्र* (सं. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	8275	254.63	200	123	10.66
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1059.03	0	0	0.08
3.	असम	0	118.00	0	8	3.08
4.	बिहार	0	194.02	200	62	9.40
5.	छत्तीसगढ़	0	57.90	0	20	
6.	गोवा	0	2.60	0	0	0.08
7.	गुजरात	9675	156.83	200	112	5.54
8.	हरियाणा	0	30.05	0	23	3.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0	1624.78	0	1	1.26
10.	झारखंड	0	170.05	0	10	
11.	जम्मू–कश्मीर	0	1207.27	0	0	1.29
12.	कर्नाटक	6620	652.61	300	151	6.80
13.	केरल	875	466.85	0	37	1.51
14.	मध्य प्रदेश	5500	336.32	0	92	14.91
15.	महाराष्ट्र	3650	599.47	1000	287	8.97
16.	मणिपुर	0	105.63	0	2	0.39
17.	मेघालय	0	181.50	0	2	0.24
18.	मिजोरम	0	190..32	0	2	0.03
19.	नागालैंड	0	181.39	0	0	0.07
20.	उड़ीसा	1700	156.76	0	22	6.05
21.	पंजाब	0	65.26	150	45	4.12
22.	राजस्थान	5400	27.26	0	62	9.15

1	2	3	4	5	6	7
23.	सिक्किम	0	202.75	0	0	0.07
24.	तमिलनाडु	3050	338.92	350	151	6.16
25.	त्रिपुरा	0	9.85	0	2	0.29
26.	उत्तर प्रदेश	0	267.06	1000	176	20.21
27.	उत्तरांचल	0	1478.24	0	5	
28.	पश्चिम बंगाल	450	182.62	0	147	6.95
29.	अंडमान और निकोबार	0	6.40	0	0	0.02
30.	चंडीगढ़	0	0.00	0	6	0.14
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0	0.02
32.	दमन और दीव	0	0.00	0	0	0.00
33.	दिल्ली	0	0.00	0	131	0.13
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0	0.00
35.	पांडिचेरी	0	0.00	0	3	0.04
36.	सभी राज्यों के लिए एक समान**			100	1020	
	कुल	45195	10324.37	3500	2700	120.63

*झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल की संभाव्यता को क्रमशः बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सम्मिलित किया गया है।

**अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत औद्योगिक अपशिष्ट के लिए।

***पहचान किए गए स्थल।

विवरण-III

31.3.2003 के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य-वार उपलब्धियां

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर विद्युत (केडब्ल्यूपी)	पवन विद्युत (मेगावाट)	लघु पनबिजली (मेगावाट)	बायोमास विद्युत (मेगावाट)	बायोमास गैसीफायर (मेगावाट)	अपशिष्ट से ऊर्जा (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	275	92.60	155.61	160.05	15384	11.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	32.10	0.00	180	
3.	असम	0	0.00	2.00	0.00	123	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	0	0.00	44.90	0.00	20	
5.	छत्तीसगढ़			1.00	11.00	500	
6.	गोवा	0	0.00	0.05	0.00	22	
7.	गुजरात	0	173.10	7.00	0.50	11361	2.45
8.	हरियाणा	0	0.00	48.30	4.00	964	
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	93.24	0.00	7	
10.	जम्मू–कश्मीर	0	0.00	102.24	0.00	120	
11.	झारखंड			4.05	0.00	0	
12.	कर्नाटक	30	124.30	182.38	109.38	4499	1.00
13.	केरल	25	2.00	69.52	0.00	725	
14.	मध्य प्रदेश	339	22.60	38.96	0.00	4529	2.70
15.	महाराष्ट्र	185	401.20	206.33	24.50	3823	1.90
16.	मणिपुर	0	0.00	5.45	0.00	0	
17.	मेघालय	0	0.00	30.71	0.00	0	
18.	मिजोरम	0	0.00	14.76	0.00	200	
19.	नागालैंड	0	0.00	20.47	0.00	0	
20.	उड़ीसा	0	0.00	7.30	0.00	72	
21.	पंजाब	250	0.00	107.40	22.00	700	0.75
22.	राजस्थान	50	60.70	23.85	0.00	218	
23.	सिक्किम	0	0.00	35.60	0.00	0	
24.	तमिलनाडु	211	990.30	76.40	106.00	2653	1.98
25.	त्रिपुरा	0	0.00	16.01	0.00	1000	
26.	उत्तर प्रदेश	325	0.00	21.50	46.50	2746	3.00
27.	उत्तरांचल			64.60		0	
28.	पश्चिम बंगाल	50	1.10	92.28	0.00	2965	
29.	अंडमान और निकोबार	50	0.00	5.25	0.00	167	

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	चंडीगढ़	50	0.00	0.00	0.00	0	
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0.00	0.00	0	
32.	दमन और दीव	0	0.00	0.00	0.00	0	
33.	दिल्ली	0	0.00	0.00	0.00	74	
34.	लक्षद्वीप	650	0.00	0.00	0.00	0	
35.	पांडिचेरी	0	0.00	0.00	0.00	0	
36.	अन्य	0	1.60	0.00	0.00	318	
	कुल	2490	1869.50	1509.24	483.93	53370	25.73

31.3.2003 के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य-वार उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायोगैस संयंत्र (संख्या)	आईबीपी/सीबीपी/एनबीपी (संख्या)	जल पंपन पवन चक्की (संख्या)	एरोजनरेटर हाइब्रिड प्रणाली (किलोवाट)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	354334	132	5	16
2.	अरुणाचल प्रदेश	1721	0	0	0
3.	असम	53769	2	3	6
4.	बिहार	123963	40	42	0
5.	छत्तीसगढ़	8078	8		
6.	गोवा	3428	21	0	14.7
7.	गुजरात	359047	165	432	0
8.	हरियाणा	45414	59	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	44194	8	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	2013	4	0	0
11.	झारखंड	925	4		
12.	कर्नाटक	365243	63	20	7.75
13.	केरल	90823	163	79	8
14.	मध्य प्रदेश	216970	120	0	0
15.	महाराष्ट्र	687657	484	26	123.14

1	2	3	4	5	6
16.	मणिपुर	2026	4	0	0
17.	मेघालय	2671	4	0	0
18.	मिजोरम	3015	0	0	0
19.	नागालैंड	1792	7	0	0
20.	उड़ीसा	198692	45	0	0
21.	पंजाब	72279	668	0	0
22.	राजस्थान	66735	71	222	4
23.	सिक्किम	4125	0	0	10
24.	तमिलनाडु	203808	289	52	24.5
25.	त्रिपुरा	2069	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	382784	1366	0	0
27.	उत्तरांचल	2912	49		
28.	पश्चिम बंगाल	220969	68	0	0
29.	अंडमान और निकोबार	137	0	02	0
30.	चंडीगढ़	97	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	169	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0
33.	दिल्ली	676	56	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	573	1	0	5
36.	अन्य	0	0	0	0
	कुल	3523108	3901	883	219.09

आईबीपी/सीबीपी/एनबीपी : संस्थागत/सामुदायिक/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र

31.3.2003 के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य–वार उपलब्धियां

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर प्रकाशवोल्टीय 31.3.2003 के अनुसार				एसपीवी पंप	सौर कुकर
		एसएलएस	एचएलएस	एसएल	पीपी	(संख्या)	(संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3648	1161	32152	21.656	603	11985

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	738	750	4937	7.9	0	530
3.	असम	98	2787	541	7.5	45	80
4.	बिहार	490	679	28275	0	128	450
5.	छत्तीसगढ़	1237	3612	3192	0	5	37000
6.	गोवा	69	51	443	1.72	15	1500
7.	गुजरात	1764	2552	31603	24.9	42	70410
8.	हरियाणा	612	9666	32727	24.2	270	20615
9.	हिमाचल प्रदेश	1494	11948	20697	1.5	6	27280
10.	जम्मू-कश्मीर	389	15317	9202	40.0	18	345
11.	झारखंड	135	102	16374	0	3	280
12.	कर्नाटक	1009	6135	7334	18.91	337	250
13.	केरल	1090	18679	39681	44.7	749	195
14.	मध्य प्रदेश	5714	159	8564	22.4	76	141600
15.	महाराष्ट्र	3388	721	8683	6.44	189	56635
16.	मणिपुर	370	650	3883	11	12	365
17.	मेघालय	593	540	4875	42	5	1165
18.	मिजोरम	315	1645	5812	0	37	110
19.	नागालैंड	271	143	95	6	0	0
20.	उड़ीसा	5665	2937	8795	36.52	4	3170
21.	पंजाब	1766	2870	14995	46	1580	22050
22.	राजस्थान	6473	34864	4716	25.8	268	36600
23.	सिक्किम	271	143	95	6	0	20
24.	तमिलनाडु	2272	471	12818	26	760	1355
25.	त्रिपुरा	760	2238	20805	24.57	10	80
26.	उत्तर प्रदेश	550	50938	52815	129.2	229	45310
27.	उत्तरांचल	250	32204	27027	80.03	9	7090

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	पश्चिम बंगाल	1461	26890	3662	475	48	7930
29.	अंडमान और निकोबार	358	405	796	167	25	60
30.	चंडीगढ़	0	275	1675	0	14	1525
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	1	80
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	301	0	4753	15	84	27990
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	85	0	0
35.	पांडिचेरी	62	13	637	0	21	90
36.	अन्य	0	3295	28197	0	18	16685
	कुल	43613	234840	440856	1396.946	5611	540830

एसएलएस : सड़क रोशनी प्रणाली; एचएलएस : घरेलू रोशनी प्रणाली; एसएल : सौर लालटेन; पीपी : विद्युत संयंत्र; एसपीवी : सौर प्रकाशवोल्टीय

विवरण-IV

विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्मुक्त की गई राज्यवार संचयी निधियां 7वीं योजना अर्थात 1985–86 से आरंभ होकर 2002–03 तक

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.3.03 तक रिलीज की गई कुल निधियां
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	157.58
2.	अरुणाचल प्रदेश	62.65
3.	असम	13.97
4.	बिहार	27.81
5.	छत्तीसगढ़	19.89
6.	गोवा	1.98
7.	गुजरात	124.04
8.	हरियाणा	42.44
9.	हिमाचल प्रदेश	66.01
10.	जम्मू–कश्मीर	17.47
11.	झारखंड	2.50
12.	कर्नाटक	129.91
13.	केरल	44.97
14.	मध्य प्रदेश	101.47
15.	महाराष्ट्र	217.64
16.	मणिपुर	15.33
17.	मेघालय	11.93
18.	मिजोरम	36.15
19.	नागालैंड	10.28
20.	उड़ीसा	77.00
21.	पंजाब	76.13

1	2	3
22.	राजस्थान	72.38
23.	सिक्किम	33.92
24.	तमिलनाडु	101.19
25.	त्रिपुरा	14.74
26.	उत्तरांचल	8.69
27.	उत्तर प्रदेश	255.33
28.	पश्चिम बंगाल	117.81
29.	अंडमान और निकोबार	16.84
30.	चंडीगढ़	2.20
31.	दादरा और नगर हवेली	0.14
32.	दमन और दीव	0.09
33.	दिल्ली	14.00
34.	लक्षद्वीप	18.36
35.	पांडिचेरी	1.45
36.	अन्य	239.35
	कुल	2153.61

ईरान से गैस पाइपलाइन

***172. श्री रामजीवन सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने सरकार से पाकिस्तानी सीमा से होकर आने वाली एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को स्वीकार करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रूस ने सरकार से यह भी कहा है कि यदि ईरान से गैस पाइपलाइन लाने का कार्य एक रूसी कंपनी को देने पर विचार किया जाए तभी ओएनजीसी को एक "तेल खोज ब्लाक" में वरीयता दी जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दलित समुदाय के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विकास योजनाएं

***173. श्री अधीर चौधरी :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की विनिवेश के युग में अनपयुक्त हो रहे आरक्षण के प्रावधानों के मद्देनजर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (दलित समुदाय) के प्रतिभाशाली बच्चों के विकास संबंधी कुछ योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;

(ग) किन-किन राज्यों में दलित समुदाय के प्रतिभाशाली बच्चों के विकास हेतु योजनाएं चलाई जा रही हैं; और

(घ) ये योजनाएं दलित समुदाय के उत्थान में कितनी कारगर रही हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अम्बेडकर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा तथा केन्द्रीय बोर्डों द्वारा संचालित 10वीं स्तर की नियमित कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले तीन छात्रों को प्रदान की जाती है।

इस अखिल भारतीय योजना के तहत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग-अलग छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। यदि प्रथम तीन पात्र छात्रों में कोई बालिका न हो तो अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। यदि एक से अधिक छात्र समान अंक पाते हों तो ऐसे सभी पात्र छात्रों को शामिल करने के लिए पुरस्कारों की संख्या में उपयुक्त रूप से वृद्धि की जाएगी।

छात्रवृत्ति निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार एकमुश्त अनुदान के रूप में दी जाएगी :

1. अधिकतम अंक प्राप्त करने वाला छात्र – 60,000/– रु.

2. द्वितीय अधिकतम अंक प्राप्त करने वाला छात्र – 50,000/– रु.

3. तृतीय अधिकतम अंक प्राप्त करने वाला छात्र – 40,000/– रु.

4. अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली छात्रा (यदि वह उपर्युक्त तीन श्रेणियों में शामिल न हो) – 40,000/– रु.

1991 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान के पश्चात, अगले उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 10,000/– रु. प्रत्येक की दर से 250 विशेष प्रतिभा छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। यह उपर्युक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त होंगी।

इस प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्कूल छोड़ने वालों (ड्राप आउट) की रोकथाम करना, प्रतिभा को पुरस्कृत करना तथा शैक्षिक परिणाम में सुधार लाना तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उनकी सहायता करना है।

[अनुवाद]

शिकायत निवारण माध्यम

***174. श्री चन्द्र नाथ सिंह :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायालय की शरण लेने वाले सशस्त्र बलों के कार्मिकों की संख्या वर्ष–प्रतिवर्ष बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्यमान माध्यम उनकी शिकायतों के निवारण के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सशस्त्र बलों के कार्मिकों को वैकल्पिक समाधान प्राप्त करने हेतु और अधिक अधिकरण स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन अधिकरणों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) ऐसी कोई एक समान प्रवृत्ति दिखाई नहीं पड़ती। सेना तथा वायुसेना में कार्मिकों द्वारा न्यायालयों में जाने की प्रवृत्ति में वृद्धि दिखाई दे रही है। तथापि, नौसेना में, फिलहाल, कार्मिकों के न्यायालय जाने की प्रवृत्ति में काफी कमी आई है।

(ख) सशस्त्र सेनाओं में शिकायत–निवारण के मौजूदा माध्यमों को कुल मिलाकर पर्याप्त माना जाता है।

(ग) से (ङ) तीनों सेनाओं से संबंधित सेवा–मामलों और कोर्ट मार्शल के फैसलों से उत्पन्न अपीलों के निपटारे के लिए सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है तथा इसके तौर–तरीकों और अन्य ब्यौरों को तैयार किया जा रहा है।

डीटीएच सेवा को लागू करना

***175. श्री विनय कुमार सोराके :**
श्री किरीट सोमैया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 'डायरेक्ट–टु–होम (डीटीएच) टीवी एक्सेस' प्रणाली को लागू करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी चार महानगरों में सशर्त उपागम प्रणाली (कंडीशनल एक्सेस सिस्टम) को लागू करने के बारे में अभी भी भ्रांति है;

(घ) यदि हां, तो क्या 'कैस' से इतर डीटीएच से केबल आपरेटरों की जरूरत खत्म हो जाएगी और इससे दर्शकों को भारी बचत होगी;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या दो वर्ष पूर्व डीटीएच को 'के यू–बैंड चैनल' पर शुरू किया गया था;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बोली लगाने वाले कितने व्यक्तियों को लाइसेंस मिल गए हैं और उन्होंने कार्य शुरू कर दिया है; और

(ज) सरकार द्वारा देश में डीटीएच सेवाएं शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का निवेश किया गया/किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क), (ख), (च), (छ) और (ज) भारत में डायरेक्ट–टु–होम सेवाओं की अनुमति प्रदान करने के बारे में 2 नवंबर, 2000 को एक निर्णय लिया गया था और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश दिनांक 15.3.2001 को जारी किए गए थे। ये मंत्रालय की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यू.एमआईबी.एनआईसी.इन पर उपलब्ध हैं।

दिशा–निर्देशों में लाइसेंसधारकों की संख्या को सीमित नहीं किया गया है और इसलिए बोलियों के संबंध में कोई कार्रवाई परिकल्पित नहीं है। इन दिशा–निर्देशों के अनुसरण में, चार आवेदन प्राप्त हुए हैं और इन पर कार्रवाई की जा रही है। डायरेक्ट–टु–होम उपग्रह के माध्यम से प्रसारण पर आधारित है और इसलिए ऐसी परियोजनाओं के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर कवरेज उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

योजना आयोग ने प्रसार भारती की 'फ्री–टु–एयर' के यू–बैंड परियोजना के लिए हाल ही में 'सिद्धान्ततः' अनुमोदन दिया है जिसको दसवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं। संबोधन प्रणाली को शुरू करने के बारे में स्टेकहोल्डरों की तैयारी की मॉनीटरिंग करने के पश्चात तथा विभिन्न स्टेकहोल्डरों नामतः प्रसारकों, बहु–प्रणाली संचालकों, केबल आपरेटरों, उपभोक्ता समूहों आदि के साथ चर्चा के पश्चात दिनांक 1.9.2003 से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता महानगरों में क्षेत्रवार तरीके से और समस्त चेन्नई महानगरीय क्षेत्र में सशर्त पहुंच प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया गया है। अधिसूचना 10 जुलाई, 2003 को जारी कर दी गई है और मंत्रालय की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. एमआईबी.एनआईसी.इन में उपलब्ध है। मध्यवर्ती अवधि का सदुपयोग सशर्त पहुंच प्रणाली के सुचारु कार्यान्वयन हेतु तैयारी में तेजी लाने के लिए और उपभोक्ताओं को शिक्षित करने और जागरूक बनाने के लिए किया जाएगा।

(घ) और (ङ) कार्यक्रमों की विषयवस्तु के प्रसारण हेतु डीटीएच और केबल नेटवर्क दो अलग–अलग माध्यम हैं। सशर्त पहुंच प्रणाली प्रसारण का एक लागत प्रभावी माध्यम है जबकि डायरेक्ट–टु–होम प्रीमियम सेवा उपलब्ध कराता है और दूरदराज के क्षेत्रों में अधिक कारगर है। विश्व–व्यापी अनुभव से पता चला है कि दोनों सेवाएं साथ–साथ चलाई जा सकती हैं और वास्तव में उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प प्रदान कर सकती हैं।

टीवी चैनलों के कार्यक्रमों हेतु सेंसर बोर्ड

***176. श्री रमेश चेन्नितला** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने विदेशी चैनलों सहित टेलीविजन नेटवर्कों पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों हेतु एक पृथक सेंसर बोर्ड गठित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचित किया है कि मार्च, 2003 में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों की बैठक में विज्ञापनों हेतु एक सैंसर बोर्ड के गठन का सुझाव दिया गया था जिसमें आयोग का कम–से–कम एक प्रतिनिधि हो।

(ख) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में एक कार्यक्रम संहिता और एक विज्ञापन संहिता निर्धारित की गई है, जिनका केबल नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित/पुनःप्रसारित सभी कार्यक्रमों एवं विज्ञापनों को अनुपालन करना होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्राधिकृत अधिकारियों को इन संहिताओं के उल्लंघन में कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। केन्द्र सरकार पहले ही कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं की जांच करने के लिए दो अन्तर–मंत्रालयीय समितियों का गठन कर चुकी है। कार्यक्रम संहिता की जांच समिति में विधि, गृह, रक्षा, विदेश और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव शामिल हैं। विज्ञापन संहिता के उल्लंघनों की जांच करने वाली समिति में अपर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में विधि, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव तथा भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति की सिफारिशों के आधार पर

इन दोनों संहिताओं के उल्लंघन किए जाने पर टेलीविजन चैनलों के विरुद्ध समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। मामला-दर-मामला आधार पर और प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर ये समितियां राष्ट्रीय महिला आयोग से सलाह ले सकती हैं।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति

***177. श्री अशोक ना. मोहोल :**
श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना में कुछ परिवर्तन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है इन परिवर्तनों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति के लाभार्थियों हेतु न्यूनतम वार्षिक आय मानदंड में संशोधन करेगी;

(घ) क्या सरकार इस छात्रवृत्ति योजना में आवधिक संशोधन करेगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) वर्ष 2003-04 में इस योजना से कितने विद्यार्थियों के लाभान्वित होने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) विवरण संलग्न है।

(च) वर्ष 2003-2004 के दौरान योजना से अनुचित जाति के लगभग 19.26 लाख छात्रों को लाभ मिलने की आशा है।

विवरण

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति के केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है :

1. अनुरक्षण भत्ते की दरों में वृद्धि
2. छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए माता-पिता की आय सीमा में वृद्धि
3. अन्य भत्तों अर्थात अध्ययन दौरा प्रभारों, शोध-प्रबंध टंकण/मुद्रण प्रभारों और पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए पुस्तक अनुदान में वृद्धि।
4. वर्तमान पांच समूहों की बजाय पाठ्यक्रमों का चार समूहों में पुनर्वर्गीकरण

मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर प्रत्येक दो वर्षों में एक बार संशोधित आय सीमा में और संशोधन करने का प्रस्ताव है। अनुरक्षण भत्ते को आगामी पंचवर्षीय योजनाओं के प्रथम वर्ष के दौरान संशोधित करने का प्रस्ताव है।

क्षेत्रीय निर्माताओं को सुविधाएं

***178. श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रों के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने के मद्देनजर क्षेत्रीय निर्माताओं को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या क्षेत्रीय निर्माता दूरदर्शन के उच्च पारेषण शुल्क के कारण गुणवत्तापरक कार्यक्रम नहीं बना पा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्षेत्रीय प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रोत्साहित करने और उन्हें रोजगार देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वे क्षेत्रीय चैनलों की आवश्यकताओं के आधार पर कमीशनिंग एवं प्रयोजन के जरिए क्षेत्रीय भाषाओं में और संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए निजी निर्माताओं से प्रस्ताव आमंत्रित करते हैं।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि निर्माताओं को प्रायोजित कार्यक्रमों हेतु प्रसारण शुल्क का भुगतान करना होता है और यह भी सूचित किया है कि किसी केन्द्र को अभी तक प्रसारण शुल्क के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रसार भारती एक सांविधिक स्वायत्तशासी निगम है और इसे कार्यक्रम संबंधी मामलों में स्वायत्तता प्राप्त है। सरकार की इनमें कोई भूमिका नहीं होती है।

सौर ऊर्जा द्वारा विद्युतीकृत गांव

***179. श्री चिंतामन वनगा :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौर ऊर्जा द्वारा राज्य-वार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में सौर ऊर्जा द्वारा गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्वीकृति के लिए सरकार के पास प्रस्ताव लंबित है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 (30 जून, 2003 तक) के दौरान सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत दूरदराज गांवों का राज्य-वार विवरण-I संलग्न है।

(ख) और (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से 5000 दूरदराज के गांवों के विद्युतीकरण के लक्ष्य का दसवीं योजना दस्तावेज में संकेत है। तथापि, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा मार्च, 2007 तक सभी गांवों के विद्युतीकरण के बारे में की गई घोषणा को देखते हुए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में सभी दूरदराज के गांवों के विद्युतीकरण का प्रयास कर रहा है।

सरकार अपरांपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए दूरदराज के गांवों की पहचान करने की राज्यों को सलाह दी है। कई राज्यों ने मंत्रालय को ऐसे गांवों की आंशिक अथवा पूर्ण सूचियां प्रस्तुत की हैं। अब तक प्राप्त राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है। विभिन्न राज्यों में, उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ग्राम विद्युतीकरण के वार्षिक कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(घ) से (च) दिनांक 28 जुलाई, 2003 के अनुसार विभिन्न राज्यों के 845 दूरदराज के गांवों के विद्युतीकरण के लिए विचार किया जा रहा था। यह एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण-I

मंत्रालय के ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 (30 जून, 2003 तक) के दौरान सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकृत दूरदराज के गांवों के राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	विद्युतीकृत गांवों की सं.
1.	अरुणाचल प्रदेश	3
2.	असम	36
3.	छत्तीसगढ़	120
4.	जम्मू-कश्मीर	90
5.	उत्तरांचल	80
6.	पश्चिम बंगाल	740
	कुल	1,069

विवरण-II

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए पहचान किए गए दूरदराज के गांवों की आंशिक अथवा पूर्ण सूचियां प्रस्तुत करने वाले राज्य

क्र.सं.	राज्य	सूचियों में इंगित गांवों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	17
2.	अरुणाचल प्रदेश	77
3.	असम	2,800
4.	बिहार	321
5.	छत्तीसगढ़	1250
6.	जम्मू-कश्मीर	96

1	2	3
7.	झारखंड	70
8.	कर्नाटक	255
9.	मध्य प्रदेश	1226
10.	महाराष्ट्र	307
11.	मणिपुर	137
12.	मेघालय	2,332
13.	मिज़ोरम	25
14.	नागालैंड	13
15.	उड़ीसा	200
16.	राजस्थान	565
17.	सिक्किम	32
18.	त्रिपुरा	585
19.	उत्तर प्रदेश	100
20.	उत्तरांचल	1127
21.	पश्चिम बंगाल	1450
	कुल	12,985

रेलगाड़ियों में ज्वलनशील पदार्थ

***180. श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक यात्री आरक्षित और अन्य डिब्बों में ज्वलनशील पदार्थों के साथ यात्रा कर रहे हैं, और रेलवे कर्मचारियों/पुलिस द्वारा इन्हें रोका नहीं जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने रेलगाड़ियों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए ज्वलनशील पदार्थों के साथ यात्रा करने वाले अनधिकृत यात्रियों की जांच हेतु किसी योजना को अन्तिम रूप दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे कर्मचारियों/पुलिस को इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सुरक्षा नियमों की अवहेलना करने वाले रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है/की जाएगी?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं। रेलगाड़ियों में ज्वलनशील पदार्थ ले जा रहे व्यक्तियों का पता लगाने के लिए नियमित जांच की जाती है।

(ख) और (ग) ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमित जांच के अलावा स्टेशनों और रेलगाड़ियों में विशेष अभियान चलाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे पदार्थों को ले जाने के जोखिम के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए प्रचार-अभियान भी चलाए जाते हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। उपर्युक्त निवारक उपाय करने के लिए पहले से ही निर्देश मौजूद हैं, जिन्हें समय-समय पर दोहराया भी जाता है। क्षेत्रीय रेलें इन निर्देशों के अनुपालन के लिए अभियान चलाती हैं। फिर भी, कर्मचारियों की ड्यूटी के प्रति लापरवाही को गंभीरता से लिया जाता है और उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

कर्नाटक में रेल परियोजनाएं

1489. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में 233 रेल परियोजनाएं प्रगति पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाएं कर्नाटक की दक्षिण-पश्चिम रेल में हैं;

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक राज्य में इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) इन्हें कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) कर्नाटक राज्य में पूर्णतया/अंशतः आने वाली चालू परियोजाओं का ब्यौरा, उनकी वर्तमान स्थिति, आवंटित धनराशि तथा उन्हें पूरा करने की लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित की गई है, नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	परियोजना	लागत	मार्च, 2003 तक संभावित खर्च	बजट परिव्यय 2003–04	स्थिति
1	2	3	4	5	6
नई लाइन					
1.	मुनीराबाद–महबूब नगर	420.12	16.43	10	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इस नई लाइन परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि आरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। येरामारस तथा कृष्णा के बीच रेलपथ लिंकिंग कार्य पूरा हो गया है। कृष्णा पुल पर कार्य प्रगति पर है।
2.	गडवल–रायचूर	108.91	4.1	5	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जा रहे हैं। महबूब नगर जिले में 36.35 किलोमीटर तथा रायचूर जिले में 12 किलोमीटर के लिए संयुक्त सर्वेक्षण भी पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण के लिए कर्नाटक सरकार तथा आंध्र प्रदेश सरकार के पास क्रमशः 1.76 करोड़ रु. तथा 1.90 करोड़ रु. जमा करा दिए गए हैं। गडवल में ऊपरी पैदल पुल तथा प्लेटफार्म का निर्माण कार्य प्रगति पर है। गडवल छोर से पहुंच मार्ग–I के लिए भूमि संबंधी तथा छोटे पुलों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा दो पहुंच मार्गों की निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
3.	हुबली–अंकोला	997.58	37.17	15	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। हुबली–किरावट्टी खंड के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं तथा भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार के पास 14 करोड़ रु. जमा करा दिए गए हैं। मिट्टी तथा छोटे पुलों संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। इस परियोजना की चार के–राइड परियोजनाओं में से एक के रूप में पहचान की गई है।
4.	गुलबर्गा–बीदर	460	5.33	15	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। खानापुर से बीदर तक संरेखण में बदलाव के लिए सर्वेक्षण कार्य भी पूरा हो गया है। जहां संरेखण में बदलाव नहीं है वहां 5 किमी. के लिए राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण

1	2	3	4	5	6
					संबंधी कागजात प्रस्तुत कर दिए हैं। भूमि की लागत के रूप में राज्य सरकार के पास 5 करोड़ रुपए जमा करा दिए गए हैं।
5.	कोट्टूर–हरिहर बरास्ता हरप्पनहल्ली	124.03	2.17	5	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है तथा 11 गांवों की भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए हैं तथा भूमि की लागत के रूप में उनके पास 2.08 करोड़ रु. जमा करा दिए गए हैं। चार पहुंच मार्गों (25 किमी.) के लिए मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार इस परियोजना की 2/3 लागत की भागीदारी करने के लिए सहमत हो गई है।
6.	कडूर–चिकमगलूर–सकलेशपुर	157	16.77	15	240 हेक्टेयर में से 220 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत कर ली गई है। शेष वन भूमि के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। 40 किमी. खंड में मिट्टी तथा छोटे पुलों संबंधी कार्य प्रगति पर है। एक सुरंग (300 मीटर) के लिए मिट्टी की जांच तथा 2 पुल पूरे हो गए हैं।
7.	हसन–बैंगलूरू	412.91	82.4	26	हसन तथा श्रवणबेलगोला (43 किमी.) तथा बैंगलूरू से नीलामंगला (16 किमी.) के बीच भूमि उपलब्ध है। भूमि की लागत के रूप में राज्य सरकार के पास 35.6 करोड़ रुपए जमा करा दिए गए हैं। मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है। हसन–श्रवणबेलगोला पर कार्य 2003–04 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
8.	बैंगलूरू–सत्यमंगलम	225	0.45	0.1	बैंगलूरू से चामराज नगर (बरास्ता कनकापुरा–162 किमी.) तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है तथा शेष भाग में कार्य प्रगति पर है। वन क्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही।
आमान परिवर्तन					
9.	सोलापुर (होटगी)–गदग	276	162.78	10	कार्य चरणों में किया जा रहा है। सोलापुर–होटगी (16 किमी.) तथा होटगी–बीजापुर (94 किमी.) पर कार्य पूरा हो गया है। बीजापुर से गदग तक शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के दृष्टिगत राज्य सरकार परियोजना के वित्त पोषण में भागीदारी कर रही है।
10.	मैसूर–चामराजनगर	175	2.5	20	मिट्टी संबंधी, बड़े तथा छोटे पुलों का कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6
11.	बैंगलूरू–हुबली तथा बिरूर–शिमोगा	432.08	398.41	0.01	बैंगलूरू–हुबली तथा बिरूर–शिमोगा के बीच लाइन पर कार्य पूरा हो गया है तथा लाइन चालू कर दी गई है। शिमोगा–तालगुप्पा खंड पर कार्य प्रगति पर है। मिट्टी संबंधी तथा पुलों का कार्य प्रगति पर है।
12.	यशवंतपुर–सेलम	178.26	175.82	0.01	कार्य पूरा हो गया है। परन्तु, लिंगाराजपुरम तथा बांसावाड़ी में ऊपरी सड़क पुल के लिए जनता के आंदोलन के कारण बायप्पनहल्ली–यशवंतपुर खण्ड चालू नहीं हो सका है। लिंगाराजपुरम तथा बांसावाड़ी में ऊपरी सड़क पुल के लिए ठेका दे दिया है तथा कार्य प्रारंभ हो गया है। यशवंतपुर बाईपास लाइन पर भी कार्य शुरू हो गया है तथा रक्षा मंत्रालय की भूमि के स्थानांतरण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ मामला उठाया जा रहा है।
13.	अरसीकेरे–हसन–मंगलोर	312.43	218.5	2	अरसीकेरे–हसनपुर–सकलेशपुर पूरा हो गया है तथा यातायात के लिए चालू कर दिया गया है। मंगलोर–कबकापुत्तुर पर कार्य शीघ्र ही पूरा होने वाला है तथा कबकापुत्तुर–सुब्रमण्या रोड को 2003–04 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। सुब्रमण्या रोड तथा सकलेशपुर के बीच घाट खंड पर भी कार्य प्रगति पर है तथा 2004–05 के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। यह के–राइड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं में से एक है।
दोहरीकरण					
14.	हासपेट–गुंतकल	154.14	56.42	35	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। प्रगति में तेजी लाने के दृष्टिगत इस परियोजना को के–राइड वित्त पोषण के अंतर्गत किए जाने का प्रस्ताव है। बेल्लारी–तोरणागल्लू खंड में मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। इस खंड को 2003–04 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
15.	बैंगलूरू–केनगेरी विद्युतीकरण सहित	27.89	2.19	5	कर्नाटक सरकार परियोजना की 2/3 लागत की भागीदारी करने में आगे आई है। मिट्टी संबंधी, बड़े तथा छोटे पुलों का कार्य प्रगति पर है।
16.	केनगेरी–रामानगरम	64.54	0.02	5	कर्नाटक सरकार परियोजना की 2/3 लागत की भागीदारी करने में आगे आई है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। केनगेरी–विदाडी खंड के बीच मिट्टी संबंधी तथा छोटे पुलों का कार्य प्रगति पर है। किमी.

1	2	3	4	5	6
					33 से 45 के बीच मिट्टी संबंधी तथा पुलों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
17.	यशवंतपुर–तुमकुर	91.82	10.15	19.56	मिट्टी संबंधी कार्य, छोटे पुलों तथा पैनल अंतर्पाशन संबंधी कार्य प्रगति पर है। अरकावती नदी पर बड़े पुल की नींव का कार्य पूरा हो गया है।
18.	बैंगलूरू–व्हाइटफील्ड–बैंगलूरू सिटी–कृष्णाराजपुरम	85	0.02	0.01	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर लेने के पश्चात ही कार्य शुरू किया जाएगा।
19.	व्हाइटफील्ड–कुप्पम	162.23	107.23	27	व्हाइटफील्ड से बंगारपेट तक का प्रथम चरण तथा बंगारपेट यार्ड पूरा हो गया है और यातायात के लिए चालू कर दिया गया है। बंगारपेट–बिशानतम पर कार्य शीघ्र ही पूरा होने वाला है तथा बिशानतम–कुप्पम को 2003–04 के दौरान पूरा किए जाने लक्ष्य है।
20.	कालीकट–मंगलोर	563.08	505.99	25	कन्नानोर–वालापत्तनम को छोड़कर कार्य पूरा हो गया है।

एफ.एम. रेडियो स्टेशनों के लिए लाइसेंस

1490. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में रेडियो का प्रसार कम है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एफएम स्टेशनों के लिए अधिक लाइसेंस शुल्क को कम करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान, आकाशवाणी ने कोई एफएम रेडियो स्टेशन चालू नहीं किया है। तथापि, निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार इस अवधि के दौरान 9 निजी एफएम रेडियो स्टेशन चालू कर दिए गए हैं :

(i)	दिल्ली	—	3 चैनल
(ii)	कोलकाता (प.बं.)	—	4 चैनल
(iii)	चेन्नई (तमिलनाडु)	—	2 चैनल

(ग) जी, नहीं। रेडियो द्वारा देश में 99.13 प्रतिशत जनसंख्या को कवर किया जाता है, जिसके दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बढ़कर 99.50 प्रतिशत हो जाने की आशा है।

(घ) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एचपीसीएल का गैर-पेशेवर कार्य

1491. श्री रामजी मांझी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी वर्ष 2003 (पीएसयू) की रिपोर्ट संख्या 3 के पृष्ठ 90–91 पर इस तथ्य को उजागर किया है कि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) कंपनी के वित्तीय हित के खिलाफ गैर–पेशेवर तरीके से काम कर रही है और स्थापित विपणन मार्गनिर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर ध्यान दिया है और इस संबंध में कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते) : (क) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने उल्लेख किया है कि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) द्वारा स्थापित विपणन मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन न करने तथा चंडीगढ़ स्थित डिपो के कार्यकलापों का पर्याप्त रूप से पर्यवेक्षण न करने के कारण, निजी पार्टी से 3.69 करोड़ रुपए की बकाया राशि की वसूली न करने से हानि उठानी पड़ी है।

(ख) और (ग) अन्वेषण से, प्रथम दृष्ट्या, चंडीगढ़ डिपो सहित कंपनी के विपणन तथा वित्त प्रभाग में कुछ कर्मचारियों द्वारा की गई मोटी वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है। कंपनी ने ऐसे 9 अधिकारियों में से 6 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है तथा सभी 9 अधिकारियों के विरुद्ध नियमित विभागीय कार्रवाई आरंभ की गई है। एचपीसी ने इस मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), चंडीगढ़ को सूचित किया है जिसने डिपो प्रभारी तथा संबंधित निजी पार्टी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही आरंभ की है। एचपीसी में भी निजी पार्टी के विरुद्ध कानूनी मुकदमा दायर किया है जो अभी न्यायलयाधीन है।

तालचेर-बिमलागढ़ रेल लाइन का निर्माण

1492. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मार्च, 2003 को समाप्त हो रही अवधि तक जिन नई रेल लाइनों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है उनके नाम क्या हैं और उनकी लंबाई कितनी है और अद्यतन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक मामले में वापसी की दर क्या है;

(ख) तालचेर–बिमलागढ़ रेल लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं जबकि हाल ही में शुरू किए गए अधिकांश रेल लाइन निर्माण कार्यों की अपेक्षा ये कहीं ज्यादा वापसी दर प्रदान करती है;

(घ) क्या सरकार को इस रेल लाइन के निर्माण के लिए उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्माण हेतु शुरू की गई नई लाइनों के प्रतिफल की दर सहित ब्यौरा इस प्रकार है :

जोन	नई लाइन के कार्य का नाम	लंबाई (किमी. में)	बजट में शामिल करने का वर्ष	सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल की दर (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
उत्तर–पश्चिम	कोलायत–फलोदी	111	2002–03	ऋणात्मक
पूर्व–मध्य	कोडरमा–तिलैया	68	2001–02	14.52
पूर्व	तारकेश्वर–बिष्णुपुर	85	2000–01	ऋणात्मक
पूर्व	देवगढ़–सुल्तानगंज	130	2000–01	ऋणात्मक
पूर्वोत्तर सीमा	न्यू मैयनागुड़ी–जोगीघोपा	245	2000–01	ऋणात्मक
उत्तर पश्चिम	अजमेर–पुष्कर	26	2000–01	ऋणात्मक

1	2	3	4	5
दक्षिण मध्य	कोटीपल्ली–नरसापुर	58	2000–01	ऋणात्मक
पश्चिम	रामगंजमंडी–भोपाल	262	2000–01	ऋणात्मक
पश्चिम	गांधीनगर–अदरेज मोती कलोल	20	2000–01	ऋणात्मक

ऊपर दी गई प्रतिफल की दर सर्वेक्षण के समय आंकी गई है। परियोजना को बजट में शामिल करने के पश्चात इसका अद्यतन नहीं किया जाता हे। नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रतिफल की दर उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (च) सर्वेक्षण पूरा हो गया है और प्रस्ताव को 'सैद्धांतिक' स्वीकृति हेतु योजना आयोग को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री/उड़ीसा ने इस लाइन का निर्माण शुरू करने का अनुरोध किया है। अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात परियोजना को बजट में शामिल किया जाएगा।

रेल इंजन चालकों के काम के घंटे

1493. श्री एस. अजय कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में रेल इंजन चालकों की कितने घंटों की ड्यूटी होती है;

(ख) इन सभी चालकों का वेतन ढांचा क्या है और उनको कौन से विशेष भत्ते दिए जाते हैं;

(ग) क्या लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में ड्यूटी शुरू करने से पूर्व इंजन चालकों की नियमित मेडिकल जांच की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) रेलवे अधिनियम 1989 के अध्याय 14 में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुसार ड्राइवरों के ड्यूटी समय को विनियमित किया जाता है। ड्राइवरों को अनवरत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और सांविधिक तौर पर उन्हें एक सप्ताह में 54 घंटे काम करना होता है। लेकिन कर्मी दल के लिंक्स को ध्यान में रखते हुए, उनका रोस्टर सप्ताह में 52 घंटे बनाया जाता है। मानकों के अनुसार दुर्घटना, बाढ़, आंदोलन, उपस्करों की विफलता आदि जैसी तत्कालिक आवश्यकताओं में कर्मी दल को निर्धारित घंटों से अधिक कार्य करने का प्रावधान है।

(ख) लोको रनिंग कर्मचारियों के वेतनमानों से संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है :

सैकिंड फायरमैन (80%)	2750–70–3800–75–4400
सीनियर सैकिंड फायरमैन (20%)	3050–75–3950–80–4590
फस्ट फायरमैन/डीजल/बिजली सहायक (80%)	3050–75–3950–80–4590
सीनियर फायरमैन–I/सीनियर डीजल सहायक/सीनियर बिजली सहायक (20%)	4000–100–6000
शंटर (80%)	4000–100–6000
सीनियर शंटर (20%)	5000–150–8000
मालगाड़ी ड्राइवर (80%)	5000–150–8000
सीनियर मालगाड़ी ड्राइवर (20%)	5500–175–9000
पैसेंजर ड्राइवर/मोटर मैन (पैसेंजर केवल गाड़ियों और ईएमयू सेवाएं (80%))	5500–175–9000
सीनियर पैसेंजर ड्राइवर/मोटर मैन (पैसेंजर केवल गाड़ियों और ईएमयू सेवाएं (20%))	6000–190–9800
मेल एक्सप्रेस ड्राइवर (मेल एक्सप्रेस/एक्सप्रेस/सुपरफास्ट गाड़ियां (100%))	6000–190–9800

चलती हुई रेलगाड़ियों के प्रभार से सीधे जुड़ी ड्यूटी के निष्पादन के लिए ड्राइवरों को भुगतान किए जाने वाले विशेष भत्तों के संबंध में उन्हें रनिंग और अन्य भत्ते दिए जाने की अनुमति है। इसके अलावा, विशेष प्रयोजनों के लिए, उनके मूल वेतन का एक निर्धारित प्रतिशत उनके वेतन के रूप में माना जाता है।

(ग) और (घ) निर्धारित अनुसूची के अनुसार, सभी ड्राइवरों की आवधिक चिकित्सा की जांच की जाती है। आवश्यकतानुसार विशेष अवसरों पर तथा बीमारी के बाद कार्यभार ग्रहण के समय चिकित्सा परीक्षण किया जाता है। लेकिन, लंबी दूरी की गाड़ियों के प्रत्येक फेरे पर ड्यूटी शुरू होने के समय चिकित्सा परीक्षण नहीं किया जाता है।

ओएनजीसी द्वारा सूडान से कच्चे तेल की खरीद

1494. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्रीमती प्रभा राव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) को सूडान में अपने ग्रेटर नील आयल प्रोजेक्ट से कच्चे तेल की पहली खेप प्राप्त हुई है जहां इसकी 25 प्रतिशत तेल इक्विटी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किस दर पर कच्चे तेल की खरीद की गई और तत्संबंधी खेप की कुल मात्रा कितनी है;

(ग) वर्ष 2002–03 के दौरान कुल कितनी मात्रा में कच्चे तेल का आयात किया गया और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा लगी हुई है;

(घ) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कच्चे तेल की आवश्यकता का मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) ग्रेटर नील आयल प्रोजेक्ट (जीएनओपी), सूडान से ओएनजीसी–विदेश लिमिटेड (ओवीएल) के कच्चे तेल के हिस्से की प्रथम खेप जिसमें इस उत्पाद की 5,99,264 बैरल मात्रा थी, की मंगलोर रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा 28.16 अमरीकी डालर प्रति बैरल के मूल्य पर खरीद की गई थी।

(ग) वर्ष, 2002–03 के दौराम 15,759 मिलियन अमरीकी डालर (76,195 करोड़ रुपए) की लागत पर कच्चे तेल की लगभग 82 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) मात्रा आयात की गई थी।

(घ) और (ङ) जी, हां। वर्ष 2003–04 के लिए कच्चे तेल का संसाधन 116.678 एमटी तथा कच्चे तेल का आयात 87.617 एमटी होने का अनुमान है।

योजना आयोग की सिफारिश के बिना रेल लाइन का निर्माण

1495. श्री महबूब जाहेदी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की सिफारिश के बिना और रेल बजट में उल्लेख किए बिना सरकार नेउराली–शेखपुरा के बीच रेल लाइन बिछा रही है जबकि फतेहपुर–इस्लामपुर रेल लाइन के सामग्री परिवर्तन के कारण रिकार्ड में खर्च संस्वीकृत राशि के विरुद्ध दिखाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) दनियावां से बिहार शरीफ तक नई लाइन का कार्य मूल रूप से वर्ष 2000–2001 में लाइनों यथा फतुआ–इस्लामपुर और बख्तियारपुर–राजगीर के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए फतुआ–इस्लामपुर परियोजना के मैटीरियल आशोधन के रूप में अनुमोदित किया गया था। बाद में वर्ष 2000–2001 में बिहार शरीफ–बरबीघा कार्य को परियोजना के मैटीरियल आशोधन के रूप में अनुमोदित किया गया था। इसी दौरान क्यूल–मुगलसराय के रास्ते प्रतिदिन लगभग 7–8 गाड़ियों के अतिरिक्त यातायात का अनुमान लगाया गया था। पटना के रास्ते क्षमता की अत्यधिक तंगी के कारण पहले से स्वीकृत दनियावां–बिहार शरीफ–बरबीघा के मिसिंग लिंक्स को स्थापित करके एक वैकल्पिक मार्ग मुहैया कराने की व्यावहारिकता की जांच की गई थी। ऐसा समझा गया था कि बरबीघा–शेखपुरा और दनियावां–नेऊरा लाइन के निर्माण से शेखपुरा, दनियावां नेऊरा के रास्ते पटना को बाईपास करके क्यूल से मुगलसराय

तक एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। इस निवेश पर प्रतिफल की दर 16 प्रतिशत आंकी गई थी। इस पर विचार करते हुए दो खंडों को भी मैटीरियल आशोधन के रूप में अनुमोदित किया गया था।

रेलें तेजी से बढ़ते हुए एक सक्रिय संस्था के रूप में माल और यात्रियों के परिवहन का राष्ट्रीय वाहक होने के कारण इसके वित्त को एक अलग मद में रखा गया है। रेलवे को अपने विकासात्मक कार्यों के निर्वहन के लिए वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई है और इसी के मद्देनजर रेलवे बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता है। अनुमोदित कार्य के क्षेत्र का विस्तार करने का अधिकार भी मंत्रालय के पास है और इस कार्य के लिए इसे योजना आयोग की आवश्यक मंजूरी की जरूरत नहीं है। इस मामले में भी निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद मैटीरियल आशोधनों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। पहले से अपनाई जा रही पद्धति के अनुसार ही परियोजना की संशोधित लागत बजट दस्तावेजों में दर्शाई गई है।

खान-पान प्रभार

1496. **श्री ए. नरेन्द्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं जिनके भाड़े में ही खान–पान प्रभार शामिल है;

(ख) भाड़े के एक घटक के रूप में इसकी सूची के चयन और लागत के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक क्रमशः भाड़े और भोजन में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के किरायों में खान–पान प्रभार शामिल होते हैं।

(ख) खान–पान सेवाओं के मीनू का चयन और दर–सूची का संशोधन इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की सिफारिशों पर समय–समय पर किया जाता है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के किरायों और खान–पान सेवा प्रभारों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

[हिन्दी]

झारखंड में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि

1497. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखंड के प्रत्येक विद्युत स्टेशन की कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्यों में इन विद्युत स्टेशनों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखंड राज्य में किसी नई यूनिट के शुरू नहीं होने के कारण क्षमता (हाइड्रो के साथ–साथ थर्मल) में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) से (घ) 10वीं योजना के दौरान वर्तमान यूनिटों के विस्तार को लक्षित करके निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं शुरू की जानी हैं :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1.	चन्द्रपुरा टीपीपी एक्सटेंशन यू–7 व 8 (डीवीसी) (केन्द्रीय क्षेत्र)	500
2.	तेनूघाट टीटीपी एसटी–II यू–3, 4 व 5 (राज्य क्षेत्र)	630
3.	जोजोबेरा टीपीपी (निजी क्षेत्र)	120

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्र में मैंथोन यूनिट 2 (20 मेगावाट), मैंथोन यू–1 व 3 (2x20 मेगावाट) तथा पंचेत यू–1 (40 मेगावाट) इकाइयों का नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार भी प्रस्तावित है।

अहमदाबाद में मंडल कार्यालय खोला जाना

1498. श्री मानसिंह पटेल :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में रेल मंडल कार्यालय खोले जाने की स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त वर्णित कार्यालय पूरी तरह से चालू हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) नए अहमदाबाद मंडल ने 01.4.2003 से पूरी तरह कार्य करना शुरू कर दिया है।

महाराष्ट्र में विद्युत परियोजनाएं

1499. श्री शिवाजी माने : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में विद्युत संयंत्र समय से पीछे चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले महीने की स्थिति के अनुसार विलंब की अवधि क्या है;

(घ) अनावश्यक विलंब के कारण संयंत्र-वार लागत में कितनी वृद्धि हुई;

(ङ) क्या इसमें हुए अनावश्यक विलंब के लिए सरकार ने किसी अधिकारी को जिम्मेदार और दोषी ठहराया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (च) महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं :

1. **डाभोल सीसीजीटी चरण-2 (1444 मेगावाट) :** डाभोल पावर कंपनी (डीपीसी) द्वारा निजी क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही इस परियोजना को 1868 मिलियन अमेरिकी डालर की लागत पर वर्ष 2000-2001 में चालू किया जाना था। डीपीसी एवं एमएसइबी के बीच विवाद के कारण जून, 2001 में इसका क्रियान्वयन रोक दिया गया और परियोजना के क्रियान्वयन के अग्रिम चरण में होने के बावजूद इसे चालू नहीं किया जा सका।

2. **घाटघर पीएसएसएस (2x125 मेगावाट) :** इस परियोजना को सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

आरंभिक लागत (रु. करोड़ में)	अद्यतन लागत (रु. करोड़ में)	लागत आधिक्य	चालू करने का आरंभिक समय	चालू करने का अद्यतन समय	समय आधिक्य (वर्ष)
620.78	1184.60	563.82	1995-96	2004-05	9

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार परियोजना के लिए आवश्यक वन भूमि के अंतरण से संबंधित समस्याओं के कारण परियोजना का काम 1997 तक स्थल पर शुरू नहीं हो सका। सभी महत्वपूर्ण सिविल कार्य सौंप दिए गए हैं तथा यूनिट के उत्थापन के साथ ये कार्य भी प्रगति पर हैं।

[अनुवाद]

रेल अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार

1500. श्री टी. गोविन्दन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में शायिका आवंटन के संबंध में घूस लेने के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज तक ऐसे कितने मामलों का पता चला; और

(ग) सरकार द्वारा उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) गाड़ियों में शायिकाओं के आवंटन के संबंध में रिश्वत

के मामलों की संख्या को अलग से नहीं रखा जाता है। बहरहाल, चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान गाड़ियों में शायिकाओं के आवंटन सहित विभिन्न कदाचारों/अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार पाए गए गाड़ी जांच कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है : 2000 : 744; 2001 : 855; 2002 : 755; 2003 (जनवरी से जून तक) : 352।

(ग) दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध रेलवे अनुशासन और अपील नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की गई है।

लंबित जल विद्युत परियोजनाएं

1501. **श्री श्रीनिवास पाटील :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्वीकृति हेतु बहुत सी प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस समय जांच जल विद्युत परियोजनाएं पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति के लिए लंबित हैं।

(ख) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अनुसार, पूरी सूचना प्राप्त होने के 90 दिन के अंदर प्रस्ताव का मूल्यांकन पूरा किया जाना है और निर्णय उसके पश्चात 30 दिन के भीतर सूचित किया जाना है।

(ग) वर्ष 2003 के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित जल–विद्युत परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं :

(1) बैराबी बांध एवं जल विद्युत परियोजा (मिजोरम)

(2) सेवा जल विद्युत परियोजना (जम्मू और कश्मीर)

(3) लोअर सूबनसीरी जल–विद्युत परियोजना (अरुणाचल प्रदेश)

(4) तीस्ता लो–डैम स्टेज–4 (पश्चिम बंगाल)

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा आंध्र प्रदेश को आवंटित धनराशि

1502. **डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम वर्ष 2003–04 के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को 110 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी राशि जारी की गई; और

(ग) इस संबंध में अन्य ब्यौरे क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दलित बस्तियों/मुहल्लों के विद्युतीकरण के लिए वर्ष 2003–04 में 123.46 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है जिसके लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम सहमत हो गया है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को अब तक कोई राशि जारी नहीं की गई है।

[हिन्दी]

कर्मचारियों की संख्या

1503. **श्री बालकृष्ण चौहान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में श्रेणी–वार और विभाग/उपक्रम–वार कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) कुल कार्यरत कर्मचारियों में से अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पृथक–पृथक कितने कर्मचारी हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यदि कोई रिक्ति है, तो उसे भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केरल को खाद्यान्न परिवहन हेतु रैक

1504. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राशन दुकानों के माध्यम से लोगों तक गेहूं और कच्चे चावल की आवश्यक मात्रा के भंडारण हेतु केरल के लिए खाद्यान्न परिवहन हेतु रैकों की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केरल को पर्याप्त संख्या में रैक आवंटित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) रेलवे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न के परिवहन के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिए गए कार्यक्रम के अनुसार रैकों की व्यवस्था करती है। अप्रैल, 2003 से जुलाई, 2003 तक भारतीय खाद्य निगम ने केरल के लिए खाद्यान्न के लदान के लिए 59 रैकों का कार्यक्रम दिया है। रेलवे ने केरल के लिए 1 अप्रैल, 2003 से 27 जुलाई, 2003 तक खाद्यान्न के 63 रैकों का लदान किया है। केरल में पर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रेलवे भारतीय खाद्य निगम के साथ समन्वय रखती है।

सेलू रेलवे स्टेशन पर एलसी द्वार/ रोड अंडर ब्रिज का निर्माण

1505. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के सेलू रेलवे स्टेशन पर एलसी द्वार/रोड अंडर ब्रिज के निर्माण संबंधी सेलू नगर परिषद परभनी (महाराष्ट्र) का अनुरोध गत आठ वर्षों से सरकार के समक्ष लंबित है;

(ख) क्या सेलू नगरपालिका, स्थानीय सांसद और विधायक ने एलसी द्वार/रोड अंडर ब्रिज के निर्माण की लागत को वहन करने का वचन दिया है;

(ग) यदि हां, तो एलसी द्वार/रोड अंडर ब्रिज के निर्माण में विलंब के क्या कारण हैं, जिससे सेलू कस्बे की आधी जनसंख्या को समस्या हो रही है; और

(घ) सरकार ने सेलू रेलवे स्टेशन पर एलसी द्वार/रोड अंडर ब्रिज निर्माण के लिए क्या नए कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। समपार फाटक के निर्माण के लिए अध्यक्ष नगरपालिका सेलू से प्राप्त अभ्यावेदन की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि यह स्थान सेलू स्टेशन यार्ड में आता है। चूंकि समपार के निर्माण के बारे में मौजूदा व्यवस्था यह है कि स्टेशन यार्ड के भीतर कोई समपार नहीं बनाया जाना चाहिए। इसलिए उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका। बहरहाल, निचले सड़क पुल की व्यवस्था को निक्षेप शर्तों के तहत व्यावहारिक पाया गया है और कलेक्टर/परभनी को इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है।

(ख) से (घ) क्षेत्र के माननीय सांसद तथा पार्षद परभनी ने उस स्थान पर निचले सड़क पुल के निर्माण के लिए रेलवे से अनुमान बताने को कहा है। केवल हल्के वाहनों के परिवहन के लिए निचले सड़क पुल के निर्माण के लिए 28.66 लाख रुपए की धनराशि का अनुमान 18.2.2003 को जिलाधीश/परभनी के पास भेज दिया गया है। उनसे नक्शे एवं विस्तृत अनुमान की तैयारी के लिए 77,325/–रु. जमा करने को भी कहा गया है। इस बारे में जिलाधीश/परभनी से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

मिशनरियों/संस्थाओं को मुफ्त पास

1506. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईसाई मिशनरियों अथवा अन्य सामुदायिक संस्थाओं को आल इंडिया अथवा क्षेत्रीय मुफ्त पास उपलब्ध कराने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं को ऐसे मुफ्त पास देने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक ऐसे मुफ्त पास जिन मिशनरियों/संस्थानों को दिए गए हैं, उनके नाम और उन पासों की अवधि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार अखिल भारतीय मानार्थ कार्ड

पास रेल मंत्री की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर कोई निशुल्क पास जारी नहीं किए जाते हैं।

(ख) मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार मानार्थ कार्ड पास सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, खेल और कल्याणकारी गतिविधियों से संबद्ध संगठनों को ही जारी किए जाते हैं।

(ग) मितव्ययिता और किफायत के उपाय के रूप में 15.11.1999 से रेल मंत्री की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत कोई मानार्थ कार्ड पास जारी नहीं किए गए हैं।

एमएमटीएस, हैदराबाद के लिए सवारी डिब्बे

1507. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली के डिब्बों के पहली रैक की खराब परिसज्जा के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने डिब्बों के अभिकल्प अथवा रंग में कतिपय कमियों को उजागर किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दिए गए सुझावों के अनुरूप परिवर्तन किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने हैदराबाद बहुआयामी परिवहन प्रणाली के लिए आपूर्ति किए गए ईएमयू सवारी डिब्बों का निरीक्षण करते समय सवारी डिब्बों की साज-सज्जा में कुछ खामियां पाई थीं, जिसमें रंग योजना, पेंटिंग की परिसज्जा, सवारी डिब्बे का बाह्य स्वरूप, ग्रेब्रेल्स की मजबूती, स्टेनलैस स्टील की पैनेलिंग, साइड दिवारों की मॉल्डिंग आदि शामिल हैं। ये खामियां अल्प सूचना पर सवारी डिब्बों की आपूर्ति करने के कारण पाई गई थीं। उन्होंने वांछा की कि डिब्बों की साज-सज्जा विश्व में तुलना में बहुत अच्छी होनी चाहिए।

(घ) और (ङ) जी, हां। सवारी डिब्बा कारखाना पहले ही आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री के सुझावों को जहां तक संभव है कार्यान्वित कर रहा है और आंध्र प्रदेश के तीन मंत्रियों के साथ महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेल, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद के मेयर और आंध्र प्रदेश मैट्रो के नगर निगम उपायुक्त द्वारा रैकों में किए गए सुधारों का मई, 03 में किए गए निरीक्षण के बाद 5 संशोधित रैक सिकंदराबाद भेजे हैं।

दुर्गाद्वानी मिनी जल विद्युत संयंत्र की स्थापना

1508. श्री सनत कुमार मंडल : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुन्दरवन, पश्चिम बंगाल में दुर्गाद्वानी मिनी जल विद्युत संयंत्र की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) विद्युत उत्पादन शुरू करने के लिए सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) दुर्गाद्वानी, सुन्दरवन, पश्चिम बंगाल में एक 3 मेगावाट की ज्वारीय विद्युत परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी हो चुकी है और मंत्रालय में विधिवत् जांच की गई है। डीपीआर में की गई अनुशंसा के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरणीय क्लियरेंस की आवश्यकता है। मंत्रालय ने मार्च, 2003 में पश्चिम बंगाल अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, कोलकाता को इस परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन मंजूर किया है। यह अध्ययन लगभग एक वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है। अध्ययन के पूरे हो जाने के पश्चात और इसके परिणामों के आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनिवार्य कानूनी पर्यावरण क्लियरेंस प्राप्त करनी होगी। पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त होने के बाद परियोजना के लिए कार्यान्वयन के लक्ष्यों को निर्धारित किया जाएगा।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 33 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

रूस के साथ सैन्य सहयोग

1509. श्री वाई. जी. महाजन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस सैन्य सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय करार पर कब तक हस्ताक्षर करने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) भारत और रूस में पारंपरिक रूप से अत्यंत उच्चस्तरीय सैन्य सहयोग रहा है। रूस की हमारी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता के मद्देनजर यह सहयोग प्रगाढ़ होता रहा है। इस सहयोग को बढ़ाने के बारे में किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

दसवीं योजना के दौरान गुजरात में विद्युत संयंत्र

1510. जी. जे. जावीया : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात में दसवीं योजनावधि के दौरान विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए स्थान-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) गुजरात राज्य में 10वीं योजना में जिन विद्युत परियोजनाओं से उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है उसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :

परियोजना का नाम	पूरा होने की अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)
1	2
कच्छ लिगनाइट टीपीपी विस्तार यूनिट-4 (75 मेगावाट), राज्य क्षेत्र	304.69
सूरत लिगनाइट पावर प्रोजेक्ट विस्तार चरण-II (250 मेगावाट), राज्य क्षेत्र	897.834
अक्रिमोटा लिगनाइट आधारित टीपीपी (250 मेगावाट)	1338.43
धुवरन सीसीपीपी (106.617 मेगावाट) जीटी + एसटी, राज्य क्षेत्र	310.06
जामनगर पेटकाक आधारित टीपीपी (500 मेगावाट), निजी क्षेत्र	2550.74
सरदार सरोवर (1200 मेगावाट आरबीपीएच + 250 मेगावाट सीएचपीएच) गुजरात का इस परियोजना में 16 प्रतिशत हिस्सेदारी	3267.25

राज्य क्षेत्र/निजी क्षेत्र की परियोजनाएं होने के कारण केन्द्र सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए धन आवंटित नहीं किया है।

(ग) सरकार सभी अभिनिर्धारित परियोजनाओं की प्रगति की भलीभांति निगरानी कर रही है। खामियों को दूर करने तथा इन परियोजनाओं को 10वीं योजना के दौरान ही पूरा करने की दृष्टि से संबद्ध राज्य सरकारों, विकासकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों के साथ समीक्षा बैठकें भी की जा रही हैं।

राजगीर में आयुध निर्माणी के लिए वैश्विक निविदाएं

1511. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजगीर (नालंदा) में आयुध निर्माणी के लिए मैसर्स सोमचैम, दक्षिण अफ्रीका का चयन करने के पूर्व वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की गई थीं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह प्रमुख रक्षा आवश्यकताओं के लिए वैश्विक निविदाएं जारी करना रक्षा मंत्रालय की सामान्य नीति के विरुद्ध था;

(घ) क्या मैसर्स सोमचैम, दक्षिण अफ्रीका को इस परियोजना हेतु कोई टीओटी शुल्क का भुगतान किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो यह धनराशि कितनी है;

(च) क्या यह प्रमुख रक्षा अधिग्रहणों में निशुल्क टीओटी प्राप्त करना रक्षा मंत्रालय की सामान्य नीति के विरुद्ध है; और

(छ) यदि हां, तो टीओटी शुल्क का भुगतान करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) सेना के लिए बाइमॉड्यूलर चार्ज प्रणाली आयात करने के साथ-साथ 155 मि.मी. बाइमॉड्यूलर चार्ज प्रणाली के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने पर बातचीत की गई थी। बाइमॉड्यूलर चार्ज प्रणाली का आयात करने के लिए वैश्विक निविदा पूछताछ जारी नहीं की गई थी क्योंकि 1999 में इस तरह के गोलाबारूद के लिए मैसर्स सोमचैम ही एकमात्र स्रोत थी।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का कुल शुल्क 13.99 मिलियन अमेरिकी डालर है जिसमें से प्रौद्योगिकी दस्तावेज प्राप्त होने के बाद 11.192 मिलियन अमेरिकी डालर अदा कर दिए गए हैं।

(च) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण निशुल्क प्राप्त करने की कोई सामान्य नीति नहीं है।

(छ) उपर्युक्त (च) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लीबिया में ओएनजीसी द्वारा तेल ब्लाकों को किराए पर लेना

1512. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओएनजीसी का विचार लीबिया में तेल ब्लाक किराए पर लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी धनराशि उपगत होने की संभावना है; और

(घ) इससे अनुमानित कितना लाभ होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल); जो आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने लीबिया में टर्किश पेट्रोलियम ओवरसीज कंपनी से दो अन्वेषण ब्लाकों, एनसी-188 तथा एनसी-189 के अंतर्गत 49 प्रतिशत प्रतिभागिता हित प्राप्त किया है।

घाडेम्स बेसिन के अंतर्गत पड़ने वाला 6558 वर्ग किलोमीटर का ब्लाक एनसी-188 त्रिपोली; जो लीबिया की राजधानी है, के लगभग 250 किमी. दक्षिण में स्थित है तथा सिर्ते बेसिन में स्थित 2088 वर्ग किलोमीटर का ब्लाक एनसी-189 त्रिपोली के दक्षिण पूर्व में स्थित है।

(ग) इन दोनों ब्लाकों में अन्वेषण कार्य वचनबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में ओवीएल की व्ययगत हिस्सेदारी लगभग 30 मिलियन अमेरिकी डालर (लगभग 141 करोड़ रुपए) होने का अनुमान है, जिसके दो वर्षों की अवधि में उपगत किए जाने की संभावना है।

(घ) इन ब्लाकों में अन्वेषण का परिणाम आज की तारीख तक ज्ञात नहीं है।

[अनुवाद]

कांगो में शांति अभियान में भागीदारी

1513. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अशांत कांगो अफ्रीका गणराज्य में 33 वर्षों के अंतराल के पश्चात दूसरे शांति अभियान में भाग ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कांगो में तैनात सशस्त्र बलों के कार्मिकों और उपकरणों की संख्या और कांगो में उनकी भूमिका क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उनकी संरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। भारत,

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दूसरे शांति स्थापना अभियान में भाग ले रहा है।

(ख) भारत कांगो में एमओएनयूसी नामक मौजूदा संयुक्त राष्ट्र अभियान में भारतीय वायुसेना विमानन यूनिट और भारतीय सेना राइफल कंपनी तैनात करने के लिए सहमत हो गया है।

(ग) भारतीय सैन्य दल में भारतीय वायुसेना के 242 कार्मिक और नौ हेलीकॉप्टर तथा नब्बे कार्मिकों की एक राइफल कंपनी शामिल हैं। भारतीय सैन्य दल की भूमिका में सामान की ढुलाई, सैनिकों को लाना ले जाना, चिकित्सा परिवहन, सशस्त्र सुरक्षा, तलाशी और बचाव अभियान तथा निगरानी–उड़ानें आदि कार्य शामिल होंगे।

(घ) इसमें अंतर्ग्रस्त जोखिम–कारकों का मूल्यांकन किया गया है। स्थिति का बुनियादी मूल्यांकन, भारतीय वायुसेना के अफसरों के एक दल द्वारा किया गया है। भारतीय वायुसेना, और सेना दोनों की टुकड़ियां, सभी प्रकार की आकस्मिकताओं से निपटने के लिए उपयुक्ततः सज्जित और प्रशिक्षित हैं। राइफल कंपनी को विमानन यूनिट को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।

उत्तर प्रदेश और दिल्ली के गांवों का विद्युतीकरण

1514. श्री सईदुज्जमा : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में विद्युतीकरण कार्य की प्रगति बहुत असंतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उपर्युक्त राज्यों में पिछले दो वर्षों के दौरान कितने गांवों को विद्युतीकृत किया गया है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई; और

(ङ) जिले–वार अभी कितने गांवों को विद्युतीकृत किया जाना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के अनुसार 40,404 अविद्युतीकृत गांवों को छोड़कर मार्च, 2003 के अंत तक उत्तर प्रदेश में 97,135 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी गांव विद्युतीकृत हैं।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत किए गए गांवों के विवरण इस प्रकार हैं :

2001–02	1106
2002–03	1780

(घ) उपरोक्त वर्णित वर्षों के दौरान विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों जैसे प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को दी गई निधियों के विवरण निम्न प्रकार हैं :

(रुपये लाख में)

योजनाएं	2001–02	2002–03
प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना	3586.65	10187
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	3923	15000

2003–04 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उत्तर प्रदेश को 15000 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं और ग्रामीण विद्युतीकरण को मिलाकर सभी छः घटकों के लिए 2767 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत रखा गया है। राज्य को विभिन्न घटकों की प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

(ङ) उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत किए जाने वाले अविद्युतीकृत गांवों का जिला–वार विवरण संलग्न है।

विवरण

31.3.2003 की स्थितिनुसार उत्तर प्रदेश में जिला–वार गैर–विद्युतीकृत गांव

क्र.सं.	मंडल/जिला	बसे हुए गांव (1991 जनगणना)	गैर–विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	सहारनपुर		
	सहारनपुर	1278	302

1	2	3	4
	मुजफ्फरनगर	886	0
	कुल	2164	302
2.	मेरठ		
	मेरठ बागपत	900	0
	गजियाबाद गौतमबुद्ध नगर	685	16
	बुलन्दशहर	1359	325
	कुल	2944	341
3.	मुरादाबाद		
	बिजनौर	2132	849
	मुरादाबाद	2475	843
	ज्योतिबाफूले नगर रामपुर	1098	528
	कुल	5705	2220
4.	आगरा		
	अलीगढ़ महामाया नगर (हाथरस)	1706	699
	मथुरा	871	70
	आगरा	904	94
	फिरोजाबाद	795	382
	मैनपुरी	826	314
	एटा	1507	828
	कुल	6609	2387
5.	बरेली		
	बरेली	1851	510
	बदायूं	1780	797

1	2	3	4
	शाहजहांपुर	2130	1267
	पीलीभीत	1210	662
	कुल	6971	3236
6.	कानपुर		
	फरूखाबाद कन्नौज	1571	672
	इटावा औरैया	1461	570
	कानपुर नगर	247	
	कानपुर देहात	1622	730
	कुल	4901	1972
7.	झांसी		
	झांसी	760	182
	ललितपुर	689	304
	जालौन	942	367
	कुल	2391	853
8.	चित्रकूट		
	हमीरपुर महोबा	926	365
	बांदा चित्रकूट	1204	415
	कुल	2130	780
9.	इलाहाबाद		
	इलाहाबाद कौशाम्बी	3539	1136
	फतेहपुर	1352	485
	प्रतापगढ़	2181	693
	कुल	7072	2314

1	2	3	4
10.	लखनऊ		
	लखनऊ	824	20
	रायबरेली	1737	222
	उन्नाव	1693	675
	सीतापुर	2314	1196
	हरदोई	1883	880
	लखीमपुर खीरी	1712	668
	कुल	10163	3661
11.	फैजाबाद		
	फैजाबाद अंबेडकर नगर	2647	1477
	सुल्तानपुर	2495	657
	बाराबंकी	2050	932
	कुल	7192	3066
12.	देवी पाटन		
	गोंडा बलरामपुर	2818	1432
	बहराइच श्रावस्ती	1890	740
	कुल	4708	2172
13.	वाराणसी		
	वाराणसी चन्दौली	3702	1867
	गाजीपुर	2583	1660
	जौनपुर	3269	1827
	कुल	9554	5363
14.	मिर्जापुर		
	मिर्जापुर संत रविदास नगर (भदोही)	1722	667
	सोनभद्र	1346	589
	कुल	3068	1256
15.	आजमगढ़		
	आजगमढ़	3721	2243
	मऊ	1472	799
	बलिया	1792	571
	कुल	6985	3613
16.	गोरखपुर		
	गोरखपुर	2880	1034
	महाराजगंज	1207	208
	देवरिया कुशीनगर	3550	1264
	कुल	7637	2596
17.	बस्ती		
	बस्ती संत कबीर नगर	4504	2844
	सिद्धार्थ नगर	2437	1428
	कुल	6941	4272
	कुल जोड़	97135	40404

तमिलनाडु में ट्रेन नेटवर्क

1515. **डा. वी. सरोजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार अन्य राज्यों की तुलना में प्रति हजार वर्ग. किमी. क्षेत्रफल पर रेलमार्गों की लंबाई कितनी है;

(ख) तमिलनाडु में रेल मार्गों के घनत्व के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने तमिलनाडु को राष्टीय औसत के स्तर तक लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) 31.3.2001 को तमिलनाडु में प्रति हजार वर्ग कि. मी. क्षेत्र में रेल मार्ग की लम्बाई (मार्ग कि.मी.) 32.21 कि. मी. है जो 19.17 कि.मी. राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल के विद्युत केन्द्र में विद्युत की वृद्धि

1516. श्री बीर सिंह महतो : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के प्रत्येक विद्युत केन्द्र की विद्युत उत्पादन क्षमता में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य के इन विद्युत केन्द्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में किसी भी एक्सटेंशन यूनिट के शुरू नहीं किए जाने के कारण क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल राज्य में विद्यमान यूनिटों के विस्तार के रूप में दसवीं योजना के दौरान निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं शुरू की जानी प्रस्तावित हैं :

क्र.सं.	परियोजना का नाम/क्षमता (मेगावाट)
1.	बरकेश्वर टीपीएस एक्सटेंशन यू–4 एवं 5 (2x210) (राज्य क्षेत्र)
2.	सनतालडीह टीपीएस यू–5 (250) (राज्य क्षेत्र)
3.	मेजिया टीपीएस एक्सटेंशन यू–4 (210) (केंद्रीय क्षेत्र)
4.	मेजिया टीपीएस एक्सटेंशन यू–546 (2x250) (केन्द्रीय क्षेत्र)

हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक विज्ञापन

1517. श्री राधामोहन सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न चैनलों पर प्रसारित हो रहे विज्ञापनों में हिन्दू देवी–देवताओं को असम्मानजनक ढंग से दिखाया जा रहा है, जिनमें से एक पर कौरवों को द्रौपदी की साड़ी को खींचते हुए दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हिन्दू देवी–देवताओं को दिखाने वाले विज्ञापनों को प्रतिबंधित करने और द्रौपदी की साड़ी को खींचते हुए कौरवों को दर्शाने वाली विज्ञापन कंपनी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) सभी टीवी चैनलों के विज्ञापनों को केबल नेटवर्कों के जरिए प्रसारित/पुनःप्रसारित किए जाने पर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत कार्यक्रम संहिता और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन करना होता है। विज्ञापन संहिता में, अन्य बातों के साथ–साथ ऐसे विज्ञापन निषिद्ध हैं जिनमें उपभोक्ताओं की धार्मिक भावनाओं और धार्मिक संवेदनशीलता को ठेस पहुंचाने वाले संदर्भ शामिल हों। जनता और संगठन के सदस्यों से विज्ञापन संहिता के तथाकथित उल्लंघनों के बारे में समय–समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। केन्द्र सरकार ने विज्ञापन संहिता के उल्लंघनों की जांच करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 20 के तहत एक अन्तरमंत्रालयीय समिति का गठन किया है। इस समिति द्वारा विज्ञापन संहिता के किसी उल्लंघन पर स्वतः संज्ञान भी लिया जाता है। किसी टीवी चैनल पर ऐसे किसी विज्ञापन के बारे में कोई शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

[अनुवाद]

रेल पटरियों का नवीकरण

1518. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक

वर्ष शुरू किए गए रेल पटरियों के नवीकरण कार्य का राज्य–वार विशेषकर उत्तर प्रदेश और मुंबई का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उस पर कितना व्यय हुआ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) रेलपथ नवीकरण संबंधी कार्यों के निष्पादन का ब्यौरा राज्य–वार या शहर–वार नहीं रखा जाता है। बल्कि इसे क्षेत्रीय रेलवे–वार रखा जाता है। बहरहाल, भारतीय रेलवे पर पिछले तीन वर्षों में किया गया रेलपथ नवीकरण और उस पर किया गया खर्च निम्नानुसार है:

वर्ष	रेलपथ किमी. में किया गया रेलपथ नवीकरण	किया गया खर्च (करोड़ रुपए)
2002–03	4776	3298*
2001–02	3620	2475
2000–01	3250	2245

*अनंतिम

[हिन्दी]

हरियाणा में आरओबी/आरयूबी परियोजनाएं

1519. डा. (श्रीमती) सुधा यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में चल रही आरओबी/आरयूबी परियोजानाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु परियोजना–वार लक्ष्य क्या है;

(ख) अनुमोदन के लिए लम्बित रेलवे में आरओबी/आरयूबी परियोजनाओं के कितने प्रस्ताव हैं और परियोजना–वार इनके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) रेलवे के पास कोई ठोस प्रस्ताव लम्बित नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	रेलवे	स्वीकृति का वर्ष	रेलवे का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	जेएचएस–डीएलआई खंड पर कि.मी. 1479/21–23 पर एलसी सं. 565 के स्थान पर पलवल में सड़क ऊपरी पुल	उ.रे.	2003–04	571	365	स्थल सर्वेक्षण पूरा हो गया है। 19.6.03 को प्रोफाइल स्कैच राज्य सरकार को हस्ताक्षरार्थ भेजा गया है।
2.	डीएलआई–यूएमबी खंड पर गन्नौर के पास कि.मी. 59/11–13 पर एलसी सं. 37 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल	उ.रे.	2003–04	542	510	स्थल सर्वेक्षण पूरा हो गया है। 15.6.2003 को प्रोफाइल स्कैच राज्य सरकार को हस्ताक्षरार्थ भेजा गया है और विचारार्थ है। पहुंच मार्ग के लिए विस्तृत अनुमान प्रतीक्षित है।
3.	डीएलआई–आरई खंड पर रिवाड़ी के पास रिवाड़ी–झझर रोड पर कि.मी. 81/4–5 पर एलसी सं. 57बी के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल	उ.रे.	2003–04	873	81407	यह डब्ल्यू पी 2003–04 के अंतर्गत स्वीकृत किया गया नया कार्य है। कार्य योजना स्तर पर है।

1	2	3	4	5	6	7
4.	डीएलआई–यूएमबी खंड पर कि.मी. 43.552 पर सोनीपत में एलसी सं. 27 बी के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल	उ.रे.	2003–04	899	850	स्थल सर्वेक्षण पूरा हो गया है। 7.5.03 को प्रोफाइल स्कैच राज्य सरकार को हस्ताक्षरार्थ भेजा गया है।
5.	रिवाड़ी–हिसार खंड पर कि.मी. 142/4–5 पर हिसार में एलसी सं. ए–92 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल	उ.प.रे.	2033–04	299.67	937.4	यह डब्ल्यूपी 2003–04 के अंतर्गत स्वीकृत किया गया नया कार्य है। कार्य योजना स्तर पर है।
6.	बल्लभगढ–कि.मी. 1502/5–4 पर समपार सं. 575/बी (एसएच) के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल	उ.रे.	1990–91	216	247	प्रोफाइल स्कैच और विस्तृत अनुमान का कार्य प्रक्रिया में है।
7.	जेएचएस–डीएलआई खंड पर कि.मी. 1504/11–13 पर फरीदाबाद में एलसी सं. 576 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल	उ.रे.	2003–04	676	403	स्थल सर्वेक्षण पूरा हो गया है। 20.6.03 को प्रोफाइल स्कैच राज्य सरकार को हस्ताक्षरार्थ भेजा गया है।
8.	डीएलआई–बीटीआई खंड पर कि.मी. 72/10–11 पर केसरी के पास एलसी संख्या 116 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल	उ.रे.	2003–04	483	487	फील्ड सर्वेक्षण पूरा हो गया है। प्रोफाइल स्कैच का कार्य प्रगति पर है।
9.	डीएलआई–बीटीआई खंड पर रोहतक स्टेशन के पास कि.मी. 72/10–11 पर एलसी संख्या ए–63 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल	उ.रे.	2003–04	841	911	स्थल सर्वेक्षण पूरा हो गया है। प्रोफाइल स्कैच का कार्य प्रगति पर है।
10.	रेवाड़ी–अलवर खंड पर रेवाड़ी में एलसी संख्या 58ए के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल	उ.प.रे.	2003–04	299.67	937.4	यह डब्ल्यू पी 2003–04 के अंतर्गत स्वीकृत किया गया नया कार्य है। कार्य योजना स्तर पर है।
11.	मंडी डबवाली–बीटीआई–सूरतगढ़ खंड पर एलसी संख्या 32–बी के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल	उ.प.रे.	1995–96	243	648	राज्य सरकार ने पहुंच मार्ग पर अभी तक कार्य शुरू नहीं किया जिससे रेलवे के भाग पर होने वाला कार्य भी रेलवे द्वारा शुरू नहीं किया गया है।
12.	रेवाड़ी–हिसार खंड पर कि.मी. 137/4–5 पर हिसार में एलसी संख्या 89–बी के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल	उ.प.रे.	2003–04	379.95	389.26	यह डब्ल्यू पी 2003–2004 के अंतर्गत स्वीकृत किया गया नया कार्य है। कार्य योजना स्तर पर है।

1	2	3	4	5	6	7
13.	करनाल–करनाल–कछुआ रोड़ पर एलसी संख्या 71–बी के स्थान पर सड़क पर निचला पुल	उ.रे.	1999–00	104	142	इस कार्य की स्वीकृति सड़क निचले पुल के रूप में हुई है जो कि तकनीकी रूप से व्यावहारिक नहीं है। सड़क ऊपरी पुल के स्थान पर सड़क निचले पुल का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। राज्य सरकार को प्रोफाइल स्कैच हस्ताक्षरार्थ भेजे गए हैं। राज्य पीडब्ल्यूडी से पहुंच मार्गों का विस्तृत विवरण अभी प्राप्त होना है।
14.	कुरूक्षेत्र–मौजूदा 2 लेन आरओबी को 4 लेन में चौड़ा करना	उ.रे.	2003–04	269	334	मई, 2003 में बारी से पहले स्वीकृत।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन का वैकल्पिक स्रोत

1520. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन के वैकल्पिक स्रोत के लिए कोई वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत उत्पादन के अक्षय स्रोतों में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) किया जा रहा है। मंत्रालय ने अब तक नई प्रौद्योगिकियों, सौर ऊर्जा, बायोमास गैसीफायरों समेत बायोमास, पवन, बायोगैस और शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट आदि सहित अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विभिन्न क्षेत्रों में 132 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं अनुमोदित की है। प्रणालियों की लागत को कम करने, उनकी विश्वसनीयता में सुधार और कुशलता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए अनुसंधान एवं विकास किया जा रहा है। अनुसंधान एवं विकास विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, आई आई टी, अनुसंधान संस्थाओं इत्यादि के माध्यम से किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण

1521. चौ. तालिब हुसैन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में रजौरी और पुंछ क्षेत्र के समीपवर्ती जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण की ऐसी कौन–कौन सी योजनाएं हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान आरईसी को भेजा गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत/निर्गत की गई और कितनी खर्च की गई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) ने गत 3 वर्षों (2000–01 से 2002–03) के दौरान जम्मू व कश्मीर में रजौरी जिले में निम्नांकित ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों को मंजूरी दी है। आरईसी को इस अवधि के दौरान पुंछ जनपद से कोई स्कीम मंजूरी हेतु प्राप्त नहीं हुई है।

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1.	रजौरी जिने के राजौरी और मानजेकोट ब्लाक
2.	132/33 के.वी. सब–स्टेशन सियोत, जिला राजौरी
3.	ई एण्ड एम और आरई, राजौरी/रजौरी जिला

(ख) कथित अवधि के दौरान उक्त स्कीमों के लिए 2264 लाख रुपये की ऋण राशि मंजूर की गई थी।

रजौरी और पुंछ जिलों के लिए कथित अवधि के दौरान जारी ऋण राशि 530 लाख रुपये थी, जिसमें कथित अवधि से पूर्व मंजूर स्कीमों के लिए जारी राशि भी शामिल थी। आरईसी ऋण की अवमुक्त राशि मुख्यतः उपयोग पर आधारित है और प्रत्येक स्कीम के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय प्रगति की गणना का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य विद्युत बोर्ड/पावर यूटिलिटी का है।

भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम को लाभ/हानि

1522. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल खान–पान और पर्यटन निगम के कार्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आज तक उक्त निगम को कितना लाभ और कितना नुकसान हुआ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) भारतीय रेल खान–पान और पर्यटन निगम लि. (आई आर सी टी सी) की स्थापना भारतीय रेलों पर खान–पान सेवाओं के उन्नयन और व्यावसायीकरण करने तथा सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से रेल आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आईआरसीटीसी का लाभ इस प्रकार है :

वर्ष	लाख रुपए में
2000–01	7.74
2001–02	83.08
2002–03	555.37

मंगलोर में कन्टेनर डिपो की स्थापना

1523. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के मंगलोर में कन्टेनर डिपो की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वहां कन्टेनर डिपो की स्थापना पर संभवतः कितनी धन राशि के खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) कन्टेनर डिपो की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

एल.पी.जी. और मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि

1524. श्री राम मोहन गाड्डे :
डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों को अनुमति प्रदान करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभिन्न संगठनों और राजनीतिक पार्टियों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (घ) 1 अप्रैल, 2002 से सरकारी मूल्य निर्धारण प्रणाली समाप्त करने के बाद से अभी भी राजसहायता प्राप्त उत्पाद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित मिट्टी के तेल और घरेलू रसोई गैस के सिवाय सभी पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है तथा तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) मूल्य अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों को ध्यान में रखकर नियत कर रही है। समान राजसहायता दर व्यवस्था किए जाने के पश्चात सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले मिट्टी तेल तथा घरेलू एलपीजी के उपभोक्ता मूल्यों में किए जाने वाले परिवर्तन भी तेल विपणन कंपनियों द्वारा किए जाते हैं।

[हिन्दी]

विकलांग पुनर्वास केन्द्र

1525 **श्री पी. आर. खूंटे : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विकलांगों के कल्याणार्थ राज्य–वार तथा स्थान–वार कितने व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र हैं;

(ख) क्या देश में इन पुनर्वास केन्द्रों की संख्या विकलांगों की संख्या के अनुपात में नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस अनुपात को युक्तियुक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि) : (क) 5 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों से जुड़े 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों और 11 ग्रामीण पुनर्वास विस्तार केन्द्रों का संचालन श्रम मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत 204 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों (वीटीसी) को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सहायता दी जाती है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) और (ग) व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरूरतमंद निःशक्त व्यक्तियों जिनका पुनर्वास किया जाना है, की बड़ी संख्या को देखते हुए इन केन्द्रों की वास्तविक उपलब्धता अपेक्षाकृत कम है। तथापि, संसाधनों की वर्तमान सीमितता के भीतर व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

1. रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक, श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र

क्र.सं.	केन्द्र का स्थान
1	2
1.	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, एटीआई कैम्पस, विद्यानगर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
2.	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, ओल्ड आईटीआई कैम्पस, गुवाहाटी, असम
3.	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, ए/84, प्लाट नं. 1, गांधी विहार, पुलिस कालोनी, अनीसाबाद, पटना, बिहार
4.	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, आईटीआई, अहमदाबाद, गुजरात
5.	महिलाओं के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, आफ्टर केयर हास्टल बिल्डिंग, पेंशनपुरा, वडोदरा, गुजरात
6.	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, 22, होसुर रोड़, बैंगलौर, कर्नाटक
7.	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नलनचिरा, त्रिवेंद्रम, केरल
8.	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, न्यू मोटर स्टैंड व नवभारत प्रैस के पास, जबलपुर, मध्य प्रदेश
9.	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, एटीआई कैम्पस, सिआन, मुम्बई, महाराष्ट्र
10.	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, एसआईआरडी कैम्पस, 8वीं यूनिट, भुवनेश्वर, उड़ीसा
11.	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, एटीआई कैम्पस, अरोड़ा टाकीज के पास, लुधियाना, पंजाब
12.	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, 45–ए/23, जवाहर नगर, जयपुर, राजस्थान
13.	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, सीआईटी कैम्पस, गुंडी, चैन्नई, तमिलनाडु
14.	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, अभय नगर, अगरतला, त्रिपुरा
15.	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, एटीआई कैम्पस, गोविन्द नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश
16.	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, 38, बादल राय लेन, बेलियाघाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
17.	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, आईटीआई हास्टल बिल्डिंग, पुसा, नई दिल्ली

निम्नलिखित स्थानों पर स्थित ग्रामीण पुनर्वास विस्तार केन्द्र :

कोलकाता स्थित वीआरसी से जुड़ा बारासात और उल्लूबेरिया

चेन्नई स्थित वीआरसी से जुड़ा त्रिवेलौर और चिथामूर

कानपुर स्थित वीआरसी से जुड़ा मोहनलालगंज, गौसांईगंज और अकबरपुर

लुधियाना स्थित वीआरसी से जुड़ा होशियारपुर और भटिंडा

मुम्बई स्थित वीआरसी से जुड़ा भिवंडी और दहानु।

2. निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की योजना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत स्वैच्छिक द्वारा विकलांगों के लिए संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

राज्य का नाम	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	36
असम	2
बिहार	9
चंडीगढ़	1
दिल्ली	12
हरियाणा	5
हिमाचल प्रदेश	1
झारखंड	1
कर्नाटक	11
केरल	19
मध्य प्रदेश	3
महाराष्ट्र	8
मणिपुर	4
मेघालय	2
मिजोरम	1
उड़ीसा	9
पंजाब	3
राजस्थान	9
तमिलनाडु	18
उत्तर प्रदेश	29
उत्तरांचल	2
पश्चिमी बंगाल	12

स्वैच्छिक संगठनों और उनके स्थानों का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सोशलजस्टिस.निक.इन में उपलब्ध है।

[अनुवाद]

पेट्रोल में मिलावट

1526. डा. चरण दास महंत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में पेट्रोल पम्पों पर तेल कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए जा रहे मिलावटी पेट्रोल के कारण बड़ी संख्या में मोटर वाहन सीज हो गए हैं और उनके इंजन बेकार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो मिलावटी पेट्रोल की आपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी इन कम्पनियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) आटो/कार मालिकों के हितों के रक्षार्थ फरीदाबाद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों के अन्य जिलों के फिलिंग स्टेशनों पर उत्तम किस्म के पेट्रोल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां। भारतीय आटोमोबाइल निर्माता संघ (एसआईएएम), दिल्ली ने सरकार को पेट्रोल की घटिया गुणवत्ता के कारण इंजनों की समय पूर्व विफलता की जानकारी अप्रैल, 2003 में दी थी। इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (अनुसंधान एवं विकास प्रभाग), फरीदाबाद ने मामले की जांच–पड़ताल की तथा रिपोर्ट दी कि कुछ क्षेत्रों में, विशेषतया फरीदाबाद में मोटर गैसोलीन की मिलावट के लिए

अपमिश्रक के रूप में किसी क्लोरीनेटिड विलायक का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे क्लोरीन वाले मिश्रण का कार इंजनों के ऊपर असामान्य क्षयकारी प्रभाव पड़ता है।

(ख) मिलावट–रोधी प्रकोष्ठ ने विगत 6 माह के दौरान राजधानी क्षेत्र जिलों (दिल्ली शहरी के अलावा) में 11 खुदरा बिक्री केन्द्रों की जांच की है जिनमें से 4 खुदरा बिक्री केन्द्रों के नमूने संबंधित विनिर्देशों को पूरा करने में विफल रहे हैं। ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों के विरुद्ध कार्रवाही करने की सिफारिश की गई है। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने भी अप्रैल से जून, 2003 तक के दौरान कार्रवाही की है तथा उत्पाद की गुणवत्ता की जांच करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी राज्य, दिल्ली के विभिन्न खुदरा बिक्री केन्द्रों से एमएस के 329 नमूने तथा डीजल के 178 नमूने एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हरियाणा से ऐसे 72 एमएस नमूने तथा 48 डीजल नमूने लिए गए थे।

(ग) फरीदाबाद तथा अन्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिलों के अंतर्गत स्थित खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से सही, गुणवत्ता वाले पेट्रोल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विपणन कंपनियों द्वारा निम्नांकित कदम उठाए गए हैं :

(i) क्षेत्राधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण।

(ii) पेट्रोल की मिलावट के लिए फिल्टर पेपर परीक्षण करने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों पर फिल्टर पेपर उपलब्ध कराए जाते हैं।

(iii) हाइड्रोमीटर तथा थर्मामीटर के माध्यम से पेट्रोल तथा डीजल की घनत्व जांच।

(iv) चल प्रयोगशालाएं नियमित समयान्तराल पर औचक जांच कर रही हैं।

(v) खुदरा बिक्री केन्द्रों से यादृच्छिक आधार पर नियमित नमूने लिए जाते हैं और उनका परीक्षण किया जाता है।

(vi) मार्गस्थ मिलावट को रोकने हेतु राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों को एमएस/एचएसडी की आपूर्तियां ले जाने वाले टैंक ट्रकों में तालाबंदी प्रणाली आरम्भ की गई है।

(vii) खुदरा बिक्री केन्द्रों पर गुणवत्ता मात्रा जांच करने के लिए ग्राहक जागृति उत्पन्न करने हेतु खुदरा बिक्री केन्द्रों पर प्रमुख स्थानों पर ग्राहक अधिकार बोर्ड प्रदर्शित किया जाता है।

(viii) खुदरा बिक्री केन्द्रों पर सुझाव एवं शिकायत पुस्तिकाएं/बाक्स उपलब्ध कराए जाते हैं।

पीजीसीआई द्वारा टावरों का निर्माण

1527. प्रो. उम्मारेड्डी वैंकटेस्वरलु : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन विद्युत संचरण के लिए देश में टावरों का निर्माण कर रहा है;

(ख) वर्ष 2003–04 में पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक ही क्षेत्र में बहुत सारी लाइनें एक दूसरे को क्रास कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रयास किए गए हैं;

(ङ) क्या देश भर में विद्युत लाइनों को संकरे क्षेत्रों में लाए जाने की संभावना है; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2003–04 के दौरान पावर ग्रिड कार्यान्वित की जा रही परियोजाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (ङ) विद्युत उत्पादन स्टेशनों में विभिन्न लोड केन्द्रों को पारेषण लाइनें उन स्टेशनों से पारेषित की जाने वाली विद्युत की मात्रा को ध्यान में रखकर निर्मित की जाती हैं। इन पारेषण लाइनों की आयोजना दीर्घकालिक भावी पारेषण को ध्यान में रखकर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की जाती है। कुछ विशेष क्षेत्रों में उत्पादन संसाधनों के केन्द्रीयकरण अथवा भौगोलिक संकुचन वाले क्षेत्रों जैसे भूटान और बंगलादेश के बीच के संकुचित क्षेत्र अथवा, किसी विशेष क्षेत्र में पारेषण लाइनों का संजाल बनाना तथा केन्द्रीयकरण करना कभी–कभी अपरिहार्य हो जाता है।

(घ) और (च) राइट आफ वे की सीमाओं को विशेषकर आर्थिक–संवेदनशील क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, फ्लैक्सेबिल ए.सी. पारेषण प्रणाली (शृंखला क्षतिपूर्ति), 765 केवी स्तर पर अति उच्च वोल्टेज जैसी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए उच्च क्षमता वाली पारेषण प्रणाली का निर्माण करके, संकरे गलियारे से मौजूदा लाइनों की दर–वृद्धि और उन्नयन, उच्च क्षमता वाली एचवीडीसी लिंक तथा मल्टी–सर्किट पारेषण लाइनों के जरिए अधिक मात्रा में विद्युत के अंतरण के लिए इसके ईष्टतम उपयोग के लिए दीर्घकालिक संदर्शी योजनाएं तैयार की गई हैं।

विवरण

वर्ष 2003–04 के दौरान टावर उत्थापन का लिया गया कार्य

क्र.सं.	पारेषण लाइन का नाम	लम्बाई (स.कि.मी.)
1	2	3
1.	पूर्व–दक्षिण इंटरकनेक्टर–2 (तालचेर–II पारेषण प्रणाली)	
	400 के.वी. सेलम–उदमलपेट एस/सी टीएल	138
2.	गजुवाका बी/बी एचवीडीसी क्षमता का संवर्धन (500 मेगावाट)	
	400 के.वी.डी/सी विजयवाडा–सीतानगरम	300
	400 के.वी. डी/सी सीतानगरम–गजुवाका	396
3.	टिहरी पारेषण प्रणाली	
	800 केवी टिहरी–मेरठ टीएल–I एस/सी	186
	800 केवी टिहरी–मेरठ टीएल–II एस/सी	184
	400 के.वी. मेरठ–मुजफ्फरनगर पारेषण लाइन	36
4.	ऊचांहार पारेषण प्रणाली	
	220 के.वी. डीसी/पनकी–नौबस्ता एलआईएलओ लाइन	30
5.	400 के.वी. डी/सी आगरा (पीजी)–आगरा (यूपीपीसीएल) टीएल	60
6.	धौलीगंगा पारेषण प्रणाली	
	400 के.वी. डी/सी धौलागंगा (एनएचपीसी)–बरेली (यूपीपीसीएल) लाइन	481
7.	220 के.वी. उत्तर प्रदेश में सुधार एवं पारेषण प्रणाली स्कीम	
	220 के.वी. एस/सी इलाहाबाद–फूलपुर	39
	220 के.वी. एस/सी मेरठ (पीजीसीआईएल)–शताब्दी नगर	8
8.	चमेरा–II पारेषण प्रणाली	
	400 के.वी. एस/सी चमेरा–I का एलआईएलओ–चमेरा–II में किशनपुर लाइन	70
9.	दुलहस्ती कम्बाइंड ट्रांसमिशन प्रणाली	
	400 के.वी. डी/सी किशनपुर–थाथेर लाइन	210
	400 के.वी. डी/सी थाथेर–वगूरा लाइन	158
10.	रिहन्द–II पारेषण प्रणाली	
	400 के.वी. डी/सी रिहंद–इलाहाबाद लाइन	596
	400 के.वी. डी/सी इलाहाबाद–कानपुर लाइन	406
	400 के.वी. डी/सी कानपुर–मैनपुरी लाइन	404
	400 के.वी. एस/सी पुरूलिया–मलेरकोटला पटियाला और कैथल में नालागढ़–हिसार का एलआईएलओ	146
	मैनपुर–बल्लभगढ़ लाइन	460
11.	उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम	
	400 के.वी. एस/सी जालंधर–अमृतसर	65
	बल्लभगढ़ में बवाना–भिवानी 400 के.वी. एस/सी लाइन का एलआईएलओ	18
12.	पश्चिमी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम	
	400 के.वी. डी/सी खंडवा में इटारसी–धुले का एलआईएलओ	115

1	2	3
13.	तारापुर–3 और 4 पारेषण प्रणाली	330
	400 के.वी. डी/सी तारापुर 3 व 4–बायसोर पारेषण लाइन	24
	400 के.वी. डी/सी तारापुर 3 व 4–पड़घे पारेषण लाइन	216
	200 के.वी. डी/सी तारापुर 3 व 4–बायसोर पारेषण लाइन	12
	400 के.वी. एस/सी गांधार–पड़घे का एलआईएलओ	68
	400 के.वी. एस/सी गांधार–पड़घे का वापी में एलआईएलओ	10
14.	रायपुर–चन्द्रपुर पारेषण प्रणाली	
	400 के.वी. डी/सी रायपुर–पलंदूर खंड	328
	400 के.वी. डी/सी पलंदूर–चन्द्रपुर खंड	360
15.	400 के.वी. डी/सी कैगा–नरेन्द्र टीएल	220
16.	मदुरई–तिरूवनंतपुरम पारेषण प्रणाली	346
	मदुरई–तिरूवनंतपुरम 400 के.वी. डी/सी लाइन	346
17.	रामागुण्डम–3 पारेषण प्रणाली	
	400 के.वी. डी/सी रामागुण्डम–हैदराबाद लाइन	392
	400 के.दी. एस/सी हैदराबाद–कर्नुल–गुटी लाइन	307
	400 के.वी. एस/सी नीलमंगला लाइन	254
	400 के.वी. एस/सी खम्माम–नार्गाजुनसागर लाइन	145
18.	दक्षिण क्षेत्रीय ग्रिड का प्रणाली सुदृढीकरण–II	
	हिरयूर में दावणगेरे–हूब्ली 400 के.वी. डी/सी लाइन का एलआईएलओ	5
19.	पूर्णिया न्यू स्कीम	
	पूर्णिया (न्यू) में बोंगईगांव–मालदा (सर्किट–II) 400 के.वी. डी/सी का एलआईएलओ	122
20.	पूर्णिया विस्तार स्कीम	
	पूर्णिया में पूर्णिया (बीएसईबी)–डलखोला (डब्ल्यूबीएसईबी) 132 के.वी. एस/सी लाइन का एलआईएलओ	1
21.	400 के.वी. एस/सी मेरामुंडली–जैपोर	
	मेरामुंडली–तुषार खंड	227
	तुषारा–जैपोर खंड	230
22.	बिहार ग्रिड सुदृढ़ीकरण	
	200 के.वी. डी/सी सासाराम–आरा–कहलगांव टीएल	380
	सासाराम में देहरी–साहूपुरी 220 केवी एस/सी का एलआईएलओ	30
	आरा में डुमरांव–आरा 132 के.वी एस/सी का एलआईएलओ	5
23.	दूसरी 400 के.वी. डी/सी कहलगांव–बिहारशरीफ पारेषण लाइन	414
24.	बारीपदा (न्यू) में कोलाघाट–रेंगाली 400 के.वी. एस/सी का एलआईएलओ	38
25.	सिक्किम पारेषण का एकीकरण पू. क्षेत्र	124
	गंगटोक(न्यू) में 132 के.वी. डी/सी सिलीगुड़ी–रेंगाली लाइन का एलआईएलओ	118
	मेली में सिलीगुड़ी–गंगटोक 132 केवी का लीलो	6
26.	ताला–सिलीगुड़ी पारेषण प्रणाली	
	400 केवी ताला–सिलीगुडी लाइन–I	194
	400 केवी ताला–सिलीगुडी लाइन–I	234

1	2	3
	सिलीगुडी में मालदा–बोंगईगांव 400 केवी का एलआईएलओ	12
	पूर्णिया में मालदा–बोंगईगांव 400 केवी का एलआईएलओ	124
27.	पूर्वी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीम (ताला सप्लीमेंट्री का हिस्सा)	
	400 केवी डी/सी बिहारशरीफ–मुजफ्फरपुर	280
	सुभाषग्राम में फरक्का–जीरत 01 सर्किट का 400 केवी का एलआईएलओ	140
28.	132 केवी रंगानदी–जीरो टीएल	40

[हिन्दी]

पूर्व-मध्य रेलवे में भर्ती

1528. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने 26 सितम्बर, 1997 से पूर्व–मध्य रेलवे जोन, हाजीपुर में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर रोक लगा रखी है;

(ख) क्या 14 अक्तूबर, 1997 को समूह 'घ' के पदों के लिए बेरोजगारों से प्रमाण–पत्रों की छाया प्रतियां प्राप्त की गई थीं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में 26 सितम्बर, 1997 से लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद हाजीपुर जोन में कितनी नियुक्तियां की गई और तत्संबंधी वर्ष–वार और पद–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार 14 अक्तूबर, 1997 को बेरोजगारों से लिए गए उनके प्रमाण–पत्रों की जांच करने के बाद उन्हें नियुक्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर सहित नए जोनों में श्रेणी 'ग' और श्रेणी 'घ' के कर्मचारियों की संख्या पर 26.9.97 को इसलिए रोक लगा दी थी कि जब तक भौगोलिक अधिकार–क्षेत्र निश्चित हो, कम से कम कर्मचारी ही रखे जाएं। अब सभी नए जोनों/मंडलों के अधिकार क्षेत्र अधिसूचित कर दिए गए हैं और इनमें काम शुरू हो गया है। पूर्व–मध्य रेलवे/हाजीपुर में कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी करने पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

हाइड्रोलिक रिरेलिंग इक्विपमेंट की खरीद

1529. श्री रघुनाथ झा :
श्री महबूब जाहेदी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 2002 में हाइड्रोलिक रिरेलिंग इक्विपमेंट की खरीद में जर्मन कम्पनी लुकास को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय कम्पनियों को दरकिनार कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। हाइड्रोलिक री–रेलिंग इक्विपमेंट, जो एक संरक्षा संबंधी मद है, की खरीद में न्यूनतम निविदा कार मैसर्स एचवाईटी, पुणे था। यह एक भारतीय फर्म है परन्तु नई फर्म होने के कारण केवल विकासात्मक आदेश के लिए योग्य पाई गई। अगला उच्चतर निविदाकार जांचा–परखा स्रोत अर्थात मैसर्स लुकास/जर्मनी था। अतः वह नियमित आदेशों के लिए योग्य थी। इसी प्रकार न्यूनतम निविदाकार भारतीय फर्म को विकासात्मक आदेश के लिए और अगले उच्चतर निविदाकार को नियमित आदेशों के लिए उपयुक्त समझा गया था। अन्य निविदाकार जो अधिक उच्चतर दरों वाले थे, उन पर विचार नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कर्मियों को सुविधा

1530. श्री आर. एस. पाटिल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कर्मियों को वह सुविधा नहीं मिल रही है जो उसी रैंक के अन्य अधिकारी ले रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) सैन्य नर्सिंग सेवा के कर्मियों के वेतन तथा भत्तों सहित उनके लिए नियम एवं शर्तें सेना चिकित्सा कोर, सेना दंत चिकित्सा कोर तथा रिमाउंट वेटेरिनरी कोर सहित सेना के अन्य सेनांगों के अफसरों से अलग हैं। तथापि, सैन्य नर्सिंग सेवा के कार्मिकों को नियमित सेना अफसरों के समान कुछ सुविधाएं प्राप्त हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

एमडीपीएस अधिनियम में संशोधन

1531. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के लागू होने के बावजूद देश में नशे की लत बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) नशे की लत को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि) : (क) विभिन्न सर्वेक्षण, अध्ययनों तथा रिपोर्टों से युवाओं, छात्रों, बेसहारा बच्चों, यौन कामगारों, गंदी बस्तियों में रहने वालों आदि सहित समाज के कुछ संवेदनशील समूहों के बीच मद्यपान तथा नशीली दवा के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं का पता चलता है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अपराध की गंभीरता के अनुरूप दांडिक प्रावधानों को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2001 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया है।

(घ) यह अधिनियम अवैध नशीली दवाओं की उपलब्धता विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है जबकि अवैध नशीली दवाओं के सेवन पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न अन्य कारक हैं।

(ङ) नशीली दवा दुरुपयोग को मनो–सामाजिक–चिकित्सीय समस्या के रूप में समझते हुए, जिसके लिए समुदाय आधारित कार्यकलाप अपेक्षित हैं, सरकार मद्यपान तथा पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण की एक योजना कार्यान्वित कर रही है जिससे समुदाय, कार्यस्थलों, शैक्षिक संस्थाओं, कारागारों आदि जैसी विविध संस्थाओं में अवैध नशीली दवाओं के दुरुपयोग की घटनाओं तथा सेवन में कमी लाने के उद्देश्य से पंजीकृत गैर–सरकारी संगठनों को जागरूकता कार्यक्रमों, परामर्श, उपचार तथा पुनर्वास सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

[हिन्दी]

तहलका प्रकरण

1532. श्री रामजीलाल सुमन :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तहलका प्रकरण मामलों में तथ्यों का पता लगाने के लिए गठित जांच समिति को अभी अपनी रिपोर्ट पूरी करनी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) जांच कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) "आपरेशन वेस्ट एंड" के नाम से तहलका डाट काम द्वारा प्रकाशित वीडियो टेपों और प्रतिलेखों में लगाए गए कुछ आरोपों की जांच करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. वेंकटस्वामी की अध्यक्षता में एक एक–सदस्यीय जांच आयोग को केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र में दिनांक 24.3.2001 को अधिसूचित किया गया था।

दिनांक 23.11.2002 को आयोग की अध्यक्षता से न्यायमूर्ति के. वेंकटस्वामी के त्यागपत्र के कारण सरकार ने दिनांक 4.1.2003 की अधिसूचना द्वारा न्यायमूर्ति एस.एन. फूकन को आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था जिन्होंने 20 जनवरी, 2003 को कार्यभार संभाल लिया है।

आयोग के विचारणीय विषय व्यापक हैं। आयोग का कार्य प्रगति पर है तथा आयोग की कार्यावधि पिछली बार छह महीने अर्थात् 4 जुलाई, 2003 से 3 जनवरी, 2004 तक बढ़ाई गयी थी।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समान आयु

1533. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वरिष्ठ नागरिक बीमा योजना में शामिल करने के लिए 55 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है जैसा कि बजट में इसकी घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे 60 वर्ष की उम्र के नागरिकों को ही वरिष्ठ नागरिक मानकर उन्हें यात्री किराया में रियायत दे रहे हैं जिनकी उम्र 65 वर्ष की होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या अन्य विभाग उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को रियायत दे रहे हैं जिनकी उम्र 65 वर्ष होती है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में वरिष्ठ नागरिकों की एक समान आयु करने की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 65 वर्ष तथा उससे अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी जा रही रियायतों/सुविधाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) सरकार ने राष्ट्रीय वृद्धजन नीति में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि 60 वर्ष के ऊपर की जनसंख्या की आयु में वृद्धि हो रही है तथा उक्त आयु वर्ग को वरिष्ठ नागरिक के रूप में दूसरे आयु वर्ग से भिन्न किया जाता है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	वरिष्ठ नागरिकों को दी गई सुविधाएं/लाभ	न्यूनतम आयु
1	2	3	4
1.	ग्रामीण विकास विभाग	1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (इस योजना को वर्ष 2002–03 से राज्य सेक्टरों को स्थानांतरित कर दिया गया है)।	65 वर्ष
		2. अन्नपूर्णा योजना (इस योजना को वर्ष 2002–2003 से राज्य सेक्टरों को स्थानांतरित कर दिया गया है)।	65 वर्ष
2.	वित्त मंत्रालय	1. वित्त अधिनियम, 1992 की धारा 88 में आयकर रिबेट का प्रावधान है।	65 वर्ष
		2. परन्तुक धारा 139 (1) के अंतर्गत आयकर रिटर्न भरने के लिए "वन बाई सिक्स" योजना से अलग रखा गया है।	65 वर्ष
		3. धारा 80 घ के अंतर्गत चिकित्सा बीमा प्रीमियमों के संबंध में छूट।	65 वर्ष
		4. वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजनाओं पर अधिक ब्याज दर।	65 वर्ष
		5. वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना।	65 वर्ष

1	2	3	4
3.	नागर विमानन मंत्रालय	1. इंडियन एयरलाइन्स/जेट एयरवेज इकोनामी श्रेणी में सभी मूल घरेलू उड़ानों पर 50 प्रतिशत छूट दे रहे हैं।	65 वर्ष
4.	संचार मंत्रालय	1. वरिष्ठ नागरिकों को टेलीफोन कनेक्शन प्राथमिकता पर दिए जाते हैं।	65 वर्ष

[अनुवाद]

धारावाहिकों के लिए समय का आवंटन विस्तार

1534. श्री प्रबोध पण्डा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धारावाहिक बनाने वाले निर्माताओं की दूरदर्शन पर उनके धारावाहिकों के लिए समय आवटंन और इसके समय विस्तार के बारे में सरकार को बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाही की गई है/किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश विकलांगुला कोआपरेटिव कारपोरेशन को ऋण

1535. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में विकलांगों स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करने हेतु आंध्र प्रदेश विकलांगुला कोआपरेटिव कारपोरेशन के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह राशि निर्गत कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त ऋण कब तक निर्गत किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पीपावाव विद्युत परियोजना के लिए गैस

1536. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 20.2.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 413 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ताप्ती फील्ड की समिति से पीपावाव विद्युत परियोजना को गैस की आपूर्ति के लिए फील्ड के अतिरिक्त विकास हेतु कोई निवेश संबंधी निर्णय प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

नेऊरा से शेखपुरा तक नई रेल लाइन

1537. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेऊरा-शेखपुरा रेल लाइन की वित्तीय अर्थक्षमता के संबंध में कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वित्तीय अर्थक्षमता के संबंध में किए गए मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(ग) नेऊरा–शेखपुरा रेल लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उक्त परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(ङ) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय–सीमा निर्धारित की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) दनियावां से बिहारशरीफ तक नयी लाइन का कार्य मूल रूप से वर्ष 2000–2001 में लाइनों यथा फतुआ–इसलामपुर और बख्तियारपुर–राजगीर के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए फतुआ–इसलामपुर परियोजना के मैटीरियल आशोधन के रूप में अनुमोदित किया गया था। बाद में वर्ष 2000–2001 में बिहारशरीफ–बरबीघा कार्य को परियोजना के मैटीरियल आशोधन के रूप में अनुमोदित किया गया था। इसी दौरान क्यूल–मुगलसराय के रास्ते प्रतिदिन लगभग 7–8 गाड़ियों के अतिरिक्त यातायात का अनुमान लगाया गया था। पटना के रास्ते क्षमता की अत्यधिक तंगी के कारण पहले से स्वीकृत दनियावां–बिहारशरीफ–बरबीघा के मिसिंग लिंक्स को स्थापित करके एक वैकल्पिक मार्ग मुहैया कराने की व्यावहारिकता की जांच की गई थी। ऐसा समझा गया था कि बरबीघा–शेखपुरा और दनियावां–नेऊरा लाइन के निर्माण से शेखपुरा, दनियावां नेऊरा के रास्ते पटना को बाईपास करके क्यूल से मुगलसराय तक एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। इस निवेश पर प्रतिफल की दर 16 प्रतिशत आंकी गई थी। इस पर विचार करते हुए दो खंडों को भी मैटीरियल आशोधन के रूप में अनुमोदित किया गया था।

(ग) इस समय मुख्यतः दनियावां–बिहारशरीफ खंड पर कार्य प्रगति पर है जहां भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य लगभग पूरा कर चुका है और मिट्टी संबंधी तथा पुल निर्माण संबंधी कार्य प्रगति पर है। अन्य खंडों पर अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजातों पर कार्रवाई की गई है।

(घ) लगभग 400 करोड़ रुपये।

(ङ) कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

रेलवे की उत्पाद इकाइयां

1538. श्री रामदास रूपला गावीत :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाली उत्पादन/विनिर्माण इकाइयों का स्थान–वार ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी लाभ क्या–क्या हैं;

(ख) इन उत्पादन/विनिर्माण इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों की इकाई–वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन उत्पादन/विनिर्माण इकाइयों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) रेल मंत्रालय के अंतर्गत 6 उत्पादन इकाइयां हैं। ये आंतरिक उत्पादन इकाइयां "बिना लाभ–बिना हानि" के आधार पर परिचालित की जाती हैं। निर्मित मदों के लिए उत्पादन की पूरी कीमत अनुमानतः निर्धारित स्थानांतरित मूल्यों पर उपभोक्ता इकाइयों को स्थानांतरित कर दी जाती हैं पिछले तीन वर्षों के दौरान छः इकाइयों प्रत्येक का उत्पादन (करोड़ रुपए में) और 1.1.2003 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक इकाई में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :

क्र.सं.	इकाइयों का नाम और स्थान	उत्पादन (करोड़ रु. में)			1.1.2003 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या
		2000–01	2001–02	2002–03	
1	2	3	4	5	6
1.	चितरंजन रेल इंजन कारखाना, चितरंजन	742.48	613.20	612.27	15117
2.	डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी	500.06	574.08	855.89	7057
3.	सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नै	581.75	547.29	652.86	13468

1	2	3	4	5	6
	4. रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला	523.05	525.59	474.23	6986
	5. रेल पहिया कारखाना, बैंगलोर	301.84	284.49	301.76	2369
	6. डीजल लोको आधुनिकीकरण कारखाना, पटियाला	250.67	267.83	296.96	3868

(ग) जी, हां।

(घ) उत्पादन इकाइयों को अधिक कार्यकुशलता से कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु उनके महाप्रबंधकों को निवेश संबंधी निर्णय लेने घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में विपणन की शक्तियां और अधिक प्रतियोगी मूल्य अपनाने की स्वतंत्रता देकर अधिक स्वायत्तता देने का प्रस्ताव है।

नए समपार बनाया जाना

1539. श्री रामशकल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल लाइन पर एक समपार बनाने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार का देश में चौकीदार वाले/बिना चौकीदार वाले नए समपार बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) समपार की व्यवस्था रेलों द्वारा निर्माण कार्यों के एक भाग के रूप में स्वयं की लागत पर नई लाइन बिछाते समय अथवा ऐसी लाइनों को यातायात के लिए खोले जाने की तारीख से 10 वर्षों की अवधि के भीतर राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है। इसके पश्चात कोई भी निर्माण संबंधी कार्य जैसे समपार की यदि व्यवस्था करनी अपेक्षित होती है तो ऐसी मांग करने वाले के खर्चे पर अर्थात "निक्षेप" शर्तों पर किए जाने होते हैं। संरक्षा कारणों से मौजूदा लाइनों पर नए चौकीदार रहित समपारों की अनुमति नहीं दी जाती है।

[अनुवाद]

सरकारी नीतियों का प्रचार-प्रसार

1540. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सरकारी नीतियों और योजनाओं के संबंध में जरूरी सूचना उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजनाएं/योजनाएं लागू की गई हैं;

(ख) दूरदराज के क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों विशेषकर निरक्षरों तक ऐसी सूचना पहुंचाने के लिए किस कार्यविधि का प्रयोग किया गया;

(ग) क्या सरकार का लोगों के लाभ हेतु सूचनाबेस के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) यह मंत्रालय अपने माध्यम एककों अर्थात आकाशवाणी, दूरदर्शन, गीत एवं नाटक प्रभाग, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, पत्र सूचना कार्यालय, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय तथा फिल्म प्रभाग के माध्यम से प्रचार कार्य करता है।

(ख) माध्यम एकक लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए भिन्न–भिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन पूरे देश में फैले अपने नेटवर्क के साथ सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की सूचना वार्ताओं, विचार–विमर्शों, वृत्तचित्रों, तुकमन्दियों, समाचार, कैपसूल, वृत्तचित्र, नाटकों आदि के माध्यम से प्रचारित करने वाले माध्यम हैं।

गीत एवं नाटक प्रभाग तथा क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय सबसे बड़े पारस्परिक संचार माध्यम हैं जिनकी पहुंच देश के दूरदराज के क्षेत्रों में है। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय देश के अत्यधिक अंतर्वर्ती क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचने के लिए संचार की विभिन्न शैलियों जैसे फिल्म प्रदर्शनों, चित्र प्रदर्शनियों, सेमिनारों, संगोष्ठियों, सामूहिक परिचर्चाओं का प्रयोग कर रहा है। गीत एवं नाटक प्रभाग अपने संदेश प्रेषित करने के लिए नाटकों, लोक नृत्य–नाटकों, कठपुतली शो आदि जैसी विविध प्रकार की प्रदर्शन कलाओं का प्रयोग कर रहा है। ये दोनों संगठन स्थानीय लोगों की सेवाओं का उपयोग करते हैं तथा स्थानीय

बोली में संदेश सम्प्रेषित करते हैं जिसे ग्रामीण और अशिक्षित लोग आसानी से समझ जाते हैं।

इसी प्रकार, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा सामाजिक वचनबद्धता सहित अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों को विज्ञापित करने हेतु केन्द्र सरकार की बहु-माध्यम एजेंसी है। यह आधारभूत स्तर तक सूचना पहुंचाने के लिए मुद्रित सामग्री, बाह्य प्रचार प्रदर्शनी, श्रव्य-दृश्य संचार, प्रेस विज्ञापन आदि जैसे माध्यमों के विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है।

फिल्म प्रभाग, पूरे देश में थियेटरों में प्रदर्शन के लिए, क्षेत्रीय निदेशालय की क्षेत्रीय इकाइयों, राज्य सरकारों की चल इकाइयों, दूरदर्शन आदि के लिए सरकारी योजनाओं और नीतियों तथा विभिन्न सामाजिक विषयों पर वृत्तचित्र फिल्मों का निर्माण करता है।

(ग) और (घ) सूचना आधार का विस्तार करने के लिए मंत्रालय यथासंभव अधिक से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बढाने हेतु लगातार प्रयासरत है। दूरदर्शन और आकाशवाणी की कवरेज बढ़ाई गई है तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। सूचना के प्रचार के लिए विविध प्रकार के समाचार-पत्रों का प्रयोग किया जा रहा है। सिनेमाहालों के माध्यम से फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित कार्यक्रमों को दिखाया जा रहा है। अन्य माध्यम एकक अर्थात क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, गीत एवं नाटक प्रभाग, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय और फिल्म प्रभाग आधारभूत स्तर के साथ संपर्क बनाने के लिए बजट प्रावधानों के अनुरूप क्षेत्रीय कार्यक्रम चलाते हैं।

गैस टरबाइनों का आयात

1541. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से यह मांग की गई है कि गैस टरबाइनों की आपूर्ति के मांग-पत्र भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड हैदराबाद (भेल) को दिए जाने चाहिए और इनका विदेशों से आयात नहीं किया जाए चूंकि भेल इनकी आपूर्ति करने में सक्षम है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस मांग पर क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते) : (क) न तो सरकार को और न ही बीएचईएल को इस प्रकार का कोई क्रयादेश प्राप्त हुआ है। हालांकि, गैस टरबाइन के संबंध में भेल से कुछ पूछ-ताछ की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारी उद्योगों की स्थापना

1542. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से स्थापित भारी उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक उद्योग में कितना निवेश किया गया है;

(ख) देश में भारी उद्योगों की स्थापना में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार को ज्ञात ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहां ऐसे अन्य उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते) : (क) हैवी के रूप में उद्योगों का कोई औपचारिक वर्गीकरण नहीं हुआ है। हालांकि, लगभग सभी क्षेत्रों में उद्योग पर से लाइसेंस हटाने से अगस्त, 1991 से अप्रैल, 2003 तक देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्योगों की स्थापना के लिए 285921 करोड़ रुपए की राशि के 23721 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। निर्माण/कार्यकलाप की मदों के साथ-साथ ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरों को औद्योगिक सहायता सचिवालय (एसआईए) के मासिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना है जिसे संसदीय पुस्तकालय सहित विस्तृत रूप से परिचालित किया जाता है।

(ख) त्वरित आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में अभी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का स्वचालित मार्ग के जरिए अधिकांश क्षेत्रों में स्वागत क्षेत्रों में स्वागत हो रहा है।

(ग) प्रोमोटर (निवेशक) देश के किसी भी भाग में उद्योग स्थापित करने तथा स्थान का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

बाड़मेर रेलवे यार्ड पर वाशिंग लाइन

1543. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर–पश्चिम रेलवे जोन के बाड़मेर रेलवे यार्ड पर वाशिंग लाइन के प्रावधान का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विशेषकर लूनी–बाड़मेर–मुनबाओ रेलवे लाइन के छोटी से बड़ी लाइन के रूप में परिवर्तन होने के पश्चात इस रेलवे स्टेशन के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ओएनजीसी द्वारा संचालित तटीय और अपतटीय क्षेत्र

1544. श्री के. पी. सिंह देव :
श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन तटीय और अपतटीय क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां ओएनजीसी अपना खोज कार्य कर रही है;

(ख) वर्ष 2001–02 और 2002–03 के दौरान इन क्षेत्रों से ओएनजीसी द्वारा कुल कितने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया गया है; और

(ग) वर्ष 2003–04 के दौरान ओएनजीसी के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), निम्नलिखित अपतटीय क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस के लिए अन्वेषण कर रही है :

(i) बंगाल अपतट बेसिन

(ii) कावेरी अपतट बेसिन

(iii) केरल–कोंकण अपतट बेसिन

(iv) कृष्णा–गोदावरी अपतट बेसिन

(v) कच्छ–सौराष्ट्र अपतट बेसिन

(vi) महानदी अपतट बेसिन

(vii) मुंबई अपतट बेसिन

जमीनी क्षेत्रों के लिए ओएनजीसी निम्नलिखित राज्यों में तेल और गैस के लिए अन्वेषण कर रही है :

(i) आंध्र प्रदेश

(ii) असम

(iii) गुजरात

(iv) हिमाचल प्रदेश

(v) जम्मू और कश्मीर

(vi) मध्य प्रदेश

(vii) मेघालय

(viii) मिजोरम

(xi) राजस्थान

(x) तमिलनाडु

(xi) त्रिपुरा

(xii) उत्तर प्रदेश

(xiii) पश्चिम बंगाल

इसके अतिरिक्त ओएनजीसी उड़ीसा राज्य में एक अन्वेषण ब्लाक में अल्पांश भागीदार है जिसमें आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) प्रचालक है। ओएनजीसी द्वारा नागालैण्ड में अन्वेषण क्रियाकलाप फिर से चलाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) ओएनजीसी द्वारा प्रचालित घरेलू क्षेत्र से ओएनजीसी द्वारा 2001–02 और 2002–03 के दौरान उत्पादित कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस सहित कच्चे तेल का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	कच्चा तेल (एमएमटी)* कंडेन्सेट सहित	प्राकृतिक गैस (बीसीएम)**
2001–2002	24.71	24.04
2002–2003	26.01	24.24
योग	50.72	48.28

*एमएमटी : मिलियन मीट्रिक टन

**बीसीएम : बिलियन घन मीटर

(ग) वर्ष 2003–04 के दौरान ओएनजीसी की संकल्पना अपने घरेलू प्रचालनों से कंडेन्सेट सहित 26.39 एमएमटी कच्चे तेल और 23.32 बीसीएम प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने की है।

रेलगाड़ियों/चलती रेलगाड़ियों में विक्रेता/ फेरीवाले और भिखारी

1545. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण–मध्य रेलवे में रेलगाड़ियों और चलती रेलगाड़ियों, जैसे रत्नाचल में विक्रेता/फेरीवाले और भिखारी प्रायः यात्रियों को परेशान करते रहते हैं;

(ख) क्या रेलवे रेलगाड़ियों और चलती रेलगाड़ियों में बिक्री की बेहतर प्रणाली आरंभ करने पर विचार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा रेलगाड़ियों और चलती रेलगाड़ियों में विक्रेताओं/फेरीवालों और भिखारियों की समस्या को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) यात्रियों द्वारा अनधिकृत विक्रेताओं/फेरीवालों और भिखारियों की गतिविधियों संबंधी दिक्कतों के कुछ मामले प्रकाश में आए हैं।

(ख) भारतीय रेलों पर गाड़ियों में खान–पान सेवाओं की मौजूदा व्यवस्था को पर्याप्त समझा गया है और ये सेवाएं सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पुलिस की मदद से अनधिकृत फेरीवालों और भिखारियों को पकड़ने की मुहिम नियमित रूप से चलाई जा रही है और संगत कानूनी प्रावधानों के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

विभिन्न संस्थाओं की उपलब्धियां

1546. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक मौलाना आजाद फाउन्डेशन, केन्द्रीय वक्फ परिषद, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग आदि अन्य विभागीय संस्थाओं की मुख्य उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के लाभार्थियों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि) : (क) और (ख) विभिन्न संस्थानों की प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए एक नोट विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई जिसका उद्देश्य समाज के पिछडे वर्गों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों में शिक्षा के विकास को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने प्रतिष्ठान के कारपस कोष में 70 करोड़ रु. का योगदान दिया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रतिष्ठान ने आवासीय स्कूलों, होस्टल भवनों के निर्माण, स्कूलों/कालेजों की स्थापना/विस्तार, तकनीकी शिक्षा तथा उपचारी कोचिंग के लिए कार्यक्रमों को चलाने के लिए अनेक स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी है। सहायताप्राप्त गैर–सरकारी संगठनों की संख्या वर्ष 2000–01 में 60, वर्ष 2001–2002 में 69 तथा 2002–03 में 50 थी। पिछले तीन वर्षों में राज्य–वार सहायताप्राप्त गैर–सरकारी संगठनों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध–I में संलग्न है।

केन्द्रीय वक्फ परिषद

केन्द्रीय वक्फ परिषद एक सांविधिक निकाय है जिसकी

स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा देश में वक्फ बोर्डों के कार्यकरण तथा वक्फ के समुचित प्रशासन संबंधी मामलों पर इसे सलाह देने के प्रयोजन से वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 8 (क) (अब वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9 की उपधारा (1) के रूप में पठित) के तहत की गई।

परिषद को शहरी वक्फ संपत्तियों का विकास एवं समुदाय के शिक्षा विकास कार्यक्रमों का कार्य सौंपा गया है।

(1) शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास की योजना अतिक्रमण करने वालों से वक्फ की खाली भूमि की सुरक्षा करने तथा कल्याणकारी कार्यकलापों के लिए संसाधन आधार को व्यापक बनाने के लिए अधिक आय सृजित करने हेतु वाणिज्यिक आधार पर इसे विकसित करने के उद्देश्य से, केन्द्रीय वक्फ परिषद यह योजना 1974–75 से कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, वक्फ भूमि पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं जैसे वाणिज्यिक परिसरों, विवाह घरों, अस्पतालों, कोल्ड स्टोरेज आदि के विकास, को आरंभ करने के लिए देश में वक्फ संस्थानों को ऋण प्रदान किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों में मंजूर परियोजनाओं की राज्य–वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध–II पर दिया गया है।

(2) शिक्षा योजनाएं : केन्द्रीय वक्फ परिषद शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए ब्याजमुक्त ऋण के रूप में वक्फ संस्थानों को सहायता अनुदान निर्मुक्त करती है। केन्द्रीय वक्फ परिषद की शैक्षिक योजना के लिए शिक्षा ऋण प्राप्तकर्ताओं को शिक्षा कोष के बकाए ऋण के लिए 6 प्रतिशत अंशदान करना पड़ता है। ऋण चुकाने के पश्चात, उन्हें तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल देते हुए मुस्लिमों की शिक्षा पर अपनी बढ़ी हुई आय से 40 प्रतिशत व्यय करना आवश्यक है। पिछले तीन वर्षों में विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध–III में दिया गया है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम विभिन्न प्रकार के आय सृजक कार्यकलापों को आरंभ करने के लिए गरीबी की रेखा अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक पारिवारिक आय 40,000 रु. तथा शहरी क्षेत्रों में 55000 रु. से नीचे रह रहे पिछड़े वर्गों के लोगों को राज्य माध्यम एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पिछले तीन वर्षों के लिए लाभार्थियों की संख्या निम्नलिखित है :

2000–01	21,518
2001–02	45,927
2002–03	84,682
2003–04	47,158 (आज की तारीख तक)

पिछले तीन वर्षों तथा आज की तारीख तक वर्तमान वर्ष के लिए लाभार्थियों का राज्य–वार ब्यौरा अनुबंध–IV में है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

सफाई कर्मचारियों के हितों तथा अधिकारों के संवर्धन और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के तहत किया गया था। आयोग को सफाई कर्मचारियों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों और योजनाओं को कार्यान्वित करने संबंधी मामलों तथा विशेष शिकायतों के बारे में छानबीन करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं।

आयोग ने सफाई कर्मचारियों की दशा में सुधार लाने के लिए सिफारिश करते हुए भारत सरकार को अब तक 5 वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत की गई। आयोग संविधान के तहत प्रदत्त रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अनेक कार्यों का निष्पादन करता है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को सिफारिशें करता है। आयोग ने 1999–2000 की अवधि के लिए 7वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा 2000–01 की अवधि के लिए 8वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त

संविधान के अनुच्छेद 350 ख के उपबंधों के अनुसरण में, भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है तथा इन मामलों के संबंध में ऐसे

समय अन्तरालों पर रिपोर्ट देता है जैसे कि राष्ट्रपति निर्देश दें, तथा राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में पेश करने का आदेश देंगे। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त ने 1995–98 की अवधि के लिए 36वीं वार्षिक रिपोर्ट, 1998–99 के लिए 37वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा 1999–2000 के लिए 38वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त सुरक्षापायों को मानिटर करने तथा उनके कल्याण से संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए भी एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र सांवैधानिक निकाय के रूप में संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 की धारा (5) के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा, सुरक्षापाय प्रोत्साहन के लिए इस आयोग के पास विस्तृत शक्तियां हैं।

इस आयोग ने वर्ष 1998–99, 1999–2000 तथा 2000–01 की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति जी को वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम के कार्यकरण पर मूल्यांकन तथा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विशेष न्यायालयों के कार्यकरण पर दो विशेष रिपोर्ट भी प्रस्तुत की हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

गरीबी की रेखा के दोगुने से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के आय सृजक कार्यकलापों के लिए वित्त पोषण के उद्देश्य के साथ कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत लाभ न कमाने वाली एक कंपनी के रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई थी। इस निगम ने विभिन्न आय सृजक कार्यकलापों के अंतर्गत वर्ष 2000–01 में 52861, वर्ष 2001–02 में 94845 तथा वर्ष 2002–03 में 79986 व्यक्तियों को सहायता प्रदान की है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में अधिक शामिल करने तथा कम शामिल करने की शिकायतों तथा शामिल करने के लिए अनुरोध की जांच करने हेतु एनसीबीसी अधिनियम, 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, वर्ष 2002–03 के दौरान इस आयोग ने केन्द्र सरकार को 56 सलाहें दी हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्गों के बीच आर्थिक प्रोत्साहन तथा विकासात्मक कार्यकलापों के उद्देश्य के साथ 30 सितम्बर, 1994 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम निगमित किया गया था। गरीबी की रेखा के दोगुने से नीचे आय वाले परिवारों के पात्र अल्पसंख्यक समुदायों को स्व–रोजगार कार्यकलाप के लिए एनएमएफडीसी रियायती ऋण प्रदान करता है। इस निगम ने आवधिक ऋण के अंतर्गत वर्ष 2001–01 में 20274, वर्ष 2001–02 में 21489 तथा वर्ष 2002–03 में 16492 तथा माइक्रो वित्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2000–01 में 11418, वर्ष 2001–02 में 24529 तथा वर्ष 2002–03 में 7386 व्यक्तियों को लाभान्वित किया है।

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम

विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक अधिकारिता उन्नयन को प्रोत्साहन के उद्देश्य के साथ स्वरोजगार उद्यमों को वित्त पोषण तथा उनके स्व–रोजगार उद्यमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तकनीकी उन्नयन और उद्यमशीलता में स्व–रोजगार में लाभार्थियों को सहायता देने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत वर्ष 1997 में राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम स्थापित की गई थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस निगम ने सामान्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2000–01 में 2448, वर्ष 2001–02 में 2375 तथा वर्ष 2002–03 में 3824 तथा वर्ष 2003–04 (आज की तारीख तक) 795 विकलांग व्यक्तियों को लाभ दिया है, उसी अवधि के लिए माइक्रो वित्त योजना के अंतर्गत प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है : वर्ष 2000–01 में 178, वर्ष 2001–02 में 538 तथा 2002–03 में 640 और वर्ष 2003–04 में (आज की तारीख तक) 296।

ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्याय

ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्याय अधिनियम, 1999 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय न्यास एक सांविधिक निकाय है। इस न्यास का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को यथा

संभव उनके स्वयं के समुदाय में यथासंभव पूर्णतः या निकट से तथा स्वतंत्र रूप से अपने जीवनयापन के लिए सक्षम बनाने या अधिकारिता प्रदान करना है। यह न्यास विकलांग व्यक्तियों के परिवार में संकट अवधि के दौरान संकट आधारित सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता के प्रावधान के लिए पंजीकृत संगठनों को सहायता का विस्तार भी करता है तथा उनके माता–पिता या अभिभावक की मृत्यु होने की स्थिति में इन व्यक्तियों की देखभाल तथा सुरक्षा के उपायों को भी प्रोत्साहन देता है।

अंतिम तीन वर्षों में न्यास ने 16 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 324 गैर–सरकारी संगठनों को पंजीकृत किया है, 1478 गृह आधारित देखभालकर्त्ताओं को प्रशिक्षित किया है, 25 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में 369 जिलों में स्थानीय स्तर की समितियां गठित की हैं, 25 जिलों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 115 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। "राहत संस्था की स्थापना" योजना कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या 2001–02 में 1624 और 2002–03 में 1918 थी।

अनुबन्ध-I

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त गैर–सरकारी संगठनों (राज्य–वार) का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2000–2001 सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन	2001–2002 सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन	2002–2003 सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन	सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3	3	1	7
2.	असम	0	2	0	2
3.	बिहार	4	1	2	7
4.	दिल्ली	2	3	2	7
5.	गोवा	1	0	0	1
6.	गुजरात	2	11	1	14
7.	हरियाणा	1	0	0	1
8.	जम्मू–कश्मीर	2	0	0	2
9.	झारखंड	1	0	0	1
10.	कर्नाटक	7	5	5	17
11.	केरल	4	5	3	12
12.	मध्य प्रदेश	0	2	3	5
13.	महाराष्ट्र	3	5	4	12
14.	मणिपुर	0	1	1	2

1	2	3	4	5	6
15.	राजस्थान	0	2	1	3
16.	तमिलनाडु	0	2	2	4
17.	उत्तरांचल	0	1	4	5
18.	उत्तर प्रदेश	23	24	21	68
19.	पश्चिम बंगाल	7	2	0	9
	कुल	60	69	50	179

अनुबन्ध-II

शहरी वक्फ संपत्तियों की विकास योजना

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य के नाम	2000-2001 राशि और परियोजनाओं की संख्या		2001-2002 राशि और परियोजनाओं की संख्या		2002-2003 राशि और परियोजनाओं की संख्या	
1.	उत्तर प्रदेश	41.00	1	–	–	–	–
2.	राजस्थान	–		–	–	–	–
3.	पंजाब	20.00	1	23.38	1	35.70	1
4.	मणिपुर	–	–	20.00	1	11.30	1
5.	महाराष्ट्र	25.00	1	–		25.00	1
6.	मध्य प्रदेश	–	–	20.00	1	–	
7.	केरल	30.00	1	20.00	1	5.00	1
8.	कर्नाटक	64.00	3	56.62	4	41.00	2
9.	गुजरात	–	–	–	–	25.00	1
10.	तमिलनाडु	–	–	–	–	15.00	1
	कुल	180.00	7	140.00	8	158.00	8

अनुबन्ध-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान शैक्षिक योजना के अंतर्गत निधियों के संवितरण का ब्यौरा

(राशि रु. में)

शैक्षिक कार्यक्रमों के नाम	2000–2001		2001–2002		2002–2003	
	लाभार्थियों की सख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि	लाभार्थियों की संख्या	राशि
(1) तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति	741	44,29,120	777	46,15,441	757	44,93,643
(2) गरीब एवं जरूरत मंद छात्रों को तदर्थ अनुदान	159	4,76,200	187	5,57,085	196	5,87,520
(3) राज्य वक्फ बोर्ड के माध्यम से तकनीकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक तथा मदरसा शिक्षा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	12	4,55,000	–	–	–	–
(4) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र को वित्तीय सहायता	18	18,05,00	8	13,77,000	2	7,22,000
(5) तकनीकी संस्थानों को 50 प्रतिशत समान अनुदान	1	1,00,000	–	–	–	–
(6) आरआर/पुस्तकालय/पुस्तक बैंक को वित्तीय सहायता	36	3,45,000	10	3,45,000	11	1,95,000
(7) आईटीआई को वित्तीय सहायता	4	43,00,000	7	87,03,000	–	
कुल	971	1,19,10,320	989	1,55,97,526	966	59,98,163

अनुबन्ध-IV

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लाभार्थियों का राज्य–वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष			
		2000–01	2001–02	2002–03	2003–04
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1620	7784	13584	3000
2.	असम	86	85	241	60
3.	बिहार	1145	680	180	0
4.	चंडीगढ़	4	81	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	203	0
6.	दिल्ली	0	0	200	0
7.	गुजरात	515	2075	3136	440

1	2	3	4	5	6
8.	गोवा	45	57	72	10
9.	हरियाणा	1037	470	0	940
10.	हिमाचल प्रदेश	336	282	176	83
11.	कर्नाटक	1100	7350	9276	2530
12.	केरल	5273	5696	16350	2049
13.	मध्य प्रदेश	2694	2358	794	614
14.	महाराष्ट्र	1025	886	1333	1885
15.	सिक्किम	131	170	230	95
16.	उड़ीसा	0	738	0	0
17.	पंजाब	341	0	196	0
18.	पांडिचेरी	288	196	130	0
19.	राजस्थान	170	190	397	278
20.	तमिलनाडु	837	965	396	1200
21	उत्तर प्रदेश	1388	1732	894	0
22.	पश्चिम बंगाल	835	1250	2067	700

[हिन्दी]

रेलगाड़ी चालकों के लिए विश्रामगृह की सुविधाएं

1547. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशभर में यात्री रेलगाड़ियों और मालगाड़ियों के चालक रेलगाड़ियों को मुख्य कार्यालय से गंतव्य तक ले जाने के बाद रेलवे रनिंग रूम और विश्रामगृहों में 8 से 12 घंटे तक ठहरते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में एयर इंडिया अथवा इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों को प्रदत्त सुविधा की भांति सभी रनिंग रूमों में चालकों के लिए पर्याप्त संख्या में विश्रामगृह उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार देशभर में इन रनिंग रूमों का उन्नयन करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। ड्राइवरों के विश्राम के लिए सभी क्षेत्रीय रेलों पर पर्याप्त संख्या में रनिंग रूम उपलब्ध हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) देशभर में स्थित रनिंग रूमों की सुवधिाओं में सुधार एवं उन्नयन के लिए सतत और निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

बटेश्वर-आगरा रेल लाइन परियोजना

1548. श्री शिबू सोरेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बटेश्वर को आगरा से जोड़ने वाली रेल लाइन की 217 करोड़ रुपए की लागत वाली एक परियोजना का वर्ष 1999 में उद्‌घाटन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना के लिए भूमि अधिगृहीत की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 114 किमी. लंबी रेल लाइन में से मात्र 18 किमी. रेल लाइन पर मिट्टी डालने का कार्य पूरा किया गया है;

(च) यदि हां, तो भूमि अधिग्रहण में विलंब और नई रेल लाइन की प्रति किमी. लागत में वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या किसान भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। इस परियोजना की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 6 अप्रैल, 1999 को रखी गई थी। इस 114 किमी. लंबी लाइन के निर्माण की अनुमानित लागत 214 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) सभी 92 गांवों की भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इसमें से, 14 गांवों में भूमि अधिगृहीत कर ली गई है।

(ङ) 18 किमी. लंबाई में मिट्‌टी संबंधी कार्य प्रगति पर है। आगे, कार्य भूमि उपलब्ध हाने पर शुरू किया जाएगा।

(च) भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य राज्य सरकार द्वारा उनके नियम एवं पद्धति के अनुसार किया जा रहा है। इस स्तर पर लागत में वृद्धि का अनुमान नहीं लगाया गया है।

(छ) किसानों द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध विरोध का कोई भी मामला रेलवे को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

जल विद्युत परियोजनाओं में वृद्धि

1549. श्री बसुदेव आचार्य : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत के हिस्से को 24.9 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने के लिए पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किए जाने में विलंब का देश में कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत के हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वीकृति में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) प्रणाली में जल के हिस्से के सुधार की आवश्यकता को महसूस करते हुए, दसवीं योजना में 14,393 मेगावाट की जल विद्युत जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है, जोकि इस योजना के दौरान आयोजित क्षमता अभिवृद्धि का लगभग 35 प्रतिशत है। प्रस्तावित क्षमता अभिवृद्धि को प्राप्त करने पर 10वीं योजना के अंत तक प्रणाली में जल विद्युत के हिस्से में सुधार होकर उसके लगभग 27.8 प्रतिशत तक होने की संभावना है।

(ग) और (घ) जल विद्युत परियोजनाओं को तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति के प्रदान किए जाने के लिए लिया गया समय परियोजना विकासकर्ता द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी करने और सभी आवश्यक अपेक्षित निवेशों/स्वीकृतियों के सुनिश्चित किए जाने पर निर्भर करता है। जल विद्युत विकास को प्रभावित करने वाली बाधाएं निम्न हैं :

- अपर्याप्त सर्वे और अन्वेषण।
- आधारभूत संरचना का अभाव।
- भौगोलिक अप्रत्याशित घटनाएं।
- अंतर्राज्यीय पहलू।
- पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास समस्याएं।

- पर्यावरण और वन संबधी स्वीकृति।
- कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं।
- भूमि अधिग्रहण की समस्याएं।

जल विद्युत परियोजनाओं के तकनीकी–आर्थिक मूल्य निर्धारण और स्वीकृति को शीघ्र निपटाने, परियोजना निरूपण के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दिसंबर, 2002 में दिशा–निर्देश तैयार किए गए थे। समयबद्ध प्रक्रिया विधि के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तीन माह के भीतर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच पूरी करेगा।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन पूरी सूचना की प्राप्ति के 90 दिन के भीतर पूरा किया जाना है और उसके पश्चात 30 दिन के भीतर निर्णय संप्रेषित किया जाना है।

(ङ) सरकार ने भारत सरकार की एजेंसियों के अंदर स्वीकृतियां प्रदान किए जाने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाया है और आईपीपी के लिए अंतिम मुख्य समस्याओं के समाधान के लिए संकट समाधान समूह की स्थापना की है। केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृति लेते समय उसके समानांतर सड़कों और आधारिक संरचना के विकास की अनुमति देने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं के लिए त्रि–स्तरीय स्वीकृति आरंभ की गई है।

किसानों के लिए चैनल

1550. श्री ए. वैंकटेश नायक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसानों के कल्याण के लिए अलग चैनल आरंभ करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि किसानों के कल्याण के लिए अलग चैनल आरंभ करने के संबंध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि कृषि विभाग के परामर्श से विवरण तैयार किए जा रहे हैं तथा इसके लिए समय बताना अभी समयपूर्व होगा।

पाटन-मेहसाना और दाहेज-भरूच का आमान परिवर्तन

1551. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाटन–मेहसाना और दाहेज भरूच के बीच आमान परिवर्तन कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या ये परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) मेहसाना–पाटन आमान परिवर्तन का कार्य भिलडी–विरमगांव आमान परिवर्तन एवं नई लाइन परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्य है। मृदा ब्यौरा एकत्र करने, छोटे और बड़े पुलों के अभिकल्प और आरेखण के लिए निविदाएं दे दी गई हैं और कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को पूरा करने की कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार यह कार्य आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा। 2003–04 के दौरान भिलडी–विरमगांव आमान परिवर्तन एवं नई लाइन परियोजना के लिए 31 करोड़ रुपए की राशि (बीओटी के अंतर्गत 30 करोड़ रुपए) की व्यवस्था की गई है।

भरूच–दाहेज छोटी लाइन का आमान परिवर्तन राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत एक पहचानी गई परियोजना है। आगे स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई और निधि की व्यवस्था मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार ही की जाएगी।

फीचर और डॉक्यूमेंटरी फिल्मों की शूटिंग से आय

1552. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी फिल्म निर्माताओं और उनकी टीम को वीजा जारी किए जाने का उदार बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000–01, 2001–02, 2002–03 और चालू वर्ष के दौरान फीचर और डॉक्यूमेंटरी फिल्मों की शूटिंग के लिए भारत आने वाले विदेशी फिल्म निर्माताओं और उनकी टीम से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) सरकार ने भारत में विदेशी फीचर फिल्मों और सह–निर्माणों की शूटिंग से संबंधित दिशा–निर्देशों को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से हाल ही में उदार बनाया है। संशोधित दिशा–निर्देशों के अंतर्गत, भारत में विदेशी फीचर फिल्मों और सह–निर्माणों की शूटिंग करने संबंधी प्रस्तावों को पहले लगने वाले बारह सप्ताह की तुलना में अधिकतम तीन सप्ताह के भीतर निपटा दिया जाएगा। तथापि, सीमावर्ती क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर जैसे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। पटकथाओं की जांच करने, शूटिंग टीम के साथ संपर्क अधिकारी तैनात करने और विश्व में कहीं भी रिलीज होने के पूर्व फिल्म के पूर्व–दर्शन से संबंधित प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाया गया है।

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा युद्धाभ्यास

1553. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान द्वारा सीमा से सैनिकों की वापसी के बावजूद पाकिस्तान सेना राजस्थान सीमा पर युद्धाभ्यास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) इस आशय की कोई खुफिया सूचनाएं नहीं हैं कि पाकिस्तानी सेना राजस्थान सीमा पर युद्ध अभ्यास कर रही है। पाकिस्तानी सेना अपने–अपने प्रशिक्षण क्षेत्रों में प्रशिक्षण गतिविधियों में लगी बताई जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पात्र मैला ढोने वालों के लिए प्रशिक्षण

1554. श्री चिंतामन वनगा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुक्ति और पुनर्वास योजना के अंतर्गत पात्र मैला ढोने वाले और उनके आश्रितों को प्रशिक्षण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी सफलता हासिल हुई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (क) सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, सफाई कर्मचारियों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न ट्रेडों में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर की जाती है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय योजना (एनएसएलआरएस) के अंतर्गत 45,875 सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया और इस उद्देश्य के लिए 3394.75 लाख रु. व्यय किए गए हैं।

अलास्का सैन्य अभ्यास के लिए आमंत्रण

1555. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने बहुराष्ट्रीय अलास्का सैन्य अभ्यास के लिए भारत को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में संयुक्त अभ्यास किया जाएगा; और

(ग) रक्षा अनुसंधान विकास और उत्पादन में संयुक्त रूप से तकनीकी सहयोग के संबंध में सरकार का क्या विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। भारत ने 5–20 जून, 2003 के दौरान अलास्का में आयोजित एक

बहुपक्षीय अभ्यास, एक्सरसाइज को–ओपरेटिव कोप थंडर–03 में भाग लिया था।

(ख) भारतीय वायु सेना ने आई एल–76 विमान के साथ वायु परिवहन संक्रिया में भाग लिया था।

(ग) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका के रक्षा विभाग के बीच चल रही बातचीत के भाग के रूप में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में संभावित सहयोग के बारे में दोनों देशों द्वारा रक्षा नीति समूह और संयुक्त तकनीकी समूह की बैठक में विचार–विमर्श के माध्यम से चर्चा की जा रही है।

दसवीं योजना के दौरान एनएचपीसी में निवेश

1556. **श्री अरूण कुमार** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं योजना के दौरान 32,223 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एनएचपीसी को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस निवेश के प्रबंध और उसके स्रोतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग ने दसवीं योजना अवधि के दौरान नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) के लिए कुल 32226 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया है। इस कुल धनराशि में 14200 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) और 18026 करोड़ रुपए की आन्तरिक व बाह्य बजटीय संसाधन (आईईबीआर) शामिल है।

(ग) एनएचपीसी के लिए दसवीं योजना का क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य 4357 मेगावाट निर्धारित है। एनएचपीसी द्वारा दसवीं योजना के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा उनकी लागत, चालू करने का समय, कार्यक्रम और स्थल समेत विवरण संलग्न है। निधियों की प्रक्षेपित उपलब्धता के मद्देनजर क्षमता अभिवृद्धि की आयोजना की गई है।

विवरण

10वीं योजना के दौरान एनएचपीसी के क्रियान्वयनाधीन और आंरभ किए जाने हेतु प्रस्तावित की गई परियोजना का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना नाम	क्षमता (मेगावाट)	राज्य	अनुमानित/अनुमाने संशोधित लागत (करोड़ रु. में)	मूल्य स्तर	चालू होने का निर्धारित/प्रत्याशित कार्यक्रम
1		2	3	4	5	6
(क) निर्माणाधीन स्कीम						
1.	दुलहस्ती	390	जम्मू और कश्मीर	4227.02	नवंबर–01	दिसंबर–03
2.	घमेरा–2	300	हिमाचल प्रदेश	1684.02	अगस्त–98	मई–04
3.	धौलीगंगा–1	280	उत्तरांचल	1578.31	अगस्त–99	मार्च–05
4.	तीस्ता–5	510	सिक्किम	2196.04	अप्रैल–99	फरवरी–07
(ख) नई परियोजनाएं						
5.	तीस्ता लो डेम चरण–3	132	पश्चिम बंगाल	805.26	दिसंबर–02	मार्च–07
6.	तीस्ता लो डेम चरण–3	168	पश्चिम बंगाल	–	–	मार्च–07

1	2	3	4	5	6
7. सेवा–2	120	जम्मू और कश्मीर	665.46	सितंबर–02	मार्च–07
8. बाव–2	37	महाराष्ट्र	–	–	मार्च–07
(ग) संयुक्त उद्यम परियोजनाएं					
9. इंदिरा सागर	1000	मध्य प्रदेश	4355.57	सितंबर–00	मई–05
10. ओंकारेश्वर	520	मध्य प्रदेश	2224.32	सितंबर–01	मार्च–07
11. पुरूलिया पम्पड स्टोरेज	900	पश्चिम बंगाल	–	–	मार्च–07

रेलवे सुरक्षा बल को शक्तियां

1557. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आपराधिक गतिविधियों और तोड़–फोड़ के कारण चालू वर्ष में रेल दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे सुरक्षा बल को और शक्तियां प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या रेल दुर्घटनाओं और रेलगाड़ियों तथा रेलवे परिसरों में अपराध रोकने हेतु आरपीएफ कर्मियों को आईपीसी और सीआरपीसी में प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) रेल दुर्घटनाएं तोड–फोड़ सहित विभिन्न कारकों के कारण होती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं का विस्तृत कारण–वार ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है :

कारण	2000–2001	2001–2002	2002–2003*
1	2	3	4
कर्मचारियों की चूक	293	248	198
रेलवे कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों की चूक	109	103	104
उपस्करों की विफलता	33	24	12
तोड़–फोड़	19	14	18
कारकों के संयोजन	04	–	–
आकस्मिक	11	20	17
अंतिम रूप से प्रमाणित नहीं हो सके	04	05	02
जांच पड़ताल की जा रही है	–	–	–
कुल जोड़	473	414	351

*आंकड़े अनंतिम हैं।

नोट : आकस्मिक कारणों में बोल्डरों के गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं, भारी वर्षा के कारण रेलपथों के धंसने और पशुओं के टकराने आदि शामिल हैं।

(ख) रेलों पर अपराध से निपटने के लिए राजकीय रेल पुल सांविधिक एजेंसी है और वह अपने कार्य का निर्वाह कर रही है। लेकिन, जब कभी भी अपराधों की वृद्धि होती अथवा स्थिति के अनुसार ऐसी अपेक्षा की जाती है, रेल सुरक्षा बल की तैनाती राजकीय रेल पुलिस की वृद्धि के लिए की जाती है। रेलवे की सुरक्षा संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार, रेल संपत्ति के अतिरिक्त यात्रियों को और यात्रियों के क्षेत्र को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेल सुरक्षा बल को शक्तियां देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस प्रयोजन के लिए रेल सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 और रेलवे अधिनियम, 1989 में संशोधन विचाराधीन है।

(ग) और (घ) रेलगाड़ियों और रेल परिसरों में रेल दुर्घटनाओं और अपराध की रोकथाम की दृष्टि से रेल सुरक्षा

बल को भारतीय दंड सहिता (आईपीसी) के अंतर्गत अपराधों से निपटने के लिए प्रशिक्षण अथवा भारतीय दंड सहिता के अंतर्गत शक्तियां देने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन रेलवे अधिनियम, 1989 के अंतर्गत कुछ शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। ये शक्तियां छोटे–मोटे अपराधों से निपटने के लिए हैं। ताकि जीआरपी (राज्य पुलिस) रेलवे पर अन्य गंभीर अपराधों पर ध्यान केन्द्रित कर सके। रेलवे अधिनियम के अंतर्गत इन अपराधों की जांच–पड़ताल के लिए रेल सुरक्षा बल का मार्ग दर्शन अपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) द्वारा किया जाएगा जिसके लिए रेलवे सुरक्षा बल पहले ही प्रशिक्षित है। अतिरिक्त प्रस्तावित जिम्मेदारियों को संभालने के लिए और पुनश्चर्या किस्म के प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं।

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

1558. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थापित की गई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास अब भी लंबित है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी लंबित विद्युत परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में 4504 मे. वा. निजी क्षेत्र में 5016 मे. वा. तथा राज्य क्षेत्र में 9450 मे.वा. को सम्मिलित करते हुए नौवीं योजना के दौरान 19015 मेगावाट की क्षमता जोड़ी गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से प्राप्त सूचना के अनुसार तकनीकी आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में किसी भी राज्य में विद्युत स्टेशनों की स्थापना के लिए कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) लंबित नहीं है।

विवरण

9वीं योजना–चालू परियोजनाओं की वर्ष–वार सूची

(सभी आंकड़े मेगावाट में)

		1997–98	1998–99	1999–00	2000–01	2001–02
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय क्षेत्र						
i	ऊंचाहार एनटीपीसी		210	210		
ii.	कायमकुलम, एनटीपीसी		230.6	119.4		
iii.	विंध्याचल, एनटीपीसी		500	500		
iv.	फरीदाबाद, एनटीपीसी			286		
v.	कैथालगुडी, नीपको	60	30			
vi.	अगरतला, नीपको	63	21			
vii.	मेजिया, डीवीसी	210				
viii.	रंगित–III, एनएचपीसी			60		

1	2	3	4	5	6	7
ix.	आरएपीपी, एनपीसी			220	220	
x.	कैगा, एनपीसी			220	220	
xi.	सिम्हाद्री, एनटीपीसी				144	
xii.	दोयांग, नीपको					500
xiii.	रंगानदी, नीपको				75	405
	समग्र केन्द्रीय क्षेत्र	333	991.6	1615.4	659	905
निजी क्षेत्र						
उत्तरी क्षेत्र						
i.	मैग्नम पावर एफआर (हरियाणा) (लीक्वीड फ्यूल)			25		
ii.	मलाना एचईपी, हिमाचल प्रदेश					86
पश्चिमी क्षेत्र						
i.	हजीरा सीसीजीटी (गुजरात)	185				
ii.	पगुथन सीसीजीटी (गुजरात)	405	250			
iii.	सूरत लिग्नाइट (गुजरात)			250		
iv.	जीआइपीसीएल बड़ौदा (गुजरात)	167				
v.	दाभोल–I (महा.)		740			
vi.	सलगांवकर सीसीजीटी (गोवा) (लिक्विड फ्यूल)			48		
दक्षिणी क्षेत्र						
i.	गोदावरी (आं.प्र.)	114				
ii.	जेगुरूपाडु (आं.प्र.)	77				
iii.	तोरांगल्लू (कर्नाटक)		130	130		
iv.	इल्लूर (बीएसइएस) (केरल) (लिक्विड फ्यूल)			135		
v.	बेसिन ब्रिज डीजी (टी.एन.) (लिक्विड फ्यूल)		200			
vi.	कोंडापल्ली (आं.प्र.) (लिक्विड फ्यूल)				350	
vii.	बीएसइएस (पेंदापुरम) (आं.प्र.)					142
viii.	बेल्लारी–डीजी (कर्नाटक) (लिक्विड फ्यूल)				25.2	

1	2	3	4	5	6	7
ix.	तनीर बावी–बाराज माउंटेड (कर्नाटक)					220
x.	इल्लूर (बीएसइएस) (केरल) (लिक्विड फ्यूल)				39	
xi.	समयनाल्लुर डीजी (टीएन)					106
xii.	पील्लारी एजमलनालुर (टीएन)				जीटी–225	105.5
xiii.	समलापती (टीएन) (लिक्विड फ्यूल)				105	36.8
पूर्वी क्षेत्र						
i.	बज बज (प.बं.)	250	250			
ii.	जोजोबेरा (बिहार)				120	120
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र						
i.	आदमटिल्ला (असम)	9				
ii.	बनासकंडी (असम)	10.5	5			
	समग्र निजी क्षेत्र	1217.50	1575	588.00	864.2	816.3
राज्य क्षेत्र						
उत्तरी क्षेत्र						
i.	भटिंडा (पंजाब)	210	210			
ii.	सूरतगढ़ (राजस्थान)		250	250		
iii.	टांडा (उ.प्र.)	110				
iv.	अपर सिंध (जे एंड के)			35		
v.	सोबला (उ.प्र.)		6			
vi.	पानीपत (हरियाणा)				210	
vii.	घानवी (हि.प्र.)				22.5	
viii.	थीन बांध (पंजाब)				600	
ix.	प्रगति सीसीपीपी (दिल्ली)					104.6
x.	चेनानी–3 (जे एंड के)				7.5	
xi.	अपर सिंध (जे एंड के)					70
xii.	सेवा–3 (जे एंड के)					9

1	2	3	4	5	6	7
xiii.	सूरतगढ़ (राजस्थान)					500
पश्चिमी क्षेत्र						
i.	कच्छ लिग्नाइट	75				
ii.	गांधी नगर (गुजरात)	210				
iii.	वनाकबोरी (गुजरात)		210			
iv.	संजय गांधी विस्तार (म.प्र.)		210	210		
v.	चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)	500				
vi.	कदाना (गुजरात)		60			
vii.	राजघाट (मध्य प्रदेश)			45		
viii.	कोयना–4 (महाराष्ट्र)		250	750		
ix.	वारना (महाराष्ट्र)	8.	8			
x.	दूधगंगा (महाराष्ट्र)			24		
xi.	खापरखेड़ा (महाराष्ट्र)				420	
xii.	बाण सागर टोंस (म.प्र.)				20	35
xiii.	हजीरा					156.1
दक्षिणी क्षेत्र एवं द्वीपसमूह						
i.	कोठागुडम–4 (आं.प्र.)	250				
ii.	रायचूर (कर्नाटक)		210	210		
iii.	ब्रह्मपुरम (केरल)	80	20			
iv.	कोझीकोड (केरल)			128		
v.	कराईकल (पांडिचेरी)		22.9	9.6		
vi.	सिंगुर (आं.प्र.)			15		
vii.	काली नदी–कोंडासल्ली (कर्नाटक)	50	180	40		
viii.	भद्रा (कर्नाटक)	6				
ix.	लोअर पेरियार (केरल)	120				
x.	काक्कड (केरल)			50		

1	2	3	4	5	6	7
xi.	पोरिंगलकुथू (केरल)		16			
xii.	लोअर भवानी (तमिलनाडु)	8				
xiii.	सतनूर बांध (तमिलनाडु)		7.5			
xiv.	कुंडा–5 विस्तार (तमिलनाडु)			30		
xv.	कोविलकलप्पल (तमिलनाडु)				107	
xvi.	श्रीसेलम (आं.प्र.)				150	300
xvii.	शरावती (कर्नाटक)				60	180
xviii.	कुटियाडी विस्तार (केरल)				50	
xix.	कलपोंग (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)					5.2
xx.	डीजी (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)				5.72	
xxi.	डीजी (लक्षद्वीप)				3.05	
पूर्वी क्षेत्र						
i.	बक्रेश्वर (प. बगाल)			210		
ii.	पूर्वी गंडक (बिहार)	5				
iii.	अपर इन्द्रावती (उड़ीसा)			300		
iv.	तीस्ता नहर (प. बंगाल)	30	15	22.5		
v.	बक्रेश्वर (प. बंगाल)				420	
vi.	अपर इन्द्रावती (उड़ीसा)				300	
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र						
i.	रोखिया (त्रिपुरा)	8				
ii.	नूरांग (अरुणाचल प्रदेश)	6				
iii.	लिमाखोंग डीजी (मणिपुर)					18
iv.	लिकिम रो (नागालैंड)					16
	समग्र राज्य क्षेत्र	1676	1675.4	2329.10	2375.77	1393.9
	संचयी उपलब्धि	3226.50	4242	4532.50	3898.97	3115.2

[हिन्दी]

पुरानी परिसंपत्तियों को बदलना

1559. **श्री ब्रह्मानंद मंडल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरानी परिसंपत्तियों को बदलने हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई; और

(ख) इस कोष में से खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और ये व्यय किन शीर्षों के अंतर्गत किन क्षेत्रों में किये गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) पुरानी परिसंपत्तियों का बदलाव सामान्यतः भारतीय रेलों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि के माध्यम से किया जाता है। इस मूल्यह्रास आरक्षित निधि में आवंटन, रेलों द्वारा वर्ष दर वर्ष आधार पर आंतरिक रूप से संसाधन सृजित करके किया जाता है। खन्ना समिति की सिफारिशों के आधार पर 1.4.01 को संरक्षा संबंधी परिसंपत्तियों के बदलाव/नवीनीकरण के बकाया को 2001–02 से 2006–07 तक की 6 वर्षों की समय–सीमा के भीतर समाप्त करने के संबंध में 17,000 करोड़ रुपये की विशेष रेल संरक्षा निधि की स्थापना की गई थी। इस निधि में से, दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 15,566 करोड़ रुपये का आवंटन किए जाने का प्रस्ताव है। इसमें संरक्षा संवर्धन के लिए कतिपय प्रावधान भी शामिल है।

(ख) दसवीं योजना के प्रथम वर्ष 2002–03 के दौरान मूल्य ह्रास आरक्षित निधि के अंतर्गत 1464.73 करोड़ रुपये तथा विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत 2486.32 करोड़ रुपये का शुद्ध व्यय हुआ था। यह खर्च रेलपथ नवीकरण, चल स्टाक, पुल संबंधी कार्य तथा सिगनल एवं दूरसंचार संबंधी कार्यों आदि पर किया गया है। विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत हुए व्यय में संरक्षा संवर्धन संबंधी कुछ व्यय भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

द्रुतगामी रेलगाड़ियों के लिए पटरियां

1560. **श्री चन्द्र भूषण सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सुपरफास्ट रेलगाड़ियों की गति सीमा बढ़ाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने यह पता लगाने के लिए कि क्या सुपरफास्ट रेलगाड़ियों की गति सीमा बढ़ाने के लिए पटरियां ठीक हैं, कोई रेलपथ सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पटरियों को बदलने की कुछ परियोजनाओं में सुरक्षा आयुक्त ने इस बात का संकेत किया था कि पटरियां स्तरीय नहीं हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) :(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए रेल पथ तथा पुलों की उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु निरीक्षण किए जाते हैं। तत्पश्चात, संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त संरक्षा प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं तथा गति बढ़ाने के लिए अनुमति हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है।

(ङ) से (छ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रसारण अधिकार देने में मानदण्डों का उल्लंघन

1561. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती ने निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए मैसर्स यूनाइटेड टेलीविजन को धारावाहिक "आखिर कौन" के प्रसारण का अधिकार दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय से प्रसार भारती को करीब एक करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2002 को अपनी रिपोर्ट में इस पर कतिपय आपत्ति जताई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार

ने दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (घ) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2003 (सिविल) की रिपोर्ट संख्या 4 के पैरा संख्या 5. 6 की लेखापरीक्षा में इंगित किया गया है कि दूरदर्शन ने अधिक निःशुल्क वाणिज्यिक समय और निम्न स्पाट खरीद दर के रूप में लाभ प्रदान करके 'आखिर कौन' नामक कमीशंड कार्यक्रम के प्रायोजक को अनुचित लाभ दिया था।

प्रसार भारती के परामर्श से नियंत्रक एवं महालेखाएरीक्षक की रिपोर्ट के उक्त पैरा की जांच की जा रही है।

अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए छात्रावास

1562. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों हेतु बाल और बालिका छात्रावासों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में संशोधन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत वार्षिक आधार पर लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) सरकार ने धनराशि के उचित उपयोग पर निगरानी रखने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (क) और (ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत निधियां राज्यवार आवंटित नहीं की जातीं बल्कि जब कभी दावे प्राप्त होते हैं तब निर्मुक्त की जाती है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान आवंटित निधियां और लाभान्वित छात्रों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	आवंटित निधियां (रुपये करोड़ में)		लाभार्थियों की संख्या	
	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
2000-01	25.00	4.50	4176	2410
2001-02	39.28	13.50	10654	3600
2002-03	41.99	14.85	23066	5808
2003-04 (28.7.2003 की स्थिति के अनुसार)	2.68	11.70	100	300

(ङ) प्रगति रिपोर्टें, उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करके तथा मंत्रालय के अधिकारियों के दौरों द्वारा योजनाओं के निष्पादन की मानिटरिंग की जाती है।

पवन विद्युत केन्द्रों के लिए संभावित स्थल

1563. श्री मोहन रावले : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पवन विद्युत केन्द्रों की स्थापना और विकास के लिए संभावित स्थलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पहचान किए गए स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में तीसरी पार्टी को विद्युत बिक्री की अनुमति नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देशभर में पवन विद्युत की बिक्री और वितरण के लिए एकीकृत नियम और विनियम बनाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 208 संभाव्यता स्थलों की पहचान की गई है जिन्हें पवन

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त समझा जा सकता है जैसा कि ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) कुछ राज्यों में अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की तीसरे पक्ष को बिक्री की अनुमति नहीं है क्योंकि राज्य विद्युत बोर्डों को उनके उच्च दबाव वाले क्षेत्रों और दूसरा काफी संख्या में उपभोक्ताओं से राजस्व कम प्राप्त होने का डर रहता है।

(ङ) से (छ) केन्द्र सरकार द्वारा पवन विद्युत उत्पादन सहित अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए एक समान नीतियां आरंभ करने पर राज्यों को दिशा-निर्देश परिचालित कर दिए गए। 17 राज्यों में खरीद-वापसी व्हीलिंग, बैंकिंग और तीसरे पक्ष को बिक्री के लिए नीतियां भिन्न मानदंडों के साथ घोषित की गई हैं।

विवरण

पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए पहचान किए गए राज्य-वार संभाव्यता स्थल

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संभाव्यता स्थलों की सं.
1.	आंध्र प्रदेश	31
2.	गुजरात	38
3.	कर्नाटक	26
4.	केरल	16
5.	मध्य प्रदेश	7
6.	महाराष्ट्र	26
7.	उड़ीसा	6
8.	राजस्थान	7
9.	तमिलनाडु	40
10.	उत्तरांचल	1
11.	पश्चिम बंगाल	1
12.	अंडमान और निकोबार	1
13.	लक्षद्वीप	8
	कुल	208

[हिन्दी]

रेलवे में अप्रयुक्त स्टाक

1564. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार रेलवे के पास कुल कितने मूल्य की विभिन्न सामग्री अप्रयुक्त पड़ी हुई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस स्टाक में से सबसे पुरानी अप्रयुक्त सामग्री का ब्यौरा क्या है और स्टाक का वर्ष और मूल्य क्या है;

(ग) उक्त अप्रयुक्त स्टाक के परिणामस्वरूप रेलवे को प्रतिवर्ष कितना घाटा हो रहा है;

(घ) रेलवे द्वारा इतने लंबे समय से लंबित इस स्टाक का निपटान न किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ईंधन में मिलावट

1565. श्री के. ए. सांगतम : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ईंधन में मिलावट के कारण प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने क्षेत्रीय मिलावट-रोधी प्रकोष्ठ के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की कोई व्यापक योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस तरह के घाटे को रोकने और टालने हेतु अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) डीजल, पेट्रोल और अन्य ऊर्जा स्रोतों में मिलावट के कारण देश की अर्थव्यवस्था

को होने वाली क्षति का निर्धारण करने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि डीजल, पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट के कारण अर्थव्यवस्था को व्यापक क्षति होती है।

(ग) और (घ) मिलावट–रोधी प्रकोष्ठ के अधिकारी, पुलिस, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आय कर आदि जैसे विभागों से लिए जाते हैं। प्रकोष्ठ में तेल विपणन कंपनियों से भी प्रशिक्षित और अनुभवी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा नए भर्ती अधिकारियों को भी प्रकोष्ठ के अनुभवी अधिकारियों के तहत कार्य प्रशिक्षण दिया जाता है। तथापि, विगत में दो ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(ङ) मिलावट–रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना के अलावा तेल विपणन कंपनियां सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए निर्धारित मिट्टी तेल को नीला रंगना, खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित/औचक निरीक्षण, टैंकर ट्रकों के लिए चोरी रोधी ताला प्रणाली की शुरूआत, विशेष सतर्कता अभियान आदि जैसे उपाय करती हैं। तेल विपणन कंपनियां, विपणन अनुशासन दिशा–निर्देशों और/या डीलरशिप करार के प्रावधानों के तहत दोषी डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई करती हैं। राज्य सरकारें भी पेट्रोलियम उत्पादों की मिलावट और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी किसी नियंत्रण आदेश के उल्लंघन में संलिप्त डीलर के विरुद्ध कार्रवाई करती हैं।

[हिन्दी]

अतिथिगृहों, यात्री निवास और सस्ते होटलों का निर्माण

1566. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में विशेषकर राजस्थान में चल रहे रेल अतिथिगृहों/यात्री निवासों और सस्ते होटलों की राज्य–वार और स्थान–वार संख्या क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक इनसे अलग–अलग कितना लाभ अर्जित किया जाता है और इनसे कितनी हानि हुई;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए और रेलवे अतिथिगृहों/यात्री निवासों और सस्ते होटलों के निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) इस समय रेल यात्री निवास (i) हावड़ा, पश्चिम बंगाल (ii) नई दिल्ली, दिल्ली और (iii) बलिया, उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं।

(ख) भारतीय रेल पर रेल यात्री निवासों का लाभ:

वर्ष	नई दिल्ली (रुपए)	हावड़ा (रुपए)	बलिया (रुपए)
2000–01	33,83,717	9,74,207	12,900
2001–02	21,79,575	12,30,330	13,700
2002–03	13,06,450	11,56,778	12,100

(ग) और (घ) भारतीय रेल खान–पान एवं पर्यटन निगम लि. को भूमि की उपलब्धता और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी के अध्यधीन, सस्ते होटल बनाने का कार्य सौंपा गया है।

[अनुवाद]

अतिरिक्त सैनिकों पर व्यय

1567. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच आपरेशन पराक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती पर कितना व्यय हुआ;

(ख) इस संघर्ष के दौरान गुजरात, राजस्थान और पंजाब में सीमा पर कितने सैन्य कर्मियों की तैनाती गई थी; और

(ग) इस अवधि के दौरान इन अतिरिक्त सैनिकों में से कितने सैन्य कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिसंबर, 2001 में आपरेशन पराक्रम के अंतर्गत भारतीय सेना की आक्रामक और रक्षात्मक विरचनाओं की लामबंदी की गई थी। सरकार ने बाद में अक्तूबर, 2002 में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर किसी भी आपात स्थिति का आक्रामक एवं निर्णायक रूप में प्रत्युत्तर देने के उद्देश्य से आपरेशन पराक्रम के अंतर्गत सैन्य टुकड़ियों की

सामरिक रूप से पुनर्तैनाती करने का निर्णय लिया था। इस तरह, आपरेशन पराक्रम के अंतर्गत लामबंदी एवं मौजूदा पुनर्तैनाती में हुए व्यय का आकलन पुनर्तैनाती पूरी हो जाने के बाद ही किया जा सकता है।

(ग) जुलाई, 2003 तक आपरेशन पराक्रम के दौरान कुल 798 सैन्य कर्मी शहीद हुए थे। तथापि, अतिरिक्त टुकड़ियों के हताहतों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

विशेष घटक योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि

1568. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार योजना आयोग और वित्त आयोग द्वारा विशेष घटक योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) इस धनराशि में केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार का हिस्सा कितना है; और

(ग) धनराशि आवंटन की निगरानी करने और धनराशि खर्च करने संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (क) विशेष संघटक योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निधियों का आवंटन अपनी वार्षिक योजना निधियों से किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निधियों के राज्य-वार आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां तक वर्तमान वर्ष का संबंध है, राज्य सरकारें अपनी योजना परिव्ययों को योजना आयोग के परामर्श से अन्तिम रूप देंगी।

(ख) विशेष संघटक योजना का वित्त पोषण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अपनी संबंधित योजना निधियों से किया जाता है। तथापि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विशेष केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति विशेष संघटक योजना के एक योगज के रूप में करता है।

(ग) विशेष संघटक योजना राज्य सरकारों की योजनाओं का एक भाग है। विशेष संघटक योजना के अंतर्गत आवंटन और व्यय को राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर स्थापित मॉनीटरिंग समितियों के माध्यम से मॉनीटर किया जाता है। केन्द्र सरकार, अपनी तरफ से दिशा-निर्देश जारी करती है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें करती है ताकि उनसे विशेष संघटक योजना के निर्माण तथा कार्यान्वयन की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने का आग्रह किया जा सके।

विवरण

2000 से 2002 तक विशेष संघटक योजना का ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेष सहायक योजना परिव्यय		
		2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	450.51	424.52	870.00
2.	असम	93.31	84.42	69.78
3.	बिहार	386.13	394.13	572.48
4.	गुजरात	309.76	211.40	421.42
5.	गोवा	3.76	0	0
6.	हरियाणा	412.94	447.29	404.82
7.	हिमाचल प्रदेश	190.08	174.00	187.00
8.	जम्मू-कश्मीर	39.66	44.08	0
9.	कर्नाटक	445.26	606.58	667.40
10.	केरल	319.41	228.61	402.55
11.	मध्य प्रदेश	432.73	426.94	611.79
12.	महाराष्ट्र	508.55	550.00	530.27
13.	मणिपुर	0	0	0
14.	उड़ीसा	357.99	243.52	276.25
15.	पंजाब	312	472.00	392.33
16.	राजस्थान	673.92	737.84	895.73
17.	सिक्किम	7.08	26.57	9.49
18.	तमिलनाडु	1013.37	987.78	1103.73

1	2	3	4	5
19.	त्रिपुरा	66.1	61.01	65.36
20.	उत्तर प्रदेश	1889.53	1764	1540.00
21.	पश्चिमी बंगाल	1564.04	1717.39	586.89
22.	चंडीगढ़	10.32	9.24	10.07
23.	दिल्ली	256.64	257.00	250.67
24.	पांडिचेरी	42.00	40.24	43.47
25.	छत्तीसगढ़	0	0	150.99
26.	झारखंड	0	0	0
27.	उत्तरांचल	0	0	255.89

टिप्पणी : 0 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सूचित नहीं किए गए आंकड़े को दर्शाता है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में रेल संपर्क

1569. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के पर्यटन केन्द्रों तथा सभी जिलों को रेल मार्ग से जोड़ने तथा विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी एक पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। फिर भी, आवश्यकताओं, विभिन्न आधारों तथा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्टेशनों पर सुविधाएं मुहैया कराना तथा रेल नेटवर्क का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आजमगढ़-लखनऊ के बीच रेल लाइन की स्थिति

1570. डा. बलिराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आजमगढ़ से लखनऊ और जौनपुर से लखनऊ के बीच रेल लाइन की स्थिति काफी खराब है और उसका रख-रखाव भी ठीक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान रेल पटरी के टूटने का पता लगाए जाने, उसकी मरम्मत करने और कुछ हिस्सों यदि कोई हों, को प्रतिस्थापित करने और उसके नवीकरण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन वर्षों के दौरान इस लाइन के संबंध में रख-रखाव और मरम्मत पर आई लागत का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान, इन खंडों पर 40 टूट-फूट पाई गई थीं और इन खंडों में कुल 113.34 कि.मी. के स्लीपरों और 90.99 कि.मी. पटरियों का नवीकरण 76.56 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था।

(ग) वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान इन खंडों के अनुरक्षण की लागत क्रमशः लगभग 1414 लाख रुपये और 1452 लाख रुपये थी।

कुमेदपुर जंक्शन पर भूमिगत पार पथ

1571. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को कटिहार मंडल के अंतर्गत पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कुमेदपुर जंक्शन पर बरसात के समय लोगों तथा सड़क यातायात के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने तथा मुख्य मार्ग को जोड़ने हेतु एक भूमिगत्त पारपथ बनाने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) रेलवे लाइन संख्या 8 और 9, जो काफी ऊंचाई पर हैं, को पार करने के लिए लोगों के लिए कुमेदपुर में सब-वे बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर और माननीय संसद सदस्य से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) कुमेदपुर में निचले सड़क पुल के निर्माण का कार्य 2003-04 में स्वीकृत किया गया है।

कोचुवेली पर टर्मिनल का निर्माण

1572. श्री वी. एस. शिवकुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम मंडल के अंतर्गत कोचुवेली पर टर्मिनल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो कार्य शुरू होने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे ने त्रिवेन्द्रम मंडल में निमोम पर एक नए क्रासिंग स्टेशन के निर्माण का ठेका दे दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) तत्संबंधी अनुमानित लागत क्या है; और

(छ) इस कार्य के कब तक शुरू होने तथा पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) विस्तृत नक्शे और अनुमान तैयार करने जैसे प्रारंभिक कार्यों को शुरू किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) 2.25 करोड़ रुपए।

(छ) कार्य के दिसम्बर, 2003 तक शुरू होने की संभावना है तथा संसाधनों की उपलब्धता अनुसार, कार्य को 2004-2005 में पूरा करने की योजना है।

यात्री सुविधाएं

1573. श्रीमती निवेदिता माने : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी मानदण्ड क्या हैं;

(ख) रेलवे स्टेशनों/रेलगाड़ियों पर यात्री सुविधाओं की निगरानी की प्रणाली क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में यात्री सुविधाओं के अभाव की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान सरकार को विभिन्न स्टेशनों पर और रेलगाड़ियों में यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी कितनी शिकायतें/अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) रेलवे स्टेशनों को यात्री यातायात से आमदनी के आधार पर 6 कोटियों ("क से च") में वर्गीकृत किया गया है और स्टेशनों पर सुविधाएं प्रत्येक कोटि के स्टेशन के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुहैया कराई जाती हैं।

रेलवे बोर्ड ने रेलगाड़ियों के विभिन्न श्रेणी के सवारी डिब्बों में सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए मानक दिशा-निर्देश जारी किए हैं और तदनुसार सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं।

(ख) स्टेशनों और रेलगाड़ियों में सुख-सुविधाओं की व्यवस्था की देखभाल और अनुरक्षण की निगरानी अपर महाप्रबंधक (क्षेत्रीय स्तर) और अपर मंडल रेल प्रबंधक (मंडल स्तर) द्वारा की जाती है। सुविधाओं के निरीक्षण और यात्री सुविधाओं में कमियों को दूर करने के लिए निवारक उपायों की निगरानी के लिए विभिन्न स्तरों पर सेवा सुधार दल भी गठित किए गए हैं। इसके अलावा, सभी क्षेत्रीय रेलों पर स्टेशनों पर मौजूदा यात्री सुविधाओं की समीक्षा हर वर्ष की जाती है।

(ग) रेलें सभी स्टेशनों पर निर्धारित मानदंडों के

अनुसार गुणात्मक आधार पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने में सक्षम रही हैं। रेलें मात्रात्मक आधार पर कमियों, जहां कहीं मौजूद हैं, को दूर करने के प्रयास कर रही हैं।

रेलगाड़ियों में निर्धारित मानकों के अनुसार सभी सुविधाओं वाले नए सवारी डिब्बे सेवा में लगाए जाते हैं। बहरहाल, सेवा में रहते हुए उपयोग और गुण्डागर्दी के कारण कुछ कमियां पैदा हो सकती हैं और उन्हें प्राथमिक/गौण अनुरक्षण, आवधिक ओवरहाल आदि के दौरान दूर कर दिया जाता है।

(घ) से (च) विभिन्न स्टेशनों और रेलगाड़ियों में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था के लिए आम जनता और जनता के प्रतिनिधियों से विभिन्न स्तर पर बड़ी संख्या में अनुरोध/सुझाव/शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसे सभी अनुरोधों का ब्यौरा संकलित नहीं किया जाता है। बहरहाल, पूछ-ताछ कार्यालयों की कार्यप्रणाली, पानी की अनुपलब्धता, सवारी डिब्बों का अनुरक्षण/सफाई और बिजली उपस्करों की खराबी जैसी कुछ यात्री सुविधाओं के संबंध में शिकायतों का ब्यौरा रखा जाता है। 2002-03 के दौरान इनके संबंध में प्राप्त शिकायतों की कुल रेलवे-वार संख्या इस प्रकार है :

रेलवे	शिकायतों की संख्या
मध्य	456
पूर्व	225
उत्तर	377
पूर्वोत्तर	187
पूर्वोत्तर सीमा	83
दक्षिण	324
दक्षिण-मध्य	161
दक्षिण-पूर्व	307
पश्चिम	467

यद्यपि रेलों का अधिक से अधिक सुझाव मानने का यथासंभव प्रयास रहता है फिर भी कार्य संभाले जाने वाले यातायात की मात्रा, स्टेशन के सापेक्ष महत्व और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। क्षेत्रीय रेलों को अपने वार्षिक निर्माण कार्यक्रम और चल स्टाक प्रस्ताव तैयार करते समय सभी ऐसे सुझावों को ध्यान में रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1574. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रम बन्द हो गए हैं और उनके पुनरुद्धार का मामला बी.एफ.आई.आर. के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में रुग्ण/घाटे में चल रहे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते) : (क) से (ख) दिनांक 31.03.2003 तक की जानकारी बीआईएफआर से प्राप्त हुई है और इसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के तीन उपक्रमों, जिनके पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश में हैं, को बन्द करने की अनुशंसा की गई है। ये उपक्रम हैं-टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड तथा एल्गिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड।

(ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण/घाटा उठाने वाले उपक्रमों के पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धन तथा कामगारों सहित अन्य हितधारकों के परामर्श से उद्यम सापेक्ष उपाय करते हैं। इस सम्बन्ध में आम तौर पर किए जाने वाले उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं-उन उपक्रमों को बीआईएफआर को सौंपना, जिनकी निवल परिसम्पत्ति ऋणात्मक हो गई है, ताकि उनके पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन की योजनाएं बनाई जा सकें, सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के निष्पादन की आवधिक समीक्षा करना, व्यापारिक व वित्तीय पुनर्गठन करना, नई पूंजी का निवेश करना, प्रौद्योगिकी को समुन्नत बनाना, विपणन की बेहतर रणनीतियां तैयार करना, क्रय अधिमानता देना, लागत नियंत्रण के उपाय करना तथा श्रमशक्ति का यौक्तिकीकरण आदि।

[अनुवाद]

भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा पालिमर उत्पादन

1575. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण (गेल) का विचार अपने पाटा संयंत्र में पालिमर उत्पादन को बढ़ाने हेतु अपनी परियोजना का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्षमता में कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है और इससे देश की पालिमर संबंधी मांग किस सीमा तक पूरी की जा सकेगी;

(ग) इस विस्तार कार्यक्रम में कितनी धनराशि का निवेश किया जाएगा और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार इसके उत्पादों को भारत से बाहर बेचने पर भी विचार कर रही है और क्या बाहरी एजेंसियों से कोई बातचीत की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) पोलीमर उत्पादन में पाटा, उत्तर प्रदेश में गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) के पेट्रोरसायन संयंत्र के मौजूदा पोलीमर संयंत्र (स्विंग यूनिट) का गत्यावरोध दूर करके पोलीमर का उत्पादन 260,000 टीपीए (टन प्रति वर्ष) से बढ़ाकर 310,000 टीपीए किया जा रहा है। विस्तार योजना के तहत इस क्षमता में और वृद्धि एक नया पोलीमर संयंत्र (स्विंग यूनिट) स्थापित करके 430,000 टीपीए तक की जाएगी। बढ़ी हुई क्षमता से गेल पोलीएथिलीन की मांग में वृद्धि पूरी कर सकेगी जिसके वर्ष 2005–06 में आपूर्ति से अधिक हो जाने की संभावना है।

(ग) परियोजना के गत्यावरोध निवारण के लिए निवेश 76 करोड़ रुपये है और इसके नवम्बर, 2003 तक पूरा हो जाने की आशा है। विस्तार परियोजना के लिए निवेश 647 करोड़ रुपये है और इसके दिसम्बर, 2005 तक पूरा होने का निर्धारित कार्यक्रम है।

(घ) निर्यात बाजार स्थिति पर निर्भर करेगा। फिलहाल गेल इस संबंध में किसी विदेशी एजेंसी/ग्राहक के साथ वार्ता नहीं कर रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बीएससीएल में वीआरएस

1576. श्री महबूब जाहेदी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001–2002 के दौरान बीएससीएल प्रबंधन ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत काफी लोगों को सेवानिवृत्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को शत–प्रतिशत लाभ दिया गया है;

(ग) क्या इस शत–प्रतिशत लाभ में 1995 से देय मांग पत्र के लाभों को भी शामिल किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो स्पष्ट करें कि वीआरएस के अंतर्गत शत–प्रतिशत लाभ किस प्रकार दिया गया?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार के वर्तमान अनुदेशों के अनुरूप, कर्मचारियों को वीआरएस के लाभों का भुगतान कर दिया गया है।

रेल सुधार समिति

1577. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार रेलवे के कार्यकरण में आमूलचूल परिवर्तन करने और उसका पुनर्गठन करने हेतु एक नई रेल सुधार समिति गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. कर्मचारी

1578. श्री बालकृष्ण चौहान : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में कार्यरत समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों की सूमह–वार संख्या क्या है;

(ख) कुल कर्मचारियों में से समूह–वार अ.पि.वि., अ.जा. और अ.ज.जा. के कर्मचारियों की अलग–अलग कितनी संख्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बैकलॉग, यदि कोई हो, को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय तथा इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में वर्ग 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या और इन वर्गों में कार्यरत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है :

वर्ग	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
क.	17694	1666	372	882
ख.	1585	1774	684	660
ग.	30186	5500	1971	1120
घ.	13941	3299	724	379
कुल	77006	12239	3761	3041

(ग) भर्ती नीतियों, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था है, के अनुसार रिक्तियों के बैकलॉग को भरा जाता है। बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य भर्ती प्रक्रिया के अलावा, समय–समय पर विशेष भर्ती अभियान भी चलाए जाते हैं।

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन का आधुनिकीकरण/डिजिटलीकरण

1579. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में कितने दूरदर्शन केन्द्रों का आधुनिकीकरण/डिजिटलीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इन केन्द्रों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) दसवीं योजना अवधि के दौरान भोपाल, ग्वालियर और मध्य प्रदेश में इंदौर स्थित दूरदर्शन केन्द्रों के डिजिटलीकरण तथा आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) मध्य प्रदेश में स्थित दूरदर्शन केन्द्रों सहित देश में स्थित विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के लिए दूरदर्शन की दसवीं योजना में 319 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवा दी गई है।

[अनुवाद]

उदगीर-परली खंड को सिकंदराबाद से नांदेड़ मंडल में स्थानांतरित करना

1580. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उदगीर–परली खंड को दक्षिण–मध्य रेलवे में सिकंदराबाद से नांदेड़ मंडल में स्थानांतरित करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। माननीय संसद सदस्य श्री सुरेश रामराव जाधव और श्री चन्द्रकांत खैरे तथा पर्ली सिटी रेल यात्री संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) मामले की जांच की गई है तथा उदगीर–पर्ली खंड को दक्षिण–मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल के साथ शामिल रखने का विनिश्चय किया गया है।

पश्चिम बंगाल में रेल परियोजनाएं

1581. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में चालू रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राज्य में रेल पथ की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) पश्चिम बंगाल में चालू रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	31.3.2003 तक प्रत्याशित खर्च (करोड़ रु. में)	परिव्यय 2003–04 (करोड़ रु. में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
नई लाइनें					
1.	लक्ष्मीकांतपुर–नामखाना	100.88	93.88	7	लक्ष्मीकांतपुर–काकद्वीप यातायात के लिए खोल दिया गया है। काकद्वीप–नामखाना खंड पर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है जिसे 2003–04 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
2.	हावड़ा–वर्धमान कॉर्ड को जोड़ते हुए तारकेश्वर–बिष्णुपुर का कुमारकुंडु बाईपास तक विस्तार	276	16.56	1	तारकेश्वर–आरामबाग के बीच भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई प्रगति पर है। भूमि उपलब्ध होने के पश्चात कार्य शुरू किया जाएगा।
3.	घाट तक अजीमगंज (नसीपुर)–जियागंज	22.78	0.01	2	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के पश्चात कार्य शुरू किया जाएगा जिसके लिए कार्रवाई शुरू हो गई है।
4.	दुमका के रास्ते मंडारहील–रामपुर हाट	254.06	29.56	10	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधि–ग्रहण संबंधी कार्रवाही प्रगति पर है। मिट्टी, पुल संबंधी और दुमका स्टेशन की इमारत का कार्य प्रगति पर है।
5.	न्यू म्यैनागुडी–जोगीगोपा	733	9.18	25	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। न्यू म्यैनागुडी से मथ्थाबंगा तक भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया पूरी हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार को 6.22 करोड़ रुपये बतौर भूमि की लागत का भुगतान कर दिया गया है। म्यैनागुडी रोड–चंद्राबंगा खंड पर घाट को चौड़ा करने हेतु मिट्टी संबंधी कार्य शुरू किया गया है।
6.	एकलखी–बालूरघाट	274.41	169.7	15	एकलखी–गजौल–दौलतपुर का कार्य पूरा हो गया है। बालूरघाट तक के शेष भाग का कार्य प्रगति पर है और

1	2	3	4	5	6
					बालूरघाट तक लाइन को 2003–04 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
7.	तामलुक–दीघा	293.97	235.09	15	तामलुक–देशपरन खंड पूरा हो गया है। वर्ष 2002–03 के दौरान देशपरन से नाचंदा तक 18 कि.मी. का कार्य पूरा हो गया है। शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है।
8.	हावड़ा–आमता	154.3	62.24	5	हावड़ा–महेंद्रलाल नगर खंड का कार्य पूरा हो गया है। महेंद्रलाल नगर–आमता के बीच 380 एकड़ भूमि में से 334 एकड़ भूमि सौंप दी गई है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
आमान परिवर्तन					
1.	न्यू जलपाईगुडी–सिलीगुडी–न्यू बोंगाईगांव	523.17	397.14	65	पूरी लंबाई के लिए मिट्टी संबंधी, छोटे–बड़े पुलों का कार्य प्रगति पर है। न्यू जलपाईगुडी–सामूकताला रोड का कार्य वर्ष 2003–04 में पूरा करने का लक्ष्य है। अलीपुरद्वार से बामनहाट तक की शाखा लाइन के परिवर्तन का कार्य शुरू कर दिया गया है।
2.	बोबाईचंदी से खाना तक की नई लाइन के विस्तार हेतु एमएम सहित बंकुरा–दामोदर नदी परियोजना	174.73	32.85	25	बीडीआर लाइन पर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
3.	कटिहार–जोगबनी (कटिहार–राधिकापुर सहित) अनुपूरक	403.38	35.34	21.00	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
दोहरीकरण					
1.	तारकेश्वर–शोराफुल्ली चरण–1 (शोराफुल्ली–नालीकुल)	38.88	11.7	1.34	शोराफुल्ली–डायरा के बीच प्रथम ब्लाक खंड में मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है जिसे 2003–04 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
2.	गुरूप–शक्तिगढ़ तीसरी लाइन	52.39	28.96	20	गुरूप–पोलारोड के बीच मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है जिसे वर्ष 2003–04 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
3.	हाबरा–चांदपारा	40.81	0.21	2	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
4.	सोनारपुर केनिंग चरण–1 (सोनारपुर–गुतियारी शरीफ)	30.47	11.14	1	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
5.	बुरूईपुर–लक्ष्मीकांतपुर चरण–1 (बुरूईपुर–दक्षणिया बरसात)	31.82	7.08	1.00	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6
6.	बोलपुर–अहमदपुर	54.8	6.59	5	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है जिसे वर्ष 2003–04 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
7.	कृष्णानगर से चरताला तक नई लाइन और कृष्णानगर से शांतिपुर तक आमान परिवर्तन सहित कालीनारायण–पुर–कृष्णानगर	102.5	11.75	1.00	मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है।
8.	विद्युतीकृत चरण–1 सहित बरसात–हसनाबाद दोहरी–करण (बरसात–सोंदालिया)	23.65	4.34	1.00	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
9.	बंडेल–जिरात	50.68	0.61	1	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
10.	बुरूईपुर–मगरहाट	30.09	0.24	1	निविदाओं की प्रक्रिया पूरी हो गई है।
11.	अहमदपुर–सैंथिया	31.61	0.16	0.01	विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो गया है। इस कार्य को 2004–05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
12.	कुमारघाट–इकलखी	17.06	0.5	6	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
13.	हरीशचंद्रपुर–कुमारघाट	63.22	14.61	10.01	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
14.	टिकियापाड़ा–संतरागाछी चौथी लाइन	22.5	1	10	इस कार्य की योजना बनाई जा रही है।
15.	पंसकुरा–हल्दिया चरण–1	26.02	0.64	20	मिट्टी और पुल संबंधी कार्यों के आंशिक भाग में प्रगति हो रही है।
16.	बरहावार–तिनपहार	40	–	–	नए कार्य को 2003–04 के बजट में शामिल कर लिया गया है। विस्तृत अनुमान तैयार किया जा रहा है।
17.	चंद्रापारा–बोंगाव	27.48	–	1	नए कार्य को बजट 2003–04 में शामिल कर लिया गया है। प्रारंभिक कार्य शुरू किए जा रहे हैं।
महानगरीय परिवहन					
1.	दमदम–गरिया, तीव्र द्रुत–गामी प्रणाली का अभिकल्प और निर्माण	2678.7	1954.50	50	एलिवेटेड रेलपथ के लिए नींव के निर्माण का कार्य, उपसंरचना और अवसंरचना का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को मार्च, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
2.	दमदम–ताला विद्युतीकरण सहित सरकुलर रेलवे	252.4	78.46	35	प्रिंस घाट से माजर हाट तक के कार्य की प्रगति तसल्ली–बक्श तरीके से हो रही है। दमदम कैंट से नेताजी सुभाष

1	2	3	4	5	6
					चंद्र बोस एयरपोर्ट तक लाइन के निर्माण तक का कार्य प्रगति पर है किंतु विभिन्न प्राधिकरणों से भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण प्रगति धीमी है। उल्टाडांगा से राजरहाट (चरण–1 केवल लेकटाउन तक) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है।
रेलवे विद्युतीकरण					
1.	कृष्णानगर–लालगोला	72.12	0.1	15.40	प्रस्ताव का निष्पादन किया जा रहा है। इस कार्य को मार्च, 2005 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
2.	तालचेर–पाराद्वीप सहित खड़गपुर–भुवनेश्वर	317.36	232.82	40	247 किलोमीटर मार्ग मार्च, 2003 तक उर्जित कर दिया है। इस कार्य को मार्च, 2004 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

जो परियोजनाएं वास्तव में पूरी हो गई हैं उन्हें ऊपर नहीं दिखाया गया है।

(ख) और (ग) रेलपथ की मरम्मत और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। आवश्यकता के आधार पर अनुरक्षण कार्यों को नियमित तौर पर किया जाता है। यातायात की संरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु रेलपथ का नियमित तौर पर निरीक्षण किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक होता है, शीघ्रता से कार्रवाई की जाती है। बहरहाल, सभी स्तरों पर संरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है और हर समय आवश्यकता के आधार पर रेलपथ पर्यवेक्षक अपने से उच्चतर अधिकारियों की अनुमति लिए बगैर गति सीमित करने के लिए प्राधिकृत है।

निधि उपलब्ध होने पर रेलपथ का नवीकरण आयु और हालात के आधार पर किया जाता है। कुछ मामलों में संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यदि हालात ठीक नहीं हैं तो खंड पर अधिकतम अनुमेय गति कम कर दी जाती है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल का उत्पादन

1582. श्री वाई. जी. महाजन :
श्री रामदास रूपला गावीत :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार देश में कच्चे तेल के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कच्चे तेल का उत्पादन निम्नानुसार था :

वर्ष	उत्पादन मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) में
2000–01	32.42
2001–02	32.03
2002–03	33.05

(ख) और (ग) 2002–03 की पहली तिमाही के दौरान तेल उत्पादन की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–04 की पहली तिमाही के दौरान उत्पादन में लगभग 2 प्रतिशत कमी हुई है, जो मुख्य रूप से आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के मुंबई हाई क्षेत्र के पुनर्विकास के संबंध में मुंबई हाई की योजित बंदी के कारण थी।

(घ) तेल और गैस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं जिनमें निम्न सम्मिलित हैं :

(i) वर्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा वर्तमान मुख्य क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार करने के लिए विशेष रूप से आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने 10,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश पर इस उद्देश्य के लिए 15 क्षेत्रों में कार्य आरंभ किया है, जिससे इन क्षेत्रों से तेल उत्पादन को तेज करने में भी मदद मिलेगी।

(ii) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करने के लिए एनईएलपी के तीन चक्रों में 70 ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii) नए क्षेत्रों, विशेष रूप से गहन जल और कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण करना और उत्पादक क्षेत्रों की गहनतर परतों में भी अन्वेषण करना।

(iv) नए खोजे गए क्षेत्रों का तेजी से विकास करना और उत्पादक क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षणों, वर्क ओवर, उत्प्रेरण कार्यों, कूपों के वेधन आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाना।

(v) विदेश में रकबे प्राप्त करना।

[अनुवाद]

टिकटों को आगे तक बढ़ाया जाना

1583. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेल में यात्रा कर रहे यात्रियों का टिकट आगे तक बढ़ाए जाने की प्रणाली को त्याग दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार रेल गाड़ियों में आगे की यात्रा हेतु टिकट देने की प्रणाली को पुनः लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। रेल में यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए टिकट बढ़ाए जाने की प्रणाली जारी है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पेट्रोलियम उत्पादों हेतु भंडारण लाइसेंस

1584. श्री अधीर चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कंपनियों/फर्मों द्वारा मिट्टी तेल "ख" वर्ग पेट्रोलियम के भंडारण हेतु जारी लाइसेंस को हाई स्पीड डीजल तथा "ख" वर्ग पेट्रोलियम, (पेट्रोलियम की समान श्रेणी) के भंडारण हेतु अपेक्षित लाइसेंस शुल्क में परिवर्तन के बाद बदलने की अनुमति दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्व में किसी तेल कंपनी फर्म को उक्त अनुमति प्रदान की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या "क" और "ख" वर्ग पेट्रोलियम के भंडारण लाइसेंस को अन्य नामों अथवा अन्य पार्टियों/फर्मों/कंपनियों को हस्तांतरित किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त की प्रविधि और सक्षम प्राधिकारी का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। पेट्रोलियम नियम, 2002 के तहत अनुज्ञप्ति के एक नाम से अन्य दूसरे के नाम को अंतरण का प्रावधान है।

(घ) ऐसा अंतरण अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी के द्वारा किया जाता सकता है तथा आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं :

(i) अनुज्ञप्ति धारक द्वारा हस्ताक्षरित एक सहमति पत्र जिसमें उस व्यक्ति, जिसको वह अनुज्ञप्ति अंतरित करना चाहता है, का नाम और पता निर्दिष्ट हो तथा जिसमें अनुज्ञप्त परिसरों के पूरे स्वामित्व का उल्लेख हो।

(ii) मूल अनुज्ञप्ति जिसे अंतरित किया जाना है।

(iii) उस व्यक्ति, जिसको अनुज्ञप्ति अंतरित की जानी है, द्वारा भरे एवं हस्ताक्षर किए गए फार्म 9 में आवेदन पत्र।

(iv) अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी के नाम से बैंक ड्राफ्ट जिसके द्वारा 500/–रुपए के अंतरण शुल्क भुगतान किया गया हो।

तेल कंपनियों की शक्तियां

1585. **डा. चरणदास महंत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल पंपों पर लगाई गई वितरण इकाइयों सहित माप–तौल के सत्यापन और मुहर लगाने की शक्तियां माप–तौल विभाग के अधिकारियों के पास विहित हैं और किसी भी तेल कंपनी के अधिकारी सहित अन्य विभागों के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य विभाग/सरकारी तेल कंपनी का कोई अधिकारी विभागीय सील एवं मुहर के साथ किसी व्यापारी/पेट्रोल पंप डीलर द्वारा उपयोग किए जा रहे माप–तौल में किसी कमी के पाए जाने पर कोई दंड/अर्थदंड लगा सकता है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या कमी पाए जाने पर 1985 के इस अधिनियम की धारा 63 के अनुसार अन्य विभाग के ये अधिकारी संज्ञान ले सकते हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इन अधिकारियों के पास अपराध साबित करने हेतु उपयुक्त कदम उठाने और दोषी व्यापारियों/पेट्रोल पंप डीलरों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु माप–तौल अधिकारियों को सूचित करने का समाधान है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके द्वारा क्या विधि अपनाई गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ङ) खुदरा बिक्री केन्द्रों पर स्थापित तेल वितरण पंपों को मुहर अंकित करने का दायित्व केवल तौल और माप विभाग के पदाधिकारियों का है। तौल और माप अधिनियम के अंतर्गत तौल और माप प्राधिकरण के वितरण यूनिटों के मोहर अंकित करने की सांविधिक शक्ति ऐसे किसी पदाधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती जो तौल और माप विभाग से संबंधित न हो। उपर्युक्त के होते हुए भी तेल कंपनियों के डीलरों को उनके साथ हुए करार के अंतर्गत कोई पेट्रोलियम उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं है, भले ही खुदरा बिक्री केन्द्र में लगाया गया मापांकित और मुहर अंकित तौल और माप कोई गलत माप दे रहा हो। यदि कोई डीलर किसी ऐसे तौल और माप का इस्तेमाल करके तेल कंपनी का उत्पाद बेचते हुए पाया जाता है जो गलत माप (कम वितरण) दे रहा हो तो तेल कंपनी को विपणन अनुशासन दिशा–निर्देशों और/डीलरशिप करार के तहत कार्रवाई करने का अधिकार है।

विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन

1586. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रेलगाड़ियों को विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान में कठिनाई होती है;

(ख) क्या रेलगाड़ियों के आगमन और प्रस्थान को बदलने का कोई प्रयास किया गया है जिससे कि रेलगाड़ियों को प्लेटफार्मों पर लंबे समय तक रुकने की आवश्यकता न पड़े;

(ग) क्या इसका समाधान निकालने का कार्य किसी बाहरी अभिकरण को सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि रेलगाड़ियों को विशाखापत्तनम स्टेशन से गुजरने के दौरान लंबा समय व्यतीत न करना पड़े?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जी, नहीं। गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान की कोई समस्या नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यनिष्पादन

1587. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की निराशाजनक तस्वीर पेश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2001–2002 के दौरान केवल कुछ केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने लाभ कमाया है और सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रम हर साल घाटे में चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को घाटा होने के क्या कारण हैं;

(घ) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों पर अपनी रिपोर्ट में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार कितनी आशावान है कि सरकारी क्षेत्र के ये सभी उपक्रम वर्ष 2003–2004 के दौरान लाभ कमाने लगेंगे?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते) : (क) और (ख) मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट संघ सरकार (वाणिज्यिक), सरकारी क्षेत्र के उपक्रम लेखे की समीक्षा 2003 की संख्या 1, जिसे 24.04.2003 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया था, के अनुसार वर्ष 2001–2002 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 139 उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया, जबकि सरकारी क्षेत्र के 120 उपक्रमों ने घाटा उठाया। किसी विशेष वर्ष से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन का उल्लेख किया जाता है तथा इसे प्रत्येक वर्ष बजट सत्र में संसद में विधिवत प्रस्तुत किया जाता है।

(ग) घाटे के कारण उद्यम सापेक्ष है। सामान्यतः इन कारणों में गैर–सरकारी क्षेत्र से अधिगृहीत उद्यमों में निहित समस्याएं, पुराने तथा अप्रचलित संयंत्र एवं मशीनरी, पुरानी प्रौद्योगिकी, कर्मचारियों की अतिरिक्त संख्या, उच्च ब्याज भार, गहन प्रतिस्पर्धा, निम्न क्षमता उपयोग तथा संसाधन संकट इत्यादि शामिल हैं।

(घ) जिन विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यनिष्पादन कम है, उनका सीएजी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

(ङ) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन तथा सरकारी क्षेत्र के रुग्ण/घाटा उठाने वाले उपक्रमों के पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन के लिए कर्मचारियों सहित अन्य हितधारकों से विचार–विमर्श करके उद्यम सापेक्ष उपाय किए जाते हैं। इस संबंध में किए गए कुछ सामान्य उपायों में सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले उपक्रमों के पुनर्स्थापन व पुनरुद्धार की योजनाएं तैयार करने के लिए उन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपना, जिनकी निवल परिसंपत्तियां ऋणात्मक हो गई हैं, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की आवधिक समीक्षा करना, व्यापार तथा वित्तीय पुनर्गठन, नए सिरे से धनराशि लगाना, प्रौद्योगिकी समुन्नयन, बेहतर रणनीतियां, क्रय अधिमानता नीति, लागत नियंत्रण उपाय, जनशक्ति या यौक्तिकीकरण इत्यादि शामिल हैं।

लघु पनबिजली केन्द्रों में बढ़ती रुचि

1588. श्री एस. अजय कुमार : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान टैबुलर टरबाइनों का उपयोग कर प्रत्येक छोटे प्रवाह और बहती नहर अथवा जल वितरिका में उपलब्ध प्रत्येक लघु निकास की विद्युत क्षमता का दोहन करने हेतु विभिन्न देशों में लघु पनबिजली केन्द्र में बढ़ती रुचि की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बहती नहर अथवा जल वितरिकाओं में उपलब्ध प्रत्येक लघु प्रवाह और प्रत्येक लघु विकास की क्षमता का दोहन करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (घ) जी, हां। मंत्रालय टैबुलर टरबाइनों का उपयोग करने वालों सहित लघु पनबिजली स्टेशनों की स्थापना के लिए कैनाल ड्रॉपों और छोटी नदियों की विद्युत संभाव्यता का दोहन करने हेतु सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में प्रोत्साहन उपलब्ध करा रहा है। इनमें लघु पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए विस्तृत सर्वेक्षण और जांच, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और सब्सिडी देना शामिल है। अब तक देश में कैनाल ड्रॉपों और छोटी नदियों पर स्थापित सहित समग्र रूप से 1530 मे.वा. की 469 लघु पनबिजली परियोजनाएं स्थापित की गई हैं।

हिन्दी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा का आयोजन

1589. श्री रामटहल चौधरी :
श्री हरीभाऊ चौधरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षाओं का आयोजन केवल अंग्रेजी भाषा में किया जाता है अन्य किसी भारतीय भाषा में नहीं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार सशस्त्र सेनाओं हेतु इस प्रमुख परीक्षा का आयोजन कम–से–कम हिन्दी में भी करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहु–विकल्प) के होते हैं तथा इस समय ये केवल अंग्रेजी में मुद्रित होते हैं।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा के अलावा सभी भर्ती परीक्षाएं केवल अंग्रेजी माध्यम से संचालित की जाती हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा में हिन्दी माध्यम शुरू करने के मुद्दे पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

1590. डा. वी सरोजा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार दुर्घटना उपरांत राहत अभियानों के दौरान संभरण सहायता हेतु आदमियों एवं मशीनों को तैनात करने में रक्षा मंत्रालय से सहायता लेने हेतु इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) आपदा प्रबंधन संबंधी उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में रेल दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्तियों के बचाव/राहत के लिए सैन्य तन्त्र सहायता मुहैया कराने के संबंध में रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की सिफारिश की है। इस संबंध में तौर–तरीके तैयार करने के लिए रक्षा मंत्रालय से एक अधिकारी को नामित करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

चांडिल एलबीसी विद्युत परियोजना

1591. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड में चांडिल एलबीसी विद्युत परियोजना को तकनीकी–आर्थिक मंजूरी प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना द्वारा विद्युत संकट का किस प्रकार सामना किया जाएगा; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार इस परियोजना से संबंधित कितने प्रतिशत कार्य को पूरा किया गया है और समस्त परियोजना के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) जी, हां।

(ख) निर्माणाधीन चांडिल एलबीसी जल विद्युत परियोजना की स्थापित क्षमता 8 मेगावाट की होगी। एक बार शुरू हो जाने के पश्चात परियोजना से राज्य में विद्युत की आपूर्ति बढ़ जाएगी।

(ग) परियोजना पर 85 प्रतिशत से भी अधिक कार्य पूरा होने की सूचना है। बिहार के बंटवारे से पहले परियोजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य हाइड्रो–इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन (बीएचपीसी) द्वारा किया जा रहा था। तथापि, झारखंड सरकार ने बीएचपीसी से परियोजना से संबंधित आवश्यक कागजात एवं विवरण सौंपने के लिए कहा है। झारखंड सरकार ने संकेत दिया है कि बीएचपीसी से कागजात एवं विवरण की प्राप्ति की तारीख से लगभग छः माह के समय में परियोजना पूरी की जा सकती है।

[अनुवाद]

रायचूर ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन

1592. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायचूर ताप विद्युत संयंत्र इकाई–2 में लंबे समय से विद्युत उत्पादन को रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विद्युत संयंत्र इकाई–2 में विद्युत उत्पादन के फिर से आरंभ होने की संभावित तिथि क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि. की रायचूर थर्मल पावर स्टेशन यूनिट–2 (210 मेगावाट) 1 जून, 2003 को रात्रि 10 बजे स्टेटर अर्थ की खराबी के कारण बंद हो गई थी।

(ग) कर्नाटक पावर कारपोरेशन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उक्त यूनिट को अगस्त, 2003 के दूसरे सप्ताह में फिर से चालू होना है।

तकनीकी श्रमशक्ति की कमी

1593. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा में तकनीकी, श्रमशक्ति और सैनिकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेना में तकनीकी संवर्गों में अधिकारियों और सैनिकों की भर्ती में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) तकनीकी शाखाओं में अधिकारियों की लगभग 26 प्रतिशत कमी है। अधिकारी रैंक के नीचे के कार्मिकों में कमी का स्तर प्राधिकृत कार्मिक संख्या का 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक है।

(ग) **अधिकारी** : सेना ने तकनीकी शाखाओं के रिक्त पदों को भरने के लिए कई कदम उठाए हैं। 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना, जिससे तकनीकी शाखाओं/सेवाओं में अधिकारी आते हैं, में भर्ती में वृद्धि की गई है। सेना द्वारा छवि निर्माण अभियान 1997 में आरंभ किया गया है तथा इस समय इस अभियान का चरण–3 चल रहा है। इसके अलावा, युवाओं को सेना में आने के लिए प्रेरित करने के प्रयोजन से भर्ती कार्यालयों द्वारा स्कूलों तथा कालेजों में संगोष्ठियों, व्याख्यानों और प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया जाता है तथा पहले से अधिक भर्ती किए गए उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए सेना की प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि की गई है।

अधिकारी रैंक के नीचे के कार्मिक : तकनीकी ट्रेडों में मौजूदा कमी के प्रति अपेक्षित संख्या में कार्मिकों की भर्ती की गई है। उनके प्रशिक्षण के तकनीकी चरण के पूरा हो जाने पर उन्हें यूनिटों में तैनात किया जाएगा।

[हिन्दी]

कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना हेतु कोयले की कमी

1594. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दरलाल तिवारी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना कोयले की कमी के कारण बंद होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो कोयले की आपूर्ति न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) कहलगांव परियोजना में कोयले के पर्याप्त भंडारण की अनुपलब्धता के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना में विद्युत उत्पादन के बंद होने की स्थिति में कितनी वित्तीय हानि होने और देश में इसका समस्त विद्युत उत्पादन क्षमता पर कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

धन का व्यपगत होना

1595. श्री टी. गोविन्दन :
श्री महबूब जाहेदी :

श्री ए. नरेन्द्र :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सैनिकों की सुरक्षा हेतु उपकरणों की खरीद पर व्यय किए जाने वाले कारगिल अधिभार सहित 24,000 करोड़ रुपए की धनराशि के व्यपगत होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) किसी भी वित्त वर्ष में रक्षा बजट में से 24,000 करोड़ रुपए की धनराशि व्यपगत नहीं हुई है। वर्ष 2002–2003 के लिए बजट प्राक्कलन में रक्षा के लिए 65,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जिसमें से संशोधित प्राक्कलन में 9000 करोड़ रुपए कम कर दिए गए थे।

सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अधिभारों से उत्पन्न धनराशि केन्द्रीय सरकार के राजस्व का एक भाग है और मंत्रालयों/विभागों की संसद द्वारा अनुमोदित अनुदान मांगों के जरिए व्यय–प्रावधान किए जाते हैं। इस प्रकार, रक्षा मंत्रालय को रक्षा बजट के लिए किए गए आवंटन के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अधिभार से संगृहीत धनराशि उपलब्ध नहीं है।

आवंटित निधियों का पूर्ण उपयोग किए जाने के लिए रक्षा व्यय की प्रगति और अधिप्राप्ति के विभिन्न प्रस्तावों की लगातार समीक्षा की जाती है तथा यथावश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। रक्षा सेवाओं के लिए पूंजीगत खाते में अधिप्राप्तियों की देख–रेख के लिए एक नए अधिप्राप्ति संगठन का भी गठन किया गया है।

विक्रांत को संग्रहालय में बदलना

1596. श्री किरीट सोमैया : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने विक्रांत को बचाने और इसको संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है;

(ख) इस संबंध में गत दो माह के दौरान रक्षा प्राधिकारियों और महाराष्ट्र सरकार के साथ की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) संशोधित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह युवा पीढ़ी को राष्ट्रीयता की प्रेरणा देने वाला राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय होगा;

(ङ) क्या रक्षा मंत्रालय पूंजी लागत के मद में योगदान करेगा;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) विक्रांत को संग्रहालय में परिवर्तित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (छ) भा.नौ.पो. विक्रांत को संग्रहालय में बदलने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस पोत को सामुद्रिक संग्रहालय में बदले जाने के लिए इसे अक्तूबर, 1998 में बिना किसी लागत के महाराष्ट्र सरकार को अंतरित कर दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुंबई में 20.6.03 को एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें रक्षा मंत्रालय, नौसेना और महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी उपस्थित थे। विक्रांत को एक संग्रहालय में बदलने के संभावित विकल्पों की पहचान करने के लिए एक मसौदा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया था। इसी बीच, रक्षा मंत्रालय ने इस पोत की आवश्यक मरम्मत किए जाने के लिए पहले ही 5 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं।

नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी रोड मैप विकसित करना

1597. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अधीर चौधरी :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री भास्करराव पाटील :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी रोड मैप विकसित करने हेतु राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं और बोर्ड को गठित करने का उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बोर्ड के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने के दौरान राज्य सरकारों को भी विश्वास में लिया है;

(घ) उक्त बोर्ड के कब तक कार्य शुरू करने और इसके किस प्रकार कार्य करने की संभावना है; और

(ङ) विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर वाहनों में हाइड्रोजन का कितना उपयोग किए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है। इस बोर्ड के उद्देश्यों में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा की रूप-रेखा तैयार करना तथा कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन करना और देश में हाइड्रोजन ऊर्जा के त्वरित विकास और संवर्धन के लिए नीति तथा अन्य संबंधित उपाय प्रस्तुत करना है। बोर्ड में राज्य प्रतिनिधियों सहित सरकार, उद्योग, शिक्षण, अनुसंधान संस्थाओं तथा अन्य संबंधित स्टोकहोल्डरों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बोर्ड अपने गठन के प्रारंभिक चरणों में है।

(ङ) हाइड्रोजन ऊर्जा वर्तमान में अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन के चरण में हैं। देश में हाइड्रोजन ऊर्जा की उपयोगिता का प्रदर्शन अन्य और वाहनों, विद्युत उत्पादन इकाइयों, ईंधन सैलों में किया गया है। हाइड्रोजन के किस हद तक उपयोगी होने की संभावना है यह हाइड्रोजन की उपलब्धता, लागत और अवसंरचना आदि सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा।

भूटान से पूर्वी क्षेत्र तक पारेषण लाइन

1598. श्रीमती प्रभा राव : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया और टाटा पावर लिमिटेड ने भूटान से पूर्वी क्षेत्र तक 1200 किलोमीटर लंबी विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण कार्य को संयुक्त रूप से पूरा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दोनों विद्युत कंपनियों के बीच किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के कार्यान्वयन में कितना व्यय अंतर्गत है और क्या समय निर्धारित किया गया है; और

(घ) इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) ताला एचईपी से इंडो-भूटान बार्डर तक पारेषण लाइन को एचईपी प्राधिकरण द्वारा और इंडो-भूटान बार्डर से सिलीगुड़ी तक पारेषण लाइन को पावरग्रिड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। पावरग्रिड और ताला पावर कं. लि. ने संयुक्त उपक्रम कंपनी नामतः ताला-दिल्ली पारेषण लि. के निर्माण के माध्यम से उत्तरी क्षेत्र में विभिन्न संघटक राज्यों को पूर्वी क्षेत्र में सरप्लस विद्युत के अंतरण हेतु और पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न संघटक राज्यों को सिलीगुड़ी से ताला एचईपी विद्युत अंतरण के लिए कतिपय विद्युत पारेषण लाइनों को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है।

(ख) पावरग्रिड ने तीन करारों अर्थात, शेयर होल्डर्स करार (एसएचए), क्रियान्वयन करार (आईए) तथा पारेषण सर्विस करार (टीएसए) पर 4 जुलाई, 2003 को हस्ताक्षर किए हैं ताकि उक्त पारेषण लाइनों का क्रियान्वयन हो सके। इन करारों में संबंधित पार्टियों के अधिकारों और दायित्वों, निर्माण (निर्माण अवधि समेत) संबंधी सेवा-शर्तों और परियोजना (जेवीसी को पारेषण टैरिफ के भुगतान समेत) के प्रचालन व रख-रखाव को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ग) जेवीपी (ताला-दिल्ली पारेषण लि.) द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली पारेषण लाइनों की अनुमानित लागत 1099.64 करोड़ रु. (दूसरी तिमाही 2002 कीमत स्तर) है। ये लाइनें जुलाई 2006 तक पूरी की जानी प्रस्तावित हैं।

(घ) पूर्वी क्षेत्र में बिहार, झारखंड, पं. बंगाल तथा सिक्किम और उत्तरी क्षेत्र में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू व कश्मीर, पंजाब तथा हरियाणा इस परियोजना से लाभान्वित होंगे।

[हिन्दी]

ग्राम्य विद्युतीकरण हेतु धन की कमी

1599. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई ग्रामों का अभी भी विद्युतीकरण किया जाना शेष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धन की कमी के कारण कई राज्यों में इस कार्य को पूरा नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन राज्यों के ग्रामों में विद्युतीकरण को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) देश में गैर–विद्युतीकरण गांवों के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) और (घ) ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए धन की कमी नहीं है। तथापि, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य में धीमी प्रगति के दूसरे कारण हैं जो निम्नलिखित हैं :

- विद्युतीकरण के लिए शेष गांव सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्र में हैं।
- गांवों का विद्युतीकरण लागतपूर्ण है जिसके बदले में प्राप्ति कुछ नहीं है।
- उप–पारेषण और वितरण प्रणाली अपर्याप्त है।
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के बकायों की गैर–वसूली जिस कारण नई परियोजनाओं को मंजूरी नहीं मिल रही।
- दयनीय आर्थिक स्थिति और पिछड़ेपन के कारण उपभोक्ताओं की ओर से मांग में कमी।

(ङ) देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य की गति में तेजी लाने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं :

(i) वर्ष 2001–02 से दलित बस्तियों और मुहल्लों के विद्युतीकरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण को आधारभूत न्यूनतम सेवा माना गया है और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के तहत शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण सहित सभी छः घटकों के लिए धनराशि जारी की जाती है। वर्ष 2002–03 के दौरान प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के तहत 363 करोड़ रुपए जारी किए गए थे जो ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए थे। वर्ष 2003–04 में ग्रामीण विद्युतीकरण सहित सभी छः घटकों के लिए प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के तहत 2767 करोड़ रु. का बजटीय प्रावधान रखा गया है। राज्य अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार आंतरिक आवंटन कर सकते हैं।

(ii) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत राज्यों को वर्ष 2002–03 के दौरान वर्ष 2001–02 में जारी 175 करोड़ रुपए की तुलना में 600 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पुनः 2003–04 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत 600 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है।

(iii) सरकार ने 10वीं योजनावधि के दौरान गैर–विद्युतीकृत गांवों, दलित बस्तियों, मुहल्लों और जनजातीय गांवों के विद्युतीकरण के लिए त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (एआरईपी) के तहत 563.87 रुपए की ब्याज सब्सिडी अनुदान स्वरूप स्वीकृत किया है। इस राशि में से 163.87 करोड़ रुपए की राशि वर्ष 2002–03 के बजट में उपलब्ध कराई गई है। इसमें से 157.87 करोड़ रु. का उपयोग हो चुका है। वर्ष 2003–04 के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।

(iv) कुटीर ज्योति कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा राज्यों को उन घरों के विद्युतीकरण के लिए 100 प्रतिशत अनुदान दी जाती है जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। वर्ष 2002–03 के दौरान राज्यों को 138.65 करोड़ रुपए जारी किए गए थे तथा 9.35 लाख सिंगल लाइट कनेक्शन दिए गए थे। वर्ष 2003–04 में 100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है।

(v) आरईसी ने भी ग्राम विद्युतीकरण, मुहल्लों और दलित बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए राज्य विद्युत बोर्डों/राज्यों को 3–1 प्रतिशत तक अत्यधिक कम ब्याज दर पर ऋण की पेशकश की है। आरईसी ने आगामी 4 वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए प्रतिवर्ष की दर से 500 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।

(vi) राज्यों को नाबार्ड के तहत रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से भी धन प्राप्त हो सकता है।

विवरण

31.3.2003 की स्थितिनुसार गैर-विद्युतीकृत गांव

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991 की जनगणनानुसार कुल गांव	गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	26586	–*
2.	अरुणाचल प्रदेश	3649	1307
3.	असम	24685	5640
4.	बिहार	67513	17491
5.	झारखंड		
6.	गोवा	360	–
7.	गुजरात	18028	–*
8.	हरियाणा	6759	–
9.	हिमाचल प्रदेश	16997	107
10.	जम्मू-कश्मीर	6477	182
11.	कर्नाटक	27066	296*
12.	केरल	1384	–
13.	मध्य प्रदेश	51806	1462
14.	छत्तीसगढ़	19720	1399
15.	महाराष्ट्र	40412	–*
16.	मणिपुर	2182	178
17.	मेघालय	5484	2754
18.	मिजोरम	698	7
19.	नागालैंड	1216	–
20.	उड़ीसा	46989	9728
21.	पंजाब	12428	–
22.	राजस्थान	37889	983
23.	सिक्किम	447	42
24.	तमिलनाडु	15822	–
25.	त्रिपुरा	855	38
26.	उत्तर प्रदेश	97122	18042
27.	उत्तरांचल	15681	2785
28.	पश्चिम बंगाल	37910	7694
	कुल राज्य	586165	70135
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	1093	–*
	कुल अखिल भारत	587258	70135

*शेष व्यवहार्य नहीं हैं।

हिमाचल प्रदेश में भूमि का अधिग्रहण

1600. श्री महेश्वर सिंह : क्या रक्षा मंत्री पश्चिम कमान मुख्यालय को ऊना में भूमि सौंपने के बारे में 6.3.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2275 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय को अधिकारी बोर्ड से उनके मंत्रालय द्वारा उक्त बोर्ड को दिए गए आदेश के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ऊना में 790 एकड़ निर्धारित भूमि की उपयुक्तता के निष्कर्षों के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस तिथि को प्राप्त किया गया और क्या उक्त मामले पर और छानबीन की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो सेना द्वारा अपनी यूनिटों और स्थापनाओं की स्थापना हेतु उक्त भूमि को अंतिम रूप से कब तक अधिगृहीत किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं। तथापि, सेना मुख्यालय ने बताया है कि इस भूमि के केवल 30 से

40 प्रतिशत भाग पर ही भवन खड़े किए जा सकते हैं इसलिए इस भूमि से लगी अतिरिक्त भूमि की राज्य सरकार से अपेक्षा की गई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर लागू नहीं।

रूस के साथ संयुक्त नौ सेना अभ्यास

1601. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पश्चिम अरब सागर में सोकोट्रा द्वीप के निकट भारत–रूस नौ सेना का संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यास में कितने युद्धपोतों और कार्मिकों ने भाग लिया था;

(ग) इस पर कितना व्यय किया गया;

(घ) इससे क्या लाभ प्राप्त हुए;

(ङ) क्या सरकार के पास निकट भविष्य में सैनिक बलों द्वारा संयुक्त अभ्यास हेतु कोई प्रस्ताव लंबित है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी देश–वार ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं। भारत और रूसी नौसेना के बीच पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में मुंबई और गोवा के बीच 23 मई, 2003 से 24 मई, 2003 तक तथा पूर्वी समुद्री क्षेत्र में विशाखापट्टनम के निकट 1 जून, 2003 से 2 जून, 2003 तक संयुक्त अभ्यास चलाए गए थे।

(ख) और (ग) इन संयुक्त अभ्यासों के संबंध में आगे जानकारी देना जनहित में नहीं होगा।

(घ) इन अभ्यासों से सामरिक तथा संक्रियात्मक लाभ प्राप्त हुए हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) इस संबंध में आगे ब्यौरों का खुलासा करना जनहित में नहीं होगा।

[अनुवाद]

ओएनजीसी द्वारा यूएसएसआर में सखलैन परियोजना में निवेश

1602. **श्री विनय कुमार सोराके :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओएनजीसी विदेश ने यूएसएसआर में सखलैन–1 तेल/गैस परियोजना में 1.442 बिलियन डालर की विशाल धनराशि का विनिवेश किया है और इस परियोजना में समय और लागत अग्रिम लग रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के अनुमानों के अनुसार सखलैन–1 से कच्चा तेल वर्ष 2005 तक आना शुरू हो जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो ओएनजीसी विदेश और रूसी फर्म के बीच वर्तमान गतिरोध से इस परियोजना को पूरा करने में कितना विलंब होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) तेल और गैस परियोजनाओं में लागत अनुमानों में संशोधन होना एक सामान्य उद्योग प्रक्रिया है क्योंकि ये परियोजनाएं आरंभिक अन्वेषण चरण से विकास चरण की ओर अग्रसर होती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान लागत और समयानुक्रम में भंडार अनुमानों, प्रौद्योगिकीय पहलुओं और वित्तीय और आर्थिक प्राचलों जैसे घटकों के आधार पर संशोधन होता रहता है।

ओएनजीसी–विदेश लिमिटेड (ओवीएल) ने सूचित किया है कि सखलैन–1 परियोजना के मामले में तेल और गैस के लिए वर्तमान अनुमानित भंडार, परियोजना के अनुमोदन के समय अनुमानित भंडारों की तुलना में अधिक हैं, जिससे अपेक्षाकृत उच्च लागत जरूरी हो गई है जो कि आज की तारीख में अंतिम नहीं हैं।

(ग) और (घ) ओवीएल ने सूचित किया है कि सखलैन–1 परियोजना से तेल का उत्पादन 2005 के अंत तक आरंभ होने की आशा है और यह कि उनके किसी रूसी कंपनी के बीच कोई गतिरोध नहीं है।

पीएमजीवाई के अंतर्गत ग्राम्य विद्युतीकरण

1603. **श्री के. पी. सिंह देव :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003–2004 और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पीएमजीवाई के अंतर्गत सभी राज्यों में विशेषकर उड़ीसा में कितने गांवों का विद्युतीकरण का प्रस्ताव है; और

(ख) देश में पीएमजीवाई के अंतर्गत गांवों के विद्युतीकरण हेतु राज्य–वार निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) वर्ष 2001–02 से दलित बस्तियों और मुहल्लों के विद्युतीकरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण को आधारभूत न्यूनतम सेवा माना गया है तथा प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के तहत शामिल किया गया है। वर्ष 2001–02 और 2002–03 के दौरान क्रमशः 412.23 करोड़ रुपए और 359.58 करोड़ रुपए ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए जारी किए गए हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

वर्ष 2003–04 में प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के तहत सभी छह घटकों के लिए 2767 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। राज्य अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार आंतरिक आवंटन कर सकते हैं।

विवरण

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के तहत वर्ष 2001–02 और 2002–03 के दौरान जारी धनराशि के राज्य–वार ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2001–02	2002–03 (एमएमपी)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1705.00	1705.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	684.00	684.00
3.	असम	6011.00	3000.00
4.	बिहार	2457.90	2417.30
5.	छत्तीसगढ़	851.70	515.00
6.	गोवा	4.50	6.00
7.	गुजरात	362.80	0
8.	हरियाणा	187.90	142.90
9.	हिमाचल प्रदेश	100.00	110.00
10.	जम्मू और कश्मीर	1922.00	800.00
11.	झारखंड	379.60	1116.90
12.	कर्नाटक	841.00	1000.00
13.	केरल	594.50	–
14.	मध्य प्रदेश	1460.62	12.75
15.	महाराष्ट्र	1901.08	1664.00
16.	मणिपुर	600.00	600.00
17.	मेघालय	600.00	600.00
18.	मिजोरम	598.00	598.00
19.	नागालैंड	452.60	650.00
20.	उड़ीसा	1703.80	100.00
21.	पंजाब	1488.25	444.00
22.	राजस्थान	1080.00	1061.00
23.	सिक्किम	0.00	400.00
24.	तमिलनाडु	1173.60	1608.20
25.	त्रिपुरा	850.00	500.00
26.	उत्तर प्रदेश	9417.00	10187.00
27.	उत्तरांचल	976.75	2000.00
28.	पश्चिम बंगाल	2820.00	2774.00
	कुल	41223.60	35,958.30

कमजोर वर्ग और अ.पि.व. का आर्थिक विकास

1604. **श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :**
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री चन्द्र भूषण सिंह :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज के कमजोर वर्गों और अ.पि.व. के सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु कार्यान्वित की जा रही/की जाने वाली प्रत्येक योजना का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) नई योजनाओं को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में इसके अंतर्गत योजना–वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है,

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और गैर–सरकारी संगठनों से कमजोर वर्गों और अ. पि.व. के विकास हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और गैर–सरकारी संगठन–वार प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रस्तावों के अंतर्गत योजना–वार कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गई है;

(च) प्रत्येक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा योजना–वार कितनी धनराशि वास्तविक रूप से व्यय/प्रयुक्त की गई है;

(छ) क्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा उक्त अवधि के दौरान धनराशि के दुरुपयोग की कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि) : (क) मंत्रालय अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए विशेष संघटक योजना के प्रति विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता निर्मुक्त करता है। शीर्ष तथा राज्य वित्त निगमों को अपने ऋण संबंधी कार्यकलापों की सहायतार्थ इक्विटी समर्थन भी प्रदान किया जाता है। इस तरीके से सहायता प्राप्त निगमों में : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम तथा राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम शामिल हैं।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम को इक्विटी समर्थन भी प्रदान किया जाता है तथा अन्य पिछड़े वर्गों को राज्य माध्यम एजेंसियों के जरिए आय सृजक कार्यकलापों के लिए ऋणदान को सुसाध्य बनाया जा सके। आशा है कि आर्थिक स्तर में बढ़ोतरी से सामाजिक विकास होगा।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास के लिए कोई नई योजना नहीं है।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक निर्मुक्त राज्य–वार वित्तीय सहायता का विवरण–I संलग्न है।

(घ) से (च) योजनाओं जिनके अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और गैर–सरकारी संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किए गए तथा इस अवधि के दौरान निर्मुक्त तथा उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(छ) और (ज) जी, हां। कुछ गैर–सरकारी सगठनों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्होंने पिछले वर्षों के दौरान अनुदान प्राप्त किए हैं। उनके विरुद्ध अनुदान पर रोक लगाकर, उन्हें काली सूचीबद्ध करके तथा दुरुपयोग की गई राशि की वसूली के आदेश जारी करते हुए कार्रवाई की गई है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान अभी तक योजना–वार वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	योजना	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04
1	2	3	4	5	6
अनुसूचित जाति विकास					
1.	विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	450.14	452.51	434.05	0.00
2.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम	0.00	25.00	15.10	0.00

1	2	3	4	5	6
3.	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	27.63	21.00	25.00	2.99
4.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम	22.00	25.00	20.00	0.00
5.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास	60.92	9.20	40.95	0.00
अन्य पिछड़े वर्ग					
6.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम	0.00	0.00	12	0.00

विवरण

योजना का नाम विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001		2001–2002		2002–2003		2003–2004
		निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	3720.00	3720.00	3551.51	3551.51	7216.48	6367.17	0.00
2.	असम	1810.69	914.75	127.14	1453.00	512.76	265.98	0.00
3.	बिहार	0.00	1261.41	0.00	4286.00	0.00	4286.00	0.00
4.	छत्तीसगढ़	500.00	284.28	414.68	465.10	430.25	359.58	0.00
5.	गुजरात	1521.88	845.03	1227.91	446.76	559.73	200.00	0.00
6.	गोवा	8.00	1.50	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
7.	हरियाणा	930.63	635.39	443.53	815.20	1098.19	958.66	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	440.00	431.22	368.66	378.53	447.99	428.96	0.00
9.	जम्मू–कश्मीर	218.00	238.10	201.84	200.60	122.88	208.55	0.00
10.	झारखंड	500.00	0.00	578.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	2643.64	2643.64	2985.43	2985.43	2386.12	970.16	0.00
12.	केरल$	1251.07	0.00	533.44	129.50	0.00	481.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश$	1720.00	1448.64	1148.23	1737.76	2598.12	1620.02	0.00
14.	महाराष्ट्र**	2722.00	1766.09	3314.14	2384.28	1077.10	2192.46	0.00
15.	मणिपुर$	38.96	8.94	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	उडीसा	1884.00	2022.03	2480.19	1898.88	1792.01	339.36	0.00
17.	पंजाब	1784.00	184.29	0.00	161.14	0.00	1289.85	0.00
18.	राजस्थान	3738.96	2203.87	3005.41	2531.62	3422.9	2486.49	0.00
19.	सिक्किम	23.87	23.98	16.68	16.26	42.21	0.00	0.00
20.	तमिलनाडु	3558.00	2656.93	5020.32	4598.24	4500.71	2131.02	0.00
21.	त्रिपुरा	476.48	476.48	83.45	32.02	176.91	0.00	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	9398.00	6525.23	11816.86	10181.17	10173.64	13417.92	0.00
23.	उत्तरांचल	500.00	54.17	433.21	314.44	174.57	288.18	0.00
24.	पश्चिम बंगाल	5450.63	5450.63	7421.59	7178.43	6640.5	2861.25	0.00
25.	चंडीगढ़	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	12.50	0.00
26.	दिल्ली	149.91	36.71	0.00	80.97	0.00	545.23	0.00
27.	पांडिचेरी	25.18	34.41	50.00	27.06	5.81	7.75	0.00

योजना का नाम : अनुसूचित जाति विकास निगम

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000–01 निर्मुक्ति	2001–02 निर्मुक्ति	2002–03 निर्मुक्ति	2003–04 निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	792.65	0.00	498.00	0.00
2.	चंडीगढ़	38.43	0.00	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	503.70	299.85
4.	गुजरात	200.00	48.79	0.00	0.00
5.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	25.60	0.00
6.	कर्नाटक	727.39	391.00	160.50	0.00
7.	केरल	33.60	0.00	437.70	0.00
8.	महाराष्ट्र	487.96	1191.47	0.00	0.00
9.	राजस्थान	0.00	118.74	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
10.	तमिलनाडु	0.00	0.00	400.00	0.00
11.	त्रिपुरा	12.69	0.00	0.00	0.00
12.	सिक्किम	0.00	0.00	100.50	0.00
13.	उत्तर प्रदेश	300.00	350.00	314.60	0.00
14.	उत्तरांचल	0.00	0.00	61.40	0.00
15.	पश्चिम बंगाल	169.95	0.00	0.00	0.00
16.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00

नोट : राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता वर्ष के दौरान उनसे वित्तीय प्रतिबद्धता प्राप्त होने के बाद ही प्रदान की जाती है। इसलिए निधियों के उपयोग प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।

सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000–2001		2001–2002		2002–2003		2003–2004
		निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	165.66	224.70	1328.62	2966.80	प्राप्त नहीं	0.00
2.	असम	372.00	6.04	0.00	0.00	0.00	प्राप्त नहीं	0.00
3.	छत्तीसगढ़	1500.00	0.00	0.00	70.00	0.00	प्राप्त नहीं	0.00
4.	हरियाणा	0.00	106.06	0.00	68.88	0.00	प्राप्त नहीं	0.00
5.	हिमाचल प्रदेश	0.00	81.30	0.00	0.00	239.96	प्राप्त नहीं	0.00
6.	झारखंड	1065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	प्राप्त नहीं	0.00
7.	कर्नाटक	0.00	184.77	695 17	65.35	888.37	प्राप्त नहीं	0.00
8.	मध्य प्रदेश	0.00	309.77	0.00	473.47	0.00	प्राप्त नहीं	0.00
9.	महाराष्ट्र	2135.00	6.64	0.00	128.48	0.00	प्राप्त नहीं	0.00
10.	उड़ीसा	0.00	253.7	0.00	201.83	0.00	प्राप्त नहीं	0.00
11.	पंजाब	0.00	7.75	0.00	8.68	0.00	प्राप्त नहीं	0.00
12.	राजस्थान	0.00	36.17	0.00	69.58	0.00	प्राप्त नहीं	0.00
13.	तमिलनाडु	0.00	474.74	0.00	0.00	0.00	प्राप्त नहीं	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	उत्तर प्रदेश	0.00	993.16	0.00	66.34	0.00	प्राप्त नहीं	0.00
15.	उत्तरांचल	1000.00	0.00	0.00	29.70	0.00	प्राप्त नहीं	0.00
16.	पश्चिम बंगाल	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00	प्राप्त नहीं	0.00

अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000–2001		2001–2002		2002–2003		2003–2004
		निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	3099.56	4582.29	6426.72	6213.56	5804.52	प्राप्त नहीं	0.00
2.	असम	233.75	272.31	272.31	218.32	221.32	221.31	0.00
3.	बिहार	0.00	211.60	0.00	0.00	0.00	प्राप्त नहीं	0.00
4.	छत्तीसगढ़	0.00	394.84	229.97	185.90	106.83	64.42	0.00
5.	गुजरात	149.39	79.80	60.14	0.00	2.70	प्राप्त नहीं	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	2.23	0.00	प्राप्त नहीं	0.00
7.	हरियाणा	126.25	123.76	275.61	234.50	180.92	प्राप्त नहीं	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	21.23	20.23	21.84	24.81	0.00	प्राप्त नहीं	0.00
9.	जम्मू–कश्मीर	0.00	36.87	85.36	85.36	19.99	प्राप्त नहीं	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	266.64	प्राप्त नहीं	0.00
11.	कर्नाटक	1111.61	1008.39	732.13	1806.13	984.47	810.34	0.00
12.	केरल	301.90	438.16	938.16	0.00	674.44	प्राप्त नहीं	0.00
13.	मध्य प्रदेश	382.47	158.43	490.53	630.67	371.81	372.08	0.00
14.	महाराष्ट्र	727.78	378.74	658.33	1778.66	1696.66	प्राप्त नहीं	0.00
15.	मणिपुर	43.71	41.97	48.15	64.16	71.28	प्राप्त नहीं	0.00
16.	मेघालय	4.17	4.16	5.47	5.46	6.90	प्राप्त नहीं	0.00
17.	उड़ीसा	196.98	140.64	0.00	0.00	0.00	प्राप्त नहीं	0.00
18.	पंजाब	0.00	171.41	239.90	0.00	60.00	प्राप्त नहीं	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	राजस्थान	411.36	356.87	470.13	503.52	400.67	प्राप्त नहीं	0.00
20.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	प्राप्त नहीं	0.00
21.	तमिलनाडु	1950.46	1244.51	1168.95	1566.02	1658.56	770.84	0.00
22.	त्रिपुरा	141.20	141.20	138.71	102.16	85.06	प्राप्त नहीं	0.00
23.	उत्तर प्रदेश	1383.22	5301.24	2304.94	2027.81	1994.42	2105.84	0.00
24.	उत्तरांचल	0.00	0.00	411.74	169.43	0.00	प्राप्त नहीं	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	1098.42	570.37	911.06	0.00	677.37	प्राप्त नहीं	0.00
26.	दमन और दीव	1.68	0.00	2.50	1.88	0.08	प्राप्त नहीं	0.00
27.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	प्राप्त नहीं	0.00
28.	पांडिचेरी	30.00	30.35	35.00	36.17	20.03	प्राप्त नहीं	0.00

नोट : किसी वर्ष विशेष में केन्द्रीय सहायता संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अनुमानित व्यय तथा कवरेज के आधार पर निर्मुक्त की जाती है। कोई अव्ययित निधि अवशेष अथवा देय बकाया को वर्ष के केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त करते समय समायोजित किया जाता है। असमान्यता को समाप्त करने के लिए अधिक अनुमानित व्यय पिछले वर्षों से व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति पर विचार समय पर किया जाता है।

अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000–2001		2001–2002		2002–2003		2003–2004
		निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	63.90	62.55	57.94	42.34	252.60	प्राप्त नहीं	0.00
2.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11	प्राप्त नहीं	0.00
3.	बिहार	20.00	11.05	15.47	84.43	20.00	प्राप्त नहीं	0.00
4.	गोवा	0.34	0.51	0.72	0.72	0.02	प्राप्त नहीं	0.00
5.	गुजरात	459.25	347.07	510.07	578.81	0.00	प्राप्त नहीं	0.00
6.	हरियाणा	0.00	19.21	38.20	46.9	0.00	प्राप्त नहीं	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	22.05	24.27	0.00	10.26	9.74	प्राप्त नहीं	0.00
8.	जम्मू–कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09	प्राप्त नहीं	0.00
9.	कर्नाटक	3.03	10.51	3.36	5.9	11.45	1.54	0.00
10.	केरल	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	प्राप्त नहीं	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	मध्य प्रदेश	153.45	80.88	70.15	120.79	62.62	प्राप्त नहीं	0.00
12.	महाराष्ट्र	160.96	127.21	154.41	235.23	0.00	प्राप्त नहीं	0.00
13.	उड़ीसा	0.00	5.73	4.00	7.34	0.00	प्राप्त नहीं	0.00
14.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	25.31	0.00	प्राप्त नहीं	0.00
15.	राजस्थान	107.51	72.15	59.69	77.45	38.83	प्राप्त नहीं	0.00
16.	तमिलनाडु	170.25	88.64	49.72	106.11	61.50	प्राप्त नहीं	0.00
17.	त्रिपुरा	2.45	2.97	3.08	2.44	2.30	2.33	0.00
18.	पश्चिम बंगाल	0.00	1.84	2.81	2.89	5.60	प्राप्त नहीं	0.00
19.	पांडिचेरी	0.00	5.16	0.00	13.27	1.80	प्राप्त नहीं	0.00
20.	छत्तीसगढ	0.00	0.00	2.24	50.02	21.80	प्राप्त नहीं	0.00
21.	झारखंड	0.00	0.00	30.20	0.00	1.15	प्राप्त नहीं	0.00
22.	उत्तरांचल	0.00	0.00	2.21	0.00	7.78	प्राप्त नहीं	0.00

नोट : किसी वर्ष विशेष में केन्द्रीय सहायता संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अनुमानित व्यय तथा कवरेज के आधार पर निर्मुक्त की जाती है। कोई अव्ययित निधि अवशेष अथवा देय बकाया को वर्ष के केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त करते समय समायोजित किया जाता है। असमान्यता को समाप्त करने के लिए अधिक अनुमानित व्यय पिछले वर्षों से व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति पर विचार समय पर किया जाता है।

अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए छात्रावासों की योजना

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000–2001		2001–2002		2002–2003		2003–2004
		निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	462.83	462.83	42.67
2.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00	0.00	0.00
4.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00
5.	हरियाणा	0.00	0.00	2.00	0.00	4.50	0.00	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	जम्मू–कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97	0.00	0.00
8.	झारखंड	0.00	0.00	245.80	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	कर्नाटक	495.00	325.00	563.19	0.00	274.31	274.31	0.00
10.	केरल	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	मध्य प्रदेश	764.95	764.95	284.37	0.00	344.67	0.00	0.00
12.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	65.75	0.00	0.00
13.	उड़ीसा	12.75	9.96	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	पंजाब	0.00	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	89.41	0.00	0.00
16.	तमिलनाडु	0.00	0.00	182.59	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	त्रिपुरा	0.00	0.00	18.58	0.00	71.08	0.00	0.00
18.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	155.64	0.00	4.48	0.00	0.00
19.	चंडीगढ़	45.00	45.00	50.18	0.00	50.18	0.00	0.00

अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000–2001		2001–2002		2002–2003		2003–2004
		निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	505.50	456.53	0.00
2.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00
4.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	23.05	0.00	0.00
5.	हरियाणा	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	जम्मू–कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	38.64	0.00	0.00
8.	झारखंड	0.00	0.00	245.80	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	कर्नाटक	148.96	148.96	207.42	0.00	651.84	554.72	126.93
10.	केरल	0.00	0.00	45.50	0.00	79.50	0.00	0.00
11.	मध्य प्रदेश	437.51	437.51	665.74	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	उड़ीसा	12.75	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	तमिलनाडु	258.34	302.89	43.5	0.00	61.50	0.00	0.00
14.	त्रिपुरा	22.05	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00	
15.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	196.04	0.00	36.91	0.00	0.00
16.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	40.06	0.00	0.00
17.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	35.42	0.00	0.00

अनुसूचित जातियों के लिए पुस्तक बैंक

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000–2001		2001–2002		2002–2003		2003–2004
		निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	116.59	116.59	0.00	0.00	76.43	0.00	0.00
2.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	0.00	0.00
3.	बिहार	7.38	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
4.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31	0.00	0.00
5.	गोवा	0.59	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
6.	हरियाणा	3.27	3.27	0.00	0.00	8.47	0.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	जम्मू–कश्मीर	3.45	3.45	0.00	0.00	5.99	0.00	0.00
9.	कर्नाटक	20.50	20.50	33.27	0.00	115.63	0.00	0.00
10.	केरल	13.92	13.92	40.00	0.00	16.79	0.00	0.00
11.	मध्य प्रदेश	12.79	12.79	0.00	0.00	24.99	24.99	0.00
12.	महाराष्ट्र	27.03	0.00	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	मिजोरम	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	उड़ीसा	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	पंजाब	8.28	8.28	0.00	0.00	14.51	0.00	0.00
16.	राजस्थान	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	तमिलनाडु	15.21	15.21	13.38	0.00	61.86	0.00	0.00
18.	त्रिपुरा	1.68	1.68	1.86	0.00	1.18	0.00	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	103.16	0.00	87.85	11.42	0.00
20.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	0.00	0.00
21.	चंडीगढ़	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	दिल्ली	5.89	4.48	12.00	4.03	12.00	0.00	0.00

योजना का नाम : योग्यता उन्नयन

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000–2001		2001–2002		2002–2003		2003–2004
		निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	37.80	0.00	26.7	0.00	0.00
2.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	4.20	0.00	9.23	0.00	21.52	26.54	0.00
4.	गोवा	1. 05	1.05	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	हरियाणा	8.70	8.70	7.93	0.00	7.65	0.00	0.00
6.	झारखंड	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	28.20	0.00	0.00
8.	केरल	0.00	0.00	4.50	0.00	3.00	0.00	0.00
9.	मध्य प्रदेश	16.80	16.80	0.00	0.00	73.50	337.5	0.00
10.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	36.60	0.00	0.00
11.	राजस्थान	0.00	0.00	8.24	0.00	7.01	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	सिक्किम	0.75	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
13.	त्रिपुरा	1.20	1.20	1.20	0.00	3.00	1.20	0.00
14.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	30.87	0.00	36.25	30.11	0.00
15.	उत्तरांचल	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	पश्चिम बंगाल	6.01	0.00	0.00	0.00	45.90	0.00	0.00
17.	पांडिचेरी	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

योजना का नाम : अनुसूचित जातियों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध योजना

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000–2001		2001–2002		2002–2003		2003–2004
		निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	111.80	0.00	0.00
2.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
3.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	0.00	0.00
4.	हरियाणा	0.00	0.00	2.19	2.19	24.68	0.00	0.00
5.	केरल	8.69	8.69	20.86	20.86	22.01	0.00	0.00
6.	मध्य प्रदेश	44.03	44.03	0.00	0.00	19.99	0.00	0.00
7.	मेघालय	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	उड़ीसा	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	पंजाब	2.39	2.39	0.00	0.00	7.76	0.00	0.00
10.	राजस्थान	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	तमिलनाडु	0.00	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	दिल्ली	2.95	2.95	1.90	1.90	10.00	0.00	0.00

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000–2001		2001–2002		2002–2003		2003–2004
		निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	208.60	213.04	165.01	268.98	328.14	0.00	0.00
2.	असम	2.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	बिहार	34.03	47.00	0.00	47.13	65.00	0.00	0.00
4.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	88.27	74.52	30.10
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
6.	गुजरात	325.79	298.53	178.20	199.85	226.62	0.00	22.23
7.	हरियाणा	11.53	13.53	13.78	13.76	27.28	27.14	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	4.89	0.00	0.00	0.00	4.72	0.00	0.00
9.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	105.98	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	150.44	188.58	174.59	409.33	567.05	350.56	0.00
11.	केरल	41.95	43.34	44.15	26.75	73.15	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	977.24	1027.35	812.86	788.10	435.98	613.64	1180.97
13.	महाराष्ट्र	190.44	64.02	6.48	79.27	772.52	0.00	0.00
14.	उड़ीसा	0.58	1.22	0.97	1.62	0.81	0.00	0.00
15.	पंजाब	18.39	32.72	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	राजस्थान	150.00	118.52	317.38	120.91	19.29	0.00	0.00
17.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	1.41	1.91	2.90	0.00
18.	तमिलनाडु	89.08	261.4	502.48	189.24	336.67	0.00	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	448.20	717.24	700.00	785.07	886.64	927.78	1030.22
20.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	22.42	0.00	0.00
21.	दादरा और नगर हवेली	27.00	25.27	25.00	26.25	26.33	26.33	33.42
22.	पांडिचेरी	28.64	31.49	31.50	30.38	29.23	0.00	0.00

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

(रु. लाख में)

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000–2001		2001–2002		2002–2003		2003–2004
	वास्तविक निर्मुक्ति	वास्तविक व्यय	वास्तविक निर्मुक्ति	वास्तविक व्यय	वास्तविक निर्मुक्ति	वास्तविक व्यय	वास्तविक निर्मुक्ति
1. आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	645.25	0.00	0.00
2. असम	62.50	62.50	0.00	0.00	26.85	0.00	0.00
3. कर्नाटक	425.71	405.99	278.15	278.15	0.00	0.00	0.00
4. मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00	0.00	0.00
5. त्रिपुरा	95.79	95.79	110.04	110.04	171.23	171.00	0.00
6. तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
7. मणिपुर	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	1222.21	1222.21	0.00	0.00	0.00
9. उत्तरांचल	0.00	0.00	73.19	49.56	0.00	0.00	0.00
10. सिक्किम	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
11. पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	184.75	0.00	0.00
12. झारखंड	0.00	0.00	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00
13. जम्मू–कश्मीर	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000–2001		2001–2002		2002–2003		2003–2004
		निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	559.25	559.00	357.77	357.77	247.86	0.00	0.00
2.	असम	94.47	0.00	32.77	0.00	8.39	0.00	0.00
3.	बिहार	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	गोवा	25.00	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
5.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	जम्मू–कश्मीर	8.00	0.00	42.00	0.00	14.32	0.00	0.00
7.	झारखंड	0.00	0.00	191.88	189.74	214.08	0.00	0.00
8.	कर्नाटक	110.72	110.72	145.57	145.57	211.69	211.00	0.00
9.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	452.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	मणिपुर	91.36	0.00	0.00	0.00	60.20	0.00	0.00
12.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	198.95	0.00	0.00
13.	सिक्किम	0.00	0.00	0.22	0.00	5.29	0.00	0.00
14.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	352.81	0.00	0.00
15.	त्रिपुरा	0.00	0.00	63.31	63.31	254.03	0.00	0.00
16.	उत्तर प्रदेश	10.20	10.20	329.00	0.00	1016.14	1011.14	0.00
17.	उत्तरांचल	0.00	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	258.14	0.00	0.00

योजना का नाम : अन्य पिछड़े वर्ग के लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावास

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000–2001		2001–2002		2002–2003		2003–2004
		निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति	व्यय	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	188.74	188.74	210.00	0.00	0.00
2.	बिहार	0.00	0.00	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	जम्मू–कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	108.27	0.00	0.00
4.	झारखंड	0.00	0.00	147.28	145.81	0.00	0.00	83.16
5.	कर्नाटक	183.23	183.23	216.99	149.6	263.77	0.00	0.00
6.	मणिपुर	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
8.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	120.04	0.00	161.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	सिक्किम	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
11.	तमिलनाडु	259.86	259.86	157.28	0.00	283.50	0.00	0.00
12.	त्रिपुरा	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	265.13	265.13	195.47	0.00	0.00
14.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	68.95	0.00	0.00

अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2000–01 नए मामलों सहित निर्मुक्त राशि	2001–02 नए मामलों सहित निर्मुक्त राशि	2002–03 नए मामलों सहित निर्मुक्त राशि	2003–04 नए मामलों सहित निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	292.10	513.45	352.02	109.74
2.	असम	55.48	40.83	29.34	7.42
3.	बिहार	46.68	89.61	96.48	18.15
4.	छत्तीसगढ़	0.00	3.32	11.55	0.00
5.	दिल्ली	237.69	231.94	186.42	81.34
6.	गुजरात	38.91	60.19	89.52	29.16
7.	हरियाणा	35.56	15.96	21.21	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1.45	19.47	0.78	0.00
9.	जम्मू–कश्मीर	7.59	1.45	0.00	0.00
10.	झारखंड	0.00	1.91	0.00	0.00
11.	कर्नाटक	286.47	290.15	256.21	87.36
12.	केरल	17.03	9.89	1.16	11.00
13.	मध्य प्रदेश	69.99	171.08	174.26	115.94
14.	महाराष्ट्र	88.64	145.15	184.17	78.79
15.	मणिपुर	39.82	30.38	29.33	3.83

1	2	3	4	5	6
16.	उड़ीसा	336.90	330.47	279.47	133.276
17.	पंजाब	6.71	1.85	0.00	0.00
18.	राजस्थान	95.19	126.53	230.87	144.18
19.	सिक्किम	0.00	1.86	0.00	0.00
20.	त्रिपुरा	10.25	3.93	1.71	0.00
21.	तमिलनाडु	48.01	69.62	17.66	10.86
22.	उत्तर प्रदेश	355.70	468.02	239.23	52.17
23.	उत्तरांचल	1.99	33.16	17.69	9.40
24.	पश्चिम बंगाल	177.59	239.73	180.93	50.12
	कुल	2249.75	2900.00	2400.00	942.72

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2000-01 नए मामलों सहित निर्मुक्त राशि	2001-02 नए मामलों सहित निर्मुक्त राशि	2002-03 नए मामलों सहित निर्मुक्त राशि	2003-04 नए मामलों सहित निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	9.71	26.23	25.55	10.53
2.	असम	7.04	9.21	13.30	2.76
3.	बिहार	0.00	5.13	0.00	0.00
4.	दिल्ली	19.67	52.77	59.37	15.57
5.	गुजरात	4.67	0.00	1.22	2.30
6.	हरियाणा	5.39	13.90	19.31	0.00
7.	जम्मू-कश्मीर	3.26	3.40	0.00	0.00
8.	झारखंड	0.00	1.05	1.23	0.00
9.	कर्नाटक	2.88	13.38	10.31	3.75
10.	मध्य प्रदेश	24.14	18.18	54.07	2.43
11.	महाराष्ट्र	20.77	76.39	99.66	12.06

1	2	3	4	5	6
12.	मणिपुर	23.40	31.95	35.17	9.38
13.	उड़ीसा	16.31	13.63	29.15	4.76
14.	पंजाब	0.00	1.17	0.00	0.00
15.	राजस्थान	0.00	10.66	47.16	8.63
16.	सिक्किम	2.11	2.18	0.00	0.00
17.	तमिलनाडु	2.80	4.85	2.72	0.00
18.	उत्तर प्रदेश	12.10	79.33	72.47	5.39
19.	उत्तरांचल	0.00	6.04	2.59	0.00
20.	पश्चिम बंगाल	2.56	11.00	6.13	1.28
	कुल	157.17	380.45	479.41	79.31

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

(रु. लाख में)

क्र.स.	राज्य का नाम	2000–01 नए मामलों सहित निर्मुक्त राशि	2001–02 नए मामलों सहित निर्मुक्त राशि	2002–03 नए मामलों सहित निर्मुक्त राशि	2003–04 नए मामलों सहित निर्मुक्त राशि
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	15.96	8.28	0.00
2.	असम	0.00	1.50	0.00	0.00
3.	दिल्ली	0.00	1.52	0.00	0.00
4.	केरल	0.00	4.09	0.69	0.00
5.	कर्नाटक	0.00	2.84	0.00	0.00
6.	मध्य प्रदेश	0.00	22.18	5.60	0.00
7.	महाराष्ट्र	0.00	4.60	0.00	0.00
8.	मणिपुर	0.00	1.30	0.75	0.00
9.	उड़ीसा	1.00	4.48	1.35	1.69
10.	राजस्थान	0.00	0.38	0.00	0.00
11.	उत्तर प्रदेश	0.00	6.17	0.00	0.00
12.	उत्तरांचल	0.00	0.72	0.00	0.00
	कुल	1.00	65.74	16.67	1.69

इन्टरनेट के माध्यम से रेल टिकट बुकिंग

1605. **श्री रमेश चेन्नितला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चयनित शहरों में इन्टरनेट के माध्यम से रेल टिकट बुकिंग आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ग) क्या इस प्रणाली का अन्य शहरों में भी विस्तार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) इंटरनेट के माध्यम से रेल टिकट जारी करने की सुविधा 3.8.2002 को प्रारंभ की गई थी। 24.7.2003 तक यह सुविधा 67 शहरों में उपलब्ध है। इन शहरों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस सुविधा के बारे में जनता की प्रतिक्रिया के संबंध में उल्लेखनीय है कि अप्रैल, 2003 माह की व्यस्ततम मांग के दौरान इंटरनेट के माध्यम से 53,171 टिकट बुक किए गए थे।

(ग) और (घ) जी, हां। यह सुविधा देश में अधिक से अधिक शहरों में सतत रूप से बढ़ाई जा रही है। यह सुविधा शीघ्र ही शिलांग, सहारनपुर, रुड़की, मेरठ, बरेली, इज्जतनगर, कोटा, ग्वालियर, मथुरा, करनाल, अलीगढ़ और यमुनानगर शहरों में भी बढ़ाए जाने की योजना है।

विवरण

उन शहरों की सूची जहां 31.7.2003 तक इंटरनेट टिकटों की कूरियर द्वारा सुपुर्दगी उपलब्ध है

क्र.सं.	शिप सिटी सूची	बिक्री किए गए टिकट
1	2	3
1.	आगरा	52
2.	अगरतला	0
3.	अहमदाबाद	8641
4.	अलपुझा	19
5.	इलाहाबाद	69
6.	अल्वा	13
7.	अमृतसर	10
8.	आनंद	55
9.	बैंगलूरू	36914
10.	वडोदरा	4860
11.	भोपाल	1205
12.	भुवनेश्वर	78
13.	चंडीगढ़	927
14.	चेन्नै	57779
15.	कोयम्बटूर	251
16.	दार्जिलिंग	2
17.	देहरादून	107
18.	फरीदाबाद	2048
19.	गांधीनगर	66
20.	गाजियाबाद	2003
21.	गोवा	71
22.	गुड़गांव	10419
23.	गुवाहाटी	59
24.	हल्द्वानी	1
25.	हैदराबाद	12084
26.	इंदौर	1692
27.	जबलपुर	42
28.	जयपुर	1616
29.	जालंधर	46

1	2	3
30.	जम्मू	0
31.	कन्नूर	16
32.	कानपुर	944
33.	कोचि	297
34.	कोलकाता	7967
35.	कोल्लम	18
36.	कोट्टायम	18
37.	कोझिकोड	57
38.	लखनऊ	1801
39.	लुधियाना	97
40.	मंगलोर	46
41.	मदुरै	0
42.	मुंबई	115464
43.	मैसूर	0
44.	नागपुर	3894
45.	नैनीताल	1
46.	नासिक	17
47.	नवी मुंबई	56
48.	नई दिल्ली	76280
49.	नोएडा	8739
50.	पालक्कड़	41
51.	पटना	186
52.	पुणे	9458
53.	राजकोट	12
54.	सिकंदराबाद	3711
55.	सिलीगुड़ी	3
56.	सिलवासा	32
57.	सूरत	1551
58.	थाणे	98
59.	तिरूचिरापल्ली	50
60.	तिरूप्पुर	33
61.	तिरूवल्ला	9
62.	तिरूवनंतपुरम	257
63.	त्रिसूर	52
64.	वापी	35
65.	वाराणसी	44
66.	विजयवाड़ा	10
67.	विशाखापत्तनम	504
		372927

चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र में अग्नि दुर्घटना

1606. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में सुपर ताप विद्युत केन्द्र में 2 जुलाई, 2003 को आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत केन्द्र में आग लगने के क्या कारण हैं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितने लोग मारे गए और घायल हुए हैं; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम.एस.ई.बी) के उपरान्त यूनिट सं. 6 कंडेनसर कूलिंग वाटर पम्प हाउस के 11 के. वी. ब्रेकर पैनर के पीछे की तरफ फ्लोड ओवर होने के कारण

दिनांक 2 जुलाई, 2003 को 1420 बजे एम.एस.ई.बी के चन्द्रपुर सुपर ताप विद्युत स्टेशन में एक दुर्घटना हुई थी। फ्लेग ओवर के कारण 6 कार्मिक आग में झुलस गये जिसमें से एक कार्मिक की 8 जुलाई, 2003 को झुलसने से मृत्यु हो गई।

(ङ) जैसा कि एम.एस.ई.बी द्वारा सूचित किया गया है कि भविष्य में और सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए उनके निम्नलिखित एहतियाति उपाय किए जा रहे हैं।

(i) सभी एच.टी. 11 के.वी और 3.3 के.वी पैनल के सभी इनकमिंग क्यूबिकल पर अपस्ट्रीम ब्रेकर हटाये जाएंगे और चार दीवारी में रखे जाएंगे।

(ii) स्थानीय स्विचगियरों से परमिट जारी करने की विद्यमान प्रणाली को बन्द कर दिया गया है और अब सभी परमिट शिफ्ट चार्ज इंजीनियर द्वारा सेंट्रल प्लांट कंट्रोल रूम से जारी किए जाते हैं।

(iii) 11 के.वी. और 3.3 स्विचगियर के इनकमर फीडरों के पीछे दरवाजे में पेडलोरिंग व्यवस्था की जा रही है।

(iv) स्विचगियर कक्ष में प्रवेश केवल अधिकृत लोगों के लिए ही है जिन्हें कि स्विचगियर पर प्रचालन या अनुरक्षण कार्य करने की अनुमति होती है।

(v) पीछे दरवाजे के असावधानीपूर्वक खुलने की दशा में इनकमर ब्रेकर को ट्रिप आउट करने के लिए वैद्युत या यांत्रिकी इंटरलोकिंग सिस्टम को शामिल करने के लिए स्विचगियर पर के निर्माताओं से सम्भावना खोजी जा रही है।

(vi) वैद्युत स्विचगियर इसोलेसन और पूर्व सुरक्षा उपायों के संबंध में आपरेटरों और अनुरक्षक कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की जा रही है।

एन.सी.ई.एस. द्वारा गांवों का विद्युतीकरण

1607. श्री बसुदेव आचार्य : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मंत्रियों के समूह द्वारा सिफारिश किए गए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से गांवों के विद्युतीकरण हेतु ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 90 : 10 (90 प्रतिशत केन्द्रीय धनराशि और 10 प्रतिशत राज्य धनराशि) की वित्तपोषण प्रणाली के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्युतीकरण विशेषकर पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में विद्युतीकरण हेतु अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है/आवंटित करने का प्रस्ताव है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से दूर–दराज के गांवों के विद्युतीकरण के लिए निधियन की पद्धति में संशोधन किया गया है ताकि सभी विशेष श्रेणी के राज्यों व द्वीप समूहों (संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर) में 90 प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से दूर–दराज के गांवों के विद्युतीकरण के लिए कार्यक्रम का कार्यान्वयन पश्चिम बंगाल अक्षय ऊर्जा एजेंसी (वब्रेडा), कोलकाता के माध्यम से किया जा रहा है। वब्रेडा ने संकेत दिया है कि वर्ष 2003–04 कार्यक्रम के अंतर्गत सुंदरवन क्षेत्रों सहित राज्य में सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) माध्यम से विद्युतीकरण के लिए दूर–दराज के 311 गांवों को लिया जाएगा। तथापि वब्रेडा द्वारा विस्तृत प्रस्तावों को अभी प्रस्तुत किया जाना है। चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए वब्रेडा को अब तक कोई निधि आवंटित नहीं की गई है।

पूर्वोत्तर में अधिष्ठापित जल विद्युत क्षमता की संभावनाएं

1608. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में 63257 मेगावाट जल विद्युत की संभावनाओं का अनुमान है लेकिम वर्ष 2002–03 तक मात्र 1,145 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में संयुक्त रूप से 25000 मेगावाट क्षमता का उत्पादन करने वाली कई परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस क्षमता के दोहन हेतु देश के कई भागों में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 1978–87 तक किए गए पुनः–मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र की अभिज्ञात जल विद्युत क्षमता 58971 मेगावाट आंकी गई है। इसमें से अब तक 1070 मेगावाट अभिज्ञात क्षमता का दोहन किया जा चुका है और 379 मेगावाट क्षमता निवेश अनुमोदन के बाद निर्माणाधीन है (3 मेगावाट क्षमता से अधिक की जल विद्युत स्कीमों के मद्देनजर)।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत क्षमता की धीमी प्रगति के निम्नलिखित कारण हैं :

(i) पुनर्वास समस्या

(ii) अंतःराज्यीय पहलू

(iii) पर्यावरण एवं वन स्वीकृति संबंधी समस्याएं

(iv) कानून–व्यवस्था की समस्या

(v) भूमि अधिग्रहण की समस्या

(vi) भू–वैज्ञानिक जोखिम

(vii) जलीय स्थालों का सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में होना।

(ग) और (घ) जी, हां। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्रियान्वयन हेतु सरकार ने अनेक परियोजनाएं तैयार करने की योजना बनाई है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं संग्लन विवरण–1 में दी गई हैं।

(ङ) जी, हां। 10वीं योजना में 14393 मेगावाट विद्युत तथा 11वीं योजना में लगभग 23,000 मेगावाट विद्युत जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा सरकार ने मई, 2003 में 50,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का निर्माण योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगभग 50,000 मेगावाट की अनुमानित क्षमता की देश के विभिन्न क्षेत्रों में 162 जल विद्युत स्कीमों के संबंध में प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार किए जाने हैं। इनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में 30427 मेगावाट की अनुमानित क्षमता वाली साठ स्कीमें शामिल हैं, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्कीम की संख्या	आई.सी. (मेगावाट)
1.	अरुणाचल प्रदेश	42	25690
2.	मणिपुर	3	407
3.	मेघालय	9	1490
4.	नागालैंड	3	970
5.	मिजोरम	3	1870
	कुल	60	30427

(च) 10वीं एवं 11वीं योजना के दौरान प्रस्तावित जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि के ब्यौरे संग्लन विवरण–1 के रूप में दिए गए हैं।

विवरण-I

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास हेतु प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	स्कीम/राज्य/क्रियान्वयक एजेंसी का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
1.	कामेंग, अरुणाचल प्रदेश, नीपको	4x150=600
2.	सुबनसिरी लोअर, अरुणाचल प्रदेश, एनएचपीसी	8x250=2000
3.	सुबानसिरी मिडिल, अरुणाचल प्रदेश, एनएचपीसी	8x200=1600
4.	सुबानसिरी अपर, अरुणाचल प्रदेश, एनएचपीसी	8x250=2000
5.	सियांग मिडिल, अरुणाचल प्रदेश, एनएचपीसी	4x250=1000

1	2	3
6.	सियांग अपर, अरुणाचल प्रदेश, एनएचपीसी	11000
7.	रंगानदी चरण–II, अरुणाचल प्रदेश, नीपको	2x65=130
8.	दिकरोंग, अरुणाचल प्रदेश, नीपको	2x50=100
9.	कोपिली जल विद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश, नीपको	25
10.	लोअर कोपिली, असम, नीपको	3x50=150
11.	हिरित, अरुणाचल प्रदेश, नीपको	50
12.	पापुम्पम, अरुणाचल प्रदेश, नीपको	60
13.	तिपाईमुख, मणिपुर, नीपको	1500
14.	तुईवई, मिजोरम, नीपको	3x70=210
15.	बैराबी, मिजोरम, मिजोरम सरकार	2x40=80
16.	तुरियल जल विद्युत परियोजना, मिजोरम, नीपको	60
17.	त्रिपुरा गैस आधारित विद्युत परियोजना, त्रिपुरा, नीपको	280
	कुल	20845

विवरण-II

10वीं योजना के दौरान प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना अभिवृद्धि
(एमएनईएस के अधीन 25 मेगावाट की अक्षय परियोजनाओं को छोड़कर)

आईडी नं.	परियोजना/राज्य का नाम	रेटिंग सं.xमेगावाट = मेगावाट	10वीं योजना के दौरान लाभ 2002–07	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
क. चालू यूनिटें				
एसएस–6	सरदार सरोवर गुजरात/महाराष्ट्र/मध्य प्रदेश/गुजरात		100	
एसएस–8	बाणसागर टोंस पीएच–II,	2x15	15	
	पीएच–III मध्य प्रदेश	3x20 = 90 मेगावाट	20	
एसएस–12	श्रीसेलम एलबीपीएच आंध्र प्रदेश	6x150 = 900 मेगावाट	300	
पीटी–1	बास्पा–11 हिमाचल प्रदेश	3x100 = 300 मेगावाट	300	
	उप जोड़ (क) चालू यूनिटें		735	
ख. क्रियान्वयनाधीन परियोजना				
एनएचपीसी				
सीएस–1	धौलीगंगा–1 उत्तरांचल	4x70 = 280 मेगावाट	280	
सीएस–2	चमेरा चरण–II हिमाचल प्रदेश	3x100 = 300 मेगावाट	300	

1	2	3	4	5
सीएस–3	दुलहस्ती जम्मू व कश्मीर	3x130 = 390 मेगावाट	390	
सीएस–4	तीस्ता–5 सिक्किम	3x170 = 510 मेगावाट	510	
मध्य प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त उद्यम (एनएचडीसी)				
सीएस–9	इंदिरा सागर मध्य प्रदेश	8x125 = 1000 मेगावाट	1000	
पश्चिम बंगाल के साथ संयुक्त उद्यम				
सीएस–11	पुरुलिया पीएसएस पश्चिम बंगाल	4x225 = 900 मेगावाट	900	
	उप जोड़ एनएचपीसी संयुक्त उद्यम सहित		3380	
एनजेपीसी				
सीएस–12	नाथपा झाकड़ी	6x250 = 1500 मेगावाट	1500	
टीएचडीसी				
सीएस–14	टिहरी चरण–1 उत्तरांचल	4x250 = 1000 मेगावाट	1000	
सीएस–16	कोटेश्वर उत्तरांचल	4x100 = 400 मेगावाट	400	
	उप जोड़ टीएचडीसी		1400	
नीपको				
सीएस–17	कोपिली चरण–2 असम	1x25 = 25 मेगावाट	25	
सीएस–18	तुरियल मिजोरम	2x30 = 60 मेगावाट	60	
	उप जोड़ नीपको		85	
	उप जोड़ (ख) केन्द्रीय क्षेत्र		6365	
राज्य क्षेत्र (एसएस)				
उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.)				
एसएस–1	लारजी हिमाचल प्रदेश	3x42 = 126 मेगावाट	126	
एसएस–3	बागलिहार जम्मू और कश्मीर	3x150 = 450 मेगावाट	450	
एसएस–5	मनेरी भाली–2 उत्तरांचल	4x76 = 304 मेगावाट	304	
	उप जोड़ एसएस (उ.क्षे.)		880	
पश्चिमी क्षेत्र				
एसएस–6	सरदार सरोवर गुजरात/महाराष्ट्र/मध्य प्रदेश/गुजरात	6x200+5x50 = 1450 मेगावाट	1350	

1	2	3	4	5
एसएस–7	माधिखेड़ा मध्य प्रदेश	2x20 = 40 मेगावाट	40	
एसएस–9	बानसागर टोंस पीएच–4 मध्य प्रदेश	2x10 = 20 मेगावाट	20	
एसएस–10	घाटघर पीएसएस महाराष्ट्र	2x125 = 250 मेगावाट	250	
	उप जोड़ एसएस (द.क्षे.)		1660	
दक्षिणी क्षेत्र				
एसएस–12	श्रीसेलम एलबीपीएच आंध्र प्रदेश	6x150 = 900 मेगावाट	150	
एसएस–13	अलमाटी डेम कर्नाटक	1x15 + 5x55 = 290 मेगावाट	290	
एसएस–15	पायकारा अलटिमेट तमिलनाडु	3x50 = 150 मेगावाट	150	
एसएस–16	भवानी काटालाइ बराज–1 तमिलनाडु	2x15 = 30 मेगावाट	30	
			620	
	उप जोड़ एसएस (द.क्षे.)		3160	
निजी क्षेत्र				
पीटी–3	विष्णु प्रयाग उत्तरांचल	4x100 = 400 मेगावाट	400	
ग. परियोजना कार्य अभी हाथ में लिया गया है और जारी है				
एसएस–18	कारबी लंगपी (लोअर बारपानी) असम	2x50 = 100 मेगावाट	100	
पीटी–4	महेश्वर मध्य प्रदेश	10x40 = 400 मेगावाट	400	
	उप जोड़ (ग) लिया गया कार्य		500	
घ. परियोजना जो सौंपे जाने के अधीन हैं/जारी हैं				
सीएस–10	ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश	8x65 = 520 मेगावाट	520	
एसएस–2	कशांग–1 हिमाचल प्रदेश	2x33 = 66 मेगावाट	66	
एसएस–11	प्रियदशनी जुराला	6x39.1 = 235 मेगावाट	78.2	
एसएस–14	कुट्टीयाडी संवर्द्धन केरल	2x50 = 100 मेगावाट	100	
एसएस–16	भवानी कटालाइ बराज 2 और 3 तमिलनाडु	2x2x15 = 60 मेगावाट	60	
एसएस–17	बालीमेला विस्तार उड़ीसा	2x75 = 150 मेगावाट	150	
एसएस–19	मिन्टडु (लेशका) चरण–1 मेघालय	2x42 = 84 मेगावाट	84	
पीटी–2	धमवारी सुन्डा हिमाचल प्रदेश	2x35 = 70 मेगावाट	70	
	उप जोड़ (घ) परियोजना जो सौंपे जाने के अधीन हैं/जारी हैं		1128.2	

1	2	3	4	5
अनुमोदनाधीन जल विद्युत परियोजनाएं (सीईए स्वीकृति)				
सीएस–5	सेवा–2 (एनएचपीसी) जम्मू और कश्मीर	3x40 = 120 मेगावाट	120	
सीएस–6	तीस्ता लो डेम 3 (एनएचपीसी) पश्चिम बंगाल	4x33 = 132 मेगावाट	132	
सीएस–15	टेहरी चरण–2 पीएसएस उत्तरांचल	4x250 = 1000 मेगावाट	1000	
एसएस–4	शाहपुरकुंडी पंजाब	2x40+2x40+1x8 = 168 मेगावाट	168	
एसएस–20	बैराबी डेम मिजोरम	2x40 = 80 मेगावाट	80	
	उपजोड़ (छ) अनुमोदनाधीन		1500	
च. नई परियोजनाएं				
सीएस–7	तीस्ता लो डेम–4 पश्चिम बंगाल	4x42 = 168 मेगावाट	168	
सीएस–8	वा–2 महाराष्ट्र	37 मेगावाट	37	
सीएस–13	रामपुर एचई परियोजना हिमाचल प्रदेश (संयुक्त परियोजना)	400 मेगावाट	400	
	उप जोड़ (च)–नई परियोजनाएं	605		
	कुल अखिल भारत		14393.2	

नोट : निम्नलिखित अंतःराज्यीय एवं बाहरी मामले आरंमन के लिए काफी महत्वपूर्ण है :

(1) इंधिरा सागर बांध को 243.19 मीटर (एमडीडीएल) के न्यूनतम स्तर तक उठाना : इसकी ऊंचाई को ई–1 238.0 तक बढ़ाने का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। बांध की ऊंचाई में और अधिक वृद्धि आर एंड आर पर निर्भर है जो म.प्र. सरकार द्वारा किया जाता है।

(2) पुनर्वास अनिश्चित रिथति (कानून एवं व्यवस्था) तथा विपथन सुरंग टी–1 और टी–2 की बंदी।

(3) एमओईएफ से पारेषण लाइन की स्वीकृति आरक्षित वन के लिए अभी प्रतीक्षित है।

(4) वर्ष 2003–04 में 27.5.2003 को 100 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि पहले ही प्राप्त कर ली गई है।

11वीं योजना के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं से लाभ

क्र.सं. स्कीम का नाम	राज्य/एजेंसी	आईसी (मेगावाट)	11वीं योजना
1 2	3	4	5
1. पार्बती–1 (एमओईएफ द्वारा अस्वीकृत)	एनएचपीसी	750	750
2. पार्बती–II	एनएचपीसी	800	800
3. पार्बती–III	एनएचपीसी	520	520
4. पकालडल	एनएचपीसी	1000	1000
5. बरसर	एनएचपीसी	1020	1020
6. निम्बो बाजगो	एनएचपीसी	445	445
7. चमेरा–III	एनएचपीसी	231	231
8. थोपन पावरी	एनजेपीसी	400	400
9. शोंगटोंग करछाम	एनजेपीसी	400	400
10. कोल बांध	एनटीपीसी	800	800

1	2	3	4	5
11.	लोहारी नागपाला	टीएचडीसी	520	520
12.	पालामनेरी	टीएचडीसी	416	416
13.	उहल–III	हिमाचल प्रदेश	100	100
14.	चिरगांव	हिमाचल प्रदेश	46	46
15.	पुदिताल लास	हिमाचल प्रदेश	36	36
16.	तांगू रोमई	हिमाचल प्रदेश	44	44
17.	कशांग–II	हिमाचल प्रदेश	94	94
18.	सवारा कुड्डू	हिमाचल प्रदेश	144	144
19.	सोरांग	हिमाचल प्रदेश	100	100
20	टिडोंग	हिमाचल प्रदेश	100	100
21.	रेनुका बांध	हिमाचल प्रदेश	40	40
22.	परनई	जम्मू व कश्मीर	37.5	37.5
23.	न्यू गांडेरबल	जम्मू व कश्मीर	45	45
24.	सोनमर्ग	जम्मू व कश्मीर	120	120
25.	गंगबल	जम्मू व कश्मीर	100	100
26.	सितकारी कुलां	जम्मू व कश्मीर	84	84
27.	सावलकोट	जम्मू व कश्मीर	600	600
28.	एसवाईएल कैनाल	पंजाब	50	50
29.	यूबीडीसी+एमएचपी–III	पंजाब	50	50
30	शाहपुर कंडी विस्तार	पंजाब	56	56
31.	तुनिपलासू	उत्तरांचल	42	42
32.	अलाइन दुहंगन	हिमाचल प्रदेश	192	192
33.	करछाम वांग्चू	हिमाचल प्रदेश	1000	1000
34.	हरसर	हिमाचल प्रदेश	60	60
35.	बुधिल	हिमाचल प्रदेश	70	70
36.	कुगती	हिमाचल प्रदेश	45	45
37.	भरमौर	हिमाचल प्रदेश	45	45
38.	धौलासिद्ध	हिमाचल प्रदेश	50	50
39.	मलाना–II	हिमाचल प्रदेश	100	100
40.	सैंज	हिमाचल प्रदेश	100	100
41.	श्रीनगर	उत्तरांचल	330	330
42.	होगनक्कल	एनएचपीसी	120	120
43.	मेकादातू	एनएचपीसी	400	400
44.	रसीमनाल	एनएचपीसी	360	360
45.	अपर कृष्णा	एनएचपीसी	810	810
46.	शिवसमुद्रम	एनएचपीसी	270	270
47.	नागार्जुन टेल	आंध्र प्रदेश	50	50
48.	जुराला प्रिया	आंध्र प्रदेश	235	157
49.	महादायी	कर्नाटक	320	320
50.	वाराही	कर्नाटक	230	230
51.	पी. कुट्टी	केरल	240	240
52.	अदिरापल्ली	केरल	163	163
53.	कोयल कारो	एनएचपीसी	710	710
54.	फरक्का बैराज	एनएचपीसी	125	125
55.	स्थांग्चू	सिक्किम	30	30
56.	राम्मम चरण–4	पश्चिम बंगाल	60	60
57.	राम्मम–1	पश्चिम बंगाल	36	36
58.	बालीमेला डीपीएच	उड़ीसा	60	60
59.	रंगानदी–II	नीपको	130	130
60.	कामेंग	नीपको	600	600
61.	तुईवई	नीपको	210	210
62.	लोअर कोपिली	नीपको	150	150

1	2	3	4	5
63.	दिकरोंग	नीपको	100	100
64.	तिपाईमुख	नीपको	1500	1500
65.	लोकतक डीएस	एनएचपीसी	90	90
66.	सुबनसिरी अपर	एनएचपीसी	2000	2000
67.	सुबनसिरी मिडिल	एनएचपीसी	1600	1600
68.	सुबनसिरि लोअर	एनएचपीसी	2000	2000
	कुल		23836.5	23358.5

दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय का स्थानांतरण

1609. श्री प्रबोध पण्डा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के कार्यालय को कोलकाता स्थित पूर्वी जोन से खड़गपुर में स्थानांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पावर ग्रिड कारपोरेशन को विश्व बैंक से ऋण

1610. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड हेतु विश्व बैंक से ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के लिए ऋण प्रदान करने हेतु सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) तत्संबंधी निबंधन और शर्तें क्या हैं; और

(ङ) महाराष्ट्र सरकार उक्त ऋण से कितनी लाभान्वित होगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (घ) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने 13, जून, 2001 को 450 मिलियन (पीएसडीपी–2, एलएन 4603 इन) अमेरिकी डालर के ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। उक्त ऋण में पीजीसीआईएल की निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल हैं :

(i) पूर्वी–उत्तरी इंटरकनेक्टर–1 परियोजना (सासाराम एचवीडीसी बी/बी परियोजना)

(ii) पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में प्रणाली समन्वय एवं नियंत्रण परियोजनाएं

(iii) दूरसंचार क्षेत्र में पावरग्रिड का प्रवेश

(iv) उच्च क्षमता वाली पूर्वी उत्तरी इंटरकनेक्टर–2

(v) दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रिड में प्रणाली सुदृढ़ीकरण–3

(vi) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र

(vii) पूर्व में स्वीकृत विश्व बैंक ऋण (संख्या 3577–इन एवं सं. 3237–इन) के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही परियोजनाएं पूरी।

यह ऋण 21.11.2001 से प्रभावी है और 30.6.2006 को बंद हो जाएगा। लिबॉर आधारित ब्याज दर वाले इस ऋण का भुगतान 15.12.2006 से शुरू होगा और इसके भुगतान की अवधि 15 वर्ष होगी।

(ङ) पश्चिमी क्षेत्र में प्रणाली समन्वय एवं नियंत्रण परियोजना, जिसका क्रियान्वयन विश्व बैंक के वित्त पोषण के अंतर्गत किया जा रहा है, से क्षेत्र में (महाराष्ट्र समेत) विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं प्रणाली सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र समेत पश्चिमी क्षेत्र के संघटक राज्य भी पावर ग्रिड की दूरसंचार प्रणाली परियोजना से लाभान्वित होंगे और विश्व बैंक के वित्त पोषण से राष्ट्रीय भार प्रेषण परियोजना का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

स्वापकों (नारकोटिक्स) के विज्ञापनों पर प्रतिबंध

1611. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केबल टीवी और निजी चैनलों के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे स्वापकों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) सभी उपग्रह चैनलों के कार्यक्रमों को केबल नेटवर्कों के जरिए प्रसारित/पुनःप्रसारित किए जाने पर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन करना अपेक्षित होता है।

जनता और संस्थाओं के सदस्यों से विज्ञापन संहिता के तथाकथित उल्लंघनों के बारे में समय-समय पर शिकायत/सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। केन्द्र सरकार ने प्रसारण संहिता के उल्लंघनों की जांच करने के लिए इस अधिनियम की धारा 20 के तहत एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है। इस समिति द्वारा विज्ञापन संहिता के किसी उल्लंघन पर संज्ञान स्वतः अथवा विशेष शिकायत प्राप्त होने पर लिया जाता है। विज्ञापन संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ सिगरेटों, तंबाकू उत्पादों, मदिरा, अल्कोहल, शराब अथवा अन्य मादक द्रव्यों के उत्पादन बिक्री अथवा उपभोग को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर रोक है।

[अनुवाद]

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

1612. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने 97 सरकारी क्षेत्र की उन इकाइयों की आलोचना की है, जिनके घाटे में वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2000-2001 में 33.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो घाटे में चल रही इकाइयों को अर्थक्षम बनाने और उनके कार्यकरण को सुचारु बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते) : (क) मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, संघ सरकार (वाणिज्यिक), सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, लेखे की समीक्षा 2003 की संख्या 1, जिसे 24.4.2003 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया था, के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 97 उपक्रमों का संचयी घाटा वर्ष 1999-2000 के 45,527 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2001-2002 में 60,996 करोड़ रुपए (अर्थात 33.98 प्रतिशत) हो गया था।

(ख) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा सरकारी क्षेत्र के रुग्ण/घाटा उठाने वाले उपक्रमों के पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन के लिए कर्मचारियों सहित अन्य हितधारकों से विचार-विमर्श करके उद्यम सापेक्ष उपाय किए जाते हैं। इस संबंध में किए गए कुछ सामान्य उपायों में सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले उपक्रमों के पुनर्स्थापन वह पुनरुद्धार की योजनाएं तैयार करने के लिए उन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपना, जिनकी निवल परिसंपत्तियां ऋणात्मक हो गई हैं, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की आवधिक समीक्षा करना, व्यापार तथा वित्तीय पुनर्गठन, नए सिरे से धनराशि लगाना, प्रौद्योगिकी सुमन्नयन, बेहतर विपणन रणनीतियां, क्रय, अधिमानता नीति, लागत नियंत्रण उपाय, जनशक्ति या यौक्तिकीकरण इत्यादि शामिल हैं।

[हिन्दी]

पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों हेतु पदोन्नति में आरक्षण

1613. श्री शिवाजी माने :
श्री मानसिंह पटेल :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े वर्गों के सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण देने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ङ) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मुआवजे संबंधी दावों का निपटान

1614. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा रेल दुर्घटनाओं में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को कितनी राशि का मुआवजा दिया जा रहा है;

(ख) क्या मंत्रालय अपने आप को एक लाख रुपए के अनुग्रह भुगतान तक सीमित कर रहा है और शोक संतप्त परिवार को अपने आधिकारिक देयों हेतु रेल दावा अधिकरण का दरवाजा खटखटाने हेतु छोड़ देता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या निजी मामले में इस बात का निर्णय करने हेतु कोई कानून है कि यदि रेल दुर्घटना में घायल व्यक्ति बाद में मर जाता है तो उसका परिवार इस धनराशि का दावा कर सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में स्पष्ट नियम का स्वरूप क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) गाड़ी दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को रेलवे द्वारा मुआवजे के रूप में 4 लाख रु. की राशि का भुगतान किया जाता है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) रेलवे दुर्घटना एवं अप्रिय घटना (क्षतिपूर्ति) संशोधन नियम, 1997 के नियम 3 के उपनियम 4 में उल्लेख है कि जहां चोट लगने के कारण किए गए भुगतान की राशि उस मुआवजे की राशि से कम है जिसे एक चोटिल व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर दी जाती है और किसी व्यक्ति की मृत्यु चोट लगने के कारण होती है, तो मृत्यु के लिए देय राशि तथा पहले से ही भुगतान की गई राशि के अंतर के बराबर क्षतिपूर्ति की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

विवरण

जी, नहीं। अनुग्रह राशि एक तरह की तात्कालिक राहत है जो दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों/परिवारों को दी जाती है ताकि वे अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा सकें और भुगतान की गई इस राशि की गणना रेल दावा अधिकरण द्वारा दिए गए अवार्ड में नहीं की जाती है।

(i) गाड़ी दुर्घटनाओं में रेल यात्रियों की मृत्यु/चोट लगने पर मुआवजे का दावा करने के लिए रेल दावा अधिकरण में दावों को दायर करना एक सांविधिक आवश्यकता है। फिर भी गाड़ी में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों द्वारा दायर किए गए दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित सहायता दी जाती है :

- मुख्य दावाधिकारी के अधीन एक दुर्घटना कक्ष की स्थापना की गई है जो मृत्यु, चोट के सभी मामलों में राहत देने की प्रक्रिया की निगरानी करता है।

- दुर्घटना स्थलों तथा जहां तक संभव हो सके, उनके आवासों पर भावी दावाकर्ताओं को सैंपल फार्म बांटे जाते हैं और रेल दावा अधिकरण के समक्ष दावा संबंधी आवेदन पत्र पेश करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

- दावा संबंधी आवेदन पत्रों को भरने के लिए

अखबारों में विज्ञापन दिए जाते हैं, जिसमें दावा संबंधी आवेदन पत्र का नमूना तथा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का हवाला दिया रहता है।

- भावी दावाकर्ताओं को मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया कराने के लिए रेल मंत्रालय राज्य सरकार के साथ संपर्क बनाए रखता है।
- दावाकर्ताओं को रेलवे प्रशासन द्वारा उनके निवास स्थल से सुनवाई के स्थान तक स्लीपर श्रेणी के चैक पास जारी कि जाते हैं यदि रेल दावा अधिकरण दावाकर्ताओं के हाजिर होने का आदेश देता है।

(ii) रेल दावा अधिकरण में दायर दावों के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियमों में संशोधन किया गया है। इन संशोधनों में निहित है कि :

- दुर्घटना के मामलों में दावाकर्ता अपने निवास स्थान, प्रारंभिक स्टेशन, गंतव्य स्टेशन पर दावा दायर करने की सुविधा है जबकि पहले वह केवल घटना स्थल पर ही दावा संबंधी मामला दायर कर सकता था।
- प्रत्येक मामलों में स्थल की संख्या 3 तक सीमित कर दी गई है।
- रेल दावा अधिकरण अंतिम सुनवाई की तारीख से 21 दिनों के भीतर अपना फैसला सुनाएगा।

विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र का विकास

1615. श्री श्रीनिवास पाटील :

श्री कालवा श्रीनिवासुलु :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यापक सुधारों और प्रोत्साहनों के बावजूद विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र का विकास बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) निजी क्षेत्र द्वारा वर्ष 1991 से अतिरिक्त क्षमता का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निजी क्षेत्र द्वारा नौवीं योजना और दसवीं योजना के पहले वर्ष में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना नहीं है;

(ङ) लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा विद्युत क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की धीमी प्रगति के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं :

(i) वित्तीय संस्थानों द्वारा राज्य सरकार की गारंटी, एस्क्रो कवर आदि पर जोर देने के कारण अन्य क्षेत्रों में अच्छी प्रगति के बावजूद वित्तीय समापन प्राप्त करने में असमर्थता।

(ii) विभिन्न समझौतों, जैसे विद्युत क्रय समझौता, क्रियान्वयन समझौता, ईंधन आपूर्ति समझौता एवं ईंधन परिवहन समझौता आदि को अंतिम रूप देने में विलंब।

(iii) जनहित याचिका आदि के रूप में कोर्ट केस/मुकदमे।

(iv) नाफ्था जैसे तरल ईंधनों के मूल्य में वृद्धि।

(v) इक्विटी धारकों एवं इपीसी (अभियांत्रिकी, प्राप्ति एवं निर्माण) ठेकेदारों का बाहर निकलना।

राज्यों की यूटिलिटियों के सुधार एवं वित्तीय रूप से सुदृढ़ हो जाने पर स्थिति में सुधार होने की आशा है।

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार निजी क्षेत्र ने वर्ष 1991 से अब तक 7366 मेगावाट विद्युत की अभिवृद्धि की है। इसके राज्य–बार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(i) गुजरात	—	1587 मे.वा.
(ii) महाराष्ट्र	—	1570 मे.वा.
(iii) आंध्र प्रदेश	—	1032.75 मे.वा.

(iv) गोवा	—	48 मे.वा.
(v) असम	—	24.5 मे.वा.
(vi) हरियाणा	—	25 मे.वा.
(vii) अं. व नि. द्वीपसमूह	—	20 मे.वा.
(viii) प. बंगाल	—	635 मे.वा.
(ix) मध्य प्रदेश	—	13.5 मे.वा.
(x) कर्नाटक	—	607.1 मे.वा.
(xi) तमिलनाडु	—	992.16 मे.वा.
(xii) हिमाचल प्रदेश	—	386 मे.वा.
(xiii) झारखंड	—	240 मे.वा.
(xiv) केरल	—	185 मे.वा.

(घ) नौवीं योजना एवं दसवीं योजना के पहले वर्ष के लिए निजी क्षेत्र से सुनियोजित क्षमता अभिवृद्धि नहीं प्राप्त की जा सकी।

(ङ) इसके मुख्य कारण उपर्युक्त (ख) के उत्तर में दिए गए हैं। 10वीं योजना के पहले वर्ष में दाभोल विद्युत संयंत्र, चरण–II (1444 मेगावाट) जो क्रियान्वयन के अग्रिम चरण में था, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड तथा मैसर्स दाभोल पावर कंपनी के बीच विवादों एवं पश्चातवर्ती कानूनी कार्रवाइयों की वजह से चालू नहीं किया जा सका।

(च) अपने विद्युत क्षेत्र के सुधार एवं पुनर्गठन में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने तथा त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीआरपी) जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए सुधार आधारित विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण का विचार है। सरकार रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन और पावर फाइनेंस कारपोरेशन के जरिए निजी क्षेत्र को निधि उपलब्ध करा रही है ताकि उपयुक्त टैरिफ वाली अच्छी परियोजना का काम निधियों के अभाव में बाधित न हो जाए। कुछ राज्य सरकारों ने अब निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भुगतान सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराना शुरू किया है।

प्लेटफार्मों का निर्माण

1616. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्मों की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान नए प्लेटफार्मों का निर्माण किए जाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्मों की व्यवस्था करना एक सतत कार्य है। यह संभाली गई पैसेंजर गाड़ियों की संख्या, गाड़ियों की किस्म क्या वह दैनिक यात्री गाड़ी है या लंबी दूरी की गाड़ी है और संभाले गए यात्रियों की संख्या पर निर्भर करती है। यातायात की आवश्यकता के आधार पर या तो मौजूदा प्लेटफार्मों का विस्तार किया जाता है, या संभाले गए यात्री यातायात के आमदनी के आधार पर प्लेटफार्मों के स्तरों का आशोधन किया जाता है या अतिरिक्त नए प्लेटफार्मों का निर्माण किया जाता है। यदि टर्मिनल पूरी तरह से संतृप्त है और आगे तकनीकी आधार पर टर्मिनल का विस्तार करना संभव नहीं है तो अतिरिक्त यातायात का ध्यान रखते हुए नए टर्मिनल का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा, नए प्लेटफार्म, परियोजनाओं के भाग के रूप में और आवश्यकता के अनुसार यातायात सुविधा कार्यों के अंतर्गत भी शामिल किए जाते हैं।

2003–04 के दौरान, नए टर्मिनलों/प्लेटफार्मों के निर्माण के लिए निम्नलिखित कार्य बजट में शामिल कर लिए गए हैं :

क्र.सं.	कार्य का नाम	लागत (करोड़ रु. में)
1.	आनंद विहार टर्मिनल	83.00
2.	चितपुर टर्मिनल	78.00
3.	गोमतीनगर टर्मिनल	70.00
4.	जबलपुर स्टेशन पर अतिरिक्त प्लेटफार्म का प्रावधान	4.99
5.	सियालदह स्टेशन पर अतिरिक्त प्लेटफार्म का प्रावधान	3.19

नकली गैर-सरकारी संगठन

1617. श्री चिंतामन वनगा : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में कार्य कर रहे नकली गैर–सरकारी संगठनों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नकली गैर–सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि) : (क) से (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 10 योजनाओं, जिनके माध्यम से सहायता अनुदान निर्मुक्त की जाती है, के अंतर्गत बड़ी संख्या में स्वैच्छिक संगठनों को वित्त–पोषित करता है। कभी–कभी यह पाया जाता है कि ऐसे मामलों से संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिशों में जालसाजी की जाती है, संगठन वास्तव में कार्यरत नहीं होता, किए गए दावे की तुलना में लाभग्राहियों की संख्या बहुत कम होती है, प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता निर्मुक्त किए गए सहायतानुदान आदि के अनुरूप नहीं होती। ऐसे संगठनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। यदि उनका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता, तो आगे अनुदान पर रोक लगा दी जाती है और संगठन को काली सूचीबद्ध कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त संबंधित राज्य सरकार/जिला कलेक्टर से संगठन से दुरुपयोग की गई राशि को वसूल करने के लिए कहा जाता है। इस समय ऐसे 71 संगठन हैं जिनके विरुद्ध मंत्रालय ने कार्रवाई की है। सूची मंत्रालय की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सोशलजस्टिस.निक.इन पर उलब्ध है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन हेतु नई परियोजनाएं स्थापित करना

1618. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के बीच एक नई विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परियोजना विदर्भ में स्थापित की जा रही है; और

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) नई ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए संभावित स्थलों का अभिनिर्धारण एनटीपीसी की सतत प्रक्रिया है। एनटीपीसी द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर जिला में मौडा के निकट एक स्थल का प्रथमतया अभिनिर्धारण 1000 मेगवाट (2x500 मेगावाट) क्षमता की ताप विद्युत परियोजना के लिए व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन के लिए किया गया है। इस परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति वेस्टर्न कोयलरीज लि./कोल इंडिया लि. द्वारा किया जाना है।

[अनुवाद]

भूख पर अस्थाई नियंत्रण पर अनुसंधान

1619. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सहयोग से भूख पर नियंत्रण रखने तथा बिना थके लंबी दूरी तक चलने और अर्थशास्त्र पर आधारित रात में देखने नाइट विजन से संबंधित कौटिल्य के आलेखों पर की गई अनुसंधान परियोजना पर भी भारी राशि खर्च की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या वे किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 'भूख पर अस्थाई रूप से नियंत्रण' तथा 'बिना थके लंबी दूरी तक चलने' संबंधी अध्ययन के लिए 7.31 लाख रुपए की लागत की एक छोटी अनुदान सहायता परियोजना पुणे विश्वविद्यालय को प्रायोजित की थी। अर्थशास्त्र पर आधारित रात्रि दृश्य से संबंधित कौटिल्य के साहित्य का अध्ययन इस परियोजना का भाग नहीं था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि साधारण (नियंत्रण) जंतुओं के मुकाबले मिश्रण उपचारित जंतुओं ने बायोकैमिकल मानदंडों तथा लंबी अवधि तक ऊर्जा बनाए रखने में बेहतर प्रदर्शन किया है। उपचारित जंतु अपने शरीर का बेहतर तापमान बनाए रखते हैं तथा उनकी मृत्यु दर में भी अच्छी खासी कमी होती है।

(घ) लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

रेल टिकटों पर सुरक्षा प्रभार

1620. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान रेल दुर्घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) क्या रेल सुरक्षा के लिए कुछ राशि यात्री टिकटों में शामिल की गई है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक टिकटों के द्वारा इस शीर्ष के अंतर्गत कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है; और

(घ) रेल दुर्घटनाए रोकने हेतु उक्त राशि में से खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) भारतीय रेल के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या 2001–02 में 414 से 2002–03 में कम होकर 350 हो गई है। अप्रैल–जून, 2003 की अवधि में दुर्घटनाओं की संख्या पिछले वर्ष इसी अवधि में 103* की तुलना में कम होकर 85* हो गई है।

(ख) सुरक्षा के लिए टिकटों में कोई भी राशि नहीं जोड़ी गई है। लेकिन, 1.10.2001 से रेलवे संरक्षा टिकटों पर अधिभार लगाया गया था।

(ग) यात्री किरायों में संरक्षा अधिभार के रूप में उगाही गई रकम का वर्ष–वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

(*आंकडे अनंतिम हैं)

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
2001–02 (अक्तूबर, 2001 से मार्च, 2002)	304.86
2002–03	602.51
2003–04 (मई, 03 तक)	89.53

(घ) इस प्रकार एकत्रित संरक्षा अधिभार को पूर्ण रूप से विशेष रेल संरक्षा संबंधी निधि के जरिए ग्रीन बुक में शामिल संरक्षा संबंधी कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है और इसमें एकत्रित संरक्षा अधिभार के अलावा लाभांश मुक्त सकल बजटीय सहायता के रूप के वित्त मंत्रालय से प्राप्त अंशदान भी शामिल है। अधिभार के माध्यम से वसूल गए अधिभार की कमी को राजस्व अधिशेष के माध्यम से पूरा किया जाता है। एसआरएसएफ को आवंटित कार्यों के वास्तविक व्यय के साथ वित्त पोषण के स्रोत भी निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रु. में)

वर्ष	वास्तविक व्यय	सकल बजटीय सहायता के माध्यम से	संरक्षा अधिभार के माध्यम से	राजस्व/राजस्व अधिशेष से
2001–02	1434.28	1000.00	304.86	129.42
2002–03	2486.32	1350.00	602.51	533.81
2003–04 (ब.अ.)	2310.66	1600.00	710.66	कोई नहीं

[अनुवाद]

उड़ीसा में पेट्रोल पंप

1621. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में 2003–04 के दौरान स्थान–वार कितने पेट्रोल पंप स्थापित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : 1.4.2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था (एपीएम) की समाप्ति के बाद तेल विपणन कंपनियों के पास उड़ीसा राज्य सहित देश के विभिन्न भागों में नए खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों (पेट्रोल

पंपों) की स्थापना करने के लिए स्थानों का चुनाव करने की स्वतंत्रता है बशर्ते स्थान वाणिज्यिक व्यवहार्यता और वर्तमान डीलरशिपों के गैर–अतिक्रमण जैसे निश्चित मानकों को पूरा करते हों।

[हिन्दी]

झारखंड में आईओसीएल द्वारा पाइप लाइन बिछाना

1622. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में, विशेषकर झारखंड में इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से पाइप लाइनें बिछाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) सहित तेल कंपनियों के देश में पेट्रोलियम पाइप लाइन बिछाने के प्रस्ताव हैं। वर्तमान आईओसीएल की पाइप लाइन परियोजनाएं, जो कार्यान्वयनाधीन हैं, में झारखंड राज्य शामिल नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में एलपीजी का उत्पादन

1623. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में वधोदिया तथा गंधार में एलपीजी के उत्पादन हेतु प्राकृतिक गैस को संशोधित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार की राज्य में उन संसाधन केन्द्रों के नजदीकी क्षेत्रों में पाइप लाइनों द्वारा एलपीजी प्रदान करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) गेल (इंडिया) लिमिटेड के गुजरात में वाघोदिया और एलपीजी का उत्पादन करने के लिए गैस संसाधन संयंत्र हैं। वाघोदिया और गांधार की उत्पादन क्षमता क्रमशः 2.5 और 5.0 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएस सीएमडी) के डिजाइन फीड गैस थ्रूपुट के साथ 73,000 एमटी प्रतिवर्ष और 2,50,000 एमटी प्रतिवर्ष है। दोनों संयंत्रों से एलपी का प्रेषण रोड टैंकरों के माध्यम से होता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) छोटी दूरी की एलपीजी पाइप लाइनों का बिछाना तकनीकी–आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस कनेक्शन

1624. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जुलाई, 1999 में शहरी क्षेत्रों में वर्तमान वितरकों के सामान्य व्यापार क्षेत्र के 15 कि.मी. के घेरे के अंतर्गत पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार पटल खोले जाने तक और नियमित वितरक नियुक्त किए जाने तक मिट्टी के तेल का कोटा वापस करने के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को संबंधित राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने हेतु एक विशेष योजना मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बिहार के विभिन्न जिलों में अभी तक कितने कनेक्शन किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) सरकार ने मिट्टी तेल के कोटे के परित्याग के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए बिहार के लिए ऐसी/किसी विशेष योजना का अनुमोदन नहीं किया है।

[अनुवाद]

मिलावट रोधी सेल को प्राप्त शिकायतें

1625. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत एक वर्ष के दौरान 30 जून, 2003 तक मिलावट रोधी सेल को कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) कितनी शिकायतों के संबंध में जांच कराई गई है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों की तुलना में ऐसी शिकायतों की वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(ङ) उन शिकायतों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत फिलिंग/बंद किए जाने की सिफारिश की गई है और जोकि न्यायालय में विचाराधीन है, चयन को रद्द किया गया था और निर्णय के लिए मंत्रालय को भेजा गया था; और

(च) सरकार द्वारा मिलावट विरोधी सेल में शिकायतों के तीव्र निपटारे के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) मिलावट रोधी प्रकोष्ठ (एएसी) को पिछले एक वर्ष के दौरान 30 जून, 2003 तक मिलावट के बारे में 222 शिकायतें और आरओ/एसकेओ डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के बारे में 153 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) मिलावट रोधी प्रकोष्ठ ने मिलावट संबंधी 130 शिकायतों और आरओ/एसकेओ डीलरशिप तथा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप संबंधी 86 शिकायतों की जांच–पड़ताल की है।

(ग) और (घ) मिलावट रोधी प्रकोष्ठ का गठन मार्च, 2001 में किया गया था। 2001–2002 में इसके गठन के पहले वर्ष में प्रकोष्ठ के अस्तित्व के संबंध में जनता के बीच संभवतः अनभिज्ञता के कारण बहुत कम शिकायतें प्राप्त हुईं। प्रकोष्ठ के बारे में और अधिक जागरूकता के उत्पन्न होने के कारण बहुत सी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

(ङ) आरओ/एसकेओ डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के संबंध में शिकायतों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(1) दर्ज करना	—	38
(2) समाप्ति	—	02
(3) न्यायाधीन	—	19
(4) रद्दीकरण	—	16
(5) मंत्रालय को भेजी गईं	—	11

(च) मंत्रालय द्वारा भेजी गई शिकायतों और सामान्य जनता तथा अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों का पहले एक टोही दल को भेजकर सत्यापन किया जाता है। यदि शिकायत की केवल सत्यवादिता के बारे में कोई सबूत मिलता है, तो मिलावट रोधी प्रकोष्ठ में शिकायत के त्वरित निपटान के लिए आगामी जांच की जाती है।

पवन चक्कियों द्वारा विद्युत का उत्पादन

1626. **श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी पवन चक्कियां विभिन्न राज्यों में 1340 मेगावाट से अधिक का उत्पादन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से पवन ऊर्जा उत्पादक प्राधिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) 31.3.2003 तक देश में 1870 मे.वा. की पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है जैसा कि राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जाता है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार से पवन विद्युत उत्पादक प्राधिकरणों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि राज्य में प्रदर्शन पवन फार्म परियोजना और पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यकलापों के लिए वर्ष 2000–01 से राज्य नोडल एजेंसी 3.48 करोड़ की केन्द्रीय वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है।

विवरण

राज्य–वार पवन विद्युत संस्थापित क्षमता 31.3.2003 के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)
1.	आंध्र प्रदेश	92.6
2.	गुजरात	173.1
3.	कर्नाटक	124.3
4.	केरल	2.0
5.	मध्य प्रदेश	22.6
6.	महाराष्ट्र	401.2
7.	तमिलनाडु	60.7
8.	राजस्थान	990.3
9.	पश्चिम बंगाल	1.1
10.	अन्य	1.6
	कुल	1869.5

नागालैंड में रसोई गैस एजेंसियां

1627. श्री के. ए. सांगतम : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वनों की गैर–कानूनी कटाई को रोकने तथा पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए नागालैंड के दूर–दराज के क्षेत्रों में अधिक से अधिक रसोई गैस एजेंसियां खोलने की योजना बना रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में, विशेषकर नागालैंड के उत्तरी क्षेत्र जिसका ध्यान वर्तमान में जोरहाट, असम द्वारा रखा जा रहा है कि मांग को पूरा करने हेतु नागालैंड में मंडल कार्यालय स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने की संभावना है; और

(घ) यह कार्यालय कब तक खोले जाने की संभावना है और यह कब तक कार्य करना शुरू कर देगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) वर्तमान में इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नागालैंड राज्य के सभी जिलों में 22 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का प्रचालन कर रही है। राज्य में एलपीजी एजेंसियों के लिए आगामी योजनाएं स्थानों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेंगी।

(ग) और (घ) वर्तमान में मध्य और दक्षिणी नागालैंड को एलपीजी की आपूर्तियां दीमापुर से और उत्तर नागालैंड को जोरहाट, असम से नियंत्रित की जाती हैं। वर्तमान व्यवस्था कंपनी के लिए प्रचालनात्मक और वाणिज्यिक रूप से सुविधाजनक है।

राजस्थान में लंबित विद्युत परियोजनाएं

1628. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा प्रस्तावों को मंजूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य से निम्नलिखित परियोजनाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) में प्राप्त हुई हैं :

क्र.सं.	परियोजना का नाम/क्षमता	प्रयुक्त ईंधन	स्थिति
1	2	3	4
1.	बरसिंगसर टीपीपीएनएलसी द्वारा (2x125 मेगवाट)	लिग्नाइट	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) की तकनीकी आर्थिकी स्वीकृति अब अपेक्षित नहीं है। विद्युत/लिग्नाइट का मूल्य तय किए जाने की आवश्यकता है ताकि नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी) एक निवेश संबंधी निर्णय हेतु मामले पर कार्रवाई कर सके।

1	2	3	4
2.	मथानिया इंटेगरेटेड सोलर कंबाइंड साइकल टीपीपी मैसर्स आरआरइसीएल (140 मेगावाट)	सोलर/लिग्नाइट	परियोजना को 27.8.99 को टीईसी प्रदान की गई थी जिसमें नेफ्था प्राथमिक ईंधन के रूप में है। तथापि नेफ्था की कीमत अधिक होने के कारण परियोजना को चालू नहीं किया जा सका और ईंधन नेफ्था से बदलकर आर–एलएनजी कर दिया गया था। ईंधन उपलब्धता की सुनिश्चितता अभी भी प्रतीक्षित है।

(ग) सरकार सभी अभिज्ञात परियोजनाओं की प्रगति की सघन मानीटरिंग कर रही है। कठिनाइयों को दूर करने तथा 10वीं योजना से इन परियोजनाओं के पिछड़ने को रोकने के मद्देनजर संबंधित राज्य सरकारों, प्रवर्तकों और वित्तीय संस्थानों के साथ समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

दाभोल विद्युत परियोजना

1629. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एनटीपीसी को विवादास्पद दाभोल विद्युत संयंत्र चलाने की अनुमति दे दी है;

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड तथा राज्य सरकार के बीच प्रशुल्क ढांचे के विवाद का समाधान कर लिया गया है;

(ग) क्या दाभोल फेज एक को शुरू करने से पूर्व अमरीका की एनरॉन के साथ सभी कानूनी जटिलताओं पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) मैसर्स दाभोल पावर कंपनी के साथ संविदा संबंधी झगड़ों और महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी) द्वारा विद्युत क्रय करार (पीपीए) के निरसन के कारण महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत लेन बंद कर दिए जाने के पश्चात दाभोल विद्युत संयंत्र 29.05.2001 से बंद कर दिया गया है। विद्युत क्रय करार महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और दाभोल पावर कंपनी के बीच हुआ था। अतः दाभोल परियोजना के फेस–1 को पुनः शुरू करने और फेस–2 को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व मुख्य पणधारियों, अर्थात महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और दाभोल पावर कंपनी के साथ–साथ महाराष्ट्र सरकार का है। जिन्होंने पीपीए के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के दायित्वों की गारंटी दी थी। दाभोल विद्युत परियोजना में महत्वपूर्ण साझेदारी रखने वाली भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मार्गदर्शित भारतीय वित्तीय संस्थाएं दाभोल संयंत्र को फिर से गठित कर चालू करने का प्रयत्न कर रही हैं। भारत सरकार ने परियोजना को फिर से चालू करने तथा फिर से बनाने के लिए विभिन्न मुद्दों के किसी दोस्ताना निपटारे को सुगम बनाने के लिए सहमति दी है। दाभोल परियोजना के पुनरुज्जीवन के लिए अंतिम रूप दी गई कोई भी योजना व्यापक पैकेज की तरह होगी और उसे जटिल कानूनी, वित्तीय और तकनीकी मुद्दों का समाधान करना होगा। अभी इसमें समय लग सकता है, पहले कदम के रूप में यह तय हुआ है कि फेस–1 को दोबारा शुरू करने के लिए संबंधित एजेन्सियों द्वारा एक अंतरिम पुनरुज्जीवन पैकेज निर्धारित किया जाए। यह निर्णय लिया गया है कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) अंतरिम आधार पर फेस–1 की पुनः शुरूआत और प्रचालन के लिए प्रचालन एवं रख–रखाव ठेकेदार के रूप में कार्य करेगा।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय, जिन्होंने परियोजना के लिए रिसीवर नियुक्त किया है इसका अनुमोदन करें। अंतरिम आधार पर, पास–थ्रू के रूप में ईंधन (नाफ्था) की लागत पर विचार करते हुए" लगभग 2.80 रुपए कि.वी.घं. के टैरिफ पर 83 प्रतिशत के प्लांट लोड फैक्टर पर दाभोल विद्युत परियोजना के फेस–1 से महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत लेने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है। बशर्ते की यह महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड/महाराष्ट्र सरकार के लंबित मध्यस्थता/न्यायिक और एमईआरसी की कार्यवाहियों में अधिकारियों तथा प्रतिविरोधों को हानि पहुंचाए बिना होगा।

(ग) और (घ) दाभोल विद्युत परियोजना के फेस–1 की प्रस्तावित पुनः शुरूआत अंतरिम और तदर्थ आधार पर है और किसी भी लंबित मध्यस्थ/न्यायिक कार्रवाइयों और उसकी किसी

भी पक्ष के अधिकारियों और प्रतिरोधों की हानि के बिना है। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा दायर की गई याचिका पर 8 अप्रैल, 2003 को आदेश जारी किया है, जिसके द्वारा न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को आवश्यक कदम उठाने के लिए अनुमति दी है, जिसके अंतर्गत संयंत्र के निर्धारण हेतु साइट पर तकनीकी निरीक्षण की अनुमति प्रदान करना, तकनीकी तथा अन्य सहायता के लिए सलाहकारों की नियुक्ति, एनटीपीसी के साथ उपयुक्त व्यवस्थाओं के लिए शर्तों पर विचार–विमर्श करना आदि कदम भी सम्मिलित हैं ताकि संयंत्र के फेस–1 को पुनः आरंभ करने के लिए अपेक्षित कदमों के निर्धारण के लिए न्यायालय को रिपोर्ट पेश की जा सके।

[हिन्दी]

दलालों का खतरा

1630. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली तथा देश के अन्य रेलवे स्टेशनों पर दलालों के एकाधिकार की जानकारी है जैसाकि 1 जून, 2003 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दलालों की बढ़ती हुई संख्या के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा उन्हें दंडित करने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ग) कितने दलालों को पकड़ा गया, दंडित किया गया तथा जेल भेजा गया;

(घ) क्या दलालों की टूर एवं ट्रैवल एजेंसियों तथा सिटी बुकिंग एजेंसियों द्वारा सहायता किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई है और ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दुर्घटना पश्चात् राहत हेतु अल्पावधि योजना

1631. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्घटना स्थलों पर सहायता तथा राहत पहुंचाने और डिब्बों में से तथा उनके नीचे से यात्रियों को निकालने में क्या कमियां पाई गई हैं;

(ख) क्या आकस्मिक उपयोग हेतु स्थल–संबंधी उपकरणों की न्यूनतम सूची बना ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने हेतु कि दुर्घटना पश्चात् राहत के लिए प्रत्येक रेलवे स्टेशन विशेषकर विजयवाड़ा तथा राजामुंदरी स्टेशनों पर कतिपय न्यूनतम उपकरण तथा अल्प सूचना पर ही दुर्घटना स्थल पर भेजने के लिए कार्मिक तैयार रहें, रेलवे के लिए कोई अल्पावधि योजना तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कुछ भी तैयार न रखने की वर्तमान प्रणाली को परिवर्तित करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) रेलों के पास दशकों से विकसित एक व्यापक बचाव और राहत प्रणाली है और यह सामान्यतः गाड़ी दुर्घटनाओं की स्थिति में आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त हैं। बरहाल, प्रत्येक मामले में कमियों को खोजने और सबक लेने, यदि कोई हो, के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

(ख) उपस्करों की एक निर्धारित सूची होती है जो दुर्घटना राहत गाड़ियों और चिकित्सा यानों की किस्म पर निर्भर करती है।

(ग) **दुर्घटना राहत चिकित्सा यान (एआरएमवी) :** बड़ी लाइन और मीटर लाइन नेटवर्क पर 161 दुर्घटना राहत चिकित्सा यान हैं।

ये रेल इंजन द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां हैं जिनमें बचाव और री–रेलिंग उपस्कर आपरेशन थियेटर (स्केल–I एआरएमवी में) और ट्रामा संबंधी देखभाल के

लिए शल्य चिकित्सा और चिकित्सा संबंधी सप्लाई होती है।

स्वनोदित दुर्घटना राहत चिकित्सा यान (केवल बड़ी लाइन पर 13) : ये दो कोच वाले स्वनोदित गाड़ी सेट हैं जो 95 कि.मी. प्रति घंटा तक की गति पर दोनों दिशाओं में चलने में सक्षम हैं।

ये कोल्ड—कटिंग हाइड्रालिक बचाव उपस्कर और आपरेशन थियेटर सहित ट्रामा संबंधी देखभाल के लिए पूर्व चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित हैं।

दुर्घटना राहत गाड़ियां (एआरटी) : परम्परागत एआरटी (175—बड़ी लाइन और मीटर लाइन दोनों)।

ये गाड़ियां बड़ी री—रेलिंग और बहाली कार्य के लिए सुसज्जित हैं। 'ए' श्रेणी की एआरटी में क्रेनों की भी व्यवस्था है।

स्वनोदित एआरटी (केवल बड़ी लाइन पर 10) : ये दो कोच वाली दुर्घटना राहत गाड़ियां हैं जो री—रेलिंग और बहाली कार्य के लिए सुसज्जित हैं।

(घ) और (ङ) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भारतीय रेल के पास एआरटी और एआरएमवी हैं जो किसी भी संभावित दुर्घटना से निपटने के लिए सम्पूर्ण रेलवे नेटवर्क पर खड़ी की गई हैं।

विजयवाड़ा और राजामुंद्री दोनों स्थानों पर ऐसे उपस्कर की व्यवस्था है। सभी स्टेशन रेल नेटवर्क पर फैली एआरटी/एआरएमवी द्वारा कवर होते हैं।

इन सुविधाओं को अपग्रेड करने और बढ़ाने की एक योजना भी सुपरिभाषित समय सीमा के साथ तैयार की गई है।

(च) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, रेलों के पास गाड़ी दुर्घटनाओं की स्थिति में राहत और बचाव की प्रणाली है जो भारत में रेलवे के परिचालन की शुरूआत से जांची—परखी और विकसित की गई है। इसकी आवधिक रूप से समीक्षा भी की जाती है और अपग्रेड किया जाता है।

उत्तर प्रदेश के दोहानीघाट में ताप विद्युत परियोजना की स्थापना

1632. डा. बलिराम : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के दोहानीघाट में ताप विद्युत परियोजना की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त स्थान पर ताप परियोजना की स्थापना के लिए काफी समय पहले ही सर्वेक्षण कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सर्वेक्षण की स्थिति क्या है और इस योजना के कार्यान्वयन में हो रहे असामान्य विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस कार्य के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा आजमगढ़ जिले के दोहानीघाट में 2x210 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत यूनिट स्थापित करने संबंधी एक प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु मई, 1978 में प्रस्तुत किया गया था। रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई कार्य में कठिनाई और कोयले की अनुपलब्धता के कारण के. वि. प्राधिकरण ने उ.प्र.रा.वि. बोर्ड को फरवरी, 1981 में सलाह दिया कि इस योजना की पुनः समीक्षा की जाय। उ.प्र.रा.वि. बोर्ड ने जनवरी, 1988 में सूचित किया कि बलिया जिले के बेल्थरा रोड में एक वैकल्पिक स्थल का निर्धारण किया गया है तथा बेल्थरा रोड में 3x250 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने संबंधी व्यवहार्यता रिपोर्ट उ.प्र.रा.वि. बोर्ड द्वारा नवम्बर, 1992 में प्रस्तुत किया। आवश्यक आवकों/क्लीयरेंसों के अभाव में इस योजना को के. वि. प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी थी। तद्नुसार ही के.वी. प्राधिकरण में उ.प्र.रा.वि. बोर्ड को फरवरी, 1994 में सूचित किया कि आवश्यक आवकों का प्रेषण लंबित होने के कारण स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया गया है। इसके बाद इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।

बरसोई-राधिकापुर आमान परिवर्तन

1633. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्री ने उत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार डिवीजन में बरसोई—राधिकापुर आमान परिवर्तन परियोजना का उद्घाटन किया है;

(ख) क्या सरकार ने उत्तरी बंगाल के उपेक्षित क्षेत्रों को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण वरीयता वाली परियोजना के रूप में दिसम्बर, 2003 तक रेल पुल कार्य के पूरा होने और जनवरी, 2004 तक पटरी बिछाने का कार्य शुरू करने की तिथि निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उस परियोजना के पूरा होने के लिए चरण–वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा बरसोई–राधिकापुर आमान परिवर्तन को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) लाइन के आमान परिवर्तन का लक्ष्य अप्रैल, 2005 तक निर्धारित किया गया है। तल्प संबंधी कार्य के दिसंबर, 2004 तक पूरा होने की संभावना है, उसके बाद रेलपथ को जोड़ने का कार्य शुरू किया जाएगा।

(ङ) कार्यों को लक्ष्य के अनुसार पूरा करने की योजना बनाई गई है।

भारतीय रेल कल्याण संगठन द्वारा आवासों का निर्माण

1634. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल कल्याण संगठन (आईआरडब्ल्यूओ) द्वारा कार्यरत रेलकर्मियों, सेवानिवृत्त रेलकर्मियों, दिवंगत रेलकर्मियों के पति/पत्नी और आईआरडब्ल्यूओ के कर्मियों के लिए आवासों का निर्माण किया जाता है;

(ख) क्या संगठन द्वारा वर्षों पहले शताब्दी नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में मेरठ विकास प्राधिकरण से भूमि अधिग्रहण किया गया था/को भूमि आबंटित की गयी थी;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए संगठन द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण को कितनी राशि दी गई थी;

(घ) क्या आवासों का निर्माण शुरू हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(छ) इन भवनों का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। मेरठ विकास प्राधिकरण ने इरवो को अगस्त, 1990 में शताब्दी नगर, मेरठ में 5 एकड़ भूमि आवंटित की थी।

(ग) 79,88,694.00 रुपए।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) योजना फरवरी, 2000 में शुरू गई थी। केवल 3 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। लोगों की कम प्रतिक्रिया के दृष्टिगत, योजना को लंबित रखा गया था। कीमत को कम रखते हुए अर्द्ध–निर्मित/विस्तार योग्य मकानों के लिए, मांग किए जाने पर एक और सर्वेक्षण सितंबर, 2002 में किया गया था। बहरहाल, इस सर्वेक्षण की प्रतिक्रिया भी कुछ नहीं हुई। इसलिए मेरठ में मकानों का निर्माण प्रारंभ करने की कोई योजना नहीं है।

उत्तर प्रदेश में डी.डी.-2 के कार्यक्रमों का प्रसारण

1635. श्री सईदुज्जमा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्रों के माध्यम से कार्यक्रमों के प्रसारण शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, मऊ और वाराणसी के डी.डी–1 प्रसारण केन्द्र से डी.डी.–2 कार्यक्रम का प्रसारण शुरू करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, मऊ, इलाहाबाद और मथुरा में स्थित दूरदर्शन केन्द्र पहले ही कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण कर रहे हैं।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि मऊ और वाराणसी स्थित ट्रांसमीटर डी.डी.–1 और डी.डी.–2 पर कार्यक्रमों का प्रासरण करने के लिए कार्य कर रहे हैं और आजमगढ़ स्थित डी.डी.–2 ट्रांसमीटर सेवा में है। तथापि, आजमगढ़ में डी.डी.–1 की कवरेज उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, मऊ से उपलब्ध है। प्रसार भारती ने आगे सूचित किया है कि मेरठ और मुजफ्फरनगर में कोई ट्रांसमीटर नहीं है, ये दिल्ली/मसूरी स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों से डी.डी.–1 और डी.डी.–2 की कवरेज प्राप्त कर रहे हैं।

रेलवे में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1636. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने कुछ चुनिंदा कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो किस श्रेणी के कर्मचारियों को वीआरएस लेने की अनुमति है;

(ग) क्या इस प्रकार के कर्मचारियों को वीआरएस देने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनके लिए किस तिथि से वीआरएस प्रभावी किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) 50 और 57 वर्ष की आयु के बीच के ड्राइवर एवं रेलपथ कर्मी।

(ग) से (ङ) तौर–तरीके विचाराधीन हैं।

विज्ञापनों के संबंध में प्रसारणकर्ताओं को निर्देश

1637. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब विज्ञापनों पर अपनी नजर रखने का निर्णय लिया है और प्रसारणकर्ताओं को सेंसर बोर्ड द्वारा 'वयस्क' प्रमाण पत्र प्राप्त फिल्मों, गानों और म्यूजिक वीडियो का प्रसारण बन्द करने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा जारी निर्देशों का ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित निर्देशों को प्रसारणकर्ताओं पर किस प्रकार सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपत्तिजनक या अश्लील फिल्में/गाने/विज्ञापन नहीं दिखाए जाएं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) सभी टीवी चैनलों के कार्यक्रमों और विज्ञापनों को केबल नेटवर्क के जरिए प्रसारित/पुनःप्रसारित किए जाने पर केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का पालन करना होता है। केन्द्र सरकार ने विज्ञापन संहिता के उल्लंघनों की जांच करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 के तहत दो अन्तरमंत्रालयीय समितियों का गठन किया है। इन समितियों द्वारा संहिता के किसी उल्लंघन पर या विशिष्ट शिकायतों की प्राप्ति पर संज्ञान लिया जाता है। संहिता के उल्लंघनों के संबंध में कार्यवाही अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित "प्राधिकृत अधिकारियों" द्वारा भी की जा सकती है। कार्यक्रम संहिता में, अन्य के साथ–साथ, यह निर्धारित किया गया है कि केबल सेवा में प्रसारित कार्यक्रम अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त होने चाहिए।

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. कर्मचारी

1638. श्री बालकृष्ण चौहान : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में कार्यरत समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों की समूह–वार संख्या क्या है;

(ख) कुल कर्मचारियों में से समूह–वार अ.पि.व, अ.जा. और अ.ज.जा. के कर्मचारियों की अलग–अलग संख्या कितनी है; और

(ग) यदि कोई बैकलाग हो तो उसे भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा इसके उपक्रमों में कार्यरत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों से संबंधित सूचना का विवरण संलग्न है। इस मंत्रालय के अंतर्गत कोई विभाग नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	संगठन का नाम	समूह	कर्मचारियों की कुल सं.	अनुसूचित जाति कर्मचारियों की सं.	अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की सं.	अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की सं.	बैकलाग यदि कोई हो, भरने हेतु की गई/की जाने वाली कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	क	39	08	03	शून्य	रिक्तियों के बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सूचित कर दिया गया है।
		ख	120	19	4	6	
		ग	101	27	3	9	
		घ	63	23	1	3	
2.	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	क	66	5	शून्य	9	पद आधारित रोस्टर के अनुसार बैकलाग रिक्तियों को भरने की आवश्यकता नहीं है।
		ख	60	6	1	16	
		ग	229	38	1	68	
		घ	184	53	2	36	
3.	राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम	क	6	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं।
		ख	1	शून्य	शून्य	शून्य	
		ग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
		घ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
4.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम	क	9	1	शून्य	3	लागू नहीं।
		ख	3	1	शून्य	शून्य	
		ग	28	5	शून्य	6	
		घ	11	3	शून्य	4	
5.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम	क	13	3	1	1	भर्ती हेतु विज्ञापन निकाल दिया गया है।
		ख	3	शून्य	शून्य	1	
		ग	11	5	शून्य	2	
		घ	6	3	शून्य	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम	क	25	8	1	2	रिक्त पदों को नियमित नियुक्ति के साथ भर दिया जाएगा।
		ख	14	3	शून्य	1	
		ग	33	15	2	4	
		घ	17	11	1	3	
7.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम	क	5	2	1	1	रिक्त पदों को नियमित नियुक्ति के साथ भर दिया जाएगा।
		ख	1	शून्य	1	शून्य	
		ग	2	1	शून्य	शून्य	
		घ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

[अनुवाद]

पहले स्थित स्टेशनों पर रेलगाड़ियों में सवार होना

1639. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने उन यात्रियों की समस्याओं पर विचार किया है जिनके पास आरक्षित टिकट हैं और वे पहले स्थित स्टेशनों पर रेलगाड़ी में सवार होना चाहते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यात्रियों की इस समस्या के हल हेतु रेलवे द्वारा कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किए गए अध्ययन पर क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) किसी यात्री को उस टिकट पर पूर्व स्टेशन से गाड़ी में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि वह टिकट उस स्टेशन से वैध नहीं होता है। इस विषय पर पृथक से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

विजयवाड़ा और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन

1640. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा और सिकंदाबाद जैसे रेलवे स्टेशनों को अधिक कार्यशील और यात्री अनुकूल बनाने के लिए अध्ययन करने हेतु विश्व बैंक से किसी विशेषज्ञ दल को आमंत्रित किया गया है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में इन दो व्यस्त स्टेशनों के अभिकल्प ऐसे हैं जहां वृद्ध लोगों और विकलांगों को अत्यधिक कठिनाई होती है;

(ग) क्या इन दोनों रेल स्टेशनों के अभिकल्प में परिवर्तन किया जा सकता है ताकि यात्रियों को रेलगाड़ी में उतरने–चढ़ने में आसानी हो सके;

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है कि वाहनों और यात्रियों की रेलगाड़ी के पास सीधी पहुंच संभव हो सके जैसा कि कुछ स्टेशनों पर पहले ऐसा किया जाता था; और

(ङ) इस समस्या को सुलझाने के लिए नए विचार और नए डिजाइनरों के इस्तेमाल के लिए रेलवे द्वारा कौन से कदम प्रस्तावित हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) विजयवाड़ा स्टेशन पर, विकलांग तथा वयोवृद्ध लोगों के लिए, मौजूदा मानदण्डों के अनुसार सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इसलिए स्टेशन की इमारत के डिजाइन में आशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

सिकंदराबाद स्टेशन पर पार्किंग स्थान से प्लेटफार्म सं.1 तक सीधी जाने का मार्ग है। शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए न फिसलने वाला स्थान पैदल चलने का रास्ता, पानी

के बूथ आदि जैसी अन्य सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। रेलगाड़ियों में आसानी से चढ़ने व पहुंच मार्ग पर उतरने के लिए सिकंदराबाद स्टेशन के डिजाइन में सुधार किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। परिचलन क्षेत्र संबंधी सुधार कार्य तथा सिकंदराबाद स्टेशन के बोईगुडा साइड पर नई स्टेशन इमारत का निर्माण कार्य स्वीकृत कर दिया गया है जिसमें नए प्लेटफार्म सं. 10 पर यात्रियों को परिचलन क्षेत्र से गाड़ियों तक जाने के लिए सीधे रास्ते की व्यवस्था भी शामिल है।

आशा किरण अधिवासियों की मृत्यु

1641. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि गत तीन महीनों के दौरान आशा किरण (मन्द बुद्धि लोगों के लिए सरकार द्वारा संचालित गृह) के 17 अधिवासी मर गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि) : (क) से (ख) आशा किरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा मंद बुद्धि लोगों के लिए संचालित गृह है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार हाल ही में जिन अधिवासियों की मृत्यु हुई है, वे गहन/गंभीर मानसिक रूप से रुग्ण थे। मृत्यु के कारणों में स्टेटस एपिलेपटिकस, क्षय रोग, न्यूमोनिटिस और पूतिजीवरक्तता शामिल है। कुछ मामलों में मृत्यु के कारण का पता नहीं लग पाया है। लगभग सभी मामलों में अधिवासियों का संजय गांधी अस्पताल में नियमित इलाज चल रहा था परंतु संस्था में चिकित्सीय स्टाफ और अस्पतालों में डाक्टरों के भी भरसक प्रयासों के बावजूद अधिवासियों की अपनी बीमारी से मृत्यु हो गई।

डाक्टरों की एक समिति ने मृत्यु के कारणों की समीक्षा की है और संस्था के लिए अधिक चिकित्सीय और अर्द्ध-चिकित्सीय स्टाफ रखने के लिए समिति की सिफारिश के अनुसार कार्रवाही की जा रही है। इसके अलावा, मृत्यु के एक मामले की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद आगे कार्रवाही की जाएगी।

ग्रिड अनुशासन को बनाए रखना

1642. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत बोर्डों द्वारा ग्रिड अनुशासनहीनता क्षेत्रीय ग्रिड के ठप्प होने का मुख्य कारण है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्य विद्युत बोर्ड अपने संबद्ध राज्यों में ग्रिड अनुशासन बनाए रखे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वे ग्रिड अनुशासन का उल्लंघन न करें?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) पूर्व में विभिन्न ग्रिड बाधाओं/ग्रिड के क्षतिग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने के लिए गठित जांच समितियों ने ग्रिड बाधाओं के अनेक कारणों की पहचान की है। किसी क्षेत्र में एक या एक से अधिक संघटक राज्यों द्वारा ग्रिड अनुशासन भंग करना ग्रिड बाधा का एक मुख्य कारण है। इसके अलावा कुछ मामलों में यह बाधा महत्वपूर्ण पारेषण प्रणाली/विद्युत उत्पादन यूनिटों का ब्रेक-डाउन/बंदी, पावर स्विंग, सुरक्षात्मक प्रणाली आदि के कुप्रचालन के कारण होती है।

(ख) और (ग) विभिन्न बड़ी ग्रिड बाधाओं के कारणों की जांच करने के लिए समय-समय पर गठित जांच समितियों की सिफारिशें राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों को क्रियान्वयन हेतु भेजी गई हैं। जांच समितियों की एक सामान्य सिफारिश राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा ग्रिड अनुशासन कायम रखना है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय भी विभिन्न पत्रों के माध्यम से राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों को ग्रिड अनुशासन कायम रखने पर बल देने का अनुरोध कर रहे हैं।

(घ) ग्रिड अनुशासन बनाए रखने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का भारतीय विद्युत ग्रिड कोड लागू है। भारतीय विद्युत ग्रिड कोड विभिन्न एजेंसियों के अनुपालन हेतु नियम, दिशानिर्देश और मानक निर्धारित करता है। इसके

अलावा उपलब्धता आधारित टैरिफ जो राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा ग्रिडों से विद्युत के अति–आहरण/कम आहरण के लिए फ्रिक्वेंसी आधारित वाणिज्यिक हतोत्साहन/प्रोत्साहन देता है, के क्रियान्वयन के साथ ही ग्रिड अनुशासन की मात्रा बहुत हद तक कम हो गई है। सभी क्षेत्रों में फ्रिक्वेंसी प्रोफाइलों में परिवर्तन हुआ है। अब फ्रिक्वेंसी अधिकांशतः भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के अनुसार 49.0 से 50.5 हर्ट्ज के बीच रहती है। इन उपायों तथा कम फ्रिक्वेंसी रिले के प्रचालन एवं विद्युत के अधिक अंतः–क्षेत्रीय विनिमय से सभी क्षेत्रों में ग्रिड के कार्य–निष्पादन में सुधार हुआ है।

प्रक्षेपास्त्रों का निर्यात

1643. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अधीर चौधरी :
श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :
डा. चरणदास महंत :
श्री भास्करराव पाटील :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मित्र देशों को प्रक्षेपास्त्र निर्यात करने पर सक्रियता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मित्र देशों को किन निबंधन और शर्तों पर इस प्रकार के प्रक्षेपास्त्र निर्यात किए जाएंगे;

(घ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि ये मित्र देश इन प्रक्षेपास्त्रों का हमारे विरुद्ध इस्तेमाल नहीं करें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद मिसाइलों के निर्यात की संभावनाओं का पता लगा रहा है। निर्यात संबंधी सभी अनुरोधों पर अलग–अलग मामले के आधार पर विचार किया जाता है तथा इन्हें रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्राप्त करनी होती है। मिसाइल निर्यात संबंधी आर्डर पर विचार करते समय मंत्रालय द्वारा निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है :

(i) सशस्त्र सेनाओं की जरूरत;

(ii) प्रयोक्ता प्रमाण पत्र;

(iii) लाइसेंस तथा संविदागत बाध्यताएं;

(iv) वह देश जहां इसका प्रयोग होना है, ताकि यह सुनिश्चित किया सके कि यह निर्यात राष्ट्रहित में है तथा इसका इस्तेमाल भारत के विरुद्ध नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

चिरगांव (शिमला) टी.वी. ट्रांसमीटर का स्थानांतरण

1644. श्री महेश्वर सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2002–2003 के दौरान हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में जतिन गरी काजा और चिरगांव में स्थापित होने वाले अत्यन्त कम शक्ति के टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या चिरगांव, जिला शिमला में स्थापित ट्रांसमीटर अपने निर्धारित क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है क्योंकि यह पहाड़ी के पीछे है और स्थानीय लोगों ने इसे अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए बार–बार अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने की संभावना है और उक्त ट्रांसमीटर के कब तक अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जतिनगरी और चिरगांव में स्थित अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को 1.5.2003 से सेवा के लिए चालू कर दिया गया है। काजा में अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना का कार्य अभी ही पूरा हुआ है।

(ख) चिरगांव में स्थित अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के सुचारु रूप से कार्य करने की सूचना मिली है और यह लगभग 8 कि.मी. की रेंज में कवरेज उपलब्ध कराता है। तथापि, ट्रांसमीटर के कवरेज जोन में होने के बावजूद भी कुछ भागों को पर्वतीय भू–भागीय स्थिति के कारण कुछ पाकेटों को कवर

नहीं किया जाता है। उपरोक्त अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान को बदलने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लीगेसी विमानों का आयात

1645. श्री अधीर चौधरी :
डा. चरणदास महंत :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए ब्राजील से लीगेसी विमानों का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या खरीद से पहले लीगेसी विमानों की गुणवत्ता का आकलन करने हेतु इनकी तुलना अन्य देशों में उपलब्ध इस प्रकार के विमानों से की जाएगी; और

(घ) इस छोटे आकार के अत्याधुनिक विमान की खरीद कब तक किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) सरकार अति विशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन के लिए एक्जिक्यूटिव जेट खरीदने की योजना बना रही है। इस प्रयोजनार्थ ब्राजील के मैसर्स एम्ब्रेयर के ईएमबी 135–बीजे 'लीगेसी' का चयन किया गया है।

(ख) यह दो इंजनों से चालित एक 19 सीटों वाला छोटा परिवहन विमान है। यह एक अत्याधुनिक वैमानिकी और शीशे की काकपिट वाला विमान है।

(ग) भारतीय वायुसेना द्वारा अन्य के साथ–साथ एम्ब्रेयर विमान का मूल्यांकन किया गया है और इसे शामिल किए जाने के लिए उपयुक्त पाया गया है।

(घ) सभी विमानों की सुपुर्दगी संविदा किए जाने के बाईस माह बाद की जानी तय हुई है।

डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ/मुक्केबाजी कार्यक्रमों पर रोक

1646. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी.वी. चैनलों द्वारा प्रसारित मुक्केबाजी तथा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ कुश्ती संबंधी कार्यक्रम स्कूली बच्चों द्वारा देखे जाने योग्य हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को बच्चों पर इन कार्यक्रमों के प्रतिकूल प्रभावों के विषय में जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस प्रकार के कार्यक्रमों के प्रसारण को समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (च) बच्चों पर इन कार्यक्रमों के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में मंत्रालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे प्रसारणों में हस्तक्षेप करने की सरकार की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के प्रावधानों के अधीन है। बच्चों की टी.वी. देखने की आदतों के बारे में माता–पिता का मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रासंगिक है।

[अनुवाद]

चीन के साथ संयुक्त सहयोग

1647. श्री के. पी. सिंह देव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी और चोरी रोकने जैसे मुद्दों पर भारत और चीन की नौसेना के बीच संयुक्त सहयोग का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या चीन ने इस संबंध में सकारात्मक उत्तर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जून, 2003 में हमारे प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान, भारत और चीन के बीच संयुक्त नौसेना खोज और बचाव अभ्यास की संभावना के बारे में सहमति हुई थी।

(ख) से (घ) इन अभ्यासों के लिए अभी तक ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है।

आंध्र प्रदेश में विद्युत उत्पादक केन्द्र

1648. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कितने विद्युत उत्पादक केन्द्र हैं;

(ख) प्रत्येक संयंत्र द्वारा कितना विद्युत उत्पादित किया जा रहा है;

(ग) राज्य में विद्युत की कितनी मांग है, और क्या सरकार विद्युत की मांग पूरा करने में सक्षम है;

(घ) यदि नहीं, तो विद्युत की मांग पूरा करने तथा विद्युत की मांग पूरा करने में समक्ष है;

(ङ) क्या विद्युत उत्पादन बढ़ाने में केन्द्र सरकार ने राज्य को सहायता देने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) आंध्र प्रदेश राज्य में 29 विद्युत उत्पादन केन्द्र (एनटीपीसी समेत) प्रचालन में हैं।

(ख) अप्रैल–जून, 2003 के दौरान प्रत्येक विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा संग्लन विवरण में दी गई है।

(ग) अप्रैल–जून, 2003 के दौरान आंध्र प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नानुसार है :

ऊर्जा (मियू)	अप्रैल– जून, 03	व्यस्ततमकालीन (मेगावाट)	अप्रैल– जून, 03
जरूरत	10830	व्यस्ततमकालीन मांग	6778
उपलब्धता	10370	व्यस्ततमकालीन उपलब्धता	6280
कमी	460	कमी	498
प्रतिशत	4.2	प्रतिशत	7.3

(घ) से (च) किसी राज्य में विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी का दायित्व है। तथापि विद्युत समवर्ती विषय होने के नाते, केन्द्र सरकार केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करती है और राज्यों में विद्युत उपलब्धता बढ़ाने के लिए आवंटन मुहैया कराती है। आंध्र प्रदेश राज्य में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निम्नांकित उपाय किए गए हैं :

(i) दक्षिणी क्षेत्र (एसआर) में केन्द्रीय उत्पादन स्टोनों (सीजीएस) से 1006 मेगावाट (अनावंटित कोटा समेत) का आवंटन।

(ii) पूर्वी क्षेत्र (ईआर) में एनटीपीसी केन्द्रों से 60 मेगावाट आवंटन।

(iii) एनपीटीसी में सिमाद्रि (आंध्र प्रदेश) में 1000 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित किया है, जो पूरी तरह से आंध्र प्रदेश को समर्पित है।

(iv) एनटीपीसी पूर्वी क्षेत्र में तालचेर (उड़ीसा) में 2x500 मेगावाट का संयंत्र स्थापित कर रहा है, जो पूरी तरह से दक्षिणी क्षेत्र को समर्पित है, जिसमें 500 मेगावाट की एक यूनिट पहले ही चालू हो चुकी है। आंध्र प्रदेश का विद्युत संयंत्र में 21.2 प्रतिशत हिस्सा है।

(v) पावरग्रिड 500 मेगावाट जयपुर–गाजूवाका बैक–टू–बैक एचवीडीसी स्टेशन और 2000 मेगावाट तालचेर–कोलार एचवीडीसी बाईपोल, जिसके माध्यम से ईआर से एसआर को विद्युत अंतरण आसान हुआ है, को क्रियान्वित किया है।

(vi) राज्य/निजी क्षेत्र में 3055 मेगावाट क्षमता वृद्धि के अलावा 10वीं योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सेक्टर में 4140 मेगावाट (पूर्वी क्षेत्र में तालचेर स्टेज–1 (2000 मेगावाट) समेत) क्षमता उत्पादन प्रस्तावित है, जिसमें राज्य की भी पात्रता होगी।

(vii) पुराने तथा अकुशल उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार ताकि उत्पादन निष्पादन में सुधार किया जा सके।

(viii) भारत सरकार ने त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी), को अनुमोदित किया है, यह कार्यक्रम शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युतीकृत जोनों में उप–पारेषण तथा वितरण (एसटी एण्ड डी), के उन्नयन के लिए है ताकि तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियों

को कम करने के माध्यम से राज्य विद्युत बोर्डों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता में सुधार किया जा सके। वर्ष 2002–03 के दौरान केन्द्र सरकार ने 1511.40 करोड़ रुपये की लागत से 101 एसटी एण्ड डी परियोजनाओं को मंजूरी दी है ताकि आंध्र प्रदेश में इनका उन्नयन किया जा सके।

विवरण

आंध्र प्रदेश में विद्युत उत्पादन केन्द्रों का ब्यौरा और अप्रैल, 03–जून, 03 में वास्तविक उत्पादन

क्र.सं.	उत्पादन का प्रकार	मॉनीटरीकृत क्षमता (मेगावाट)	अप्रैल, 03– जून, 03 में विद्युत उत्पादन
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
राज्य क्षेत्र			
1.	कोठागुडम	1170.0	2154
2.	विजयवाड़ा	1260.0	2517
3.	रामागुण्डम–बी	62.5	119
4.	नैल्लोर	30.	23
5.	रायलसीमा	420.0	850
	एपीजेन थर्मल	2942.5	5703
6.	विज्जेश्वरन	272.3	537
	एपीजीपीसी जीटी	272.3	537
7.	मचकुंड	114.7	13
8.	अपर सिलेरू	240.0	3
9.	लोअर सिलरू	460.0	63
10.	तुंगभद्रा बांध	36.0	1
11.	हम्पी	36.0	0
12.	नागार्जुन सागर	810.0	44
13.	नागार्जुन सागर आरबीसी	90.0	0
14.	नागार्जुन सागर एलबीसी	60.0	0
15.	डोंकाराई	25.0	2
16.	श्रीसेलम	770.0	1
17.	श्रीसेलम एलबी	750.0	12
18.	पोचमपेड	27.0	0
19.	निजाम सागर	10.0	0
20.	पेन्ना अहोबेलम	20.0	0
21.	सिंगुर	15.0	0
22.	स्माल हाइड्रो	30.0	1
	एपी जेनको हाइड्रो	3493.7	140
निजी क्षेत्र			
23.	पेद्दापुरम सीसीजीटी	220.0	238
	बीएसईएस (पी) थर्मल	220.0	238
24.	जेगरूपाडु	235.4	375
	जीवीकेजी	235.4	375
25.	कोंडापल्ली	350.0	568
	कोंडा थर्मल	350.0	568
26.	एलवीएस पेरियार	36.8	0
	एलवीएस थर्मल	36.8	0
27.	गोदावरी जीटी	208.0	224
	स्पैक्ट थर्मल	208.0	224
केन्द्रीय क्षेत्र			
28.	रामागुंडम एसटीपीएस	2100.0	4153
29.	सिम्हाद्री	1000.0	1906

राजमार्गों पर पेट्रोल पंप

1649. श्री नरेश पुगलिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजमार्गों पर पेट्रोल पंपों की विशिष्टताओं के संबंध में नए दिशा–निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजमार्गों पर स्थित पेट्रोल पंपों की कुल कितनी संख्या है;

(घ) इन पेट्रोल पंपों में से कितने पेट्रोल पंप अब तक निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हैं; और

(ङ) उन पेट्रोल पंपों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है जो अभी भी निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर वर्तमान में लगभग 6200 खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल पंप) स्थापित किए गए हैं।

निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने वाले पेट्रोल पंपों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई, राष्ट्रीय राजमार्गों पर भविष्य में खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना के लिए नए दिशा–निर्देशों के प्रतिपादन पर निर्भर करेगी।

एएन-32 मालवाहक विमान का उन्नयन

1650. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अक्सर और अकस्मात् होने वाली घटनाओं के मद्देनजर आईएएफ की मालवाहक क्षमता बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एएन–32 मालवाहक विमान का उन्नयन करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) भारतीय वायुसेना की संक्रियात्मक जरूरतें पूरी करने के लिए परिवहन विमान को शामिल किया जाना एक सतत प्रक्रिया है तथा इसकी मांग और विमान के उपयोग को ध्यान में रख कर इसका सहारा लिया जाता है।

(ग) और (घ) एएन–32 परिवहन विमानों पर इस समय वैमानिकी तथा संचालन उपस्करों संबंधी संशोधन कार्य चल रहा है।

दलितों के लिए विशेष घटक योजना

1651. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री प्रकाश यशवंत अंबेडकर :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार दलितों की जनसंख्या के अनुसार एक विशेष घटक योजना बनाकर संविधान में संशोधन करने का है ताकि उसके तहत किए गए आवंटन को अन्यत्र खर्च न किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य को क्या दिशा–निर्देश जारी कि गए हैं/जारी किए जाने का विचार है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विशेष घटक योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) चालू वर्ष के दौरान विशेष घटक योजना (एससीपी) के तहत कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गई है; और

(च) प्रत्येक राज्य द्वारा उक्त योजना के तहत अब तक कितनी निधियां खर्च की जा चुकी हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (क) और (ख) इस प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशेष संघटक योजना को तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए योजना आयोग द्वारा दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) हाल ही में राज्यों के साथ विशेष संघटक योजना की स्थिति की समीक्षा की गई थी। उन समीक्षा बैठकों में इस मंत्रालय ने राज्यों पर प्रत्येक राज्य में अपनी-अपनी वार्षिक योजनाओं में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में निधियां निर्धारित करने के लिए बल दिया।

(ङ) और (च) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपने-अपने योजना निधियों में से निधियां आवंटित की जाती हैं, राज्य सरकारें चालू वर्ष के लिए योजना आयोग के परामर्श से अपने-अपने योजना आवंटनों को अंतिम रूप देंगी।

[हिन्दी]

देश में भारी उद्योगों की स्थापना

1652. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेषकर देश के पिछड़े जिलों में विश्व बैंक अथवा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से सरकारी क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र में किसी भारी उद्योग की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आवंटित की गई हैं/आवंटित किए जाने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते) : (क) से (घ) जहां तक भारी उद्योग विभाग का संबंध है, विश्व बैंक या अन्य किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में कहीं भी सरकारी क्षेत्र में किसी नई इकाई को स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है, देश में यदि कोई इकाई स्थापित करना चाहे तो उसके स्थान अथवा वित्त पोषण का निर्णय लेने के लिए वह स्वतंत्र है।

पेट्रोल के साथ एथानॉल मिलाया जाना

1653. श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिसूचित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 30 जून, 2003 तक पेट्रोल में 5 प्रतिशत एथानॉल मिलाए जाने का लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की धीमी गति के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम के सुगम कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एनहाइड्रस एथानॉल के बढ़ते उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु क्या नए कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) मिश्रण के उद्देश्य के लिए एथानॉल की पर्याप्त मात्रा की अनुपलब्धता और बहुत से राज्य-उद्ग्रहण, कार्यक्रम की धीमी गति के कारण हैं।

(ग) राज्य सरकारों से एथानॉल परियोजनाओं की स्थापना करने में व्यवधान हटाने का अनुरोध किया गया है जिससे उत्पाद शुल्क प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके और इस उद्देश्य के लिए एथानॉल की बिक्री, आयात/निर्यात पर राज्य उद्ग्रहण कम किए जा सकें।

पतरातू एक्सटेंशन का विस्तार

1654. श्री राम टहल चौधरी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पतरातू एक्सटेंशन चरण-I विद्युत परियोजना का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार को उक्त परियोजना का प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था और इसे कब अस्वीकार किया गया;

(घ) क्या परियोजना के लिए प्रस्ताव सरकार के पास अनेक वर्षों तक लंबित पड़े रहते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) आज की तिथि के अनुसार परियोजना के पतरातू एक्सटेंशन चरण-I की स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने दिसंबर, 1988 में पतरातू एक्सटेंशन फेज-I के गठन संबंधी एक प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में भेजा था जिसे दिसंबर, 1992 में लौटा दिया गया था क्योंकि तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए आवश्यक आवक/स्वीकृति प्रस्ताव के साथ नहीं भेजे गए थे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) पतरातू एक्सटेंशन फेज-I के गठन संबंधी कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेट्रोल पंप/एलपीजी/ मिट्टी तेल की एजेंसियों का आवंटन

1655. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वतंत्रता सेनानियों को पेट्रोल पंप, एलपीजी और मिट्टी तेल की एजेंसियों के आवंटन हेतु सरकार की क्या नीति है;

(ख) इस योजना के तहत इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) उन स्वतंत्रता सेनानियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें आज तक पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां और मिट्टी तेल की एजेंसियां आवंटित की गई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) 1.4.2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था की समाप्ति के परिणामस्वरूप देश में विभिन्न स्थानों के लिए खुदरा बिक्री डीलरशिपों (पेट्रोल पंपों), एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और एसकेओ-एलडीओ डीलरशिपों के लिए डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा स्वयं उनके द्वारा अपनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। नीति को अंतिम रूप देते समय ओएमसीज स्वतंत्रता सेनानियों को आवंटनों सहित सभी संबंधित प्रश्नों को ध्यान में रखेंगी।'

(ग) 1.10.2002 की स्थिति के अनुसार देश में स्वतंत्रता सेनानी श्रेणी में व्यक्तियों को आवंटित खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और एसकेओ-एलडीओ डीलरशिपों की संख्या, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पहले के डीलर चयन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित 2 प्रतिशत के आरक्षण के अनुसार, क्रमशः 217, 196 और 56 थीं।

[अनुवाद]

सामानों/पार्सल की अवैध ढुलाई

1656. श्री ए. नरेन्द्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी और शताब्दी रेलगाड़ियों में ठेकेदारों के खान-पान कर्मचारी सामानों/पार्सलों की एक जगह से दूसरी जगह अवैध ढुलाई करने में लिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में समय-समय पर औचक निरीक्षण किए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो कितने लोगों को दोषी पाया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) रसोईयान लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार रसोईयान में अनुमत मात्रा की अनुमेय मदों से भिन्न पार्सलों अथवा सामान ले जाना दंडनीय अपराध है।

बहरहाल, गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस में अवैध माल की ढुलाई के एक मामले की रिपोर्ट की गई थी और रसोईयान ठेके का लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार की गतिविधि को रोकने के लिए नियमित और अचानक निरीक्षण किए जाते हैं।

भारत से म्यांमार के लिए रेल सेवाएं

1657. श्री भर्तृहरि महताब : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश अपने यहां से होकर भारत से म्यांमार तक रेल सेवाएं चलाने की अनुमति देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त रेल सेवा को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों की भर्ती

1658. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं में भर्ती हेतु युवाओं की अभिरुचि में प्रत्यक्ष कमी आई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तीनों सेवाओं में संबंधित कमीशन अधिकारियों के पदों पर कितनी रिक्तियां हुई हैं;

(ग) संबंधित अवधि के दौरान कितने अधिकारियों की भर्ती की गई है/को कमीशन दिया गया है;

(घ) तीनों सेवाओं में रिक्त पदों की तुलना में कम भर्ती किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए मेधावी युवाओं को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) हाल ही के वर्षों के दौरान सशस्त्र सेनाओं में युवाओं की भर्ती में कमी दिखाई नहीं पड़ी है। वास्तव में, देश के विभिन्न भागों में आयोजित भर्ती मेलों में सहभागिता काफी उत्साहवर्द्धक रही है। तथापि, बदलते हुए सामाजिक-आर्थिक वातावरण और सिविल क्षेत्र में बहुत से लाभप्रद रोजगार विकल्पों की उपलब्धता के कारण आजीविका विकल्प के रूप में तीनों सेनाओं के अफसरों के लिए सशस्त्र सेनाओं को दी जा रही प्राथमिकता इस समय निम्न है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कमीशन प्राप्त अफसरों की रिक्तियों की संख्या और इस अवधि के दौरान भर्ती किए/कमीशन प्रदान किए गए अफसरों की संख्या निम्नलिखित है :

सेना	रिक्तियों की संख्या	भर्ती किए गए/कमीशन प्रदत्त अफसरों की संख्या
सेना	2000–2978	2000–2211
	2001–2666	2001–1997
	2002–2822	2002–1911
वायुसेना	2000–746	2000–385
	2001–728	2001–363
	2002–809	2002–448
नौसेना	2000–330	2000–260
	2001–329	2001–286
	2002–484	2002–389

सशस्त्र सेनाओं द्वारा कार्मिकों की भर्ती के लिए अपना उच्च मानक बनाए रखा गया है। चयन तथा चिकित्सा संबंधी कड़े मानदंड पूरे करने वाले कार्मिक ही प्रशिक्षण के लिए स्वीकार किए जाते हैं। अतः भर्ती की कुछ कमी है।

अफसरों तथा अफसर रैंक से नीचे के कार्मिक, दोनों स्तर पर, मेधावी युवकों को आकृष्ट करने के लिए सशस्त्र सेनाओं द्वारा गहन प्रयास किए जा रहे हैं।

सेना द्वारा वर्ष 1997 में छवि सुधार अभियान शुरू किया गया है तथा इस समय चरण-III का अभियान चल रहा है। इसके अलावा, सेना में आने के लिए युवकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से स्कूलों तथा कालेजों में भर्ती कार्यालयों द्वारा संगोष्ठियां, व्याख्यान तथा प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया जाता है तथा अधिक भर्ती सुगम बनाने के लिए सेना की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाई गई है।

नौसेना द्वारा व्यापक जनप्रचार तथा भर्ती अभियान चलाए

जा रहे हैं। अधिक लक्ष्य जनसंख्या तक पहुंचने के लिए विभिन्न कालेजों/संस्थाओं में प्रोत्साहन अभियान चलाए जाते हैं।

अफसर संवर्ग में प्रतिभावान तथा योग्य युवाओं को आकर्षित करने के लिए वायुसेना द्वारा बराबर प्रचार-प्रसार किए जा रहे हैं। प्रचार सामग्री भेजने के लिए लगभग 3000 स्कूल तथा कालेज डाक सूची में शामिल हैं। चयन बोर्ड के योग्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा कैम्पस साक्षात्कर लिए जाते हैं ताकि सक्षम उम्मीदवारों के साथ सीधी बातचीत की जा सके तथा सेवा संबंधी उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकें। प्रेरणात्मक बातचीत के लिए स्कूलों तथा कालेजों के दौरे किए जाते हैं। "आजीविका मेलों" में भागीदारी की जाती है तथा समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में आजीविकोन्मुखी विज्ञापन भी दिए जाते हैं।

बहु वितरण लाइसेंस देने हेतु नीति-निर्देश

1659. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नए विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत बहु वितरण लाइसेंस देने हेतुं नीति-निर्देश बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) राज्य इस संबंध में किस हद तक सहमत हुए हैं; और

(घ) यह विद्युत के मामले में देश के लिए किस हद तक सहायक रहा है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (घ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 में यह प्रावधान है कि समुचित आयोग द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों को क्षेत्र विशेष में स्वयं के वितरण प्रणाली के माध्यम से विद्युत वितरण हेतु लाइसेंस दिया जा सकता है बशर्ते कि क्षेत्र विशेष का आवेदक अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों और अपेक्षाओं के प्रति बिना किसी भेदभाव के सरकार द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करे जिसमें पूंजी की उपलब्धता, साख क्षमता और आचार संहिता शामिल है।

टक्कर-रोधी उपकरण के संबंध में प्रगति

1660. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंकण रेलवे टक्कर-रोधी उपकरण कार्यक्रम की आज तक की प्रगति क्या है;

(ख) इस परियोजना की लागत क्या है; और

(ग) इसे भारतीय रेल में कब तक लगाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर टक्कर-रोधी उपकरण (एसीडी) के प्रावधान का कार्य प्रगति पर है। यह वर्ष 2004-05 में पूरा कर लिया जाएगा। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (पू.सी.रे.) के 1700 मार्ग किमी. दक्षिण मध्य रेलवे (द.म.रे.) के 80 मार्ग किमी. और दक्षिण पश्चिम रेलवे (द.प.रे.) 533 मार्ग कि.मी. पर एसीडी सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं और दक्षिण मध्य रेलवे पर सर्वेक्षण पूरा हो गया है और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, दक्षिण रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे पर प्रगति पर है। चालू वर्ष के दौरान उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण-पश्चिम रेलवे पर प्रगति पर है। उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण-मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे पर लगभग 1750 मार्ग कि.मी. पर एसीडी के प्रावधान का कार्य और भारतीय रेलों पर 10,000 मार्ग कि.मी. अतिरिक्त खंड पर एसीडी सर्वेक्षण कार्य भी स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लि. द्वारा पूर्व अनुमानों के अनुसार भारतीय रेल पर एसीडी के प्रावधान की कुल लागत 1600 करोड़ रुपए है। बहरहाल, यह सर्वेक्षण पूरा होने और विस्तृत अनुमान प्रस्तुत होने पर बढ़ने की संभावना है।

(ग) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर कार्य 2004-05 में पूरा हो जाने की संभावना है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर एसीडी के प्रावधान का कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात आगे का कार्य शुरू किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश और दिल्ली में विद्युत का उत्पादन और उपभोग

1661. श्री सईदुज्जमा : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्य विद्युत बोर्डों को कितनी वार्षिक हानियां हो रही हैं;

(ख) उपरोक्त राज्यों में वर्तमान में कितने विद्युत का उपभोग हो रहा है और उनके अपने संसाधनों से कितने प्रतिशत विद्युत का उत्पादन किया गया है;

(ग) उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां से शेष विद्युत की आपूर्ति की जाती है; और

(घ) दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें केन्द्र सरकार का योगदान क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश (उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि.) और दिल्ली (दिल्ली विद्युत बोर्ड) के पावर यूटिलिटियों की वाणिज्यिक हानियां और इन राज्यों में विद्युत खपत की वर्तमान स्थिति के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	मुद्दे	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	
1.	वर्ष 2001-2002 के दौरान वाणिज्यिक हानियां	1887 करोड़ रु. (यूपीपीसीएल)	1196 करोड़ रु. (डीवीबी)	
2.	जून 2003 के दौरान विद्युत खपत	राज्य का स्वयं का उत्पादन और कुल खपत का प्रतिशत	राज्य का स्वयं का उत्पादन और कुल खपत का प्रतिशत	कुल खपत
		1567 मिलियन यूनिट (46.8 प्रतिशत)	3347 मिलियन यूनिट	1942 मिलियन यूनिट
3.		शेष बिजली केन्द्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों में राज्य की हिस्सेदारी से उपलब्ध कराया जाता है।	राज्य की आवश्यकता की पूर्ति केन्द्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों में राज्य की हिस्सेदारी और बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र सहित हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, गोवा और पश्चिम बंगाल से विद्युत आयात कर किया जाता है।	

उत्तर प्रदेश और दिल्ली की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य क्षेत्र में 10वीं योजना के दौरान क्रमशः 710 मेगावाट और 225.78 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि का कार्यक्रम है। इन दोनों राज्यों की केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में भी हिस्सेदारी होगी।

एलपीजी वितरण और खुदरा बिक्री के लाइसेंस को रद्द करने हेतु दिशा-निर्देश

1662. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा जारी एमडीजी-2001 की शर्तों के अनुसार देश में विक्रय केन्द्र एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और ओमएसी खुदरा विक्रय केन्द्र समाप्त करने हेतु प्रक्रियागत दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ख) क्या ओएमसी उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन करने से पूर्व वितरकों/डीलरों पर दंड निर्धारित करते समय उनके द्वारा किए गए कदाचार को ध्यान में रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ओएमसी द्वारा उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पूरे देश में समान रूप से पालन किया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) अप्रैल, 2001 में सरकार द्वारा जारी किए गए विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी) में एलपीजी वितरकों तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों के समापन के लिए निम्नवत व्यवस्था है :

(1) एलपीजी वितरकों के मामले में एमडीजी, 2001 में उल्लिखित बड़ी सिद्ध हुई अनियमितताओं के मामले में तीसरी बार पर तथा प्रमाणित छोटी सिद्ध हुई अनियमितताओं के मामले में चौथी बार पर।

(2) खुदरा बिक्री केन्द्रों के मामले में एमडीजी, 2001 में उल्लिखित अनियमितताओं की प्रकृति पर निर्भर

करते हुए अधिकांश मामलों में दूसरी बार अथवा तीसरी बार पर।

(ख) और (ग) एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों पर किसी कदाचार/अनियमितता के सिद्ध होने पर एमडीजी, 2001 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करते समय तेल विपणन कंपनियों से आशा की जाती है कि वे विगत अनियमितताओं को ध्यान में न रखें। किन्तु, खुदरा बिक्री केन्द्रों के मामले में तेल विपणन कंपनियां पिछले पांच वर्षों में की गई अनियमितताओं को गिन रही हैं ताकि पहली/दूसरी/तीसरी अनियमितता सिद्ध हो सके।

(घ) और (ङ) तेल विपणन कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि पूरे देश में विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन एक समान किया जाए।

कर्नाटक में दूरदर्शन/ऑल इंडिया रेडियो

1663. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आज की तिथि के अनुसार कर्नाटक के कुल कितने क्षेत्र में रेडियो और दूरदर्शन के कार्यक्रम देखे और सुने जा सकते हैं;

(ख) पूरे राज्य में ऑल इंडिया रेडियो/दूरदर्शन के कार्यक्रम किस वर्ष तक शत-प्रतिशत उपलब्ध हो जाएंगे;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन इस समय कर्नाटक में क्रमशः 96.4 प्रतिशत तथा 76 प्रतिशत क्षेत्र को एवं क्रमशः 97.3 प्रतिशत व 82 प्रतिशत जनसंख्या को कवर करते हैं। तथापि, उपग्रह पद्धति में दूरदर्शन सिगनलों द्वारा संपूर्ण देश को कवर किया जाता है।

(ख) और (ग) कवर ना किए गए क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की सेवाओं की व्यवस्था करना एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती। इस समय कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात कर्नाटक में आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रसारण क्रमशः 98.48 प्रतिशत और 76.2 प्रतिशत क्षेत्र तथा क्रमशः 98.75 प्रतिशत एवं 88.24 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध होने का अनुमान है।

ईथानोल का मूल्य

1664. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्रीमती प्रभा राव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक** गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिस्टीलरी स्वामी पेट्रोल कंपनियों को देने के लिए ईथानोल के मूल्य में कमी करने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो डिस्टीलरी स्वामियों द्वारा क्या मूल्य निर्धारित किया गया है और वे मूल्य में कितनी कमी के लिए सहमत हुए हैं;

(ग) तेल कंपनियों को ईथानोल की कुल कितनी आवश्यकता है और उन कंपनियों द्वारा ईथानोल की खरीद पर वार्षिक रूप से कितना धन खर्च किया जाता है; और

(घ) किन राज्यों में 5 प्रतिशत ईथानोल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति की जाती है और अन्य राज्यों में 5 प्रतिशत ईथानोल मिश्रित की आपूर्ति न किए जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) तेल विपणन कंपनियां एथेनोल का प्रापण सार्वजनिक निविदाओं के माध्यम से करती हैं। निविदा प्रक्रिया के भाग के रूप में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त करने के लिए निविदादाताओं के साथ वार्ताएं की जाती हैं।

(ख) सार्वजनिक निविदाओं के प्रति प्राप्त एथेनोल का वार्ताकृत आधारभूत मूल्य (राज्य उद्ग्रहणों के अतिरिक्त) 17 रुपए से 17.50 रुपए प्रति लीटर की शृंखला में है।

(ग) अधिसूचित 9 राज्यों और 4 संघ शासित क्षेत्रों में एथेनोल की कुल मांग 345 हजार किलो लीटर वर्ष है और वार्षिक प्रापण पर व्यय लगभग 280 रुपए है।

(घ) जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के 9 प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों और चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा पांडिचेरी के 4 संघ शासित क्षेत्रों के सभी क्षेत्रों को 30.9.2003 तक 5 प्रतिशत एथेनोल सम्मिश्रित-पेट्रोल की आपूर्ति

के लिए शामिल कर लिया जाएगा। शेष राज्य और संघ शासित क्षेत्र प्रदेश अगले चरण में शामिल किए जाएंगे।

पुराने यात्री डिब्बों को बदला जाना

1665. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की विभिन्न रेलगाड़ियों विशेषकर दक्षिण-मध्य रेलवे में चल रही नरसापुर एक्सप्रेस में सभी पुराने यात्री डिब्बों का प्रतिस्थापन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किसी रेलगाड़ी को यात्री डिब्बों का आवंटन करने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देश क्या हैं;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि नरसापुर एक्सप्रेस और अन्य रेलगाड़ियों के लिए बेहतर यात्री डिब्बे दिए जाएं; और

(ङ) इस रेलगाड़ी में सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) रेलवे में पुराने सवारी डिब्बों को बदलना एक सतत प्रक्रिया है। सभी पुराने सवारी डिब्बों को नकारा किया जाता है और उन्हें आयु एवं हालत के आधार पर बदला जाता है। नरसापुर एक्सप्रेस में पुराने, गतायु सवारी डिब्बे नहीं चल रहे हैं।

(ग) यातायात की आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय रेलों को नए सवारी डिब्बे आवंटित किए जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सभी गाड़ियों के निवारक अनुरक्षण प्रणाली के द्वारा संरक्षा सुनिश्चित की जाती है।

दुर्घटना राहत के दौरान पंचायतों से मदद

1666. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल दुर्घटनाओं के दौरान रेलवे लाइनों के पास मदद और तत्काल चिकित्सा सहायता पहुंचाने के लिए सभी पंचायतों से संपर्क करने और उन्हें उक्त कार्य में सम्मिलित कराने की कोई योजना है;

(ख) क्या यह योजना कार्यान्वित की गई है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कितनी पंचायतों से संपर्क किया गया और उन्हें रेल विभाग के साथ समन्वयक भूमिका में लाया गया;

(घ) दुर्घटना-प्रत्याशा और दुर्घटना राहत में पंचायतों को रेल विभाग के साथ इस प्रकार से सम्मिलित होने का राज्य-वार विवरण क्या है; और

(ङ) इस प्रयास में पंचायतों को सम्मिलित कराने में वृद्धि करने के लिए कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) जी, नहीं। बहरहाल, रेल दुर्घटनाओं के मामलों में गांवों और शहरों के पास रहने वाले लोग ही सामान्यतः बचाव और राहत कार्यों में सबसे पहले आगे आते हैं। इसके अलावा, वर्ष 1994 और 1995 में राज्य सरकारों को उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रत्येक गांव के मुखिया को गांव वालों के साथ बैठकें रखने का अनुरोध किया गया था ताकि उन्हें चौकीदार रहित समपारों के बारे में जानकारी दी जा सके और लापरवाही से गाड़ी चलाने संबंधी खतरे से बचा सके। चौकीदार रहित समापारों के पार करने संबंधी जानकारी देने के उद्देश्य से गांव वालों को जागरूक करने के लिए क्षेत्रीय रेलें समय-समय पर अभियान चलाती हैं जिसमें विभिन्न स्थानीय निकाय, जिला प्रशासन, नगरपालिका, ग्राम पंचायतों और बहुत सी गैर-सरकारी एजेंसियां शामिल होती हैं। क्षेत्रीय रेलों द्वारा सामाजिक अभियान संरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से मुख्यतः सड़क वाहन उपयोगकर्ताओं की भूमिका पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए चलाए जाते हैं।

दूरदर्शन/आकाशवाणी में नए उम्मीदवारों के लिए भर्ती कोटा

1667. श्री महेश्वर सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के अंतर्गत दूरदर्शन और आकाशवाणी के विभिन्न संवर्गों में वर्तमान में अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार दूरदर्शन और आकाशवाणी के विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों पर देश में नए बेरोजगार अर्हता

प्राप्त उम्मीदवारों की भर्ती करने के बजाय सेवानिवृत्त कर्तिकों को काम में लगा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के अंतर्गत देश में नए उम्मीदवारों की भर्ती करके रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने की संभावना है; और

(च) रिक्त पदों के कब तक भर दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेल टिकटों की पुष्टि

1668. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुख्यालय/मंत्री कोटा से प्रतीक्षा सूची वाली रेल टिकटों की पुष्टि करने के लिए क्या मानदंड अपनाया गया है; और

(ख) क्या इस मानदंड के लिए सांसदों को भी प्राथमिकता दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो गत छह महीनों के दौरान सांसदों और अन्य प्राधिकारियों के अनुरोध पर सांसद–वार और प्राधिकारी–वार कितनी टिकटों की पुष्टि की गई;

(घ) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा मुख्यालय कोटा के टिकट जारी करने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार के पास केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जांच का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) उच्च अधिकारियों (एचओआर), मंत्रियों, संसद सदस्यों/विधायकों, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अन्य आपातिक मांगों संबंधी तात्कालिक यात्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ सीमित शायिकाएं आपातकालीन कोटा के रूप में निर्धारित की गई हैं। उच्चाधिकारियों और संसद सदस्यों के स्वयं यात्रा करने पर प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) चूंकि विभिन्न क्षेत्रों से काफी संख्या में अनुरोध प्राप्त होते हैं उन्हें दिन–प्रतिदिन आधार पर निपटाया जाता है, इसलिए कोटि–वार आवंटन का विवरण नहीं रखा जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार में एनसीईएस पर कार्य

1669. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री राजो सिंह :
श्री मंजय लाल :

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में एनसीईएस से कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया गया;

(ख) उपर्युक्त राज्य में एनसीईएस की कुल कितनी परियोजनाएं चालू की गईं और इन परियोजनाओं में खर्च की गई राशि का स्थान–वार और परियोजना–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उपर्युक्त अवधि के दौरान कितनी प्रगति हुई?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) बिहार में पिछले तीन वर्षों अर्थात 2000–01 से 2002–03 के दौरान अक्षय ऊर्जा स्रोत से लगभग 317 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ है।

(ख) और (ग) बिहार में राज्य निधियों से समग्र 44.90 मेवा. की चार लघु पनबिजली (एसएचपी) परियोजनाएं पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। ये परियोजनाएं हैं–डेहरी, जिला रोहतास में सोन पश्चिमी नहर (6.6 मेगावाट), बारुण, जिला औरंगाबाद में सोन पूर्वी नहर (2.3 मे.वा.), बाल्मीकी नगर,

जिला पश्चिम चम्पारण में पूर्वी गंडक नहर (15 मे.वा.) और कटैया, जिला सुपौल में कोशी नहर (20 मे.वा.)। इसके अतिरिक्त 15 मे.वा. की कुल क्षमता के साथ राज्य से वित्त पोषित 10 और एसएचपी परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत हैं। इसके अलावा 46 विस्तृत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण और विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की गई हैं।

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

1670. श्री हरीभाऊ शंकर महाले :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री आदि शंकर :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री पी. आर. खूंटे :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर–सरकारी संगठनों को धनराशि के आबंटन के लिए किन दिशा–निर्देशों का पालन किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का गैर–सरकारी संगठनों को धनराशि का आवंटन रोकने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि नहीं, तो चालू वर्ष के दौरान विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों और आवंटित की गई/जारी की गई धनरशि का गैर–सरकररी संगठन–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस कारण गैर–सरकारी संगठनों के लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा और कारण क्या हैं और गैर–सरकारी संगठनों के लंबित प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत होने की संभावना है; और

(च) गैर–सरकारी संगठनों के कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने वाले हैं और उनके द्वारा धनराशियों के दुरुपयोग के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि) : (क) सहायता अनुदान की निर्मुक्ति के लिए वर्तमान दिशा–निर्देशों के अंतर्गत प्राप्तकर्ता संगठन को एक पंजीकृत निकाय, कानूनी स्थिति वाला तथा प्रस्तावित कार्यकलापों के क्षेत्र में कम–से–कम दो वर्षों तक कार्यरत होना चाहिए। प्रस्ताव को राज्य सरकार/मंत्रालय आदि द्वारा नामित एजेंसी से संस्तुत होना चाहिए। दिशा–निर्देश तथा योजना–वार अपेक्षाएं मंत्रालय की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सोशलजस्टिस.निक.इन. में उपलब्ध हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मंत्रालय की 10 गैर–सरकारी संगठन योजनाओं के अंतर्गत 2163 प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं। 1545 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 75.10 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त की गई है। गैर–सरकारी संगठनों को की गई निर्मुक्तियों का ब्यौरा आवधिक रूप से मंत्रालय की वेबसाइट में आवधिक रूप से रखा जाता है।

(ङ) 618 प्रस्ताव आवेदित योजना में विनिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजों, राज्य सरकारों से रिपोर्टों/सिफारिशों के अभाव आदि जैसे कारणों से लंबित हैं। गैर–सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना भेजने के लिए आग्रह किया जा रहा है ताकि मामलों का निर्णय किया जा सके।

(च) सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे गैर–सरकारी संगठनों के कार्य–निष्पादन की मानीटरिंग तथा मूल्यांकन राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय संस्थानों, मंत्रालय के स्वयं के अधिकारियों, नामित निरीक्षण करने वाले प्राधिकारियों आदि के माध्यम से किया जाता है। यदि कमियां ध्यान में आती हैं तो संगठनों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। यदि उनका उत्तर संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो आगे सहायता अनुदान रोक दिया जाता है और संगठन को काली सूची में डाल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकार/ जिला कलेक्टर से दुरुपयोग की गई राशि को संगठन से वसूल करने के लिए कहा जाता है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए परिव्यय

1671. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003–2004 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के लिए परिव्यय क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष के लिए परिव्यय को पहले के वर्ष की तुलना में कम कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है;

(घ) क्या इस कमी के कारण उड़ीसा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) वर्ष 2003–04 के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन हेतु परिव्यय (बजट अनुमान) नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

1. कुटीर ज्योति (पूर्वोत्तर राज्य)	10.00
2. कुटीर ज्योति (अन्य राज्य)	90.00
3. त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (एआरईपी) के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी	100.00
कुल	200.00

(ख) और (ग) ब्याज सब्सिडी के अंतर्गत चालू वर्ष के लिए परिव्यय (बजट अनुमान) पूर्व वर्ष की तुलना में कम किया गया है क्योंकि सब्सिडी वर्ष–वार गिरते पैमाने पर तय की गई है। वर्ष 2002–03 सब्सिडी का प्रथम वर्ष होने के नाते इस वर्ष अधिक आवंटन किया गया है।

(घ) और (ङ) चालू वर्ष अर्थात 2003–04 के लिए उड़ीसा हेतु कुटीर ज्योति अनुदान सहायता का आवंटन 764.52 लाख रुपए है जो कि पूर्व वर्ष में किए गए 549.15 लाख रुपए के आवंटन से अधिक है।

ब्याज सब्सिडी को ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के लिए ऋण निकासी से जोड़ा गया है। चूंकि उड़ीसा में विद्युत वितरण का निजीकरण किया गया है इसलिए निजी विद्युत यूटिलिटियों ने ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के लिए किसी भी ऋण तथा ब्याज सब्सिडी हेतु आरईसी से अनुरोध नहीं किया है। इस प्रकार ब्याज सब्सिडी के अंतर्गत परिव्यय में कमी किए जाने के कारण उड़ीसा पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

पश्चिम एशिया से दक्षिण एशिया तक गैस ग्रिड का विस्तार

1672. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात से गैस ग्रिड का पश्चिम एशिया से दक्षिण एशिया तक विस्तार करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यात्रा पर आए संयुक्त अरब अमीरात के उच्च स्तरीय शिष्ट मंडल के साथ बैठक के दौरान उक्त विषय पर विचार–विमर्श किया गया;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार के विचारों को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा स्वीकृति दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो यह देश के लिए किस हद तक उपयोगी होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा विद्युत उत्पादन

1672. **श्री के. पी. सिंह देव :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने विद्युत उत्पादन के लिए दीर्घकालीन योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा जल विद्युत उत्पादन के लिए भी जोर दिए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उक्त दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य क्या है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (घ) एनटीपीसी का 10वीं और 11वीं योजनाओं के दौरान 20,000 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि कर वर्ष 2012 तक

अपनी क्षमता दोगुनी कर 40,000 मेगावाट से अधिक क्षमता की कंपनी बनने का इरादा है।

एनटीपीसी ने जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने का भी निर्णय लिया है ताकि 4500 मेगावाट जल विद्युत क्षमता की अभिवृद्धि हो सके।

एनटीपीसी द्वारा हिमाचल प्रदेश में 800 मेगावाट क्षमता की कोलडैम जल विद्युत परियोजना का कार्य संचालित किया जा रहा है। इस निगम द्वारा उत्तरांचल में लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना (520 मेगावाट) और तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना (360 मेगावाट) विकसित करने हेतु समझौता भी किया है। इस निगम द्वारा 250 मेगावाट क्षमता तक की जल परियोजनाओं के विकास के लिए "एनटीपीसी हाइड्रो लिमिटेड" नामक कंपनी का गठन भी किया गया है।

दूरदर्शन कर्नाटक से कन्नड़ कार्यक्रमों का प्रसारण

1674. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती ने कर्नाटक में इसके दूरदर्शन चैनल में कन्नड़ कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य की संस्कृति पर आधारित शिक्षाप्रद और सूचनात्मक कार्यक्रमों के प्रसारण पर कोई जोर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन केन्द्र बंगलौर और गुलबर्गा से कन्नड़ कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण नियमित रूप से किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों को समूचे कर्नाटक में स्थलीय रूप से रिले किया जाता है और ये उपग्रह पद्धति में पूरे देश में भी उपलब्ध हैं।

प्रसार भारती ने आगे सूचित किया है कि कन्नड़ कार्यक्रमों को विभिन्न समय सारणियों पर सप्ताह के सभी दिवसों में डीडी–1 चैनल (स्थलीय) पर प्रसारित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय भाषायी उपग्रह चैनल 'चन्दना' भी चौबीसों घंटे कन्नड़ में कार्यक्रमों को प्रसारित कर रहा है।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि कर्नाटक की संस्कृति पर आधारित शिक्षाप्रद और सूचनाप्रद कार्यक्रमों के प्रसारण पर उचित बल दिया जा रहा है। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि महिलाओं, बच्चो, युवाओं पर कार्यक्रमों और तुलु, कोंकणी, कोडवा जैसी विशेष कम बोली जाने वाली भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं जो शिक्षाप्रद और सूचनाप्रद ही नहीं हैं बल्कि कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत को भी प्रस्तुत करते हैं। प्रसार भारती द्वारा काव्य सम्पूता संचय और कवि समय जैसे नवीनतम कार्यक्रमों का निर्माण करके कन्नड़ संस्कृति और भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

रेलवे साइडों के पास वेयरहाउसिंग सुविधाएं

1675. श्रीमती प्रभा राव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग का माल सेवाओं को अधिक प्रभावशाली ढंग से देने हेतु देश में विभिन्न स्थानों पर रेलवे साइडों के पास वेयरहाउसिंग सुविधाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन आफ इंडिया की रणनीतिक भागीदारी के साथ किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो यह सुविधा किन स्थानों पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है तथा इस प्रकार के प्रत्येक वेयरहाउस की कितनी क्षमता है और कितने वेयरहाउस का निर्माण करने का प्रस्ताव है और इन वेयरहाउसों के निर्माण में कुल कितनी राशि लगी है; और

(घ) इन वेयरहाउसों के कब तक तैयार होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जैसा कि 2003–2004 के रेल बजट में

घोषणा की गई थी कि रेलवे 22 स्थानों पर वेयरहाउसिंग काम्पलेक्सों का विकास करने के लिए सैंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन करना चाहती है। अन्य पार्टियों द्वारा भी रेल साइड वेयरहाउसिंग सुविधाओं के विकास की अनुमति भी है। चूंकि प्रस्ताव आरंभिक चरण में है, इसलिए रेलवे के लिए वेयरहाउसों की संख्या, क्षमता, लागत और निर्माण में लगने वाले समय सहित स्थानों का ब्यौरा देना संभव नहीं है।

थर्ड गोदावरी रेल ब्रिज में दरारें

1676. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में थर्ड गोदावरी रेल ब्रिज में दरारें और कमियां पाई गई थीं;

(ख) यदि हां, तो दरारों और कमियों का ब्यौरा क्या है, उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) पुल के निर्माण में कोई कमी नहीं पाई गई है। कंक्रीट बॉक्स में कुछ संकुचन दरारें पाई गई थीं परंतु उससे संरचना प्रभावित नहीं हुई थी।

(ग) कुछ समय पहले इपोक्सी सामग्री का उपयोग करके दरारों को सील कर दिया गया था तथा उसके पश्चात और दरारें नहीं देखी गईं।

परियोजना स्थलों पर रेल अधिकारियों का निरीक्षण

1677. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ रेल अधिकारी फील्ड में किसी कार्य परियोजना का निरीक्षण करने हेतु दौरा नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या फील्ड दौरा करने की न्यूनतम संख्या, प्रतिमाह कवर किए जाने के लिए अवधि और दूरी बताते हुए मंडल स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे निर्धारणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वरिष्ठ रेल अधिकारियों को भी रेल यात्रा का प्रयोग करने के अनुदेश दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो वरिष्ठ अधिकारियों तथा तकनीकी और फील्ड स्टाफ के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए ऐसी नीतियों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। वरिष्ठ पदाधिकारी परियोजना निर्माण स्थलों का आवधिक रूप से दौरा करते हैं।

(ख) और (ग) परियोजना स्थलों का दौरा करने के लिए कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। बहरहाल, मंडल स्तर पर कार्यरत अधिकारी कार्य की प्रगति एवं आवश्यकता के अनुसार परियोजना कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं।

(घ) और (ङ) सुविधा, उपलब्धता और आवश्यकता के अनुसार, परिवहन के उपयुक्त साधन द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान और इसके अलावा, अधिकारियों और फील्ड कर्मचारियों के बीच पर्याप्त संपर्क रहता है।

[हिन्दी]

मुस्लिम समुदाय के लिए विकास योजनाएं

1678. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मौलाना आजाद फाउंडेशन के तत्वावधान में मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए कुछ योजनाएं आरंभ की हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के लिए योजना-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (क) और (ख) जी, हां। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए तीन नई योजनाएं आरंभ की हैं। ये हैं (1) अल्पसंख्यकों के मेधावी

छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, (2) मौलाना आजाद सद्भावना केन्द्रों की स्थापना की योजना तथा (3) मौलाना आजाद राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार। प्रत्येक योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) अल्पसंख्यकों के मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना हेतु चालू वित्त वर्ष के लिए 1.20 करोड़ रुपए, मौलाना आजाद सद्भावना केन्द्रों की स्थापना के योजना के लिए 1.10 करोड़ रुपए तथा मौलाना आजाद राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कारों के लिए 0.10 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है।

विवरण

(1) मेधावी अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना।

उद्देश्य : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मेधावी छात्राओं को मान्यता प्रोत्साहन तथा सहायता देना जो बगैर वित्तीय सहायता के अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकती हैं।

प्रयोजन : यह छात्रवृत्ति स्कूल/कालेज शुल्क के भुगतान, पाठ्य-पुस्तकों की खरीद, लेखन सामग्री तथा ठहरने/खाने के शुल्क की भुगतान पर व्यय करने के लिए अनुमत्य होगा।

पात्रता : मानदंड : राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के छात्राओं अर्थात मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख तथा पारसी तथा

(1) सभी स्रोतों से छात्राओं की पारिवारिक आय एक लाख रुपए प्रतिवर्ष (1,00,000) से कम होना चाहिए।

(2) किसी मान्यता प्राप्त केन्द्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में उत्तीर्ण होना चाहिए तथा माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्रण परीक्षा में 55 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नहीं होना चाहिए।

(3) कक्षा-11/डिप इंजीनियरिंग/आईटीआई में दाखिले की पुष्टि हो गई हों।

(4) दाखिला प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/कालेज/संस्था प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

छात्रवृत्तियों की संख्या : प्रत्येक 10,000/- रुपए की दर से 1200 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी।

(2) मौलाना आजाद सद्भावना केन्द्रों की स्थापना।

उद्देश्य : न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद के राष्ट्रीय विचारों के संबंध में चेतना पैदा करने। सेमिनारों/सम्मेलनों/प्रतियोगिताओं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा योजना के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए तथा शिक्षा के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए तथा सद्भावना केन्द्रों के रूप में अवसंरचना सृजित की जाएगी।

धनराशि तथा वित्तीय सहायता का प्रयोजन : समुदाय हाल, पुस्तकालय, कार्यालय कक्ष तथा पुस्तकें/फर्नीचरों की खरीद के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए के अनुदान के साथ मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा मौलाना आजाद सद्भावना केन्द्र को सहायता दी जाएगी।

पात्रता : विश्वविद्यालय, विख्यात शैक्षिक तथा अनुसंधान संस्थाएं और स्थानीय निकाय आवेदन करने के पात्र होंगे बशर्ते कि उनके पास उचित रूप से गठित प्रबंधन निकाय हो तथा कुल परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत निवेश करने की क्षमता रखते हों। निधियों के भाग को भूमि लागत तथा भूमि विकसित करने के प्रति उपयोग नहीं किया जाएगा।

(3) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार।

यह पुरस्कार किसी संस्था को शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहन देने में सराहनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाएगा।

प्रत्येक वर्ष चार पुरस्कार होंगे। प्रत्येक पुरस्कार एक लाख रुपए की राशि का होगा जिसे देश के प्रत्येक क्षेत्र में सामान्य शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा, विशेष रूप से पिछड़ी अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए उपयोगी सेवाएं प्रदान कर रहे उत्कृष्ट संस्था को प्रदान किया जाएगा।

लखनऊ-हावड़ा लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण

1679. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) लखनऊ-गोरखपुर-छपरा-मुजफ्फरपुर-हावडा रेल पथ के दोहरीकरण और विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजमा के पूर्ण होने के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है; और

(ग) उपर्युक्त रेल मार्गों पर विलंब से चलने वाली रेलगाड़ियों का समय पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) लखनऊ–गोरखपुर–छपरा–हावड़ा मार्ग पर, लखनऊ–बाराबंकी, गोंडा–जरवल रोड, मुजफ्फरपुर–रामदयालुनगर, धोली–मुजफ्फरपुर, कर्पूरीग्राम–बरौनी और हटिया–हावड़ा खंडों के बीच पहले ही दोहरी लाइन मौजूद है। इसके अलावा, जरवल रोड–बुढ़वल, गोरखपुर–सहजनवां, छपरा–हाजीपुर तथा धोली–कर्पूरीग्राम पर कहीं–कहीं दोहरीकरण प्रगति पर है।

जहां तक विद्युतीकरण का संबंध है, इस मार्ग के विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन बरौनी से हावड़ा लाइन पहले ही विद्युतीकृत है।

(ख) संपूर्ण लाइन के दोहरीकरण संबंधी कार्य को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) गाड़ियों के समयपालन में सुधार लाने हेतु भारतीय रेलों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(i) गाड़ियों के समयपालन में सुधार लाने के उद्देश्य से रेल बजट 2003–04 में कोचिंग परिचालन सूचना प्रणाली (सीओआईएस) का प्रस्ताव किया गया है।

(ii) सभी तीन स्तरों अर्थात मंडल, क्षेत्रीय मुख्यालय तथा रेलवे बोर्ड स्तर पर गाड़ियों की चौबीसों घंटे गहन निगरानी।

(iii) समय–समय पर समयपालन अभियान चलाए जाते हैं।

(iv) संरक्षा सीमाओं और गति प्रतिबंधों के अंतर्गत गाड़ियों को अधिकतम अनुमेय गति पर चलाना।

(v) क्लीयर पथ मुहैया कराने के लिए समय निर्धारण में सुधार।

(vi) उपस्कर की विफलताओं को कम करने के लिए अनुरक्षण के मानकों में सुधार।

(vii) समय पर गाड़ियों का चालन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को परामर्श देना और प्रेरित करना।

(viii) कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं तथा शरारती गतिविधियों से निपटने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय।

(ix) अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और कार्य प्रणाली को अपग्रेड करना।

[अनुवाद]

आईबीपी और आईओसीएल के पेट्रोल पंप

1680. श्री भास्करराव पाटील :
डा. चरणदास महंत :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 2003 से शासित मूल्य प्रणाली को समाप्त किए जाने के पश्चात आईबीपी और आईओसीएल ने जनवरी तथा फरवरी, 2003 में स्वयं द्वारा तैयार की गई नीति के अनुसार कुछ पेट्रोल पंप डीलरों को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पैनल में लिए गए उम्मीदवारों के संबंध में फील्ड जांच रिपोर्ट की तैयारी को आशय पत्र जारी करने के लिए डीलर चयन प्रक्रिया का अंतिम भाग माना जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेल संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की नीति के अंतर्गत कुछ पेट्रोल पंपों को स्थापित किया गया है और कुछ अभी भी लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन मामलों को लंबित रखने के क्या कारण हैं और शेष पेट्रोल पंपों को कब तक स्थापित किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (घ) 1.4.2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था के समापन के पश्चात इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा आईबीपी कंपनी लिमिटेड ने अपनी संबंधित नीतियों के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों (पेट्रोल पंपों) के लिए डीलरों के चयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की है। क्षेत्रगत जांच पड़ताल

डीलरों के चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत उठाए जाने वाले कदमों में से एक है। इन खुदरा बिक्री केन्द्रों में कुछ ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्र, जिनके लिए आशय पत्र जारी किए गए थे, चालू कर दिए गए हैं तथा इनमें से कुछ खुदरा बिक्री केन्द्र विभिन्न कारणों से चालू किए जाने के लिए लंबित हैं।

दुर्घटना राहत के दौरान एयर बटालियन फोर्स से सहायता

1681. श्री रमेश चेन्नितला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेल दुर्घटनाओं के दौरान एयर बटालियन फोर्स को तैनात करने के लिए उनकी तैनाती करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जी, नहीं। रेल राहत विशेषज्ञों की पेशेवर रूप से प्रशिक्षित एक क्रैक टीम बनाने का प्रस्ताव है जो किसी भी दुर्घटना स्थल पर बहुत ही कम समय में वायु/सड़क मार्ग द्वारा भेजी जा सकेगी। यह समूह लगातार बचाव, फंसे यात्रियों को निकालने की तकनीकों और चिकित्सीय राहत की अद्यतन जानकारी देगा तथा दुर्घटना होने पर राहत एवं बचाव कार्यों में सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा जब कभी आवश्यकता होती है तो दुर्घटना के बाद होने वाली आपदाओं से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की मदद ली जाती है।

[हिन्दी]

डीजल के विकल्प के उपयोग पर अध्ययन

1682. श्री सुरेश चन्देल :
श्री महेश्वर सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुनिया में सार्वजनिक यातायात प्रणाली में उपयोग किए जा रहे डीजल के वैकल्पिक ईंधनों के विषय में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इंडियन आयल कारपोरेशन का अनुसंधान एवं विकास विभाग वर्तमान में डीजल ईंधन के लिए मिश्रित घटक के रूप में एथानोल के उपयोग के संबंध में अध्ययन करवा रहा है। इसके अतिरिक्त डीजल के साथ मिश्रित घटक के रूप में जैव–डीजल के उत्पादन तथा उपयोग के संबंध में भी कार्य किया जा रहा है।

[अनुवाद]

एससीसी/एसईसी का गठन

1683. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में पर्सन विद डिसेबिलिटीज (पीडब्ल्यूडी) एक्ट, 1995 को सुचारु ढंग से लागू करने हेतु राज्य समन्वय समिति (एससीसी) तथा राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) का गठन किया गया है और शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एससीसी/एसईसी की कब तक नियुक्ति किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ऐसी एससीसी तथा एसईसी हेतु आयुक्तों की नियुक्ति कर दी है;

(ग) यदि हां, तो किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पूर्णकालिक तथा अंशकालिक आधार पर आयुक्तों की नियुक्ति कर दी है; और

(घ) सरकार द्वारा उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में जहां अंशकालिक आयुक्त हैं, पूर्णकालिक आयुक्त नियुक्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि) : (क) निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 13 (1) तथा 19 (1) के अनुसार केवल राज्यों से क्रमशः राज्य समन्वय समिति (एससीसी) तथा राज्य कार्यकारी समिति गठित करने की अपेक्षा की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों को अधिनियम की धारा 13 (3) के अंतर्गत इस प्रावधान से छूट है। झारखंड राज्य को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने राज्य

समन्वय समिति (एससीसी) तथा राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) का गठन कर लिया है। जैसा कि झारखंड सरकार द्वारा सूचित किया गया है, इसने राज्य समन्वय समिति तथा राज्य कार्यकारी समिति के गठन के लिए प्रस्ताव आरंभ किया है।

(ख) राज्य समन्वय समिति तथा राज्य कार्यकारी समिति के गठन से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त को राज्य समन्वय समिति तथा राज्य कार्यकारी समिति का पदेन सदस्य होना है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त की नियुक्ति कर ली है।

(ग) आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, नागालैंड तथा राजस्थान ने विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर की है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त की नियुक्ति अतिरिक्त कार्यभार के आधार पर की गई है।

(घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त राज्य सरकारों से विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त को पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त करने का आग्रह करते रहे हैं।

आंतरिक सतर्कता तंत्र की पुनःसंरचना

1684. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सतर्कता अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में कुछ सुधार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने भी मंत्रालय से आंतरिक सतर्कता तंत्र की पुनःसंरचना करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या रक्षा संबंधी क्रय के निर्णय लेने की गति धीमी है और क्या यह कारण सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण पर प्रभाव डाल रहा है;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या रक्षा सौदों में एजेंटों की उपस्थिति पर प्रतिबंध लगा दिया गया था; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त निर्णय के पालन न करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (च) मंत्रियों के समूह की सलाह पर रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण परिषद तथा रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड का गठन किया है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में जून, 2003 में संशोधन किया गया है। तीनों सेनाओं को समुचित उपस्कर उपलब्ध कराए जाते हैं। तीनों सेनाओं का आधुनिकीकरण कार्यक्रम समुचित ढंग से आगे बढ़ रहा है।

(छ) और (ज) रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 1987 तथा 1989 में एजेंटों पर लगी पाबंदी का सख्ती से पालन किया जा रहा है। जहां एजेंटों की संलिप्तता से संबंधित सूचना रक्षा मंत्रालय के ध्यान में लाई गई थी वहां केन्द्रीय सतर्कता आयोग/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के माध्यम से जांच करवाई गई थी। जांच के परिणामों पर निरपवाद रूप से कार्यवाही की गई थी।

ताबूत खरीद

1685. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रकार श्री आर. वी. पंडित ने एक दस्तावेज प्रकाशित किया था जिसे ताबूत खरीद आदि के संबंध में संसद सदस्यों को भेजा गया था और जिसका खुलासा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 'आपरेशन विजय' नामक रिपोर्ट में किया गया था और जिसका प्रकाशन रक्षा मंत्रालय के खर्च पर किया गया था;

(ख) क्या पत्रकार आर. वी. पंडित की पहुंच अपना

दस्तावेज तैयार करते समय रक्षा संबंधी फाइलों तक थी; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) श्री आर. वी. पंडित द्वारा लिखित "द होल ट्रुथ विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स अबाउट द एल्यूमीनियम केसकेट बोट बाइ द डिफेंस मिनिस्ट्री इन 1999–2000" शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक रक्षा मंत्रालय के खर्चे पर प्रकाशित नहीं की गई थी। यह पुस्तक श्री पंडित का पत्रकारिता संबंधी प्रयास थी तथा इस पुस्तक में व्यक्त किए गए विचार श्री पंडित के अपने विचार हैं।

प्रख्यात पत्रकार श्री आर. वी. पंडित ने रक्षा मंत्रालय से एल्यूमीनियम ताबूतों की अधिप्राप्ति से संबंधित सूचना तथा सहायक दस्तावेजों के लिए अनुरोध किया था। ये दस्तावेज रक्षा मंत्रालय द्वारा एल्यूमीनियम ताबूतों की अधिप्राप्ति के संबंध में लोक सभा में दिए गए उत्तर, संसद को पहले ही भेजे जा चुके "तथ्यात्मक विवरण", इस मामले पर रक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 11.12.2001 को दी गई प्रेस कांफ्रेंस तथा दिनांक 11.12.2001 को जारी किए गए प्रेस नोट के रूप में पहले ही जन–सामान्य की पहुंच में थे, जो सब इन्हीं दस्तावेजों पर ही आधारित थे। श्री आर. वी. पंडित के अनुरोध पर ये दस्तावेज भी उन्हें भेज दिए गए थे जिन पर उन्होंने अपनी पुस्तक में विश्वास किया है।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2003–2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 7854/2003]

(2) 'इरकॉन' इन्टरनेशनल लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2003–2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 7855/2003]

(3) 'राइट्स' लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2003–2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 7856/2003]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री सुबोध मोहिते) : महोदय, मैं इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2003–2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी 7857/2003]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 7858/2003]

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष

2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 7859/2003]

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विधेयक*—पुरःस्थापित

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सत्यव्रत मुखर्जी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 31.7.2003 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

मुंबई में हुए बम विस्फोटों के बारे में

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं का अस्वीकृत कर दिया है।

[हिन्दी]

मैं जीरो ऑवर में इजाजत देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जीरो ऑवर में महत्वपूर्ण विषय आएंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैंने स्थगन, प्रस्ताव के लिए सूचना दी है। उन्होंने भी स्थगन प्रस्ताव हेतु सूचना दी है। हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हमारा कार्य स्थगन प्रस्ताव है। आपने हमें क्वैश्चन ऑवर में वायदा किया था कि जीरो ऑवर में मुझे सब से पहले समय देंगे...*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मुंबई में बम ब्लास्ट का बड़ा हादसा हुआ है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि जीरो ऑवर में जितना हो सके, ज्यादा से ज्यादा सदस्य अपना प्रश्न उठा सकें। मैं इजाजत देने वाला हूं। लेकिन वह इजाजत देने के बाद, जो प्रश्न सुबह श्री खैरे और श्री किरीट सौमैया जी द्वारा उठाया गया था, उस संबंध में माननीय मंत्री स्टेटमेंट कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुंबई में कुछ गंभीर घटना घट गई है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुंबई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, लोकल लैवल पर यह रिपोर्ट आई है कि मुंबई में हत्यारे आए हैं और जैसा 1993 में आए थे, वैसे ही ये आए हैं।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, माननीय मंत्री जी सभा में वक्तव्य देने जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पाटील, आप बोलना चाहते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री शिवराज पाटील इस विषय पर बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : वहां कृपाशंकर जी ने खुद कहा है कि आतंकवादी इसमें शामिल हैं और उप–मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं है, इसमें आतंकवादी शामिल नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रावले जी, आप बैठिए। मंत्री जी, स्टेटमेन्ट देने के लिए तैयार हैं, आप क्यों बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाली है या नहीं। इसमें पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ है। सरकार क्यों पाकिस्तान पर हमला नहीं करती है। बार–बार वहां हमारे लोग मारे जा रहे हैं। दिन–रात हिन्दुस्तान में आतंकवाद हो रहा है। हमारी सरकार क्या कर रही है, पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं करती है।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती) : उन्होंने कहा है कि मुंबई में काई गड़बड़ नहीं है।

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : उन्होंने कहा है कि शिवसेना कुछ करती है तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, बम विस्फोट होते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, यह उन्होंने प्रेस में कहा है।...*(व्यवधान)* वह कहते हैं कि शिव सेना की वजह से लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है और सरकार कहती है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ बाहर कहा होगा उससे मेरा संबंध नहीं है। प्लीज बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा में शांति बनाए रखें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री खैरे, आप पहले ही इस विषय पर बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

मैंने आपको बोलने की इजाजत दी थी, अभी आप बैठिए। इस विषय पर जो लोग बोलना चाहते हैं...

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यही लोग बार–बार बोले जा रहे हैं और हमें बोलने नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)* हमारा इतना महत्वपूर्ण मामला है। परसों पूरा दिन इसी में चला गया...*(व्यवधान)* हमारा बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें इजाजत नहीं दी है, आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री रामजीलाल सुमन, आप इस तरह से सभा की कार्यवाही में बाधा नहीं डाल सकते। यह क्या हो रहा है?

[हिन्दी]

इसमें आप हाउस की क्या शोभा बढ़ाते हैं। रामदास

आठवले जी, बहुत हो गया, अब आप बैठिए। आप मेरी इजाजत लेकर खड़े रह सकते हैं। ऐसी बात सदन में नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील : अध्यक्ष महोदय, यहां जो प्रश्न उठाया गया है उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि अगर उड़ीसा में कुछ हुआ है तो क्या उसकी भी चर्चा यहां होगी? हम यही पूछ रहे हैं...*(व्यवधान)* उधर जो हमारे साथी बैठे हुए हैं वे बार–बार उठकर कहते हैं कि इसे राष्ट्रीय स्वरूप मत दीजिए। हम यही पूछना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह राजनीति का प्रश्न नहीं है।

श्री शिवराज वि. पाटील : अगर, कोई ऐसी बात होती है तो इसे राष्ट्रीय स्वरूप दिया जा रहा है या नहीं और हम जानना चाहते हैं कि अगर महाराष्ट्र के अलावा जो दूसरी जगहों पर हो रहा है, क्या उनके लिए वह राष्ट्रीय प्रश्न नहीं है? इस पर मंत्री जी का जवाब आएगा, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर यह इनका क्या तरीका है यह महाराष्ट्र की सरकार बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे : महाराष्ट्र में लोग मारे जा रहे हैं और यह महाराष्ट्र के होकर ऐसी बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : जो लोग बार–बार हमें समझाते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ राजनीति नहीं करेंगे, उन लोगों को अपने साथियों को भी समझाना होगा कि अगर कहीं आतंकवाद हुआ है तो उसका भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए...*(व्यवधान)*

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह तीन बजकर दस मिनट पर जोगेश्वरी क्षेत्र में जो बम विस्फोट हुआ, उसके कारण सात लोगों की मृत्यु हो गई और काफी नुकसान हुआ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह से चर्चा होगी तो क्या बिहार पर भी चर्चा होगी?...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : बिहार पर भी चर्चा कराइए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, मैं आपको प्रश्न उठाने की इजाजत दूंगा। अभी आप बैठिए।

श्रीमती जयवंती महेता : अध्यक्ष महोदय, आज विस्फोट के कारण बहुत नुकसान हुआ है।...*(व्यवधान)* मुंबई में 1992 में भी एक ही दिन में 13 जगह बम विस्फोट हुए थे।

अध्यक्ष महोदय : जयवंती बहन बोल रही हैं, आप उन्हें बोलने दीजिए। यह आपका तरीका ठीक नहीं है, प्लीज आप बोलिए।

श्रीमती जयवंती महेता : अध्यक्ष महोदय, तीन दिन पूर्व महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री जी ने अपनी एक आशंका पत्रकारों के सामने जताई और उन्होंने यह बात बताई कि मुझे ऐसी आशंका है कि गोधरा हत्याकांड के साथ शायद इन विस्फोटों का कुछ ताल्लुक है। ऐसी आशंका उन्होंने जताई।...*(व्यवधान)* मैं इस बात को रखना चाहती हूं कि मुंबई कॉमर्शियल कैपिटल है। आपकी जानकारी के लिए दो–तीन महीने पूर्व मुंबई के पुलिस आयुक्त ने समाचार–पत्रों के माध्यम से यह जानकारी दी थी कि दक्षिण मुंबई में मल्टी–स्टोरीड बिल्डिंगों की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि आतंकवादी हमले की आशंका है। इस प्रकार की जानकारी दो–तीन महीने पूर्व पुलिस कमिश्नर ने पत्रकारों को दी थी। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने की यह साजिश लगती है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या वह एक मंत्री के रूप में वक्तव्य दे रही हैं?

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वह मंत्री हैं...*(व्यवधान)*। वह एक मंत्री के रूप में वक्तव्य दे रही हैं।...*(व्यवधान)* मंत्री संयुक्त रूप से मंत्री परिषद के प्रति भी जिम्मेदार होता है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती महेता : मैं मुम्बई की प्रतिनिधि हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, मेरा

एक व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)* उन्हें मंत्री पद से त्यागपत्र देने दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : शून्य काल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। शून्य काल आरंभ हो चुका है।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : क्या आडवाणी जी जो बात कहेंगे, जयवंती जी उससे अलग बात कहेंगी जबकि वह भी मंत्री हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्य के रूप में नहीं बोल सकता। अतः महिला मंत्री जी ने जो कुछ भी कहा, उसे कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : जो स्टेटमेंट गृह मंत्री जी ने दिया है, क्या उसको महेता जी अनुमोदित करती हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल सकता। यदि महिला मंत्री ने व्यक्तिगत स्तर पर बोला है, तो उन्होंने जो कुछ भी बोला है उसे कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। लोक सभा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : उनका निर्वाचन क्षेत्र मुंबई है। वे मुंबई से लोक सभा की सदस्या हैं, वे राज्य सभा की सदस्या नहीं हैं। उनका निर्वाचन क्षेत्र है। वे कोई गलत बात नहीं कह रही हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो गया है और ये दूसरी बातें कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप इस पर रूलिंग दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर ही नहीं है।

[अनुवाद]

मंत्री जी अब जवाब दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, सरकार ने आज इस मुद्दे पर दो वक्तव्य दिए हैं–एक उप–प्रधान मंत्री जी ने तथा दूसरा मंत्री महोदया ने...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर कई बार इस सभा में बहुत से मंत्रियों ने बोला है। मंत्री बहुत से मुद्दों पर बोले हैं। मैंने भी मंत्री के रूप में बोला है। मंत्रियों ने बहुत बार बोला है।

मैंने बहुत बार, सभा में मंत्री के रूप में अन्य मुद्दों पर बोला था और सभा में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। अब चर्चा के संबंध में माननीय उप–प्रधान मंत्री जी के द्वारा जवाब दिया जा रहा है और उसे वक्तव्य के रूप में लिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं पुनः कहता हूं कि हम कार्यवाही में बाधा नहीं डालेंगे किन्तु हम मंत्री महोदय के वक्तव्य और माननीय उप–प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य, दोनों पर इस मुद्दे के संबंध में सरकार के वक्तव्य के रूप में विचार करेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने अब चर्चा का जवाब देने के लिए माननीय मंत्री जी को अनुमति दे दी है।

(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, आपने मंत्री महोदया, द्वारा दिए गए वक्तव्य पर अपना विनिर्णय नहीं दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी को माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देने दें।

(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, कृपया हमें मंत्री महोदया द्वारा दिए गए वक्तव्य की स्थिति बताएं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप सभी को इस बात की जानकारी होगी कि कई बार, अलग–अलग मुद्दों पर मंत्रियों ने बोला है, जबकि वह उनके विभागों से संबंधित नहीं था।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री तब तक मंत्री रहता है, जब तक वह त्याग–पत्र नहीं दे देता/देती। एक मंत्री सभा के पटल पर जो कुछ भी कहता है, वह मंत्री की हैसियत से कहता है न कि सदस्य की हैसियत से...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : प्रत्येक सदस्य को यहां बोलने का अधिकार है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अतः मंत्री महोदया द्वारा दिया गया वक्तव्य सरकार द्वारा किए गए वक्तव्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : उनके वक्तव्य के कार्यवाही सारांश से निकाल दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : यह सत्य आपको इतना कड़वा क्यों लग रहा है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, यह मेरा अपना विचार है कि कोई भी मंत्री यहां व्यक्तिगत हैसियत से नहीं बोल सकता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक गलत पूर्वोधारण बनाया गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जब हम यह कहते हैं, हम उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं...*(व्यवधान)* महोदय, हम आपके निर्णय पर कोई सन्देह नहीं कर रहे, अतः मैं चाहता हूं कि आप मंत्री महोदया द्वारा दिए गए वक्तव्य की स्थिति के अनुसार अपना निर्णय दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुनी है और मैंने जो कहना था, मैं पहले ही कह चुका हूं। अतः अब माननीया मंत्री जी जवाब देंगी।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, श्री जयपाल रेड्डी और मैंने इस मुद्दे पर तर्क–वितर्क किया है। इस संबंध में कोई लड़ाई नहीं है। मैं कहना चाहता था कि आपने प्रश्न काल में एक निर्देश दिया है कि माननीय उप–प्रधानमंत्री जी वक्तव्य देंगे। अब माननीय उप–प्रधानमंत्री से पहले, एक और मंत्री महोदया ने एक सदस्य के रूप में नहीं अपितु एक मंत्री के रूप में विषय के संबंध में कुछ कहा। हम जानना चाहेंगे कि क्या इन दोनों विवरणों को सरकार द्वारा दिया गया वक्तव्य मानें अथवा नहीं। हम इस पर आग्रह कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह इस बारे में आग्रह करें और मैंने भी कहा था कि सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंत्रियों ने जवाब दिया है, यही परम्परा रही है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : सर, इस प्रकार की बातें कह कर ये मुम्बई और महाराष्ट्र के इश्यू को डायवर्ट कर रहे हैं क्योंकि यह उनके ऊपर आने वाला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने न केवल ऐसे कहा बल्कि मैंने यह भी स्पष्ट किया कि मैंने ऐसे मुद्दों पर अपनी पार्टी की ओर से व्यक्तिगत तौर पर बोला था। जो मेरे विभाग से संबंधित नहीं थे। अतः, पिछली प्रथा को देखते हुए मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी थी और उन्होंने कुछ बोला था। अब, मंत्री महोदय से यह अपेक्षा है कि वे इसका उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, मंत्री महोदय द्वारा एक वक्तव्य दिया गया है। जब किसी मंत्री महोदय द्वारा सभा में कोई वक्तव्य दिया जाता है तो उसे सरकार द्वारा दिए गए वक्तव्य का एक हिस्सा माना जाता है। उनकी एक संयुक्त जिम्मेवारी होती है।...*(व्यवधान)* किसी भी माननीय सदस्य का बोलना किसी मंत्री महोदय के बोलने से भिन्न होता है। यदि कोई मंत्री महोदय वक्तव्य देते हैं तब यह मान लिया जाता

है कि मंत्री महोदय ने जानकारी एकत्र कर ली है और वह एक उत्तरदायित्व पूर्ण वक्तव्य दे रहे हैं और वक्तव्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है...*(व्यवधान)* यदि कोई मंत्री महोदय किसी से परामर्श लिए बिना कोई वक्तव्य देते हैं तो उन्हें ही इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। मंत्री महोदय को पहले त्यागपत्र देना पड़ता है और उसके बाद वे व्यक्तिगत तौर पर अपना वक्तव्य देते हैं अथवा एक मंत्री के रूप में उन्हें सरकार की ओर से वक्तव्य देना पड़ता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनका यह वक्तव्य मंत्री के रूप में दिया गया वक्तव्य नहीं था। मैंने उन्हें मंत्री के रूप में वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी थी। यह मामला उनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है और वे कुछ मुद्दे सामने रखना चाहती थीं जो उन्होंने रख दी हैं। उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जानकारी दी है और उससे अधिक और कोई बात नहीं है। उसमें कोई गलत बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वे एक मंत्री हैं। आप उन्हें मंत्री मानने से इंकार कैसे कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें इस सभा का एक सदस्य मानने से भी इंकार नहीं कर सकता हूं। यदि उनके पास अपने निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कोई जानकारी है और वे सभा में उस जानकारी को सबके समक्ष रखना चाहती हैं तो मैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे सकता हूं। अब मंत्री महोदया कह सकती हैं कि उनकी जानकारी सही है या गलत। इस बारे में और अधिक वाद-विवाद नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह एक गलत मिसाल है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनेक बार कहा है कि मंत्रीगण भी अपने दल की ओर से सभा में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। मैं आपसे सहमत नहीं हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब सभा पन्द्रह मिनट के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.22 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 12.37 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.37 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.37 बजे पुनः समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

मुम्बई में हुए बम विस्फोटों के बारे में—*जारी*

(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले बिहार सरकार को बर्खास्त करिए, तब स्टेटमेंट होगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिए।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर पहले मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास किया था। अब अपेक्षाकृत ज्यादा शांति है, क्या मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता हूं?

श्रीमती जयवंती महेता, जो एक महिला मंत्री हैं, ने बम्बई की घटना के बारे में भाषण दिया। माफ कीजिएगा, शहर का नाम मुंबई है। सभी छोटे-छोटे मामलों में मैं गलती सुधारने को तैयार हूं। मैं जो बात कह रहा हूं, वह यह है कि वह एक मंत्री हैं। संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिपरिषद् सामूहिक उत्तरदायित्व के अपरक्राम्य सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होती है। सभा में कोई भी मंत्री व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के अवसर के अतिरिक्त व्यक्तिगत तौर पर भाषण नहीं दे सकता है। मेरा यही व्यवस्था का प्रश्न है। उन्होंने अपनी बात सामने रख दी। क्या मैं यह अनुरोध कर सकता हूं कि इस मुद्दे पर उनकी बातों को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाए? तथापि, मैं आपका निर्णय जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। मैं नियमों, विनियमों और पूर्व निर्णयों का अध्ययन करूंगा और मैं आपके मामले को विचाराधीन रखता हूं।

अपराह्न 12.39 बजे

[[अनुवाद]

उप प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य*

28 जुलाई, 2003 को मुम्बई के घाटकोपर में बस में और 31 जुलाई, 2003 को जोगेश्वरी, पश्चिम मुम्बई में हुए बम विस्फोट

उप प्रधानमंत्री तथा ग्रह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : महोदय, महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार आज लगभग 0300 बजे जोगेश्वरी, पश्चिमी मुम्बई, के यादव नगर क्षेत्र में एक चाल में उच्च तीव्रता वाला विस्फोट हुआ जिसके परिणामस्वरूप चाल और उसके आस-पास के घर क्षतिग्रस्त हो गए। प्रारम्भिक रिपोर्टों के अनुसार, यह विस्फोट, श्री दिल नवाज खान, आयु 40 वर्ष, के घर पर हुआ। इस विस्फोट में 7 व्यक्ति मारे गए और 25 अन्य जख्मी हुए। जख्मी हुए सभी व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मारे गए व्यक्तियों में श्री दिल नवाज खान, उनकी पत्नी और पुत्री भी शामिल हैं।

मुम्बई पुलिस ने जांच-पड़ताल प्रारम्भ कर दी है। उन्होंने हमें बताया कि श्री दिल नवाज खान हिन्दी फिल्मों में स्टंट दृश्यों के लिए अपने घर और नजदीकी गोदाम में आतिशबाजी आदि की सामग्री स्टोर करता था और वहां से उसकी सप्लाई करता था।

तीन दिल पहले, 28 जुलाई, 2003 को लगभग 2115 बजे एल.बी.एस. रोड, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई में बेस्ट की एक बस में जबरदस्त बम विस्फोट हुआ। विस्फोट के समय, बस घाटकोपर रेलवे स्टेशन से करीब आधा किलोमीटर दूर थी और उसमें लगभग 35 यात्री थे। विस्फोट से बस के पिछले हिस्से का एक भाग और पिछले प्रवेश द्वार के पास फर्श क्षतिग्रस्त हो गया विस्फोट के आघात से बेस्ट की एक अन्य बस, तीन आटोरिक्शा और दो मोटर साइकिलें भी प्रभावित और क्षतिग्रस्त हुईं। सड़क के साथ-साथ कुछ दुकानों के नाम-पट्ट और आसपास की बहुत सी इमारतों के शीशे भी टूट-फूट गए।

विस्फोट में, दो व्यक्ति, नामतः सर्व श्री विलास मर्हीद्रिकर- 28 वर्ष और शिवबाली उर्फ हबलाल जगद देव यादव-35 वर्ष, जो एक आटोरिक्शा में सवार थे, मारे गए और 52 अन्य व्यक्ति घायल हो गए।

मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को सलाह दी है कि शहर में सुरक्षा और आसूचना तंत्र की पुनरीक्षा करे और उसे सुव्यवस्थित बनाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को पहले से ही रोका जा सके।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, फारेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट है कि घाटकोपर पर जो बम विस्फोट हुए।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री रामजीलाल सुमन को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अंनत गुढे (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, मुम्बई में राज्य सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल खराब हो चुकी है। राज्य सरकार के मंत्री द्वारा जो स्टेटमैंट दिया गया है, वह भी गलत है। ...*(व्यवधान)* वहां पर अलग-अलग बयान दिए गए हैं। सुबह कहा गया कि इसमें आतंकवादियों का हाथ है।...*(व्यवधान)* राज्य सरकार के गृह मंत्री ने कहा है कि इसमें आतंकवादियों का हाथ हो सकता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुमन जो कह रहे हैं, सिर्फ वे ही बातें कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल की जाएंगी।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय,

---

*ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7859ए/2003

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

परसों 29 जुलाई को इस सम्मानित सदन में ताज हेरीटेज कारिडोर को लेकर बसपा के सांसदों ने एक सवाल उठाया था कि केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जगमोहन...*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : आपने मुझे इस विषय पर सबसे पहले बोलने की अनुमति दी है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

इनके पहले आपने मुझे बोलने के लिए परमिट किया था। मैं चार दिन से इसे उठा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इनके बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। उसके बाद मैं श्री प्रभुनाथ सिंह जी को बोलने का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक के बाद एक करके आप सब बोल सकते हैं। कृपया आप अब चेयर को–आपरेट कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन दो–तीन मैम्बर्स के बोलने के बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिए सभी सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं आपको अनुमति देने जा रहा हूं। मैंने आपको नकारात्मक उत्तर नहीं दिया है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, प्रातः स्थगन प्रस्तावों संबंधी दो सूचनाएं दी गईं। एक श्री रामजीलाल सुमन ने दी और दूसरी सूचना मैंने दी थी। यदि श्री रामजीलाल सुमन को उनके विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी जाती है तो मुझे भी अपने विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि इनके बाद मेरा नम्बर है।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, आप हाउस को व्यवस्थित कीजिए वर्ना मेरा बोलना मुश्किल हो जाएगा।... *(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, आप कई दिन से कह रहे हैं कि नम्बर एक पर मैं बोलूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियंजन दासमुंशी : महोदय, स्थगन प्रस्ताव संबंधी सूचनाओं पर चर्चा किए बिना हम 'शून्य काल' कैसे आरंभ कर सकते हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर इस विषय पर हम झगड़ा करेंगे तो इससे हमारा समय बर्बाद होगा और कोई काम भी नहीं होगा। कृपया आप सब बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आपने इस सभा में स्थगन प्रस्ताव संबंधी सूचनाओं पर चर्चा करने के बाद ही "शून्य काल" आरंभ करने की प्रथा कायम की है। अतः स्थगन प्रस्ताव संबंधी सूचनाओं पर चर्चा करें और तत्पश्चात् "शून्य काल" आरंभ करें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर

रहा था कि इस सम्मानित सदन में बसपा के सांसदों ने ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं चार दिन से लगातार बिहार के सवाल पर नोटिस दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बिहार का सवाल उठा सकते हैं। यदि आप सभी बैठेंगे तो यह विषय आ जाएगा नहीं तो यह विषय नहीं आएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा कि यदि आप बैठेंगे तो यह विषय आ जाएगा नहीं तो यह विषय नहीं आएगा।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनके बोलने के बाद मैं बोलूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह तो मैं डिसाइड करूंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था। ...*(व्यवधान)* ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अगर आप को-आपरेट करेंगे तो चारों अपने-अपने इश्यू उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभी चार माननीय सदस्य आज बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि परसों 29 जुलाई को इस सम्मानित सदन में बसपा के सांसदों ने एक सवाल उठाया जिसके चलते पूरे सदन की कार्यवाही स्थगित रही। सवाल था कि ताज हैरीटेज कॉरिडोर के बारे में श्री जगमोहन, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने सदन को गुमराह किया है, वे इस्तीफा दें। जब गृह मंत्री जी बोलने वाले थे, तब आपके अनुरोध करने के बाद भी उनका पक्ष नहीं सुना गया। यह कहा गया कि जब तक श्री जगमोहन इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक हम अपना कदम वापिस लेने वाले नहीं हैं। शाम को उनकी नेता मायावती जी ने कहा कि जगमोहन जी के इस्तीफे का कोई अर्थ नहीं है। आप जानते हैं कि ताज हैरीटेज कॉरिडोर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को जांच के आदेश दे रखे हैं। मेरा आरोप है कि व्यवस्थित तरीके से सीबीआई जांच को प्रभावित करने के लिए जान-बूझकर सदन की कार्यवाही बाधित की गई। सीबीआई को अपने हित में प्रयोग करने का काम व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। जब शाम को मुख्य मंत्री की मुलाकात माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री जी से हुई तो पत्रकार सम्मेलन में मायावती जी ने कहा कि मैं जो चाहती थी, उसको पूरा करने का आश्वासन भारत सरकार ने दे दिया है।...*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मामला है। एक मामल में नहीं, अनेक मामलों में सीबीआई को अपने मन-मुताबिक प्रयोग करने का मामला ...*(व्यवधान)*

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल (हमीरपुर, उ.प्र.) : यह तो इसी बात के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, ये कल भाग गए थे।...*(व्यवधान)* कल शर्म की वजह से इनमें से एक आदमी नहीं आया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सब माननीय सदस्य अपनी-अपनी जगह पर जाएं।

श्री रामजीलाल सुमन : मैं आपकी अनुमति से निवेदन कर रहा था। परसों बहस का यह विषय था कि काम किसने रुकवाया-जगमोहन जी ने रुकवाया या मायावती जी ने रुकवाया। असल सवाल है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद वह काम शुरू किसने करवाया। 175 करोड़ रुपए की परियोजना पर भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे ज्यादा आपको परमीशन नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : यह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिए। मेरी दृष्टि से आपका विषय पूरा हो गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं एक–एक करके बुला रहा हूं। आपका नंबर आएगा तो आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है अब बोल सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैंने कांग्रेस पार्टी की ओर से सूचना दी थी...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, क्या वह इस प्रकार का व्यवहार करते रहेंगे?...*(व्यवधान)* सिर्फ एडजर्नमैंट मोशन लेंगे।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, अपनी–अपनी जगह पर जाइए। मैं सबको नहीं सुनना चाहता। इनको सुना, मेरे लिए इतना काफी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी बोलेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : यह षड़यंत्र है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया अपने स्थान वापस जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इजाजत दी, आपको बोलने की परमीशन दी, पहला नंबर भी दिया, इतना करने के बावजूद भी आप इस सदन में दूसरे सदस्यों को बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं। आपने जीरो ऑवर में प्रश्न उठाया, मंत्री जी चाहेंगे तो उत्तर देंगे। अध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं है कि वह मंत्री जी को सभा में उत्तर देने के लिए बाध्य करे, आप जानते हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : परसों मंत्री जी इसका जवाब देने वाले थे। यह बहुत गंभीर मामला है। सीबीआई जैसी संस्था के प्रति लोगों का विश्वास टूट रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप एक बात जानते हैं कि रूल्स के मुताबिक सदन चलेगा। रूल में ऐसा कहां है। आप मुझे रूल निकाल कर दिखाएं कि मैं मंत्री जी को फोर्स कर सकता हूं। मंत्री जी सुन रही हैं, वह चाहेंगी तो उत्तर देंगी, नहीं चाहेंगी तो नहीं देंगी।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : हम चाहते हैं कि सरकार इस पर रिएक्ट करे। यह बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बहुत मौका दिया, अब दूसरों को बोलने दीजिए। दासमुंशी जी बोलिए।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : इस सदन को और इस देश को इस बारे में जानने का पूरा अधिकार है।...*(व्यवधान)* सरकार इस पर क्या बोलना चाहती है?...*(व्यवधान)* सरकार रिएक्ट करे। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, उस दिन सत्ता पक्ष से श्री जगमोहन जी के बचाव में कोई नहीं उठा।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, अब मैं चाहूंगा कि इस पर मंत्री जी को स्टेटमेंट देने के लिए आप बाध्य करें। सारा घटनाक्रम जिस तरीके से हुआ है,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी सुन रही हैं। वह चाहें तो जवाब दें।

(व्यवधान)

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : जो यहां बात कही गई

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कि कोई नहीं उठा। मैंने तो हाउस में कहा था कि उनको बर्खास्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह बात रिकार्ड पर है। यह बात कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित है। यह कहना कि कोई नहीं उठा।...*(व्यवधान)* यह ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ये सब बातें रिकार्ड पर नहीं जाएंगी।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ श्री प्रियरंजन दासमुंशी कहेंगे सिर्फ वही कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मेरा आपसे यह निवेदन है कि यदि मैं गलत नहीं हूं तो, पहली लोक सभा से ही यह स्थापित प्रक्रिया रही है कि लोक महत्व के मामलों पर, चाहे 1000 सूचनाएं मिली हों मान्यता प्राप्त मुख्य प्रतिपक्षी दल को मामले उठाने के लिए प्राथमिकता मिलती है। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस सभा में इसका पालन नहीं किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रतिदिन केवल विपक्षी दल के सदस्य ही बोलेंगे और हमें बोलने का अधिकार ही नहीं है...*(व्यवधान)* यह न्यायसंगत नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र डा. विजय कुमार मल्होत्रा के दुख को समझ सकता हूं क्योंकि वे सत्ता पक्ष में थोड़े समय के लिए हैं।

महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव सीबीआई के एक भिन्न पहलू के घोर दुरुपयोग के संबंध में है। जब एक कार्यकारी एजेन्सी, पूर्व में न्यायालय के समक्ष 700 से अधिक पृष्ठों के साक्ष्य और अनेक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद, एक अवसर ढूंढ़ कर रायबरेली न्यायालय में चुनिंदा जगहों पर रद्दोबदल और स्वयं मानीटर किया हुआ टेप प्रस्तुत करती है ताकि केन्द्रीय गृह मंत्री को बचाया जा सके। अतः सीबीआई का इससे अधिक घोर दुरुपयोग नहीं हो सकता इसलिए हम इस पर कोई समझौता नहीं कर सकते।

महोदय, राजग सरकार चाहे वह लिबराहन आयोग हो चाहे वह तहलका पर फूकन आयोग हो, चाहे वह सीबीआई, एक के बाद एक अपराधिक षड़यंत्र में लिप्त लोगों को जानबूझ कर और पूरे जोर–शोर से इस प्रकार बचाने का प्रयास कर रही है। अतः यह प्रयास राजग सरकार द्वारा इस प्रकार का षड़यंत्र रचकर एक संस्था को नष्ट करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरी मांग यह है कि कृपया करके आप सरकार को पूर्व में प्रस्तुत सभी साक्ष्यों को सभा पटल पर रखने के लिए बाध्य करें और इस पर सभा को निर्णय लेने दें...*(व्यवधान)* हम इस मामले पर समझौता नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी, आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब डा. विजय कुमार मल्होत्रा बोलेंगे।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.54 बजे

(इस समय श्री श्रीप्रकाश जायसवाल और कुछ अन्य, माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से सभा में व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से माननीय सदस्यों के भाषण के बीच में व्यवधान उपस्थित कर रहे हो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों को भी बोलने का अधिकार है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : टीवी का प्रसारण बंद किया जाए। कोई स्लोगन रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी-अपनी जगहों पर जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के मामले पर...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से सीबीआई का मिसयूज हो रहा है वह गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)* सीबीआई की क्रैडिबिलिटी का सवाल है।...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : ये लोग हाउस चलाना नहीं चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप नहीं चाहते कि नियम 377 के अधीन मामले उठाए जाएं?

(व्यवधान)

अपराह्न 2.02 बजे

(इस समय श्री विलास मुत्तेमवार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन सूचीबद्ध मामले सभा पटल पर रखे माने जाएं।

अपराह्न 2.03 बजे

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) महाराष्ट्र में भुसावल तहसील के आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र के निकट रेलवे क्रासिंग पर फाटक बनाए जाने की आवश्यकता

श्री वाई. जी. महाजन (जलगांव) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जलगांव के अंतर्गत भुसावल तहसील का मुख्यालय है तथा मध्य रेलवे के अंतर्गत रेलवे का मंडल स्तरीय स्टेशन है। भुसावल में जोनल ट्रेनिंग सेंटर के पास रेलवे लाइन पर रेलवे क्रासिंग गेट की अति आवश्यकता है। इस स्थान पर रेलवे यार्ड में कई रेल लाइन बिछाई गई हैं। इस रेलवे लाइन पर क्रासिंग गेट बनाने की मांग क्षेत्र की जनता काफी समय से करती आ रही है। क्रासिंग गेट न बनने के कारण क्षेत्र के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। इस क्षेत्र के लोगों को रेलवे लाइन क्रास करने के लिए रेल के डिब्बों के नीचे से झुक कर जाना पड़ता है, जो बहुत ही खतरनाक है। कई बार यहां पर रेल लाइन पार करते समय अनेक दुर्घटनाएं हो गई हैं, जिनमें अनेक लोग मारे गए हैं। यहां पर रेल लाइन पार करते हुए बीमार, वृद्ध, विकलांग एवं बच्चों को काफी कठिनाई होती है।

अतः मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत भुसावल में झेड. टी. सी. के पास रेल लाइन पर रेलवे क्रासिंग गेट निर्माण करवाने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।

(दो) गुजरात में जामनगर शहर को बी-2 का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) : महोदय, गुजरात के जामनगर सिटी को बी-2 में अपग्रेड करने के लिए मैंने कर्मचारियों, कर्मचारी यूनियनों तथा गुजरात सरकार ने अनेकों दफे लिखा है, हड़तालें हुई, विरोध हुआ एवं मैं स्वयं पिछले 14 साल से यह मामला संसद एवं संसद के बाहर उठाता रहा। हर समय यह बताया जाता कि जामनगर शहर की

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्री चन्द्रेश पटेल]

जनगणना 5 लाख से कम है। 2001 की जनगणना के समय देखा जाएगा।

2001 की जनगणना के अनुसार अब करीब साढ़े पांच लाख की जनसंख्या हो चुकी है। जिनके ओरिजनल आंकड़े भी छप चुके हैं।

जामनगर म्युनिसिपल कारपोरेशन ने भी गुजरात सरकार, केन्द्रीय सरकार तथा रजिस्ट्रार ऑफ सेन्सस को भी सेन्सस का कोड नंबर oooox11 दिया है, जिसके अनुसार आंकड़े 5,00,208 जनसंख्या है। अब उसके अनुसार जामनगर बी–2 के अपग्रेडेशन का हकदार है। सरकार तुरंत इसका नौटिफिकेशन करे ताकि हजारों केन्द्रीय एवं स्थानीय कर्मचारियों को बी–2 अपग्रेडेशन का लाभ मिल सके।

(तीन) राजस्थान के भिवाड़ी शहर में उद्योगों के विकास के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

डा. जसवंतसिंह यादव (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य के अलवर जिले का भिवाड़ी शहर एक औद्योगिक क्षेत्र है, परन्तु उपयुक्त सुविधाओं के अभाव में यहां पर उद्योगों का विकास रुका हुआ है। भिवाड़ी शहर की समस्याएं निरन्तर बढ़ रही हैं मगर इस तरफ न तो राज्य सरकार समुचित ध्यान दे रही है और न ही भिवाड़ी औद्योगिक विकास प्राधिकरण। कुछ राज्य सरकारों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल की सरकारें उद्योगपतियों को अनेक प्रकार की रियायतें दे रही हैं तथा उद्योगों का विकास करने के लिए आर्थिक पैकेज तैयार करके उनको कार्यान्वित किया जा रहा है लेकिन यह बड़े ही दुख की बात है कि भिवाड़ी शहर के उद्योगपतियों के होने से भिवाड़ी शहर नोएडा व गुड़गांव जैसे औद्योगिक क्षेत्रों से मुकाबला नहीं कर सकता।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि भिवाड़ी जैसे औद्योगिक शहर में उद्योगों का विकास करने हेतु संबंधित उद्योगपतियों की समस्याओं को ध्यान में रखकर आर्थिक पैकेज की घोषणा करके उनको क्रियान्वित किया जाए ताकि शहर का विकास तेजी से हो सके।

(चार) महाराष्ट्र में धुले और कुर्ला के बीच बरास्ता चालीसगांव-मनमाड गोदावरी एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास रूपला गावीत (धुले) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र धुले जिले से महाराष्ट्र की राजधानी महानगर मुंबई जाने के लिए प्रतिदिन जनप्रतिनिधि, सरकार कर्मचारी, व्यापारी आते हैं तथा धुले जिले में स्थित कई हिन्दु तीर्थ क्षेत्र के दर्शन हेतु तथा तोरणमाल जैसे हिल स्टेशन पर बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों एवं भक्तगणों एवं धुले रेलवे स्टेशन से जाने वाले पर्यटकों एवं भक्तगणों के लिए दो द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बे पर्याप्त नहीं हैं।

यदि मनमाड–कुर्ला के बीच चलने वाली गोदावरी एक्सप्रेस को प्रातः समय धुले से चालीसगांव–मनमाड होते हुए कुर्ला चलाई जाए तो मेरे संसदीय क्षेत्र धुले जिले के नागरिकों को काफी सुविधा होगी और इससे रेलवे को आर्थिक लाभ भी होगा।

अतः मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जनहित में गोदावरी एक्सप्रेस को धुले से कुर्ला तक चलाए जाने हेतु आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

(पांच) राज्य सरकारों को विकासात्मक कार्यकलापों की समीक्षा के लिए गठित जिला स्तरीय सतर्कता और अनुवीक्षण समितियों के संबंध में केन्द्र द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करने का परामर्श दिए जाने की आवश्यकता

श्री महेश्वर सिंह (मण्डी) : महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री महोदय के निर्देश पर विभिन्न प्रांतों में विकासात्मक कार्यों की समीक्षा हेतु संबंधित सांसदों की अध्यक्षता में विजिलेंस एवं मानिटरिंग कमेटियों का गठन किया गया था। इस संबंध में अधिसूचना (नोटिफिकेशन) भी अनेक स्थानों पर जारी हो चुकी है और कुछ स्थानों पर इन समितियों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया और ये समितियां बहुत सार्थक सिद्ध हो रही थीं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के पत्र दिनांक 02 जुलाई, 2003 के माध्यम से उपायुक्तों को जो निर्देश दिए हैं उन्हें मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं :

[अनुवाद]

"मैं यहां दिनांक 31 मई, 2003 के समसंख्यक विभागीय पत्र को उद्धृत करता हूं जिसमें आपसे इस परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर की सतर्कता और अनुवीक्षण समिति का पुनर्गठन करने का अनुरोध किया गया था आपसे निवेदन किया जाता है कि नए आदेश मिलने तक जिला स्तर

की सतर्कता और अनुवीक्षण समिति का पुनर्गठन न किया जाए। यदि समिति का पुनर्गठन किया गया है तो इस समिति की बैठक भी अगले निर्देश मिलने तक नहीं हो सकेगी।"

[हिन्दी]

अतः मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि वे हस्तक्षेप करें और प्रांतीय सरकारों को निर्देश दें कि वे भारत सरकार के निर्णय का अनुपालन करें।

(छह) उत्तरांचल के नैनीताल जिले में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

डा. महेन्द्र सिंह पाल (नैनीताल) : महोदय, जब से दूरसंचार निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है, संचार निगम का कार्य संतोषजनक नहीं रहा है। विशेष रूप से जनप्रतिनिधियों द्वारा बार-बार कार्य के प्रति जागरूकता तथा उचित व न्यायसंगत कार्य करने हेतु लिखा जाता है, वे नहीं करते हैं। यहां तक कि माननीय सांसदों को केन्द्र सरकार द्वारा निहित किए गए बेसिक टेलीफोन का कोटा भी लिखने के बावजूद आपत्तियों सहित सांसदों को वापस कर दिया जाता है, विशेष रूप से उत्तरांचल के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहना है कि पूरे उत्तरांचल में बुनियादी टेलीफोन व्यवस्था चरमराई हुई है, खराब है तथा संबंधित अधिकारियों को बार-बार सूचित किए जाने के बावजूद भी कार्य में सुधार नहीं हो रहा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से संबंधित अधिकारियों को फोन द्वारा ओखलकांडा ब्लाक, धारी ब्लाक, बेतालघाट ब्लाक, भीमताल (बागड़) जिला नैनीताल की फोन व्यवस्था ठीक करने के संबंध में सूचना दी, परन्तु अभी तक संबंधित अधिकारियों ने कोई कारगर कदम नहीं उठाए हैं। अतः सरकार से मांग है कि जनहित में कार्य ठीक करने तथा संबंधित अधिकारियों को यथोचित तथा तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देश देने का कष्ट करे।

[अनुवाद]

(सात) केरल के लोगों के लिए खाड़ी देशों में रोजगार प्राप्त करने हेतु शैक्षिक योग्यता के सत्यापन के लिए प्रक्रिया में ढील दिए जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : खाड़ी देशों में रोजगार चाहने वालों में से तकरीबन 605 युवक मेरे राज्य केरल के होते हैं। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि किसी भी अकुशल कार्य के लिए न्यूनतम अर्हता एसएसएलसी होनी चाहिए। नए अनुबंध में यह अपेक्षित है कि जो भी भारतीय खाड़ी देश/संयुक्त अरब अमीरात जाना चाहता है उनके अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र (i) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित प्रकोष्ठ (ii) विदेश मंत्रालय और उसके बाद (iii) नई दिल्ली स्थित संयुक्त अरब अमीरात दूतावास द्वारा सत्यापित किए गए हों।

जो अपने कागजातों को सत्यापित कराना चाहते हैं उन पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सत्यापन प्रकोष्ठ ने अव्यावहारिक शर्तें लागू की हैं कि उम्मीदवारों के सगे संबंधी ही आवेदन पत्र दे सकते हैं तथा सत्यापन के बाद कागजात वापस ले सकते हैं। काउन्टर सुबह केवल दो घंटे के लिए खुला रहता है और इस कार्य के लिए एक ही काउन्टर होने के कारण लंबी कतार होती है। केरल से आने वाले व्यक्ति को प्रमाणपत्र सत्यापित करने के लिए कम-से-कम एक सप्ताह लग जाता है। इसमें दिल्ली यात्रा और ठहरने पर अत्यधिक व्यय भी शामिल है। इन बेरोजगारों को राहत प्रदान करने के लिए, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह (i) कार्य घंटों को प्रातः 10.00 से अपराह्न 5.00 बजे तक बढ़ाने के साथ और अधिक काउन्टर खोलकर, (ii) आवेदनकर्ताओं की ओर से रिश्तेदारों/दोस्तों/एजेन्टों को संतोषजनक प्रमाणन प्रक्रिया प्रस्तुत करने के बाद आवेदन पत्र दाखिल करने और सत्यापित प्रमाणपत्र वापस लेने की अनुमति देकर शर्तों में छूट दे।

(आठ) कर्नाटक में गन्ना उत्पादकों के लाभ के लिए पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन) : जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे देश के गन्ना उत्पादकों के समक्ष बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। गन्ने को पेराई के लिए समय पर नहीं उठाया जा रहा है। गन्ना उत्पादकों को पैसे का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। संपूर्ण देश के गन्ना उत्पादक इस मामले पर बहुत अधिक क्षुब्ध हैं।

मुझे खुशी है कि सरकार ने गन्ना उत्पादकों की गंभीर स्थिति को समझा है और केवल उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के लिए लगभग 600 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता के एक पैकेज की घोषणा की है। वस्तुतः कर्नाटक जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है इस मामले में सरकार द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

[श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा]

इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कर्नाटक के गन्ना उत्पादकों के लाभार्थ कम-से-कम 300 करोड़ रु. का एक पैकेज जारी करें।

(नौ) केरल के तटीय क्षेत्रों में खनिज रेत के खनन का निजीकरण करने की योजना वापस लिए जाने के लिए केरल सरकार को निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन) : केरल सरकार के निजी कंपनियों को तटीय क्षेत्रों में खनन कार्य हेतु अनुमति देने के कारण गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। यह प्रधान मंत्री द्वारा घोषित दोनों सरकारी क्षेत्र के उपक्रम आईआरई और केएमएमएल के सहयोग से एनडीएमसी द्वारा किए जा रहे लगभग 1500 करोड़ रु. के निवेश में बाधा डालने के प्रयास का एक भाग है। यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण खनिजों के खनन और उसे अलग करने जैसे कार्य को निजी क्षेत्र को सौंपने का कदम है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का निजीकरण हमारे देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत खतरनाक और राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। अंधाधुंध निजी खनन प्रतिकूल पर्यावरणीय समस्याएं पैदा करेगा और इससे केरल के तटीय क्षेत्रों के मछुआरों की जीविका का साधन समाप्त हो जाएगा। मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर खनिज रेत खनन को पूर्णतः निजी क्षेत्र में जाने से रोकें। महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केरल सरकार द्वारा खनन के कार्य को निजी क्षेत्र को सौंपने के इस कदम का विरोध करे।

(दस) बार-बार होने वाली रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय किए जाने की आवश्यकता

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग हर 45 दिनों में एक बड़ी रेल दुर्घटना होना भारतीय रेल में आम बात हो गई है। इस वर्ष आंध्र प्रदेश में वारंगल स्टेशन के समीप 2 जुलाई को सुबह हुई एक बड़ी रेल दुर्घटना में 18 लोगों की मृत्यु हो गई थी और अगले चार दिनों में चित्तूर जिले में हुई दुर्घटना में 22 यात्री घायल हुए थे। हर बार दुर्घटना के लिए तोड़-फोड़ की घटना को जिम्मेवार ठहराया जाता है। मई, 2002 में श्रमजीवी एक्सप्रेस के पट्टी से उतरने, 9 सितंबर को हावड़ा-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के रफीगंज के समीप एक नदी में गिरने, 3 जनवरी, को हुई सिकन्दराबाद-मनमाड एक्सप्रेस रेल दुर्घटना और इस वर्ष 15 मई को फ्रंटियर मेल में हुए अग्निकांड के लिए तोड़-फोड़ को जिम्मेवार ठहराया गया और वह भी इस संबंध में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत होने से पहले ही बताया गया। रेल मंत्री द्वारा अप्रैल में संसद में प्रस्तुत किए गए रेलवे सुरक्षा संबंधी श्वेत पत्र में यह स्वीकार किया गया कि दो-तिहाई दुर्घटनाएं मानवीय त्रुटियों के कारण होती हैं। वर्ष 2001-2002 में केवल 557 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई (जिसमें 34 निष्काषित लोग शमिल हैं) जोकि केवल 1.34 प्रतिशत हैं। मुझे खेदपूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि केवल कनिष्ठ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, वरिष्ठ अधिकारी बच जाते हैं क्योंकि समग्र उत्तरदायित्व पर बल दिया जाता है न कि नैतिक दायित्व पर। दुर्घटनाओं की जांच फील्ड कर्मचारियों की लापरवाही पर केन्द्रित होती है, न कि प्रणालीगत विफलताओं पर जोकि बहुधा इसके कारण होते हैं। कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ाने की आवश्यकता है। कार्य संस्कृति सुरक्षा के अनुरूप नहीं है क्योंकि लगभग कोई सतर्कता, प्रशिक्षण सत्र नहीं होता है और यदि यह आयोजित भी किया जाता है तो इसमें प्रमुख कर्मचारी भाग नहीं लेते हैं।

मैं केन्द्र सरकार से दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गंभीर प्रयास करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(ग्यारह) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि से उत्तर प्रदेश विशेषकर फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मान्यताप्राप्त विद्यालयों/संस्थानों को दी जाने वाली धनराशि पर लगाए जाने वाले पंजीकरण शुल्क की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री धर्मराज सिंह पटेल (फूलपुर) : महोदय, मैं आपका ध्यान सांसद निधि से मान्यताप्राप्त विद्यालयों/संस्थाओं/ट्रस्टों/पंजीकृत सोसाइटियों को भवन निर्माण या अन्य स्थाई संपत्ति के निर्माण हेतु दिए जाने वाले धन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इन संस्थाओं को निर्माण कार्य के लिए धन स्वीकृत होने से पहले सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भेजे गए समझौता प्रारूप के आधार पर 10/- रुपए के स्टाम्प पेपर पर भारतीय पंजीकरण अधिनियम के खंड 17 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से सामान्य पंजीयन कराना होता है परन्तु उत्तर प्रदेश में, विशेषकर जिला इलाहाबाद में स्टाम्प आयुक्त उत्तर प्रदेश शिविर कार्यालय, लखनऊ के निदेश पर 70/- रुपए प्रति हाजर का स्टाम्प शुल्क व 2 से 3

प्रतिशत तक पंजीयन शुल्क विद्यालयों/संस्थाओं से लिया जा रहा है, जो केन्द्र सरकार द्वारा जिला कलेक्टरों को दिए गए निर्देश के अनुरूप नहीं है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार व स्टाम्प आयुक्त शिविर कार्यालय, लखनऊ को एवं जिला कलेक्टरों को 70/–रुपए प्रति हजार स्टाम्प पेपर व 2 से 3 प्रतिशत पंजीयन शुल्क लेने से रोकने तथा 10 रुपए के गैर–न्यायिक पेपर पर पंजीयन करके धन स्वीकृत करने का आदेश जारी करने का कष्ट करें। जिससे मेरे फूलपुर संसदीय क्षेत्र व अन्य संसदीय क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं संस्थाओं में रुके हुए विकास कार्य प्रारंभ हो सकें।

(बारह) महाराष्ट्र के परभनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सेलु क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र परभनी के उप–नगरीय इलाके सेलु में मोबाइल फोन से स्थाई फोन पर फोन करने पर पल्स रेट 30 सैकेंड का है, जबकि पुणे, परभनी, औरंगाबाद, जो कि नगरीय इलाके हैं, से मोबाइल फोन से स्थाई फोन पर फोन करने पर पल्स रेट 60 सैकेंड है। दूसरी ओर परतूर, जालना, पुणे में स्थाई फोन से मोबाइल पर फोन करने पर पल्स रेट 90 सैकेंड है। इस प्रकार आप पाएंगे कि यह पल्स रेट ग्रामीण इलाकों में अधिक है जबकि शहरी इलाकों में कम। जोकि सरकार की ग्रामीण इलाकों में सस्ती फोन सुविधाएं उपलब्ध कराने की नीति के बिल्कुल विरुद्ध है। सेलु में तो मोबाइल सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं।

अतः इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस ओर ध्यान दे तथा यथा संभव सभी जगहों पर पल्स रेट कम करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाए तथा सेलु जिला में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बीएसएनएल को निर्देश दे।

(तेरह) बिहार के भागलपुर, खगड़िया और कटिहार जिलों को गंगा, कोसी और बागमती नदियों से होने वाले अत्यधिक भू-कटाव से बचाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : महोदय, बिहार राज्य के भागलपुर, खगड़िया एवं कटिहार जिलों के कई गांव, कोसी तथा बागमती नदियों के भीषण कटाव से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। भागलपुर जिलान्तर्गत कमलाकुंड बुद्धचक, करारी तीन टंगा, फूलकिया गंगा नदी के एवं पुनामा प्रतापगनर मिल्की मदरौनी, श्रीपुर कालूचक विषपुरिया तथा चौरहर ग्राम कोशी नदी के कटाव से ग्रस्त हैं जबकि गड़िया जिला के बौरना, ढाढ़ी पचाठ, वीरवास तैगाछी, कोयला बसुआ, अम्बाटोला रसौंक, गैन्डहाटी, घूरनमोड़, सैदपुर मलपा आदि गांव गंगा, कोसी एवं बागमती नदी के कटाव से ग्रस्त हैं। गंगा, कोसी एवं बागमती के कटाव की रोकथाम तथा गंगा प्रसाद बांध के भीतरी क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि से जल निकासी कार्य आवश्यक है।

अतएव मैं कटाव पीड़ित ग्रामों को बचाने हेतु कटाव रोधी कार्य तथा जल–जमाव निकासी हेतु आवश्यक कार्य योजना बनाने हेतु केन्द्र सरकार से मांग करती हूं।

[अनुवाद]

(चौदह) पार्सल कार्यालय में आसानी से पहुंचने की दृष्टि से पश्चिम बंगाल के बर्दवान रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या-1 पर गाड़ी संख्या 3151 अप, 3049 अप और 3911 अप का पुनः ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अजित कुमार पांजा (कलकत्ता, उत्तर-पूर्व) : करीमपुर, पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिदिन लगभग 600 से 800 पान की टोकरियां बर्दवान रेलवे स्टेशन पर पार्सल बुकिंग के लिए लाई जाती हैं परन्तु माल भेजने वालों को स्टेशन पर वास्तविक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

यद्यपि पान के पत्तों की टोकरियों को लाने वाले वाहन सुबह–सुबह ही स्टेशन पर पहुंच जाते हैं तथापि उन्हें मध्याह्न 12.00 बजे तक पार्सल कार्यालय पहुंचने नहीं दिया जाता है। इसके कारण ट्रेनों, जो केवल बहुत थोड़े समय के लिए रुकती हैं, में इन टोकरियों को लादने से पहले इनका सही वजन करने हेतु बहुत कम समय बचता है। इसके अलावा, माल भेजने वालों को पार्सल कार्यालय के अत्यंत समीप स्थित प्लेटफार्म सं. 1 की बजाय प्लेटफार्म सं. 2 अथवा 3 तक टोकरियों की ढुलाई के लिए अत्यधिक कुली शुल्क चुकाना पड़ता है। अतः, ट्रेन सं. 3151 अप, 3049 अप और 3911 अप का प्लेटफार्म सं. 1 पर पुनः ठहराव किया जाए।

माल भेजने वालों की शिकायतों के समाधान हेतु तत्काल उपचारात्मक उपाय किए जाएं।

[हिन्दी]

(पंद्रह) देश में गोवध पर पाबंदी लगाने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरुक्षेत्र) : महोदय, देशभर में गौ हत्या रोकने की मांग हो रही है। गौ का धार्मिक के साथ सामाजिक एवं आर्थिक नीति, धर्म एवं ऐसे कई पहलुओं का इससे संबंध है।

पशुधन बचाने से खेती बचेगी—खेती बचेगी तो देश बचेगा।

अतः देश में तुरंत सरकार गौहत्या का बिल लाकर इस कलंक को दूर करे। गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए।

[अनुवाद]

(सोलह) उड़ीसा में ढेंकानाल जिले में कपिलाश शिवपीठ का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : मैं सरकार का ध्यान चौंकाने वाली रिपोर्टों की ओर दिलाना चाहता हूं जो वन क्षेत्र के ऐसे विनाश के बारे में प्रकाश के बारे में प्रकाश डालती हैं और जिसके कारण उड़ीसा के ढेंकानाल जिले में 1500 फुट की ऊंचाई पर स्थित कपिलाश पर्वत पर तेरहवीं सदी के प्राचीन और सुप्रसिद्ध शिवपीठ, भगवान चन्द्रशेखर का मंदिर, जहां वर्षभर प्रवाहरत प्राकृतिक झरना और जलस्रोत हैं, सूख रहा है। श्रावण पूर्णिमा के दौरान पूरे भारत से हजारों की संख्या में श्रद्धालु, तीर्थ यात्री और पर्यटक कपिलाश आते हैं और महाशिवरात्री के दौरान लाखों लोग दर्शनार्थ इस मंदिर में आते हैं। यह प्रस्तावित अभयारण्य, जहां कपिलाश प्राणीउद्यान और मगरमच्छ प्रजनन केन्द्र हैं, भारतीय प्राणिउद्यान प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित है और यह उड़ीसा में दूसरे स्थान पर है, कपिलाश पर्वत क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा स्थापित विज्ञान केन्द्र भी है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केन्द्र सरकार से प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थान और अवरोष संरक्षण अधिनियम, 1958 और नियम 1959 के अंतर्गत प्राचीन कपिलाश मंदिर और इसके परिसर का अधिग्रहण किए जाने का बार–बार अनुरोध किया गया है।

कपिलाश मंदिर स्थल की सुरक्षा के अभाव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करते हुए इस स्थल पर अतिक्रमण और अनधिकृत भवन निर्मित किए जा रहे हैं और रमणीय प्राकृतिक जलस्रोत, जोकि मंदिर, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और सांस्कृतिक लोगों और वन्य जीव के साथ–साथ घरेलू जीवन के लिए एकमात्र जलस्रोत है, पूरी तरह से सूख गया है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसकी सुरक्षा, परिरक्षण और संरक्षण के साथ–साथ अतिक्रमण से सुरक्षा और जलधारा का तत्काल सरंक्षण किए जाने की आवश्यकता है। मैं सरकार से कपिलाश शिवपीठ के इस स्थल का तत्काल अधिग्रहण करने का अनुरोध करता हूं।

(सत्रह) तमिलनाडु में जोलारपेट्टई और होसुर के बीच, बरास्ता बरगुन और कृष्णागिरि, एक नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि) : विगत कई दशकों से जोलारपेट्टई और होसुर, बरास्ता बरगुन और कृष्णागिरि के बीच नई रेल लाइन की मांग की जाती रही है। कृष्णागिरि निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित सभी संसद सदस्यों ने कई अभ्यावेदन दिए थे परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला।

यद्यपि, इस नई परियोजना के लिए इस क्षेत्र में अपेक्षित मात्रा में राजस्व प्राप्ति की व्यापक संभावनाएं हैं, बार–बार अनुरोध करने और अभ्यावेदन देने पर भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। हाल में इस परियोजना के लिए किया गया सर्वेक्षण अपस्तरीय था और एकत्रित किए गए आंकड़े अस्पष्ट हैं।

बजट सत्र के दौरान हम इस परियोजना के लिए मंत्री जी की ओर से घोषणा किए जाने की उम्मीद कर रहे थे किन्तु हमें गहरा धक्का लगा कि हमारे साथ पुनः धोखा हुआ है। परन्तु जब मैंने मंत्री जी के समक्ष उपलब्ध क्षमताओं और संभावित राजस्व संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए, तो उन्होंने सिद्धान्त रूप से जोलारपेट्टई से बारगुन और कृष्णागिरि होते हुए होसुर तक नई रेल लाइन बिछाने और इसके लिए आवश्यक धनराशि आवंटित करने के हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया है परन्तु अब तक यह कार्य आरंभ नहीं किया गया और इस क्षेत्र के लोग इस बात से बहुत नाराज हैं। मैं सरकार से इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाकर बैठ जाइए, मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें विधायी कार्य करना है, कृपया अपने स्थान पर चले जाइए।

(व्यवधान)

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, यह क्या हो रहा है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपने स्थान पर वापस जाने के लिए कह रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप अपने मुद्दे रखना चाहते हैं, तो अपने स्थान पर जाकर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाकर बैठ जाइए। आप अपने मुद्दे अपने स्थान से उठा सकते हैं और यदि सरकार उत्तर देना चाहती है, तो सरकार उत्तर देगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, हमें बहुत से विधायी कार्य निपटाने हैं। हमने विधेयक को विचार हेतु कल लिया था और इस पर आज भी विचार करना जारी रहेगा। मैं आप सभी लोगों से कृपा करके व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध करता हूं। अब हम सभा की कार्यवाही थोड़ा आगे बढ़ाएं। इस तरीके से हमारे देश का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 1 अगस्त, 2003 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 1 अगस्त, 2003/ 10 श्रावण, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पी० एल० एस० — 48/35/9/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्र
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।